दशम माला, खंड 8 अंक 4

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

राज्य सभा, खण्ड 8, तीसरा सत्र, 1992/1913 (शक)

अंक 10, शुक्रवार, 6 मार्च, 1992/16 फाल्गुन, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—79
*तारांकित प्रश्न संख्या : 412 से 152	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	79—311
तारांकित प्रश्न संख्या : 153 से 162	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1633 से 1640, 1642 से 1668, 1670 से 1695, 1697 से 1737, 1729 से 1761 और 1753 से 1864	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	311—321
प्राक्कलन समिति	321
छठा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश — प्रस्तुत	
सभा का कार्य	322—324
नागरिकता (संशोधन) विधेयक — पुरःस्थापित	324
श्री एम०एम० जैकब	324
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	325—344
प्रो० प्रेम धूमल	325—328

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय				पृष्ठ
श्री आर० जीवरत्नम	...	...	...	328—333
श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन	...	...	...	333—337
श्री अमर राय प्रधान	...	...	...	337—339
श्री मोरेश्वर सावे	...	...	...	339—342
श्रीमती सरोज दूबे	...	...	...	342—3 4
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		...	...	344—345
चौथा प्रतिवेदन—स्वीकृत				
जाति-संघर्ष को समाप्त करने के लिए कदम उठाने के बारे में संकल्प—वापस लिया गया		...	...	345—347
डा० के० वी० आर० चौधरी		...	...	345—346
बौद्धिक संपत्ति अधिकारों संबंधी व्यापार (ट्रिप्स) आदि से संबंधित प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बारे में संकल्प		...	...	347—376
श्री रूपचन्द पाल		...	...	347—357
श्री भगवान शंकर रावत		...	...	358—362
श्री विजय एन० पाटिल		...	...	363—364
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य		...	...	364—370
प्रो० रासा सिंह रावत		...	...	370—375
श्री संतोष कुमार गंगवार		...	...	375—376

लोक सभा

शुक्रवार, 6 मार्च, 1992/16 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को अपने एक सहयोगी श्री मडेप्पा बंडप्पा कडाडी के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री कडाडी ने 1962—67 के दौरान तीसरी लोकसभा में महाराष्ट्र राज्य के शोलापुर निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। इससे पहले वे 1952—57 के दौरान पूर्व बम्बई विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री कडाडी सुविख्यात सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में शोलापुर के सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों में जोर-शोर से भाग लेते थे। शोलापुर नगर-पालिका के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त वे शोलापुर के विकास से संबंधित अनेक संगठनों से भी सम्बद्ध थे। वह गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर जन्म शताब्दी समिति के भी सदस्य थे।

श्री कडाडी का देहावसान 83 वर्ष की आयु में 27 फरवरी, 1992 को शोलापुर में हो गया।

हम इस मित्र के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करने में सभा मेरे साथ है।

अब सभा दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

11.02 म० पू०

तत्पश्चात् सदस्यगण : थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

11.04 म०पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

शोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

[हिन्दी]

*142. श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मदवार थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या-क्या रहे;

(ख) मूल्य सूचकांक को तैयार करने की प्रक्रिया को इन वस्तुओं के मूल्य किस प्रकार से प्रभावित करते हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले चार महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के विवरण क्रमश: सारणी 1 और 2 में दिए गए हैं।

(ख) विभिन्न वस्तुओं के थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उन वस्तुओं के चालू मूल्यों को आधार अवधि के मूल्यों से विभाजित करके और उसके भागफल को 100 से गुणा करके तैयार किए जाते हैं। वस्तु सूचकांक, उस वस्तु के अन्तर्गत शामिल सभी किस्मों के सापेक्ष मूल्य का साधारण अंक गणितीय औसत निकाल कर तैयार किया जाता है। उप-समूहों/समूहों/प्रमुख समूहों/सभी वस्तुओं के सूचकांक उनके संबंधित शीर्षों के अन्तर्गत आने वाली मदों/उप-समूहों/समूहों/प्रमुख समूहों के सूचकांकों के भारित अंकगणितीय मध्यमान द्वारा तैयार किए जाते हैं। भारों को, थोक मूल्य सूचकांक के मामले में अर्थव्यवस्था में थोक लेन देनों के मूल्य के आधार पर औ रउपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मामले में उन वस्तुओं के उपभोग पर किए गए खर्च के आधार पर निर्धारित किया गया है।

(ग) सरकार ने मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। उनमें, राजकोषीय घाटे में कटौती के माध्यम से सख्त राजकोषीय अनुशासन लाना और मूल्य संवेदी आवश्यक वस्तुओं के लिए मुद्रा पूर्ति और बैंक ऋण में वृद्धि करना, आवश्यक/संवेदी वस्तुओं की पूर्ति और मांग का अधिक कारगर प्रबन्ध करना और जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, शामिल हैं। मूल्यों में मध्यावधि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं।

सारणी-1

अन्तिम चार महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में घट बढ़

(आधार : 1981-82 =100)

मद	भार	मास-समाप्ति (पर थोक मूल्य सूचकांक			
		30-11-91	28-12-91	25-1-92	15-2-92 (नवीनतम)
1	2	3	4	5	6
सभी वस्तुएं	100.00	212.9	212.0	214.5	214.8
खाद्य वस्तुएं	17.39	252.3	249.2	253.3	254.2

1	2	3	4	5	6
चावल	3.69	224.5	231.7	239.4	245.2
गेहूं	2.25	211.0	223.2	247.0	247.2
ज्वार	0.42	226.0	235.9	247.4	244.3
बाजरा	0.18	225.3	253.6	274.1	280.3
चना	0.41	196.2	194.6	197.1	194.2
अरहर	0.27	328.0	304.4	321.8	315.2
मूंग	0.20	239.6	237.0	239.0	245.4
मसूर	0.05	263.2	257.1	244.6	227.3
उड़द	0.15	312.7	307.9	315.6	311.9
आलू	0.47	450.2	313.6	218.1	186.5
प्याज	0.16	215.7	147.5	122.5	113.5
दूध	1.96	243.3	245.7	241.1	242.5
मछली	0.51	221.6	210.2	232.8	239.0
मांस (बकरे का)	0.52	242.2	242.3	242.0	250.9
लाल मिर्च	0.32	436.5	384.6	377.8	377.5
चाय	0.56	262.6	265.1	254.7	249.1
आटा	0.76	222.1	226.6	227.0	237.4
चीनी	2.01	156.7	155.9	169.8	170.8
गुड़	1.75	163.6	150.3	150.1	148.8
सरसों का तेल	0.58	261.5	261.6	261.5	250.9
नारियल का तेल	0.17	346.0	368.5	369.2	354.8
मूंगफली का तेल	0.53	277.6	275.5	272.4	255.0
नमक	0.04	207.4	303.8	207.7	207.5
हाइड्रोजनित वनस्पति	0.52	297.8	293.4	294.5	285.6

1	2	3	4	5	6
II अन्य					
सोफ्ट कोक (कोकाकरी कोयला)	0.35	320.0	253.8	320.0	320.0
मिट्टी का तेल	0 87	145.5	145.5	145.5	145.8
लट्ठा/चादरें	0.36	155.0	155.0	155·0	155.0
धोतियां, साड़ियां और वायल	1.19	176.2	176.2	176.2	176.2
कपड़े धोने का साबुन (जरेलू लांडरी)	0.59	187.8	187.8	187.8	187.8
माचिस	0.23	138.4	138.4	138.4	188.4

सारणी-2

औद्योगिक श्रमिकों के लिए पिछले चार महीनों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1982 = 100)

समूह	भार	सितम्बर, 1991	अक्टूबर, 1991	नवम्बर, 1991	दिसम्बर, 19 1
सामान्य सूचकांक	100.00	221	223	225	225
1. खाद्य	57.00	234	236	240	239
2. ईंधन और बिजली	6.28	202	202	203	उ०न०
3. वस्त्र, बिस्तर और जूते	8.54	169	170	172	उ०न०
4. विविध समूह (चिकित्सा संबंधी देखभाल, शिक्षा, परिवहन, निजी देखभाल और सामान आदि)	16.36	210	212	214	उ०न०

उ०न० = उपलब्ध नहीं।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर जो जानकारी रखी गई है, इसमें मन्त्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि थोक मूल्यों में वृद्धि हुई है, पूरे आंकड़े दिए गए हैं। थोक मूल्यों में और ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के मूल्यों में कोई तालमेल नहीं होता है। थोक मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है और ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों में कोई रेट-लिस्ट वगैरह भी नहीं लिखी जाती हैं और मूल्यों में कोई तालमेल भी नहीं होता है। इस बारे में क्या सरकार कुछ ठोस कदम उठाने जा रही है, ताकि ग्रामीण लोगों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सकें।

श्री रामेश्वर ठाकुर : ग्रामीण लोगों को खाद्य पदार्थ उचित मूल्य पर और यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध हों, यह एक अहम सवाल है हम सभी जानते हैं कि दो प्रकार से इसकी आपूर्ति होती है। एक तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसके जरिए हम गांवों तक सीमित मात्रा में आवश्यक वस्तुएं और रोजमर्रा की वस्तुएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाते है। इस दिशा में 7 जनवरी, 1992 से प्रधान मन्त्री जी की पहल पर खासतौर से 1700 दूर दराज के प्रखंडों में इन आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।

इसके अतिरिक्त सामान्य बाजार से भी लोग इन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। कोशिश की जाती है कि खुले बाजार में भी यथेष्ट मात्रा में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों।

श्री सूर्यनारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी के जवाब से सिद्ध होता है कि सरकार की कोई ठोस योजना नहीं है। मैंने साफ शब्दों में पूछा है कि ग्रामीण इलाके में जो थोक मूल्य आपका है उसके मुताबिक वहां कोई माल प्राप्त नहीं होता, मूल्य तालमेल नहीं खाता है, उसके लिए कोई ठोस योजना क्या बनाई है ? क्या आगे कोई ठोस योजना बनाने जा रहे हैं ? मैंने यह पूछा है। 1700 प्रखण्ड के बारे में मैंने नहीं पूछा है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जिनको सामान्य दर से आवश्यक वस्तुए प्रदान करते है उसके लिए विधिवत दुकानें बनी हुई हैं। थोक बिक्री की बात आप करते हैं तो बाजार या ऐसी मंडियां हैं जहां से लोग थोक मूल्य पर सामान प्राप्त करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जो छोटे-छोटे बाजार या दुकानदार हैं वे लोग आते है, उसके लिए हमारी यह कोशिश है कि यथेष्ट मात्रा में जो वस्तुएं चाहिए, अधिक से अधिक हम दे सकें। लेकिन जो माल खुले बाजार में बिकता है उसमें सरकारी नियंत्रण नहीं है। सरकार की यह कोशिश है कि जो थोक बाजार वाले हैं वे वस्तुएं उपयुक्त दाम पर बेचें। इसके लिए सरकार यह भी नियंत्रण रखती है कि समय-समय पर काफी मात्रा में जो लोग माल छिपाकर रखते है और वाजिब दाम पर नहीं देते हैं, अधिक दाम पर देते हैं, इसके लिए सरकारी नियन्त्रण है, उनके साथ कड़ाई करते है। इसके आंकड़े माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं दे सकता हूं। इस साल भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में और प्रांतों में लोगों पर कड़ाई की गई है और बड़े-बड़े जो थोक बिक्रेता है उन्होंने जो माल छिपाकर रखा है वह निकाला गया है। लोग पकड़े गए हैं और उनको जेल की सजा दी गई है। यह व्यवस्था अभी उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त जो भी संभव व्यवस्था होगी जिसके द्वारा हम ग्रामीण क्षेत्रों में थोक माल लोगों को उचित रूप में अधिक मात्रा में पहुंचा सकते हैं, उस दिशा में सरकार प्रयत्नशील है। माननीय सदस्य का कोई सुझाव होगा तो उस पर भी हम विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री के०पी० सिंह देव : माननीय मन्त्री महोदय ने अपने विस्तृत उत्तर में दो सारणियां दी हैं। प्रथम सारणी खाद्य वस्तुओं में हुई अधिकतर वृद्धि को दर्शाती बताती है। अपने उत्तर के अगले भाग में उन्होंने कहा है कि वित्तीय उपायों के अतिरिक्त जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है।

मैं जानना चाहता हूं कि जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है। कौन सा तन्त्र है और उसकी प्रभाविता क्या है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : जैसा कि सर्व विदित है, तन्त्र राज्य सरकार क्या है और केन्द्र सरकार, नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा विभा निर्देश जारी किए जाते हैं कि सभी राज्य सरकारें इस कार्य में सहयोग करें। बाजार में उपलब्ध वस्तुओं के सुचारु वितरण सुनिश्चित करने में सहायता करनी चाहिए; वस्तुओं की जमाखोरी न हो और जो वस्तुओं की जमाखोरी कर रहे हैं उन्हें दण्ड दिलाएं बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की आपूर्ति का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें ताकि मुनाफाखोर और जमाखोर उन वस्तुओं को जमा नहीं रखें। इस कार्य के लिए हमें राज्य सरकारों का सहयोग चाहिए। मूल रूप में यह कार्य राज्य सरकार द्वारा किए जाने हैं।

श्री के०पी० सिंह देव : इस तन्त्र की प्रभाविता क्या है ? इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है।

श्री सुधीर गिरी : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि बाजार में बेची जा रही खाद्य वस्तुओं पर उनका कोई नियन्त्रण नहीं है। उसके परिपेक्ष्य में, क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या खाद्यान की खरीद और बिक्री का कार्य सरकार पुन: अपने हाथ में लेगी। ताकि गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों द्वारा उपभोग किए जा रहे खाद्यान की कीमतों में वृद्धि न हो।

श्री रामेश्वर ठाकुर : जैसा कि हमने कहा है, खाद्यान्न अति अनिवार्य वस्तु है। जब हमने वरीयता तय की, हमने 57 प्रतिशत धन खाद्यानों के लिए दिया, ईन्धन आदि के लिए 6 प्रतिशत, आवास के लिए आठ प्रतिशत, वस्त्रों के लिए आठ प्रतिशत और अन्य मदों के लिए 16 प्रतिशत धन दिया। मैंने ये आंकड़े केवल महत्व दिखाने के लिए दिए हैं।

अत: खाद्यान्न अति अनिवार्य वस्तु है और इसके दो पहलू हैं। एक तो हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं और चावल आदि खाद्यान की आपूर्ति करते हैं। जिनकी कीमत सरकार सुनिश्चित करती है। सरकार की समूचे खाद्यान व्यापार को अपने हाथों में लेने की कोई मंशा नहीं है, ऐसी कोई मंशा नहीं है। यह व्यवहारिक नहीं है और ऐसा अपेक्षित भी नहीं है।

म्यूचुअल फण्डों से प्राप्त राशि और उसका निवेश

*143. श्री राम कापसे :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान बैंकवार म्यूचुअल फण्डों के माध्यम से कितनी-कितनी राशि एकत्रित की गई;

(ख) किन-किन उद्योगों/उपक्रमों में इस राशि का निवेश किया गया ;

(ग) इन निवेशों पर कितने प्रतिशत लाभ/लाभांश मिला;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन म्यूचुअल फण्डों से यदि कोई नुकसान हुआ, तो कितना; और

(ङ) भविष्य में ऐसे घाटे से बचने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) एक विवरण सभापटल रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) बैंकों द्वारा प्रायोजित पारस्परिक निधियों द्वारा एकत्र की गई राशि नीचे दी हुई है :

नाम	राशि (करोड़ रुपये)
भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फण्ड	1071.0
केनबैंक म्यूचुअल फण्ड	2117.2
इन्डियन बैंक म्यूचुअल फण्ड	266.0
बैंक आफ इन्डिया म्यूचुअल फण्ड	593.0
पंजाब नेशनल बैंक म्यूचुअल फण्ड	81.2
	जोड़ : 4128.4

उन उद्योगों/उपक्रमों के नाम जिनमें राशियों का निवेश किया गया है, पारस्परिक निधियों के खातों में प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। पारस्परिक निधियों ने अपनी योजनाओं के अन्तर्गत 1990-91 के दौरान 10 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की रेंज में लाभांश घोषित किए हैं। पारस्परिक निधियों की सभी योजनाओं ने लाभ अर्जित किए हैं।

श्री राम कापसे : क्या सरकार ऐसे उद्योगों और उपक्रमों की सूची सभा पटल पर रखेगी जिसमें धन निवेश किया गया। यदि हां तो कब ?

उत्तर में माननीय मन्त्री ने कहा कि ये म्यूचुअल फण्ड के लेखाओं में प्रकाशित नहीं होते। यदि ये प्रकाशित नहीं होते तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इसे उनसे वसूल करेगी और सभापटल पर रखेगी ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : म्यूचुअल फण्ड में धन निवेश किया गया है और संपत्ती निवेश लगभग 25,000 करोड़ रुपये हैं। ये निवेश दिन-प्रतिदिन के आधार पर होते हैं। वे विभिन्न कम्पनियों से शेयर और प्रतिभूति खरीदते हैं। 'म्यूचुअल फण्ड्स' द्वारा खरीदे गए सभी शेयरों को देना, ना तो

व्यवहार्य है ना ही म्यूचुअल फण्ड्स के हित में है और न ही जनता के हित में है। लेकिन हमने निश्चित तौर पर लाभ दिया है और हमने कहा था कि सभी 'म्यूचुअल फण्ड्स' लाभ में चल रहे हैं। अब तक ये सरकारी क्षेत्र में थे और इन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है।

श्री राम कापसे : बैंक को वर्तमान ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फण्ड्स द्वारा दिए गए लाभांशों की सीमा को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे ताकि 'म्यूचुअल फण्ड्स' अधिक राशि को आकर्षित कर सके ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : हम पहले ही बता चुके हैं कि लाभांश दर 10 प्रतिशत से 18 प्रतिशत के बीच है।

श्री राम कापसे : लेकिन बैंक ब्याज दरें बहुत अधिक हैं।

श्री रामेश्वर ठाकुर : निक्षेप दर अधिक नहीं है।

श्री राम कापसे : यह अधिक है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : हां यह अधिक है। लेकिन हमने कुछ प्रोत्साहन भी दिया है। हमने म्यूचुअल फण्ड को नगद प्रोत्साहन दिया है।

श्री कपसन्द पाल : क्या मैं माननीय मन्त्री जी से जान सकता हूं कि क्या एस०ई०बी०ए० द्वारा तीन म्यूचुअल फण्ड्स के सम्बन्ध में जारी अनियमितताओं के कुछ मामले पता लगाए गए हैं और इन अनियमितताओं के कारण एस०ई०बी०ए० ने हाल ही में सभी लेन-देन रोक दिया है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : एस०ई०बी०ए० द्वारा एक जांच की गयी थी और हम उसे निरीक्षण कह सकते हैं। एस०ई०बी०ए० के निरीक्षण के बाद, यह मामला रिजर्व बैंक के सुपुर्द किया गया। रिजर्व बैंक ने उन्हें कैनबैंक म्यूचुअल फण्ड्स के सभी लेन-देन के मामलों की विशेष लेखा परीक्षा कराने के लिए कहा।

दूसरे बैंकों के सम्बन्ध में भी, जो अनियमितताएं हुई हैं, वे सामान्य प्रकृति की है। म्यूचुअल फण्ड्स के मामले में कोई भी वित्तीय अनियमितताएं नहीं हैं लेकिन प्रक्रियाओं का प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं ये नई संस्थाएं हैं। हाल ही में भारत सरकार ने डबे समिति नियुक्त की जो विशेषकर कामकाज की जांच करने के लिए नियुक्त की गयी थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। एस० ई०बी०ए० और रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद भारत सरकार ने सभी 'म्यूचुअल फण्ड्स' को विस्तृत मार्गदिशा सिद्धांत जारी किए हैं। ताकि वे इन्हीं सिद्धान्तों के अन्तर्गत संचालन व्यवस्था पर नजर रख सकें। जिन्होंने रिजर्व बैंक के पहले के निर्देशों की अवहेलना की है उन्हें भविष्य में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है।

श्री ए० चार्ल्स : हालांकि भारत सरकार ने इन 'म्यूचुअल फण्ड्स' के कार्यकरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए हैं ऐसी कई छोटी वित्तीय संस्थाएं हैं जो 'म्यूचुअल फण्ड्स' के अन्तर्गत नहीं आती।

केरल में इन्हें ब्लेड कम्पनी कहा जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जबकि इन कम्पनियों ने बेचारे सेवा मुक्त अधिकारियों और छोटे व्यापारियों के निवेशों को धोखे से डकार लिया।

अतः क्या मैं माननीय मंत्री जी से ये जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ऐसे छोटे वित्तीय

संस्थानों जो देश के साथ और जनता के साथ धोखा करते हैं के विरुद्ध कोई जांच करके उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

श्री रामेश्वर ठाकुर : प्रश्न म्यूचुअल फण्ड्स से संबंधित है। देश में हमारे पास केवल आठ, म्यूचुअल फण्ड्स है। ये सब सरकारी क्षेत्र में है। अनियमितताएं न हों इसके लिए हमने पर्याप्त सावधानी बरती है।

जहां तक दूसरे भाग का प्रश्न है उससे भारतीय रिजर्व बैंक का संबंध है। हम रिजर्व बैंक को ऐसे अनियमितताओं पर नजर रखने के लिए कहेंगे।

यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि किन्हीं विशेष अनियमितताओं पर कार्यवाही है तो हम उसका विशेष ध्यान रखेंगे।

वस्त्र तथा सूती धागा मिलें

[हिन्दी]

*144. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में वस्त्र तथा सूती धागा मिलों के राज्यवार तथा क्षेत्रवार नाम क्या हैं;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान बन्द हुई अथवा रुग्ण हुई ऐसी मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप उत्पादन की कितनी क्षति हुई;

(घ) बेरोजगार हुए श्रमिकों की मिलवार संख्या क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन रुग्ण तथा बन्द हुई मिलों को श्रमिकों को सौंपने अथवा श्रमिकों को इनके प्रबन्ध में भागीदार बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 31,दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार देश में 1084 सूची/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें तथा 139 बुनाई एकक थे। राज्यवार तथा क्षेत्रवार मिलों की सूची-I संलग्न है।

(ख) उपरोक्त 1084 यार्न/वस्त्र निर्मित करने वाली मिलों में से पिछले 1 वर्ष के दौरान 25 मिलें बन्द पड़ी थीं जिनमें से 38242 कामगार प्रभावित थे। रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत वर्ष 1991 के दौरान 24 रुग्ण वस्त्र मिलों के मामले बी० आई० एफ० आर० के पास पंजीकृत किए गए हैं।

(ग) पिछले 1 वर्ष के दौरान इन मिलों के बन्द होने के कारण यार्न/कपड़े उत्पादन का अनुमानित घाटा क्रमश: 18.10 मिलियन किलोग्राम तथा 34.59 मिलियन वर्ग मीटर था।

(घ) जिन कामगारों ने अपना रोजगार गंवा दिया है, उनकी मिलवार सूची-II संलग्न है।

(ङ) और (च) सरकार प्रबन्धन में कामगारों की सहभागिता का स्वागत करेगी तथा कामगारों को एकक के बन्द होने अथवा उसको समाप्त किए जाने की स्थिति में एकक के एक भाग अथवा समस्त एकक को चलाने के उद्देश्य से सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहन देगी।

सूची-I

31-12-91 की स्थिति अनुसार वस्त्रों एवं सूती यार्न मिलों की सूची

क्र० सं०	मिल/प्रबन्ध का नाम	
1	2	
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	डोनी काटन मिल्स	एन० टी० सी०
2.	अनेथा स्पि० मिल्स लि०	एन० टी० सी०
3.	नटराज स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०	एन० टी० सी०
4.	अनन्तापु काटन मिल्स लि०	एन० टी० सी०
5.	तिरुपति काटन मिल्स	एन० टी० सी०
6.	दि आन्ध्र कोआप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
7.	दि चिराला कोआप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
8.	दि राजामुन्दरी कोआप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
9.	दि नेलोर कोआप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
10.	करीम नगर कोआप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
11.	अदीलाबाद काटन ग्रोअर्स कोआप० स्पि० मिल्स	सहकारी
12.	सद्भावना काटन ग्रोअर्स को० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
13.	दि ननदियाल कोआप० स्पि० मिल्स० लि०	सहकारी
14.	दि प्रचुर काटन ग्रोअर्स कोआप० स्पि० मिल्स० लि०	सहकारी
15.	दि हेमलता टैक्सटाईल लि०	निजी

1	2	
16.	दि रायलसीमा मिल्स लि०	निजी
17.	श्री रामचन्द्र स्पि० मिल्स	निजी
18.	श्री सत्यनारायण स्पि० मिल्स लि०	निजी
19.	कोठारी इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि०	निजी
20.	श्री अक्कम्मबा टैक्साटाईल लि०	निजी
21.	आन्ध्र काटन मिल्स लि०	निजी
22.	सरवारिया टैक्सटाईल्स लि०	निजी
23.	श्री वैंकटचलपति मिल्स लि०	निजी
24.	महावीर काटन मिल्स लि०	निजी
25.	सुपर स्पिनिंग मिल्स लि०	निजी
26.	सूर्यलक्ष्मी काटन मिल्स	निजी
27.	यमीगनूर स्पि० मिल्स० लि०	निजी
28.	सरवरिया टैक्सटाईल्स लि०	निजी
29.	अबीरामी काटन मिल्स लि०	निजी
30.	तेलंगाना स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०	निजी
31.	पेनगुईन टैक्सटाईल लि०	निजी
32.	मनपल्ले स्पि० मिल्स लि०	निजी
33.	विजय स्पिनिंग मिल्स लि०	निजी
34.	तेलंगाना स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०	निजी
35.	सूर्यवंशी स्पि० मिल्स लि०	निजी
36.	गोमती स्पिनर्स	निजी
37.	श्री श्रीनिवास स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
38.	सुधा सीविंग थ्रैड प्रा० लि०	निजी
39.	रघु स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०	निजी
40.	प्रियादर्शिनी स्पि० मिल्स लि०	निजी
41.	ज्योति प्रकाश स्पि० मिल्स लि०	निजी

1	2	
42.	अन्नावरम स्पि० मिल्स लि०	निजी
43.	श्रीकाट मिल्स	निजी
44.	श्री वेंकटेश्वर स्पि० मिल्स डब्ल्यू० ए० इंडस्ट्रियल एस्टेट	निजी
45.	सुपर स्पि० मिल्स लि०	निजी
46.	श्री मैन्युफैक्टरिंग कोआप० लि०	निजी
47.	श्री कल्याण श्रीवास्तव टैक्स० लि०	निजी
48.	पायनियर स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०	निजी
49.	पद्मोदिया स्पि० मिल्स	निजी
50.	श्री सत्यम स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०	निजी
51.	श्री रामकृष्ण मिल्स (सी० बी० ई०) लि०	निजी
52.	चिवा स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
53.	ककातिया टैक्सटाईल्स लि०	निजी
54.	कुडापा स्पि० मिल्स लि०	निजी
55.	अमरावती टैक्सटाईल्स प्रा० लि०	निजी
56.	सूर्यलता स्पि० मिल्स लि०	निजी
57.	सूर्यवंशी स्पि० मिल्स लि०	निजी
58.	श्री अनन्तलक्ष्मी टैक्साईल्स प्रा० लि०	निजी
59.	सपारी स्पि० मिल्स लि०	निजी
60.	श्री मारुति टैक्सटाईल्स लि०	निजी
61.	परकिन्स टैक्सटाइल्स प्रा० लि०	निजी
62.	श्री सरस्वती मिल्स लि०	निजी
63.	मै० फैनो फाईबर्स लि०	निजी
64.	श्री वैंकटारिया काटन मिल्स	निजी
65.	एस० एल० एस० टैक्सटाईल्स लि०	निजी
66.	एस० धनलक्ष्मी रोटो स्पिनर्स प्रा० लि०	निजी
67.	कृष्णगंगा स्पि० मिल्स लि०	निजी

1	2	
68.	टी० टी० इंडस्ट्रीज टैक्सटाईल्स लि०	संयुक्त
	असम	
69.	एसोसिएटिड इंडस्ट्रीज असम लि०	एन० टी० सी०
70.	असम पोलिस्टर कोआप० सोसायटी लि०	सहकारी
71.	असम काटन मिल्स	निजी
72.	असम स्टेट टैक्सटाईल कारपोरेशन लि०	एन० टी० सी०
73.	असम सिन्टैक्स लि० सं० 2	एन० टी० सी०
	बिहार	
74.	दि बिहार कोआप० वीवर्स स्पि० मिल्स	एन० टी० सी०
75.	भागलपुर कोआप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
76.	पण्डाल कोआप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
77.	सिवान कोआप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
78.	महालक्ष्मी फाइबर्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि०	निजी
79.	डुमरान टैक्सटाईल लि०	निजी
80.	बिहार काटन मिल्स लि०	निजी
	गुजरात (अहमदाबाद)	
81.	फाईन निटिंग कं० लि०	एन० टी० सी०
82.	स्टार आफ गुजरात टैक्सटाईल मिल्स लि०	निजी
83.	गुजरात स्पि० मिल्स लि०	निजी
84.	हाथीसिंह मैन्यु० कं० लि०	निजी
85.	सौराष्ट्र कोआप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
86.	सूरत जिला कोआप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
87.	दि नरमदा रुई उत्पादक साह स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
88.	दि सबरकाण्ठा जिला रुई उत्पादनी कोआप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
89.	न्यू इंडिया इंडस्ट्रीज लि०	निजी

1	2	
90.	पी० बी० एम० पोलिटैक्स लि०	निजी
91.	श्री महुवा स्पि० मिल्स को आप० लि०	निजी
92.	श्री भगवती स्पि० एण्ड० वी० वर्क्स	निजी
93.	अरुनोदिया मिल्स लि०	निजी
94.	गांधीधाम स्पि० एण्ड मैन्यु० को आप० लि०	निजी
95.	राज प्रकाश स्पि० मिल्स लि०	निजी
96.	दि बम्बे डाईंग एण्ड मैन्यु० को० लि०	निजी
97.	श्री माण्डवी स्पि० मिल्स लि०	निजी
98.	गुजरात स्पिनर्स लि०	निजी
99.	सुकेतु टैक्सटाईल्स	निजी
100.	एक्सैल स्पिनर्स	निजी
101.	विशालदीप स्पि० मिल्स लि०	निजी
102.	दि सूरत टैक्सटाईल्स मिल्स लि०	निजी
103.	दि पृथ्वी काटन मिल्स	निजी
104.	एल० डी० टैक्सटाईल इण्डस्ट्रीज लि०	निजी
105.	केटी काटसिंथ इंडस्ट्रीज लि०	निजी
106.	बंगाल टी एण्ड फैब्रिक्स लि०	निजी
107.	संताराम स्पिनर्स प्रा० लि०	निजी
108.	मधु टैक्सटाईल्स अहमदाबाद लि०	निजी
	हरियाणा	
109.	हाफेड स्पि० मिल्स (हांसी को आप० स्पि०)	सहकारी
110	हिसार टैक्सटाईल्स मिल्स	निजी
111.	उषा स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०	निजी
112.	मोहन स्पि० मिल्स	निजी
113.	श्यामा टैक्सटाईल्स मिल्स	निजी

1	2	
114.	जी० एच० एम० सिंथेटिक्स लि०	निजी
115.	एलसन काटन मिल्स प्रा० लि०	निजी
116.	श्री सरसवती स्पि० मिल्स	निजी
117.	गोयल स्पि० वी० मिल्स	निजी
118.	के० सी० टैक्सटाईल्स लि०	निजी
119.	पशुपति स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०	निजी
120.	रामा फाइबर्स लि०	निजी
121.	एच० पी० काटन टैक्सटाईल्स मिल्स लि०	निजी
122.	ईस्ट इंडिया सिन्थैक्स लि०	निजी
	जम्मू तथा काश्मीर	
123.	चेनाब टैक्सटाईल्स मिल्स	निजी
124.	हिन्दुस्तान इलैक्ट्रोग्राफाइट लि०	निजी
	कर्नाटक	
125.	श्री यलम्मा काटन वूलन एण्ड मिल्स	एम० टी० सी०
126.	बागालकोट को आप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
127.	बीजापुर को आप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
128.	दि गादक को आप० टैक्सटाइल्स मिल्स	सहकारी
129.	दि को आप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
130.	दि बनहट्टी को आप० काटन मिल्स लि०	सहकारी
131.	दि बेलगांव को आप० काटन स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
132.	दि फार्मर्स को आप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
133.	मालाप्रभा को आप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
134.	चन्द्र स्पि० एण्ड वी० मिल्स प्रा० लि०	निजी
135.	दि नन्दी हुसवी टैक्सटाईल्स मिल्स लि०	निजी
136.	श्री गनासार टैक्सटाईल्स मिल्स लि०	निजी

1	2	
137.	श्री चन्द्रोदय मिल्स लि०	निजी
138.	श्री सिद्धेश्वर टैक्सटाइल मिल्स (प्रा०) लि०	निजी
139.	श्री सिद्धेश्वर टैक्सटाइल मिल्स	निजी
140.	सुभद्रा टैक्सटाईल्स प्रा० लि०	निजी
141.	वि देवनगीर काटन मिल्स लि०	निजी
142.	चिगारी मिल्स	निजी
143.	श्री अनजनेया काटन मिल्स प्रा० लि०	निजी
144.	बेकले स्पि० एण्ड वी० कं० लि०	निजी
145.	श्री वल्प्पा टैक्सटाईल्स लि०	निजी
146.	दी दबल्लापुर स्पि० मिल्स लि०	निजी
147.	सुजाता टैक्सटाइल मिल्स	निजी
148.	श्री मीनाक्षी सुन्दरम टैक्स० लि०	निजी
149.	श्री शंकर टैक्सटाईल्स मिल्स लि०	निजी
150.	भोरुका टैक्सटाईल्स	निजी
151.	श्री कुमारवेल टैक्सटाईल्स लि०	निजी
152.	श्रीदेवी टैक्सटाईल्स प्रा० लि०	निजी
153.	वेलन टैक्सटाईल्स प्रा० लि०	निजी
154.	श्री कोटुरेश्वरा स्पि० मिल्स	निजी
155.	मारिस स्पिनर्स प्रा० लि०	निजी
156.	विष्णु टैक्सटाईल्स लि०	निजी
157.	सोना सिथेटिक्स	निजी
केरल		
158.	अलगप्पा टैक्सटाईल्स कोचीन मिल्स	एन० टी० सी०
159.	विजयमोहिनी मिल्स लि०	एन० टी० सी०
160.	कन्नानोर स्पि० एण्ड वी० मिल्स	एन० टी० सी०
161.	दि कन्नोर को आप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी

1	2	
162.	दि मल्लापुरम को आप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
163.	दि क्योलोन को आप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
164.	दि त्रिचुर को आप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
165.	दि अशोक टैक्सटाईल्स लि०	निजी
166.	राजगोपालन टैक्सटाइल मिल्स प्रा० लि०	निजी
167.	कथाई काटन मिल्स लि०	निजी
168.	वंजना टैक्सटाईल्स लि०	निजी
169.	मदुरा कोट्स लि०	निजी
170.	प्रीकाट मिल्स लि०	निजी
171.	जी० टी० एन० टैक्सटाईल्स लि०	निजी
172.	मद्रास स्पिनर्स लि०	निजी
173.	दि कालीकट मार्डन स्पि० एण्ड वी०मिल्स लि०	निजी
174.	त्रिचुर काटन मिल्स लि०	निजी
175.	श्री भगवती टैक्सटाईल्स लि०	निजी
176.	केरल लक्ष्मी मिल्स	एस० टी० सी०
177.	त्रिवेन्द्रम स्पि० मिल्स लि०	एस० टी० सी०
178.	थ्रूवेपति मिल्स प्रा० लि०	एस० टी० सी०
179.	कोट्टायम टैक्सटाईल्स	एस० टी० सी०
180.	केरल स्पिनर्स लि०	एस० टी० सी०
181.	प्रभुराम मिल्स लि०	एस० टी० सी०
182.	दि को आप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
183.	जवाहरलाल नेहरू सहसूत मिल्स लि०	सहकारी
184.	निमार टैक्सटाईल्स लि० (गनम इनकर्पो एण्ड कं० लि०)	निजी
185.	बिलासपुर स्पि० मिल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	निजी
186.	भारत कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	निजी
187.	मधुमिलन सिंथेटिक्स लि०	निजी

1	2	
188.	होप टैक्सटाईल्स	निजी
189.	हिन्द स्पिनर्स	निजी
190.	हिन्द सिंथेटिक्स लि०	निजी
191.	एम० पी० स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लि० (अवंती स्पिनर्स मिल्स) (महाराष्ट्र बम्बई)	एस० टी० सी०
192.	डान मिल्स कं० लि०	निजी
193.	वर्धा टैक्सटाइल मिल्स	एम० टी० सी०
194.	श्री मारकण्डे हुतमल विकर सहसूत गिरनी नियमित	सहकारी
195.	दि दक्कन को आप० स्पि मिल्स लि०	सहकारी
196.	नागपुर विकार सहकारी सूत गिरनी मर्यादित	सहकारी
197.	अमरवती ग्रोअर्स को आप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
198.	सोलापुर विनकर सहकारी सूत गिरनी नियमित	सहकारी
199.	विश्व भारती स्पि० एंड वी० को आप० सोसाइटी लि०	सहकारी
200.	कोलहापुर जिला क्षेतकारी विकारी सहसूत गिरनी लि०	सहकारी
201.	भारत काटन ग्रोअर्स को आप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
202.	महाराष्ट्र को आप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
203.	दि नानदेव उत्पादक सहसूत गिरनी मर्यादित	सहकारी
204.	श्रीरामपुर तालुक कपास उत्पादक सहसूत गिरनी मर्यादित	सहकारी
205.	वसंत सह क्षेतकारी सूत व कपड़ा गिरनी लि०	सहकारी
206.	योतमल जिला सहसूत व कपड़ा गिरनी लि०	सहकारी
207.	जवाहर सह कपास उत्पादक सूत गिरनी मर्यादित	सहकारी
208.	जलगांव कपास उत्पादक सहसूत गिरनी लि०	सहकारी
209.	औरंगाबाद जिल्ला सहसूत गिरनी लि०	सहकारी
210.	यशवंत सहसूत गिरनी नियमित	सहकारी
211.	दि मालेगांव को०आप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी

1	2	
212.	नासिक डिस्ट्रिक को०आप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
213.	राहूरी तालूका क्षेतकारी सह सूत गिरनी लि०	सहकारी
214.	इचलकुरणजी सह सूत लि०	सहकारी
215.	नागपुर जिला क्षेतकारी सह सूत गिरनी लि०	सहकारी
216.	नालगंग सहकारी सूत गिरनी लि०	सहकारी
217.	दि नीलकंठ सह सूत गिरनी लि०	सहकारी
218.	प्रभावती सह सूत गिरनी मर्यादित	सहकारी
219.	श्री स्वामी स्वार्थ क्षेतकारी व वीनकारी सह सूत गिरनी लि०	सहकारी
220.	क्षेतकारी सहकारी सूत गिरनी लि०	सहकारी
221.	लोकनायक जयप्रकाश नारायण सहसूत गिरनी लि०	सहकारी
222.	पेनगंग सहकारी सूत गिरनी लि०	सहकारी
223.	जवाहर क्षेतकारी सहसूत गिरनी लि०	सहकारी
224.	नव महाराष्ट्रा सहकारी सूत गिरनी लि०	सहकारी
225.	वरधा जिला क्षेतकारी सहसूत गिरनी लि०	सहकारी
226.	श्री जगदम्बा अनुसूचित जाति क्षेतविंग-सह सूत गिरनी लि०	सहकारी
227.	संजय गांधी कपास उत्पादक	सहकारी
228.	बाबासाहेब नायक सहसूत गिरनी	सहकारी
229.	मराठा टेक्सटाइल मिल्स	निजी
230.	जानाथा स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
231.	लोकमान्या मिल्स वर्धा लि०	निजी
232.	किरण स्पि० मिल्स	निजी
233.	बर्धन सिन्टेक्स	निजी
234.	काटरे स्पि० मिल्स लि०	निजी
235.	न्यू रवि स्पि० एंड मैनु० कं०	निजी
236.	निवास स्पि० मिल्स० लि०	निजी

1	2	
237.	वाडड टेक्सटाइल मिल्स लि०	निजी
238.	बैन स्पिनर्स लि०	निजी
239.	बोरियण्ट सिन्टेक्स लि०	निजी
240.	विजय मिल्स यू०ए०सी०	एस० टी० सी०
	उड़ीसा	
241.	उड़ीसा काटन मिल्स लि०	एस० टी० सी०
242.	उड़ीसा वीवर्स को०आ० स्पि० मिल्स	सहकारी
243.	कालिंगा वीवर्स को०आप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
244.	उतकल वीवर्स को०आप० स्पि० मिल्स० लि०	सहकारी
245.	गंगापुर वीवर्स को०आ० स्पि० मिल्स० लि०	सहकारी
246.	जगन्नाथ वीवर्स को०आप० स्पि० मिल्स० लि०	सहकारी
247.	सरला वीवर्स को०आ० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
248.	उड़ीसा स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
249.	बड़ीपद स्पि० मिल्स	निजी
250.	भास्कर टैक्सटाइल मिल्स	एस० टी० सी०
251.	बसका स्पि० मिल्स	एस० टी० सी०
252.	सोनपुर स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
	पंजाब	
253.	पंजाब हौजरी एण्ड टैक्सटाईल्स मिल्स लि०	एन० टी० सी०
254.	बरड़ टैक्सटाइल मिल्स	एन० टी० सी०
255.	सूरज टैक्सटाइल मिल्स	एन० टी० सी०
256.	दि कोटकपूरा को०आ० स्पि० मिल्स० लि०	सहकारी
257.	दि मलौत को०आप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
258.	दि अबोहर को०आ० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
259.	दि मनसा को०आ० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी

1	2	
260.	बरनाला को०आ० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
261.	दि गोबन्दवाल को० आ० स्पि० मिल्स	सहकारी
262.	श्री भवानी काटन मिल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि०	निजी
263.	भारत कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	निजी
264.	वर्द्धमान स्पि० एण्ड जनरल मिल्स लि०	निजी
265.	महावीर स्पि० मिल्स लि०	निजी
266.	अरिहान्त स्पि० मिल्स	निजी
267.	पंजाब स्पि० एण्ड वी० मिल्स० लि०	निजी
268.	नाहर फैब्रिक्स लि० (हीरो फाइबर्स लि०)	निजी
269.	पंजाब फाईबर्स लि०	निजी
270.	माल्वा काटन स्पि० मिल्स लि०	निजी
271.	दि जनरल इण्ड० सोसायटी लि० (नार्थ इण्डिया स्पि० मिल्स)	निजी
272.	पंजाब मोहता पोलिटेक्स लिमिटेड	संयुक्त
	राजस्थान	
273.	उदयपुर कॉटन मिल्स	एन० टी० सी०
274.	श्री विजय कॉटन मिल्स	एन० टी० सी०
275.	राजस्थान को० ओ० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
276.	गंगानगर सहकारी स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
277.	दि गंगापुर को०ओ० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
278.	जयपुर स्पि० एण्ड विविंग मिल्स लि०	निजी
279.	पोदार स्पि० मिल्स	निजी
280.	राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स	निजी
281.	सुवर्धन टेक्सटाइल्स	निजी
282.	भिलवाड़ा स्पि० लि०	निजी

1	2	
283.	तिरुपति फिब्रेस एण्ड इण्ड० लि०	निजी
284.	डर्बी टेक्सटाइल्स लि०	निजी
285.	माडर्न थ्रैड (इण्डिया) लि०	निजी
286.	जयपुर सिंथेटैक्स लि०	निजी
287.	सागर स्पि० मिल्स० लि०	निजी
288.	अजय पेपर मिल्स लि०	निजी
289.	बांसवाड़ा सिंथेटैक्स लि०	निजी
290.	माडर्न सिंथेटैक्स (इण्डिया) लि०	निजी
291.	रिलायंस कैमोटैक्स इण्डस्ट्रीज लि०	निजी
292.	जयपुर पोलीस्पिन लि०	निजी
293.	श्रुति सिंथेटिक्स लि०	निजी
294.	ओरिएंट सिंथेटिक्स (प्रोप्राईटर अजय पेपर मिल्स लि०	निजी
295.	रिसेबदेव टैक्सटाईल्स (सिद्ध सिंथेटिक्स)	निजी
296.	श्री राजस्थान सिंथेटिक्स लि०	निजी
297.	सुपर सिनकोटैक्स (इण्डिया) लि०	निजी
298.	सराफ सिंथेटिक्स (राजस्थान) लि० तमिलनाडु (कोयम्बटूर)	निजी
299.	ज्योति मिल्स	एन० टी० सी०
300.	पंकज मिल्स लि०	एन० टी० सी०
301.	कृष्णावाणी टैक्सटाइल मिल्स	एन० टी० सी०
302.	ओम पराशक्ति मिल्स	एन० टी० सी०
303.	श्री रंगविलास नि० स्पि० एंड वी० मिल्स	एन० टी० सी०
304.	कम्बोडिया मिल्स	एन० टी० सी०
305.	दि परिवार विला को०आ० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
306.	दि पुडुकोटाई विला को०आप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी

1	2	
307	श्री जगन्नाथ टैक्सटाईल्स लि०	निजी
308.	अशर टैक्सटाईल्स लि०	निजी
309.	श्री वर्द्धराज टैक्सटाइल प्रा०लि०	निजी
310.	दि कोयम्बटूर पायनीयर मिल्स लि०	निजी
311.	वनामबीकई मिल्स लि०	निजी
312.	जनार्द्धन मिल्स लि०	निजी
313.	जयलक्ष्मी मिल्स (प्रा०) लि०	निजी
314.	दि कस्तुरी मिल्स लि०	निजी
315.	कावरी मिल्स सी० बी० ई० लि०	निजी
316.	शिवानन्द मिल्स लि०	निजी
317.	दि कुमारन मिल्स लि०	निजी
318.	राजनारायण टैक्सटाईल्स प्रा० लि०	निजी
319.	दि पलानी अण्डार मिल्स लि०	निजी
320.	अकिला टैक्सटाईल्स लि० (प्रीमियर मिल्स लि०)	निजी
321.	मयमलारो श्री मुरगन टैक्सटाईल्स लि०	निजी
322.	क्वालिटी स्पि० मिल्स (प्रा०) लि०	निजी
323.	राजलक्ष्मी मिल्स लि०	निजी
324.	सरोजा मिल्स लि०	निजी
325.	श्री कन्नापिरन मिल्स लि०	निजी
326.	चन्द्र टैक्सटाईल्स लि०	निजी
327.	श्री बालसुब्रामण्या मिल्स लि०	निजी
328.	श्री करविकया स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०	निजी
329.	श्री नटेसर स्पि० एण्ड वी० मिल्स प्रा० लि०	निजी
330.	रामकृष्ण मिल्स सी० बी० ई० लि०	निजी
331.	दि सवर्न टैक्सटाईल्स लि०	निजी
332.	दि विजयलक्ष्मी मिल्स लि०	निजी
333.	डी० पी० एफ० टैक्सटाईल्स लि०	निजी
334.	दि कोयम्बटूर पानियर मिल्स वी यूनिट	निजी

1	2	
335.	श्री हरि मिल्स प्रा० लि०	निजी
336.	दि नरसिम्हा मिल्स लि०	निजी
337.	तिरुपुर काटन स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०	निजी
338.	दि सुजानी टेक्सटाइल्स प्रा० लि०	निजी
339.	कण्डास्वामी स्पि० मिल्स	निजी
340.	तिरुपुर टैक्सटाइल्स प्रा० लि० यूनिट-2	निजी
341.	रवीन्द्र मिल्स लि०)	निजी
342.	श्री नरेन्द्रराजा टैक्सटाईल्स लि०	निजी
343.	विजेश्वरी टैक्सटाइल्स लि०	निजी
344.	श्री रामनारायण मिल्स लि०	निजी
345.	सत्यराजा मिल्स प्रा० लि०	निजी
346.	गंगा टैक्सटाइल्स लि०	निजी
347.	श्री पद्मा मिल्स लि०	निजी
348.	प्रशांत टैक्सटाइल्स प्रा० लि०	निजी
349.	वी० आर० टैक्सटाइल्स प्रा० लि०	निजी
350.	श्री शक्ति टैक्सटाइल्स प्रा० लि०	निजी
351.	भवानी मिल्स लि०	निजी
352.	दि आनन्द कुमार मिल्स लि०	निजी
353.	सूर्यप्रभा मिल्स लि०	निजी
354.	तिरुपुर टैक्सटाइल्स प्रा० लि०	निजी
355.	मधु स्पि० एण्ड वी० मिल्स प्रा० लि०	निजी
356.	श्री कलणविकई मिल्स लि०	निजी
357.	दि गोवालो टैक्सटाइल्स प्रा०लि०	निजी
358.	सरगुना टैक्सटाईल्स प्रा० लि०	निजी
359.	कोठारी इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि०	निजी
360.	दि लक्ष्मी मिल्स कं० लि० (पल्लादाम यूनिट)	निजी
361.	श्री रानी लक्ष्मी लि० स्पि० एण्ड वी० मिल्स प्रा० लि०	निजी

1	2	
362.	तमिलनाडु स्पि० मिल्स	निजी
363.	कार्डवेल स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
364.	श्री नरसिम्हा टैक्सटाईल्स प्रा० लि०	निजी
365	तिरुमूर्ति मिल्स	निजी
366.	वेंकरम टैक्सटाईल्स प्रा० लि०	निजी
367.	दि मिनाक्षी विलास को आ० लि०	निजी
368.	नारायण कृष्णा स्पिनर्स लि०	निजी
369.	श्री अरुणाचलेश्वर मिल्स	निजी
370.	के० पी० टैक्सटाईल्स	निजी
371.	जी० टी० के० टैक्साईल्स प्रा० लि०	निजी
372.	मरुधमलाई अन्दवा जि० एण्ड स्पि० मिल्स लि०	निजी
373.	रामलक्ष्मी स्पिनर्स प्रा० लि०	निजी
374.	व्यास टैक्सटाईल्स	निजी
375.	थिरुमुरुगन टैक्सटाईल्स	निजी
376.	जी० टी० बी० स्पिनर्स	निजी
377.	कोयम्बटूर पापुलर स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
378.	पलानी अंदवार काटन सिंथेटिक्स स्पि० लि०	निजी
379.	श्री गीता लक्ष्मी टैक्सटाइल्स	निजी
380.	के०पी०के० स्पि० मिल्स लि० (कायनर टैक्सटाइल लि०)	निजी
381.	कोनगरार स्पिनर्स लि०	निजी
382.	आशा टैक्सटाइल्स	निजी
383.	श्री रनुगा टैक्सटाईल्स मिल्स लि०	निजी
384.	कलईवानी टैक्सटाइल्स	निजी
385.	हिन्दुस्तान स्पिनर्स	निजी
386.	स्वामी एण्ड कं०	निजी
387.	के० सी० एस० स्पिनर्स	निजी
388.	आर० ए० सी० टैक्सटाइल्स (प्रा०) लि० (राम टैक्सटाइल्स)	निजी

1	2	
389.	एम्मार स्पि० मिल्स	निजी
390.	सम्पूर्ण श्री स्पि० मिल्स प्रा० लि० (श्री लक्ष्मी स्पिनर्स)	निजी
391.	एलन टैक्सटाइल्स प्रा० लि०	निजी
392.	स्वर्ण अम्बकाई टैक्सटाईल्स	निजी
393.	माक इंडिया लि०	निजी
394.	वि कृष्णा मिल्स प्रा० लि०	निजी
395.	सुब्बइया टैक्सटाईल्स	निजी
396.	जालाराम स्पि० मिल्स	निजी
397.	के० एन० एम० टैक्सटाइल्स (प्रो० चन्द्र इंजी० वर्क्स)	निजी
398.	सुजय स्पिनर्स	निजी
399.	के शिवासुब्रमणियम स्पिनर्स प्रा० लि०	निजी
400.	श्री मीनाक्षी स्पिनर्स प्रा० लि०	निजी
401.	हिन्दुस्तान टैक्सटाईल्स	निजी
402.	विद्यासागर टैक्सटाइल्स लि०	निजी
403.	आर०जे० इंडस्ट्रीज	निजी
404.	श्री अय्यन टैक्सटाइल्स मिल प्रा० लि०	निजी
405.	हुमसोवाची स्पिनर्स प्रा० लि०	निजी
406.	उमियाल स्पिनर्स प्रा० लि०	निजी
407.	शिवासुब्रमणिया टैक्सटाइल्स	निजी
408.	श्री अल्पना स्पि० प्रा० लि०	निजी
409.	टी० सी० ए० स्पि० मिल्स०	निजी
410.	राजश्री स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
411.	डी०बी०सी० काटन मिल्स प्रा०लि०	निजी
412.	श्री लक्ष्मी टैक्सटाईल्स	निजी
413.	एम० एम० एण्ड सन्स टैक्सटाईल्स	निजी
414.	सी० आर० स्पिनर्स	निजी
415.	कोयम्बटूर टैक्सटाईल्स प्रोडक्ट्स	निजी

1	2	
416.	पी० एस० जी० बी० टैक्सटाईल्स प्रा० लि०	निजी
4 .7.	श्री रानी मिल्स प्रा०लि०	निजी
418.	अरुणा काटन मिल्स	निजी
419.	प्रभा टैक्सटाईल्स	निजी
420.	श्री रंगा स्पिनर्स	निजी
421.	श्री वेंकटेश्वरा स्पिनर्स	निजी
422.	श्री रंगा टैक्सटाईल्स प्रा० लि०	निजी
423.	शिवज्योति स्पिनर्स	निजी
424.	सूर्य स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
425.	देवकी टैक्सटाइल्स	निजी
427.	मुकेश स्पिनर्स	निजी
428	बालाजी स्पिनर्स	निजी
429.	सुपर टैक्सटाईल्स	निजी
430.	श्री शनमुगा टैक्सटाईल्स	निजी
431.	वासम स्पि० मिल्स प्राc लि०	निजी
432.	श्री अलागु लक्ष्मी मिल्स प्रा० लि०	निजी
433.	नम्बूरार स्पिनर्स मिल्स	निजी
434.	नैना मोहम्मद स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
435.	श्री जनार्दन मिल्स	निजी
436.	श्री वेंकटेश्वा स्पिनर्स	निजी
437.	श्री रंगनाथर मिल्स	निजी
438.	सी० एस०स्पि० मिल्स	निजी
439.	श्री वेंकटेश्वरा टैक्सटाइल्स	निजी
440.	श्री प्लानी अन्डवार टैक्सटाइल्स	निजी
441.	कल्याणी यार्न प्रोसेसर्स प्रा० लि०	निजी
442.	प्रीमियर मिल्स लि० (अकिला टैक्सटाइल्स)	निजी
443.	रुक्मणि रामराघव स्पिनर्स प्रा० लि०	निजी
444.	श्री विवासिममणि स्पिनर्स	निजी

1	2	
445.	वेंकटेश स्पिनर्स प्रा० लि०	निजी
446.	सप्तगिरि स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
447.	श्री वेंकटराम टैक्सटाइल्स प्रा० लि०	निजी
448.	कलावाणि स्पिनर्स प्रा० लि०	निजी
449.	सुधा स्पि० मिल्स	निजी
450.	भारत टैक्सटाईल्स	निजी
451.	श्री शक्ति स्पिनर्स	निजी
452.	कोयम्बतूर श्री वसपा टैक्सटाईल मिल्स प्रा० लि०	निजी
453.	श्री सबपति टैक्सटाईल्स	निजी
454.	संगीत टैक्सटाईल्स प्रा० लि०	निजी
455.	जवदेश्वरन टैक्सटाईल्स प्रा०लि०	निजी
456.	मरुथमलाई श्री बलमरुगन टैक्सटाईल्स नं० 4	निजी
457.	विष्णु लक्ष्मी मिल्स प्रा० लि०	निजी
458.	मारुति टैक्सटाईल्स	निजी
459.	श्री मुरुगन मिल्स प्रा० लि०	निजी
460.	श्री वासदेवा टैक्सटाईल्स लि०	निजी
461.	श्री विष्णु प्रिया स्पिनर्स	निजी
462.	शिवशक्ति स्पिनर्स	निजी
463.	अक्का काटन स्पि० मिल्स लि०	निजी
464.	दुरईराज मिल्स प्रा० लि०	निजी
465.	विनेश टैक्सटाईल्स	निजी
466.	सी० पी० जी० टैक्सटाईल्स	निजी
467.	विकट्री स्पिनर्स	निजी
468.	सन्तविन टैक्सटाईल्स मिल्स प्रा० लि०	निजी
469.	आर० ए० वी० टैक्सटाइल्स (प्रा०) लि०	निजी
470.	नचियार स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी

1	2	
471.	सुलोचना काटन स्पि० मिल्स लि०	निजी
472.	एस० बी० पी० बी० स्पिनर्स (प्रा०) लि०	निजी
473.	श्री रामकृष्ण मिल्स (सी० बी० ई०) लि० यूनिट-II	निजी
474.	दि कुमारन मिल्स लि० यूनिट-II	निजी
475.	अन्दवार काटन मिल्स प्रा० लि०	निजी
476.	प्राइमा प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०	निजी
477.	अलब टैक्सटाईल्स प्रा० लि०	निजी
478.	दि राजलक्ष्मी मिल्स लि०	निजी
479.	जी० के० डी० टैक्सटाईल्स (उदमलपेट टैक्सटाईल्स लि०)	निजी
480.	श्री अम्बल मिल्स प्रा० लि०	निजी
481.	इसोरपा मिल्स लि०	निजी
482.	दि सुगुण मिल्स प्रा० लि०	निजी
483.	महालक्ष्मी मिल्स लि० (एस/ओ श्री कटारी टैक्सटाइल्ज (प्रा०) लि०	निजी
484.	वासजय सिंथेटिक्स प्रा० लि०	निजी
	तमिलनाडु	
485.	श्री कोवान्द्रम स्पि० मिल्स	एन० टी० सी०
486.	बलराम वर्मा टैक्सटाइल मिल्स	एस० टी० सी०
487.	पायनियर स्पिनर्स	एन० टी० सी०
488.	कालेश्वरर मिल्स लि०	एन० टी० सी०
489.	रामनाथपुरम डिस्ट०को०आपे० स्पि० मिल्स	सहकारी
490.	दि साऊथपुरम इंडिया को०आपे० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
491.	दि श्री विल्लीपुथुर को०ओ० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
492.	दि त्रिरुचेन्दूर को०ओ० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
493.	दि सलेम को०ओ० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
494.	त्रिचुरापल्ली डिस्ट० को०ओ० स्पि० मिल्स क० लि०	सहकारी
495.	वांगावूर डिस्ट० को०ओ० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी

1	2	
496.	साऊथ आरकोट डिस्ट० को०ओ० मिल्स लि०	सहकारी
497.	दि नार्थ आरकोट डिस्ट० को०ओ० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
498.	मदुरै डिस्ट० को०ओ० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
499.	कन्या कुमारी डिस्ट० को० ओप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
500.	साउथ इंडिया को०आप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
501.	कांचीपुरम कमलाकुण्णन को० ओप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
502.	भारती को० आप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
503.	दि मिलेरिअर को० ओप० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
504.	दि धर्मपुरी डिस्ट० को०ओप०स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
505.	अम्मा को० ओ० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी
506	मुत्थु स्पिनिंग मिल्स लि०	निजी
507.	दि राजरतन मिल्स लि०	निजी
508.	कावेरी स्पि० एण्ड विविंग मिल्स लि०	निजी
509.	चिरुमलाई मिल्स	निजी
510.	दि जवाहर मिल्स लि०	निजी
511.	करूर मिल्स लि०	निजी
512.	दि गोमती स्पिनिंग मिल्स	निजी
513.	दि लक्ष्मी मिल्स को० ओप० लि० ब्रांच	निजी
514.	दि विजय कुमार मिल्स लि०	निजी
515.	मदुरा कोटस को० लि०	निजी
516.	वर्धा लक्ष्मी मिल्स लि०	निजी
517.	मदुरै कोटस को० लि०	निजी
518.	नैलाई काटन मिल्स लि०	निजी
519.	महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स लि०	निजी
520.	श्री मीनाक्षी मिल्स लि०	निजी
521.	चिरुपुर टैक्सटाईल्स प्रा० लि०	निजी
522.	तूतीकोरिन स्पि० मिल्स लि०	निजी

1	2	
523.	राजपलायम मिल्स लि०	निधी
524.	राजेश्वरी मिल्स लि०	निधी
525.	दि नेशनल स्विंग एंड को० लि० स्पि० मिल्स	निधी
526.	सुन्दर राजा मिल्स लि०	निधी
527.	श्री गणपति मिल्स को० लि०	निधी
528.	श्री भारती काटन मिल्स प्रा० लि०	निधी
529.	श्री विसालक्षी मिल्स प्रा० लि०	निधी
530.	गीतांजली मिल्स लि०	निधी
531.	श्री जयज्योती इण्ड को० प्रा० लि० (श्री शनमुगर मिल्स)	निधी
532.	विवादेसर अलई	निधी
533.	विल्वमंगल मिल्स लि०	निधी
534.	श्री उमा परमेश्वरी मिल्स लि०	निधी
535.	रुकमणी मिल्स लि०	निधी
536.	विवाराजर मिल्स लि०	निधी
537.	श्री नचमई काटन मिल्स लि० (श्री जवाहर मिल्स)	निधी
538.	सुन्दरम स्पि० मिल्स	निधी
539.	अजगपा स्पि० मिल्स (प्रा०) लि०	निधी
540.	इन्दिरा काटन मिल्स प्रा० लि०	निधी
541.	अन्नामलैचर मिल्स प्रा० लि०	निधी
542.	नागामल मिल्स लि०	निधी
543.	श्री सिवाकारी मिल्स लि०	निधी
544.	वि मेतूर स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निधी
545.	श्री सीता वेंकटेस मिल्स लि०	निधी
546.	वि नागामई काटन मिल्स प्रा० लि० विकरवन्डी	निधी

1	2	
547.	जानकिरम मिल्स लि०	निजी
548.	पलानी श्री मरुगन टेक्सटाइल	निजी
549.	सुदर्शनम स्पि० मिल्स	निजी
550.	सुन्दरम टेक्सटाईल्स लि०	निजी
551.	वंजावर टेक्सटाइल्स लि०	निजी
552.	श्री सिथिकल्याणी टेक्सटाइल्स	निजी
553.	भोजराज टेक्सटाइल मिल्स लि०	निजी
554.	श्री सरस्वती मिल्स लि०	निजी
555.	श्री अय्यनार स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०	निजी
556.	अय्यपन टेक्सटाइल्स लि०	निजी
557.	श्री सबरी मिल्स लि०	निजी
558.	श्री रामालिंग मिल्स लि०	निजी
559.	श्री लक्ष्मी सरस्वती टेक्सटाइल्स करनी लि०	निजी
560.	अराकोट टेक्सटाइल्स मिल्स लि०	निजी
561.	शोलिंगूर टेक्सटाइल मिल्स लि०	निजी
562.	स्वामीजी मिल्स लि०	निजी
563.	सलेम टेक्सटाइल्स लि०	निजी
564.	भुवनेश्वरी टेक्सटाइल्स प्रा० लि०	निजी
565.	अन्नामलई अम्बल काटन मिल्स प्रा० लि०	निजी
566.	श्री नन्दी अम्बल टेक्सटाइल्स लि०	निजी
567.	वीरराघव टेक्सटाइल्स प्रा० लि०	निजी
568.	विजयश्री स्पि० मिल्स यूनिट ए० पी० लि०	निजी
569.	श्री वदीवम्बीगल टेक्सटाइल मिल्स	निजी
570.	कुमारगुरुपरार टेक्सटाइल्स (श्री लक्ष्मी काटन मिल्स)	निजी
571.	समबन्दम स्पि० मिल्स प्रा०लि०	निजी
572.	विजयश्री स्पि० मिल्स प्रा०लि०	निजी
573.	अंगप्पा स्पि० मिल्स	निजी

1	2	
574.	श्री पद्मावती काटन मिल्स	निजी
575.	जय रंगा मिल्स प्रा० लि०	निजी
576.	अरासन टेक्सटाइल मिल्स प्रा०लि०	निजी
577.	ब्राइट स्पिनर्स प्रा० लि०	निजी
578.	श्री बालाजी काटन मिल्स	निजी
579.	चिलीपलायन स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
580.	श्री रामविलास स्पि० एण्ड वी० मिल्स प्रा०लि०	निजी
581.	सिवकुमार स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
582.	श्री लक्ष्मी स्पि० मिल्स प्रा०लि०	निजी
583.	मसूर सिद्धेश्वरा स्पि० मिल्स लि०	निजी
584.	ऊमा महेश्वरी मिल्स लि०	निजी
585.	कण्डागिरी स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
586.	एल० एस० मिल्स प्रा० लि० (श्री सुन्दरम टेक्सटाइल्स)	निजी
587.	एम्बी टेक्सटाइल्स प्रा० लि०	निजी
588.	श्री स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
589.	एम० कमलम डाइंग काटन मिल्स	निजी
590.	सुलोचना टेक्सटाइल्स	निजी
591.	शंकर स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
592.	कंगारर टेक्सटाइल्स लि०	निजी
593.	अरुलमिगू कुमारगिरी स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
594.	पेतानाक्षी मिल्स	निजी
595.	श्री स्नेहवली टेक्सटाइल्स लि०	निजी
596.	मुरुगनथन मिल्स लि०	निजी
597.	श्री मंगायरकरसी मिल्स	निजी
598.	श्री नचम्मई काटन मिल्स लि०	निजी
599.	श्री राजलक्ष्मी स्पिनर्स प्रा० लि०	निजी

1	2	
600.	थंगावेलू स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
601.	मारिया जोजफ मिल्स	निजी
602.	मेनका काटन मिल्स प्रा० लि०	निजी
603.	कुमारगिरी टेक्सटाइल्स लि०	निजी
604.	श्री गरुवादरी स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
605.	अरुल मुरुगन स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
606.	शिवमणी स्पि० मिल्स लि०	निजी
607.	अरुपुकटई श्री जयविलास प्रा०लि०	निजी
608.	अमरावती डाइंग्स प्रा० लि०	निजी
609.	सुब्बुराज काटन मिल्स	निजी
610.	मुहम्मद इस्माइल मिल्स	निजी
611.	श्री राजेन्द्रा मिल्स लि०	निजी
612.	कथिरवेल टेक्सटाइल्स प्रा० लि०	निजी
613.	श्री काटन मिल्स लि०	निजी
614.	ओम शक्ति टेक्सटाइल्स	निजी
615.	सुमंगल स्पि० मिल्स लि०	निजी
616.	राघवेन्द्र स्पिनर्स प्रा० लि०	निजी
617.	ननजप्पा टेक्सटाइल्स	निजी
618.	के० एल० आर० एफ० टेक्सटाइल्स यूनिट I,	निजी
619.	श्री शनमूगवेल मिल्स प्रा० लि०	निजी
620.	अरविन्द स्पिनर्स लि० (प्रा०)	निजी
621.	करपगम स्पिनर्स प्रा० लि०	निजी
622.	चन्द्रप्रभा काटेज स्पि० मिल्स	निजी
623.	सामबंदम मिल्स थार्न स्पिनर्स	निजी
624.	के० पारथसारथी स्पि० मिल्स	निजी
625.	श्री कृष्णास्वामी मिल्स	निजी

1	2	
626.	प्रभु स्पिनिंग मिल्स	निजी
627.	चिन्नादोराई मिल्स	निजी
628.	अरुपुकटई श्री विद्यालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स लि०	निजी
629.	जामबाई के०एन०एम० टेक्सटाइल्स प्रा० लि०	निजी
630.	श्री सेतुराम स्पि० मिल्स	निजी
631.	सेनगुन्थूर मिल्स प्रा० लि०	निजी
632.	गीता रामकृष्ण मिल्स प्रा० लि०	निजी
633.	श्री मंगलमबिगई काटन मिल्स	निजी
634.	वि अन्नामलाई टेक्सटाइल यूनिट	निजी
635.	श्री मीनाक्षी सुनरेश्वरर स्पि० मिल्स	निजी
636.	बालापुरगन स्पिनर्स प्रा० लि०	निजी
637.	श्री बसावी स्पि० मिल्स	निजी
638.	श्री अमन टैक्सटाइल्स	निजी
639.	तन इंडिया लि० (टेक्स० यूनिट)	निजी
640.	थिरुवलार स्पि० मिल्स	निजी
641.	कृष्णा मिल्स	निजी
642.	सेनथिल टेक्सटाइल स्पिनर्स	निजी
643.	श्री रतनावेल टैक्स० (डी० एच० एम० शक्ति मिल्स)	निजी
644.	कंगारर काटन एंड सिवे० प्रा० लि०	निजी
645.	वेंकटालक्ष्मी टेक्स० प्रा० लि०	निजी
646.	कपलस स्पिनर्स	निजी
647.	सेनथिल स्पि० प्रा० लि०	निजी
648.	श्री कादेरी अम्बल मिल्स प्रा० लि०	निजी
649.	रासिपुरम टेक्सटाइल्स प्रा० लि०	निजी
650.	श्री उमयम्बी गई टेक्स० मिल्स प्रा० लि०	निजी
651.	नारायण कृष्णा सिवे० प्रा० लि०	निजी

1	2	
652.	ओ० बी० एम० आई० स्पि० मिल्स	निजी
653.	श्री अष्टलक्ष्मी स्पि० मिल	निजी
654.	गोल्डन स्पि० मिल्स प्रा०लि०	निजी
655.	गोरी स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
656.	श्री विष्णु शंकर मिल्स लि०	निजी
657.	सुगवनेश्वर स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
658.	शनमुगराजा स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
659.	आर० आर० स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
660.	महाराजा स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
661.	श्री मदुरै मीनाक्षी स्पिनर्स	निजी
662.	केथरिसन मिल्स	निजी
663.	श्री बालाकृष्णा स्पिनर्स प्रा० लि०	निजी
664.	श्री शनमुगर टेक्सटाइल्स	निजी
665.	श्री योगलक्ष्मी मिल्स प्रा० लि०	निजी
666.	थिरूसेलवन स्पिनर्स	निजी
667.	ऊषा टेक्स० प्रा० लि०	निजी
668.	जी० बी० जी० इंडस्ट्रीज प्रा० लि०	निजी
669.	अरूलमिगु शिवशक्ति स्पि० मिल्स लि०	निजी
670.	रुकमणी काटन स्पि० मिल्स लि०	निजी
671.	अन्नामलैर टेक्स० प्रा० लि०	निजी
672.	बम्बी मार्डन स्पि० मिल्स लि०	निजी
673.	स्वामी टेक्सटाइल्स	निजी
674.	आइडियल स्पि० मिल्स लि०	निजी
675.	लक्ष्मी सरस्वती काटन मिल्स प्रा० लि०	निजी
676.	के० एस० आर० एफ० मिल्स यूनिट	निजी
677.	श्री गोविन्दराजा मिल्स प्रा० लि०	निजी

1	2	
678.	कादर स्पिनर्स प्रा० लि०	निजी
679.	आर० आर० मिल्स	निजी
680.	ईरोड स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
681.	जगज्योति स्पि० मिल्स	निजी
682.	रामा स्पिनिंग	निजी
683.	सुब्बथल स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
684.	भवंजी मिल्स	निजी
685.	राजलक्ष्मी इण्ड० स्पि० मिल्स	निजी
686.	श्री जगम स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
687.	श्री कार्तिकेय मिल्स	निजी
688.	भुवनेश्वर स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
689.	दार्वेया टेक्सटाइल्स प्रा० लि०	निजी
690.	सिम्नामनी स्पि० मिल्स लि०	निजी
691.	श्री देवी टेक्सटाइल्स (कविता टेक्स०)	निजी
692.	कार्थी कृष्णा स्पि० एण्ड विविंग मिल्स	निजी
693.	श्री कंठल टेक्स० प्रा० लि०	निजी
694.	शिवा डिस्टलीज लि०	निजी
695.	थिरुवलूर टेक्सटाइल्स प्रा० लि०	निजी
696.	अन्नाई जवीरभी मूरपल्लाई प्रा० लि०	निजी
697.	श्री वीरेश्वरा स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
698.	विजयश्री काटन मिल्स लि०	निजी
699.	देवी स्पि० मिल्स लि०	निजी
700.	स्वर्ना स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
701.	लक्ष्मी जमुना स्पि० मि० लि०	निजी
702.	श्री विसालक्ष्मी मिल्स प्रा० लि०	निजी
703.	वेंकटेश्वरा स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी

1	2	
704.	मुदाल्यान्दन स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
705.	राज राजेश्वरी स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
706.	श्री मुकांबिका स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
707.	सैयद काटन मिल्स प्रा० लि०	निजी
708.	शिवराज स्पि० मिल्स लि०	निजी
709.	कुमार राजा स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
710.	राजू स्पि० मिल्स प्रा० लि०	निजी
711	प्रभा स्पि०	निजी
712.	श्री अकीलांडेश्वरी मिल्स प्रा० लि०	निजी
713.	एस पी जी मिल्स प्रा० लि०	निजी
714.	पूनकोदी टेक्सटाइल्स	निजी
715.	वि श्री गणपति मिल्स कं० लि०	निजी
716.	सेंगामलम स्पि० प्रा० लि०	निजी
717.	श्री सर्वेल काटन मिल्स लि०	निजी
718.	मिनार टेक्सटाइल्स इन्क० लि०	निजी
719.	श्री चिंतामणि टैक्सटाइल्स मिल्स प्रा० लि०	निजी
720.	सीतालक्ष्मी मिल्स लि०	निजी
721.	श्री सम्पूर्णा लक्ष्मी स्पि० मिल्स लि०	निजी
722.	सोमसुन्दरम सुपर स्पि० मिल्स लि०	निजी
723.	स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि०	एन. टी. सी.
724.	स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि०	एन. टी. सी.
725.	रायबरेली टेक्सटाइल्स मिल्स	एन. टी. सी.
726.	बिजली काटन मिल्स	एन. टी. सी.
727.	श्री विक्रम काटन मिल्स	एन. टी. सी.
728.	मयूर सिनटैक्स लि०	एन. टी. सी.
729.	यू० पी० कोआ० स्पि० मिल्स लि०	सहकारी

1	2	
730.	वि कोआप० टैक्सटाइल्स मिल्स	सहकारी
731.	सन्त कबीर शाह मिल्स लि०	सहकारी
732.	नगीना टैक्सटाइल्स कताई मिल्स	सहकारों
733.	सहकारी कताई मिल्स लि०	सहकारी
734.	यू पी सहकारी कताई मिल्स लि०	सहकारी
735.	मऊ आइमा सहकारी कताई मिल्स	सहकारी
736.	सीतापुर सहकारी मिल्स लि०	सहकारी
737.	पूर्वांचल सहकारी कताई मिल्स लि०	सहकारी
738.	यू पी सहकारी कताई मिल्स लि०	सहकारी
739.	यू पी सहकारी कताई मिल्स लि०	सहकारी
740.	मुरादाबाद सिंटेक्स लि०	निजी
741.	सी०आर० क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स (जोहन मिल्स नं० 2)	निजी
742.	अमिताभ टैक्सटाइल्स मिल्स लि०	निजी
743.	मदन इण्ड० लि०	निजी
744.	अजन्ता टैक्सटाइल्स लि०	निजी
745.	अमौसी टैक्सटाइल्स मिल्स लि०	निजी
746.	बेलवाल स्पि० मिल्स लि०	निजी
747.	मोदी ग्रेड लि०	निजी
748.	माडर्न स्पिनर्स लि० (मोदी यार्न मिल्स बी यूनिट)	निजी
749.	गिनी फिलामेंट्स लि०	निजी
750.	विशालसिंथेटिक्स लि० (मोदी सिंथेटिक्स लि०)	निजी
751.	यू पी स्टेट स्पि० मिल्स प्रा० लि० नं० 1	निजी
752.	यू पी स्टेट टैक्स कारपो० स्पि० मिल्स	एस. टी. सी
753.	यू पी स्टेट टैक्स कारपो० स्पि० मिल्स	एस. टी. सी.
754.	यू पी स्टेट स्पि० मिल्स कं० लि०	एस, टी. सी.
755.	यू पी स्टेट स्पि० मिल्स लि०	एस. टी. सी.

1	2	
756.	यू पी स्टेट स्पि० कं० लि०	एस. टी. सी.
757.	यू पी स्टेट टैक्स० कारपो० लि०	एस. टी. सी.
758.	यू पी स्टेट टैक्स० कारपो० लि०	एस. टी. सी.
759.	यू पी स्टेट यार्न कं० लि०	एस. टी. सी.
760.	यू पी स्टेट टैक्स० कारपो० लि० स्पि० मिल्स	एस. टी. सी.
761.	यू पी स्टेट यार्न कं० लि०	एस. टी. सी.
762.	यू पी स्टेट यार्न कं० लि०	एस. टी. सी.
763.	यू पी स्टेट यार्न कं० लि०	एस. टी. सी.
764.	लक्ष्मीनारायण काटन मिल्स लि०	एनी. ट. सी.
765.	सोदपुर काटन मिल्स लि०	एन. टी. सी.
766.	क्लोरिया इन्ड० (सैक्सन मिल)	एन. टी. सी.
767.	बंगाल टैक्स० मिल्स लि०	एन. टी. सी.
768.	बंगाल फाइन स्पि० एण्ड वी० मिल्स	एन. टी. सी.
769.	प० बंगाल कोआप० स्पि० मिल्स	सहकारी
770.	न्यू गुजरात काटन मिल्स लि०	निजी
771.	नवनीत यार्न स्पि० मिल्स	निजी
772.	इण्डिया लिकलियम्स लि०	निजी
773.	दि जनरल इन्डस्ट्रियल सोसाइटी लि०	निजी
774.	कल्याण सिंडीकेट	निजी
775.	आनन्तपुर टैक्सटाइल्स लि०	निजी
776.	दि बंगाल बेल्टिंग वर्क्स लि०	निजी
777.	ईस्टर्न स्पि० मिल्स लि०	निजी
778.	हाडा टैक्सटाइल्स इन्डस्ट्रीज लि०	निजी
779.	मिदनापुर काटन मिल्स	निजी
780.	शक्तिगढ़ टैक्सटाइल्स एण्ड इंड० लि०	निजी
781.	पोद्दार प्रोडक्ट्स लि०	निजी

1	2	
782.	म्यूराक्षी काटन मिल्स लि०	निजी
783.	बिरला जूट एण्ड इन्ड० लि० (यूनिट बिरला सिंथेटिक्स)	निजी
784.	दि इंडिया जूट एण्ड इंड० लि० (सिंथेटिक्स डिवीजन)	निजी
785.	दि कल्याणी स्पि० मिल्स लि० यूनिट नं० 1	एस. टी. सी
786.	कल्याणी स्पि० मिल्स लि० यूनिट 2	एस. टी. सी.
787.	प० दिनाजपुर स्पि० मिल्स लि०	सरकारी
788.	कन्नानोर स्पि० एण्ड वी० मिल्स	एन. टी. सी.
789.	दि पाण्डिचेरी कोआप० स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०	सहकारी
790.	सुन्दरराजा मिल्स लि०	निजी
791.	श्री रमैया स्पिनर्स लि०	निजी
792.	एटलांटिक स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०	निजी
793.	सिद्धार्थ सुपर स्पि० मिल्स लि०	निजी
794.	बिनसम टैक्सटाईल्स इंड० लि०	निजी
795.	हिमाचल फाईबर्स लि०	निजी
796.	दीपक स्पिनर्स लि०	निजी
797.	शिवालिक फैबर्स प्रा० लि०	निजी
798.	आरो स्पि० मिल्स	निजी
799.	मणिपुर स्पि० मिल्स प्रा० लि०	एस. टी. सी.

मिश्रित मिलें

1	2	
	आंध्र प्रदेश	
1.	अजमशाही मिल्स लि०	एन० टी० सी०
2.	दीवान बहादुर रामबोपाल मिल्स लि०	निजी
	बिहार	
3.	गाया काटन जूट मिल्स	एन० टी० सी०

1	2	
4.	बक्सर सेंटरल जेल	एस० टी० सी०
	गुजरात	
5.	अहमदाबाद जूपिटल टैक्सटाईल्स मिल्स	एन० टी० टी०
6.	अहमदाबाद न्यू टैक्स० मिल्स क० लि०	एन० टी० सी०
7.	हिमदरी टैक्स० मिल्स	एन० टी० सी०
8.	जहांगीर टैक्स० मिल्स कं० लि०	एन० टी० सी०
9.	न्यू मानिक चोक टैक्स० मिल्स	एन० टी० सी०
10.	राजोनगर स्पि० एण्ड विव० एण्ड मन्यू० कं०लि०	एन० टी० सी०
11.	राजनगर स्पि० एण्ड विव० मन्यु० कं० लि०	एन० टी० सी०
12.	अहमदाबाद एडवांस मिल्स	निजी
13.	मिहार टैक्सटाइल्स लि०	निजी
14.	अहमदाबाद केसर-आई-हिन्द मिल्स	निजी
15.	अंकुर टैक्स० अरविन्द मिल्स का प्रभाग	निजी
16.	अहमदाबाद मैन्यु० एण्ड कैमिको प्री० कं० लि०	निजी
17.	अहमदाबाद जुबली मिल्स लि०	निजी
18.	अहमदाबाद न्यू कॉटन मिल्स कं० लि०	निजी
19.	ओमेक्स इंवेस्टोर्स लि०	निजी
	(न्यू गुजरात सिंथेटिक्स)	
20.	अहमदाबाद श्री रामकृष्ण मिल्स कं० लि०	निजी
21.	अजीत मिल्स लि०	निजी
22.	कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्ड० लि०	निजी
23.	दि अरुणा मिल्स लि०	निजी
24.	दि अरविंद मिल्स लि०	निजी
25.	अर्वोदया लि० एण्ड मैन्यु० कं० लि०	निजी
26.	अर्वोदया स्पि० एण्ड विविंग कं० लि०	निजी
27.	असर्वा मिल्स लि०	निजी

1	2	
28.	अशोक मिल्स लि०	निजी
29.	प्रसाद मिल्स लि०	निजी
30.	भारत सर्वोदया मिल्स कं० लि०	निजी
31.	मानकलाल हरिलाल मिल्स लि०	निजी
32.	कमिशियल अहमदाबाद मिल्स कं० लि०	निजी
33.	न्यू गुजरात सिंथेटिक लि०	निजी
34.	न्यू गुजरात सिंथेटिक लि०	निजी
35.	श्री बंसीधर स्पि० एण्ड विविंग मिल्स लि०	निजी
36.	श्री अरबुदा मिल्स लि०	निजी
37.	महेश्वरी मिल्स लि०	निजी
38.	दि मानकलाल हरिलाल मिल्स लि०	निजी
39.	नागरी मिल्स कं० लि०	निजी
40.	कांटीनेंटल टेक्स० मिल्स लि०	निजी
41.	सोमा टेक्स०	निजी
42.	न्यू रायपुर मिल्स कं० लि०	निजी
43.	दि नूतन मिल्स लि०	निजी
44.	पटेल मिल्स कं० लि०	निजी
45.	रायपुर मैनु० कं० लि०	निजी
46.	रोहित मिल्स लि०	निजी
47.	कस्तम मि० एण्ड इण्ड० लि०	निजी
48.	बाई० एस० सिंथेटिक्स प्रोजेक्ट लि०	निजी
49.	दि सारसपुर मिल्स लि०	निजी
50.	न्यू शोराक मिल्स	निजी
51.	श्री अम्बिका मिल्स लि०	निजी
52.	श्री विवेकानन्द मिल्स लि०	निजी
53.	विजया मिल्स कं० लि०	निजी

1	2	
54.	श्री अमृता मिल्स लि०	निजी
55.	एस० रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि०	निजी
56.	अहमदाबाद काटन मैन्यू० क० लि०	एस० टी० सी०
57.	अलाकिया मिल्स कं० लि०	एस० टी० सी०
58.	मंजश्री टेक्सटाईल्स	एस० टी० सी०
59.	तरुण कामर्शियल मिल्स लि०	एस० टी० सी०
60.	मानक चोक एण्ड अहमदाबाद मैन्यू० कं० लि०	एस० टी० सी०
61.	मसंदन स्पि० एण्ड मैन्यू० कं० लि०	एस० टी० सी०
62.	मोनोग्राम मिल्स कं० लि०	एस० टी० सी०
63.	अहमदाबाद काटन आफ जी० एस० टी० कं० लि०	एस० टी० सी०
64.	न्यू स्वदेशी मिल्स	एस० टी० सी०
65.	सारंगपुर काटन मैन्यू० कं०	एस० टी० सी०
66.	अभय मिल्स लि०	एस० टी० सी०
67.	सिल्वर काटन मिल	एस० टी० सी०
68.	सहयोग टैक्सटाईल्स	एस० टी० सी०
69.	पटलेड टैक्सटाइल्स मिल्स	एन० टी० सी०
70.	महालक्ष्मी टैक्स० मिल्स लि०	एन० टी० सी०
71.	राजकोट टैक्स० मिल्स	एन० टी० सी०
72.	विरागम टैक्स० मिल्स	एन० टी० सी०
73.	दि विशानगर टैक्स० मिल्स को० स्पि० मिल्स	सहकारी
74.	ओप टैक्स० मिल्स लि०	निजी
75.	न्यू सूरोक्स स्पि० मैन्यू० कं० लि०	निजी
76.	नरेंजन मिल्स लि०	निजी
77.	सहानू दीप लि०	निजी
78.	पी० जी० टैक्सटाइल मिल्स लि०	निजी
79.	सुनिल मिल्स लि०	निजी

1	2	
80.	श्री यमना मिल्स क० लि०	निजी
81.	गयाकवार मिल्स लि०	निजी
82.	नवजीत टैक्स० मिल्स लि०	निजी
83.	कलोल मिल्स लि०	निजी
84.	दि भारत विजय मिल्स लि०	निजी
85.	नवजीवन मिल्स लि०	निजी
86.	मुफतलाल फाइन स्पि० एण्ड विव० कं० लि०	निजी
87.	नवसारी काटन एण्ड सिल्क मिल्स लि०	निजी
88.	श्री वी० राजेश टैक्स० मिल्स	निजी
89.	देवती फैबिक लि० (रिलेंस इण्डस्ट्रीज)	निजी
90.	महाराजा मिल्स लि०	निजी
91.	श्री अमर सिंह जी मिल्स लि०	निजी
92.	दि महेन्द्रा मिल्स लि०	निजी
93.	प्रिया लक्ष्मी मिल्स	एस० टी० सी०
94.	कान्ती काटन मिल्स प्रा० लि०	एस० टी० सी०
95.	न्यू जहांगीर वकील मिल्स लि०	एस० टी० सी०
96.	श्री सुबालक्ष्मी मिल्स लि० हरियाणा	एस० टी० सी०
97.	सिवानी टेक्सटाइल्स मिल्स	निजी
98.	टेक्नोलोजिकल इंस्टीट्यूट आफ टैक्सटाइल्स बिरला कालोनी कर्नाटक	निजी
99.	मिनर्वा मिल्स लि०	एन० टी० सी०
100.	मैसूर स्पि० वी० एंड मैन्य० मिल्स	एन० टी० सी०
101.	महबूबशाही मुलवर्गा मिल्स	एन० टी० सी०
102.	बिन्नी एंड क० लि०	निजी
103.	देवनगिरि काटन मिल्स लि०	निजी

1	2	
104.	श्री कृष्णा राजेन्द्रा मिल्स लि०	निजी
105.	गोपाल कृष्णा टेक्स० मिल्स प्रा० लि०	निजी
106.	टी० आर० मिल्स प्रा० लि०	निजी
107.	रामकुमार मिल्स लि०	निजी
108.	गोकक मिल्स	निजी
109.	गोण्टे टैक्सटाइल्स लि०	निजी
110.	महादेव टैक्सटाइल मिल्स केरल	एस० टी० सी०
111.	पार्वती मिल्स लि०	एन० टी० सी०
112.	दि वेस्टर्न इंडिया काटन लि०	निजी
113.	चकोलास स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०	निजी
114.	मालाबार स्पि० एण्ड वी० क० लि०	एस० टी० सी०
115.	सीताराम टैक्सटाईल्स लि० मध्य प्रदेश	एस० टी० सी०
116.	बंगाल नागपुर काटन मिल्स	एन० डी० सी०
117.	बरहानपुर ताप्ती मिल्स लि०	एन० टी० सी०
118.	हीरा मिल्स लि०	एन० टी० सी०
119.	इन्दोर माल्वा यूनाइटेड मिल्स लि०	एन० टी० सी०
120.	कल्याणमल मिल्स लि०	एन० डी० सी०
121.	स्वदेशी काटन एंड फ्लोर मिल्स लि०	एन० टी० सी०
122.	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	एन० टी० सी०
123.	विनोद मिल्स क० लि०	निजी
124.	विमल मिल्स	निजी
125.	शिवाजी राव काटन मिल्स लि०	निजी
126.	दि मन्दसोर टैक्सटाइल मिल्स प्रा० लि०	निजी
127.	दि हुकमचन्द मिल्स लि०	निजी

1	2	
128.	होप टैक्सटाईल्स लि० (नन्दलाल भण्डारी मिल्स)	निजी
129.	राजकुमार मिल्स लि०	निजी
130.	स्टैण्डर्ड इण्डस्ट्रीज लि०	निजी
131.	इन्दौर टैक्सटाइल्स कार० लि०	एस० टी० सी०
132.	एम० पी० स्टेट टैक्स० कार लि० (श्री सज्जन मिल्स) महाराष्ट्र (बम्बई)	एस० टी० सी०
133.	अपोलो टैक्सटाइल मिल्स	एन० टी० सी०
134.	जुपिटर टेक्सटाइल मिल्स	एन० टी० सी०
135.	दिग्विजय टेक्सटाइल मिल्स	एन० टी० सी०
136.	भारत टेक्सटाइल मिल्स	एन० टी० सी०
137.	एलफिन स्टोन स्पि० एंड वी० मिल्स क०	एन० टी० सी०
138.	फिन्ले मिल्स लि०	एन० टी० सी०
139.	गोल्ड मोहर मिल्स	एन० टी० सी०
140.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं० 1	एन० टी० सी०
141.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं० 2	एन० टी० सी०
142.	इंडिया यूनाटेड मिल्स नं० 3	एन० टी० सी०
143.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स नं० 5	एन० टी० सी०
144.	जेम मैन्यू० मिल्स (यू० ई०)	एन० टी० सी०
145.	कोहिनूर मिल्स क० लि० नं० 1,2	एन० टी० सी०
146.	कोहिनूर मिल्स क० लि० नं० 3	एन० टी० सी०
147.	श्री मधुसुदन मिल्स लि०	एन० टी० सी०
148.	न्यू सिटी आफ बम्बई मैन्यू० मिल्स	एन० टी० सी०
149.	न्यू हिन्द टेक्सटाइल्स मिल्स	एन० टी० सी०
150.	पोद्दार मिल्स लि०	एन० टी० सी०
151.	मुम्बई टेक्सटाइल्स मिल्स	एन० टी० सी०
152.	श्री सीताराम मिल्स लि० (यू० सी०)	एन० टी० सी०

1	2	
153.	टाटा मिल्स लि०	एन० टी० सी०
154.	बम्बई डाइंग एण्ड मैन्यू० क० लि०	निजी
155.	बम्बई डाइंग एण्ड मैन्यू क० लि० (टेक्स० मिल्स)	निजी
156.	बाडबरी मिल्स लि०	निजी
157.	सेन्चुरी टेक्स० एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	निजी
158.	मुकेश टैक्सटाइल्स मिल्स	निजी
159.	स्वान मिल्स लि० (यूनिट कृस्ता स्पि० एंड वी०)	निजी
160.	हिन्दुस्तान स्पि० एंड वी० मिल्स लि० नं० 3	निजी
161.	हिन्दुस्तान स्पि० एंड वी० मिल्स लि० नं० 1	निजी
162.	मातुल्य मिल्स लि०	निजी
163.	हिन्दुस्तान स्पि० एंड वी० क० लि०	निजी
164.	कमला मिल्स लि०	निजी
165.	दि खटाऊ मानकजी स्पि० एंड वी० क० लि०	निजी
166.	पिरामल स्पि० एंड वी० मिल्स लि०	निजी
167.	माडर्न मिल्स लि० नं० 2	निजी
168.	मोरारजी गोकुलदास स्पि० एंड वी० क० लि०	निजी
169.	स्टैण्डर्ड इण्डस्ट्रीज लि०	निजी
170.	न्यू ग्रेट ईस्टर्न स्पि० एंड वी० क० लि०	निजी
171.	वि मोरारजी गोकुलदास स्पि० ऐंड वी० क० लि०	निजी
173.	वि मफतलाल फाइन स्पि० एंड वी० मैन्यु० क० लि० नं० 3	निजी
173.	फोइनिक्स मिल्स लि०	निजी
174.	कवी मिल्स लि०	निजी
175.	वि रघुवंशी मिल्स लि०	निजी
176.	मफतलाल फाइन स्पि० एंड वी० क० लि० नं० 2	निजी
177.	प्रकाश काटन मिल्स प्रा० लि०	निजी
178.	श्री निवास काटन मिल्स लि०	निजी

1	2	
179.	श्री राम मिल्स लि०	निजी
180	सिम्प्लेक्स मिल्स क० लि०	नीजी
181.	स्टैण्डर्ड इण्डस्ट्रीज लि०	निजी
182.	दि स्वदेशी मिल्स क० लि०	निजी
183.	स्वान मिल्स लि०	निजी
184.	विक्टोरिया मिल्स लि०	निजी
185.	वेस्टर्न इंडिया स्पि० एंड मैन्यू० मिल्स (यू० ए० पी०)	एन० टी० सी०
186.	चालिसगांव टेक्सटाइल्स मिल्स	एन० टी० सी०
187.	धूले टेक्सटाइल्स मिल्स	एस० टी० सी०
188.	मांडल मिल्स नागपुर	एन० टी० सी०
189.	आर० एस० टेकचन्द गोपालदास मोहता	एन० टी० सी०
190.	आर० बंसीलाल अबीरचन्द स्पि० एंड वी०	एन० टी० सी०
191.	सावत राम रामप्रसाद मिल्स क०	एन० टी० सी०
192.	विदर्भ मिल्स बेरार (यू० आर० एस०)	एन० टी० सी०
193.	औरंगाबाद टैक्सटाइल मिल्स	एन० टी० सी०
194.	नानदेड टैक्सटाइल्स मिल्स	एन० टी० सी०
195.	जैन श्री रणजीतसिंह जी स्पि० एंड वी० मिल्स क० लि०	निजी
197.	श्री बालाजी स्पि० एंड मिल्स	निजी
198.	राजन टेक्सटाइल्स मिल्स प्रा० लि०	निजी
199.	खानदेश स्पि० मिल्स क०	निजी
200.	दि राजा बहादुर मोतीलाल यूना मिल्स लि०	निजी
201.	आर० एस० टेकचन्द मोहता स्पि० एंड वी० मिल्स (प्रा०) लि०	निजी
202.	माधवनगर काटन मिल्स लि०	निजी
203.	सिम्प्लेक्स मिल्स क० लि०	निजी
204.	नरसिंगपीरजी मिल्स	एस० टी० सी०
205.	श्री शाहू जतपति मिल्स	एस० टी० सी०

1	2	
206.	प्रताप स्पि० एंड वी० मैन्यू क० लि० (यू० आर० एस०)	एस० टी० सी०
207.	सेंट्रल इंडिया स्पि० एंड वी० मैन्यू क० लि० (इम्प्रेस मिल)	एस० टी० सी०
208.	पुलगांव काटन मिल्स लि०	एस० टी० सी०
209.	देवगिरी टेक्टाइल मिल्स लि०	एस० टी० सी०
210.	कलमेश्वर टेक्सटाइल्स मिल्स	एस० टी० सी०
	उड़ीसा	
211.	उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स लि०	एस० टी० सी०
	पंजाब	
212.	दयालबाग स्पि० एंड वी० मिल्स	एन० टी० सी०
213.	जे० सी० टी० लि०	निजी
	राजस्थान	
214.	इडवर्ड मिल्स	एन० टी० सी०
215.	महालक्ष्मी मिल्स	एन० टी० सी०
216.	राजस्थान स्पि० एंड वी० मिल्स लि०	निजी
217.	कृष्णा मिल्स लि०	निजी
218.	महाराजा श्री उमेद मिल्स लि०	निजी
219.	मेवाड टेक्सटाइल मिल्स लि०	निजी
220.	जे० सी० टी० लि०	निजी
221.	आदित्य मिल्स लि०	निजी
	तमिलनाडु	
222.	कोयम्बतूर स्पि० एंड वी० मिल्स	निजी
223.	कोयम्बतूर मुरगन मिल्स लि०	निजी
224.	कालेश्वर मिल्स यूनिट नं० 1	निजी
225.	सोमसुन्दरम मिल्स	निजी
226.	श्री शारदा मिल्स	निजी
227.	कोठारी इंडस्ट्रीयल कार० लि० नं० 1	निजी

1	2	
228.	तमेर मिल्स	निजी
229.	धनलक्ष्मी मिल्स लि०	निजी
230.	राधाकृष्णा मिल्स लि०	निजी
231.	दि लक्ष्मी मिल्स क० लि० नं० 1	निजी
232.	दि श्री वैंकटेश मिल्स लि०	निजी
233.	वसन्त मिल्स लि०	निजी
234.	श्री रामलिंग चूडामिणि मिल्स लि०	निजी
235.	दि लक्ष्मी मिल्स क० लि०	निजी
236.	सैन्ट्रल जेल फैक्टरी	एस०टी० सी०
237.	प्रिमियर मिल्स लि० यूनिट नं० 3	निजी
238.	श्री करपग अम्बल मिल्स लि०	निजी
239.	बिन्नी लि०	निजी
240	लायल टैक्सटाइल मिल्स लि०	निजी
241.	मत्तूर टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज लि०	निजी
242.	श्री मीनाक्षी मिल्स लि०	निजी
243.	मदुरै कोट्स लि०	निजी
244.	मदुरा कोट्स लि० (पांडियन मिल)	निजी
245.	बल्ली काटन ट्रेडर्स लि० तमिलनाडु	निजी
246.	पल्लीकार मिल्स लि० कानपुर	निजी
247.	अथर्टन मिल्स	एन० टी० सी०
248.	लक्ष्मीरतन काटन मिल्स	एन० टी० सी०
249.	मयूर मिल्स क० लि०	एन० टी० सी०
250.	न्यू विक्टोरिया मिल्स क० लि०	एन० टी० सी०
251.	स्वदेशी काटन मिल्स क० लि०	एन० टी० सी०

1	2	
252.	जे० के० मैन्यूफैक्चर्स लि०	निजी
253.	जे० के० काटन स्पि० एंड वी० मिल्स क० लि०	निजी
254.	एल्गिन मिल्स क० लि० नं० 1	बी० आई० सी०
255.	एल्गिन मिल्स क० लि० नं० 2	बी० आई० सी०
256.	कानपुर टेक्सटाइल्स लि०	बी० आई० सी०
	उत्तर प्रदेश	
257.	लार्ड कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स	एन० टी० सी०
258.	मोदी स्पि० एंड वी० मिल्स क० लि०	निजी
259.	आंके क्लाथ एंड जनरल मिल्स	निजी
260.	राजा टेक्सटाइल्स लि०	निजी
261.	हिण्डन रीवर मिल्स	निजी
	पश्चिम बंगाल	
262.	बंगा श्री काटन मिल्स लि०	एन० टी० सी०
263.	बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स	एन० टी० सी०
264.	आरती काटन मिल्स	एन० टी० सी०
265.	सैन्ट्रल काटन मिल्स लि०	एन० टी० सी०
266.	श्री महालक्ष्मी काटन मिल्स लि०	एन० टी० सी०
267.	मोहिनी मिल्स नं० 2	एन० टी० सी०
268.	रामपुरिया काटन मिल्स लि०	एन० टी० सी०
269.	बंगाल फाइन स्पि० एंड वी० मिल्स नं० 1	एन० टी० सी०
270.	स्वान मिल्स	निजी
271.	बोरिआ काटन मिल्स क० लि०	निजी
272.	बनवार काटन मिल्स क० लि०	निजी
273.	केसाराम इंडस्ट्रीज एंड काटन मिल्स लि०	निजी
274.	श्री अन्नपूर्णा काटन एंड इण्डस्ट्रीज लि०	निजी

1	2	
275.	इण्डिया जुट एंड इण्डस्ट्रीज लि०	निजी
276.	श्री दुर्गा काटन स्पि० एंड वी० मिल्स लि०	निजी
277.	वि बंगोदय काटन मिल्स लि०	निजी
278.	इण्डियन रेयन एंड इण्डस्ट्रीज लि०	निजी
279.	अजुधिया टेक्सटाइल मिल्स	एन० टी० सी०
280.	बिरला टेक्सटाइल मिल्स	निजी
281.	दिल्ली क्लाथ मिल्स नं० 1,2,3,	निजी
282.	स्वतन्त्र भारत मिल्स	निजी
283.	स्वदेश काटन मिल्स क० लि०	एन० टी० सी०
284.	श्री भारती मिल्स लि०	एन० टी० सी०
285.	पाण्डिचेरी टैक्स० कारपोरेशन लि०	एन० टी० सी०

सूची-दो

पिछले एक वर्ष के दौरान बन्द पड़ी मिलों के ब्यौरे

क्र० सं०	मिल/प्रबंधक का नाम	बन्द होने की तारीख	प्रभावित कामगार
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	मै० सूर्यवंशी काटन मिल्स मेहबूबनगर (प्रा०)	6.10.91	1:09
2.	मे० यम्मीनागुर स्पि० मिल्स लि० (प्रा०)	30.11.91	804
3.	मै० प्रकोट मिल्स लि० हिन्दूपुर (प्रा०)	3.8.91	1082
4.	मै० फैनो फाइबर लि० निजामाबाद (प्रा०)	14.4.91	234
	बिहार		
5.	मै० भागलपुर को-ओप० स्पि० मिल्स पटना (सहकारी)	18.9.91	311
	गुजरात		
6.	मै० अरुणा मिल्स लि० अहमदाबाद (प्रा०)	28.11.91	3210

1	2	3	4
7.	मै० श्री अम्बिका मिल्स लि० नं० 1 अहमदाबाद (प्रा०)	20.9.91	4875
	हरियाणा		
8.	मै० मोहन स्पि० मिल्स रोहतक (प्रा०)	11.11.91	1276
9.	मै० एल्सन काटन मिल्स प्रा० लि० बल्लभगढ़ (प्रा०)	19.10.91	1038
	कर्नाटक		
10.	मै० चन्द्रा स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि० बैंगलूर (प्रा०)	4.4.91	150
	केरल		
11.	राजगोपाल टेक्सटाइल मिल्स प्रा० लि०, त्रिचुर (प्रा०)	25.8.91	615
	मध्य प्रदेश		
12.	मै० बिलासपुर स्पि० मिल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० बिलासपुर (प्रा०)	14.5.91	1226
	महाराष्ट्र		
13.	मै० यवतमाल जिला सूत व कपास किरानी लि०, यवतमाल (सहकारी)	27.3.91	1588
	तमिलनाडु		
14.	मै० सुवैया टेक्सटाइल्स, कोयम्बतूर (प्रा०)	22.4.91	45
15.	मै० शिवकुमार स्पि० मिल्स क० लि० नार्थ अरकोट (प्रा०)	22.8.91	160
16.	श्री अम्मन टेक्सटाइल्स, पोलाची (प्रा०)	1.8.91	48
17.	श्री योगलक्ष्मी मिल्स प्रा० लि०, नार्थ अरकोट (प्रा०)	1.9.01	130
18.	श्री मुआलेयन्दन स्पि० मिल्स (प्रा०) लि० सोलिंगपुर (प्रा०)	10.7.91	100
19.	मै० बिन्नी लि० मद्रास (प्रा०)	1.4.91	8771

1	2	3	4
	उत्तर प्रदेश		
20.	मै० लार्ड कृष्णा टेक्सटाइल्स मिल्स, सहारनपुर (प्रा०)	3.9.91	2424
21.	मै० रजा टेक्सटाइल लि० रामपुर (प्रा०)	21.9.91	2344
	पश्चिम बंगाल		
22.	मै० शाइन अप इंवेस्टमेंट लि० (न्यू गुजरात काटन मिल्स लि०) फूलेश्वर (प्रा०)	18.1.91	1253
23.	मै० हाडा टेक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीज 24, परगना (प्रा०)	3.10.91	1440
24.	मै० पोद्दार प्रोजेक्ट्स लि०, कलकत्ता (प्रा०)	11.9.91	1227
25.	मै० इण्डिया जूट एण्ड इण्डस्ट्रीज हुबली (प्रा०) लि०	14.7.91	1484
	कुल		28242

श्री दाऊ दयाल जोशी : एक वर्ष में जो 25 सूती धागा बनाने वाली मिल्स हैं और सूती कपड़ा बनाने वाली मिल्स हैं जिनमें 38 हजार से अधिक कामगार बेरोजगार पड़े हैं उनके लिए आप कोई प्रभावकारी कार्यवाही करेंगे जिससे इन मिलों को प्रारम्भ किया जाए। यदि कोई आपने ऐसी कार्यवाही है तो क्या इन बन्द कपड़ा मिल्स के श्रमिक संगठनों से भी बात की है ? कृपया मंत्री महोदय विस्तृत विवेचना प्रस्तुत करने का कष्ट करें ?

श्री अशोक गहलोत : जो माननीय सदस्य ने बात कही है उसका विवेचन राज्य सरकार के जो विभाग हैं वे करते हैं। बी० आई० एफ० आर० के अ प्रोसेस करना पड़ता है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मेरा निवेदन करना है कि वर्तमान में जो सूती मिल्स हैं वे बहुत पुरानी हो गई हैं और पुराने ढर्रे पर चल रही हैं। ऐसी स्थिति में आप स्वयं महसूस करते हैं कि इन मिलों के बन्द होने से एक साल में ही 38 हजार लोग बेरोजगार हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूं बेरोजगारों की संख्या लाखों में है। क्या आपने कोई ऐसी योजना बनाई है इन मिलों के आधुनिकीकरण की और इनके कलपुर्जों के नवीकरण की, यदि बन गई है तो वह योजना क्या है ? उस पर कुल कितनी धनराशि व्यय करने जा रहे हैं ? वर्ष 1992-93 में, कृपया यह स्पष्ट करें ?

श्री अशोक गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, वैसे यह चिंता जरूरी है। जो प्राइवेट मिलें बेकार हो रही हैं उसको लेकर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है और टेक्सटाइल आधुनिकीकरण योजना बनाई गई है जिसमें आधुनिकीकरण के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है। प्राइवेट सेक्टर में करीब 289 यूनिट्स को 1172.89 करोड़ रुपये मंजूर किये गये जिसमें 261 यूनिट्स को

772.59 करोड़ रुपये डिसबर्स कर दिये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत हम चाहते हैं कि मिलों का आधुनिकीकरण हो सके और वे सिक न हो पायें और बन्द न होने पायें।

श्री बाऊ बयाल जोशी : कितनी मिलों का आधुनिकीकरण करेंगे ?

श्री अशोक गहलोत : मैंने बताया है कि261 को डिसबर्स हो गया है।

[अनुवाद]

श्री अंकुशराव टोपे : महोदय, क्या सरकार चीनी मिलों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की ही भांति इन कपड़ा तथा सूती धागा मिलों को कोई प्रोत्साहन दिए जाने का इरादा रखती है ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, इस क्वेश्चन से ताल्लुक नहीं रखता है फिर भी इस दिशा में विचार किया है।

श्री हरिन पाठक : मान्यवर, बंद मिलों के कामगारों के हितों की रक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार ने टैक्सटाईल वरकर्स रिहैबलिटेशन स्कीम फण्ड योजना लागू की है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गुजरात में बंद मिलों के कामगारों के बाकी जो ड्यूज हैं, सरकार उनको इस योजना के अन्तर्गत कब तक देगी ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने को-आप्रेटिव बेसिस पर मिल चलाने के लिए अनुमति दी है, इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अगर को-आप्रेटिव बेसिस पर वरकर्स मिल चलाने के लिए आगे आएंगे तो बम्बई में जो बन्द मिलें हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करेगी या नहीं ?

श्री अशोक गहलोत : मान्यवर, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है और हम लोग उसका स्वागत करते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले कह रखा है कि जो भी वरकर्स की को-आप्रेटिव बनेगी, उसके पुराने ड्यूज माफ करेंगे।

विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाएं

*145. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा† :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और गुजरात में विश्वबैंक की सहायता प्राप्त विद्यमान और नई स्वीकृत परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं और ये किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्या धनराशि उपलब्ध न होने के कारण इनमें से कुछ परियोजनाओं का कार्य स्थगित

कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि होने का अनुमान है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजनाओं की सूची संलग्न है ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सूची

उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजनाएं

	परियोजना	स्थान
1	2	3
1.	अपर गंगा इरिगेशन मार्डनाइजेशन :	सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्द शहर तथा अलीगढ़
2.	यू० पी० पावर :	ओबरा, हरदुआगंज तथा श्रीनगर के पास
3.	सेन्ट्रल पावर ट्रांसमिशन :	राज्य भर में
4.	रिहन्द पावर ट्रांसमिशन :	—तदेव —
5.	नेशनल कैपिटल पावर सप्लाई :	—तदेव—
6.	कम्बाइंड साईकल :	औरैया
7-	स्टेट्स रोड प्रोजेक्ट :	सोनाली—गोरखपुर, गोरखपुर— बलिया, फैजाबाद—इलाहाबाद, इलाहाबाद—डोहरीघाट,
8.	नेशनल हाईवे :	वाराणसी
9.	यू० पी० अर्बन :	मुख्यत: कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, सहारनपुर, गाजियाबाद, शक्ति नगर, बेहराइच, नैनीताल, झांसी तथा मेरठ जिलों में
10.	वोकेशनल ट्रेनिंग :	—उक्त स्थानों —

1	2	3
11.	टेक्नीशियन एजूकेशन-I :	—तदेव—
12.	सिक्स्थ पापुलेशन :	—तदेव—
13.	एन० सी० डी० सी-III :	उत्तर प्रदेश : जिले विनिर्दिष्ट नहीं
14.	द्वितीय राष्ट्रीय डेयरी :	—तदेव—
15.	एन० ए० आर० पी०-II :	—तदेव—
16.	एन० एस० पी०-III :	—तदेव—
17.	सिंग एण्ड फिश कल्चर :	—तदेव—
18.	हिमालयन वाटर शेड :	—तदेव—
19.	नेशनल सोशल फारेस्टरी :	—तदेव—

गुजरात में विश्व बैंक की सहायता वाली परियोजनाएं

	परियोजना	स्थान
1	2	3
1.	गुजरात मीडियम इरिगेशन :	गुजरात मेनलैंड तथा सौराष्ट्र
2.	सरदार सरोवर डेम तथा पावर :	गुजरात में 1·9 मिलियन हेक्टेयर भूमि में
3.	सरदार सरोवर वाटर डिलीवरी एण्ड ड्रेनेज :	गुजरात राज्य
4.	काम्बे बेसिन :	गुजरात राज्य
5.	वेस्टर्न गैस डेवलपमेंट :	गुजरात राज्य
6.	गैस फ्लेरिंग रिडेक्सन :	गुजरात राज्य
7.	गुजरात अर्बन :	मुख्यत: अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर, भावनगर, आनन्द, प्लानपुर, जैतपुर, अंकिलेश्वर, पेतलाद, ऊना डिवीजन, कांधला, गांधीधाम, खादोर, भादर, ओखामंडल तथा परिज
8.	गुजरात रूरल रोड्स :	मुख्यत: अहमदाबाद, साबरकांठा, मेहसाना, बनासकांठा, राजकोट, जूनागढ़, तथा भावनगर, बड़ोदरा, भरोच, पंचमहाल, कच्छ, सुंदर नगर तथा खेड़ा जिलों में

1	2	3
9.	वोकेशनल ट्रेनिंग :	राज्य व्यापी
10.	ट्रेक्नीशियन एजूकेशन-I :	—तदेव—
11.	सेक्न्ध पापुलेशन :	—तदेव—
12.	नेशनल सीड्स :	गुजरात : जिले विनिर्दिष्ट नहीं
13.	एन० ए० ई० पी० :	—तदेव—
14.	नेशनल सोशियल फारेस्ट्री :	—तदेव—
15.	आई० डब्ल्यू० डी० पी० (प्लेंस) :	—तदेव—
16.	नेशनल हाईवे :	अहमदाबाद से बडोदरा

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ये जो परियोजनाएं हैं, इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के आज जो पावर क्राइसिस है, उसका समाधान सम्भव हो सकता है ? प्रदेश सरकार को एक लम्बे समय से इरिगेशन की कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसका समाधान हो सकता है ?

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि इन परियोजनाओं को विश्व बैंक के द्वारा कब स्वीकृति मिली और इन परियोजनाओं को हम लोग कब तक पूर्ण कर पाएंगे और इस बीच में जो प्राइस इंडेक्स बढ़ने के कारण अधिक व्यय होगा, उसका समाधान आपके माध्यम से कैसे होगा ? इसकी जानकारी सदन को दी जाए।

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, विदेश से प्राप्त सहायता से इस तरह की जो योजनाएं विभिन्न राज्यों में चल रही हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या है और वे विभिन्न क्षेत्रों में हैं जिनकी व्यवस्था राज्य सरकार स्वयं करती है। बाह्य सहायता जो मिलती है, केन्द्रीय सरकार तो उस सहायता को उनको प्रदान करती है और यह देखती है कि वह सहायता राज्य सरकार को समय पर मिल सके। जहां तक हमारी जानकारी है, विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकार को स्वयं से खर्च को करके पुन: भारत सरकार से प्राप्त करना है। इसमें से बहुत से राज्यों के पास जो रुपये हैं और जो रकम पूरे देश के लिए है, वह 79 हजार करोड़ है। यह एक बहुत बड़ी राशि है। विभिन्न राज्यों में जो उनके लिए आबंटित राशि है, उसका भुगतान नहीं ले पाते हैं तो उसका मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकार उन परियोजनाओं पर उन लागत रुपयों को लगाकर खर्च कर उसका भुगतान उनको वापिसी मिल सकता है। इसमें विलम्ब होता है। इस कारण से ही इन योजनाओं की पूर्ति में देरी होती है और स्वभावत: देरी होने उसके लागत खर्च में बढ़ोत्तरी होती है। सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है कि किस तरह से उनको अग्रिम सहायता हम दे सकते हैं जिससे कि वे महीने बाद या दो महीने बाद खर्च पूरा करके वापिसी हिसाब दें और फिर रुपया दें जिससे कि यह कार्य तत्परता-पूर्वक हो सके।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से

जानना चाहूंगा कि इसमें जिन परियोजनाओं की जानकारी दी गई है और मैंने लाइब्रेरी से शासन के द्वारा इस प्रकार के जो आंकड़े प्राप्त किए हैं, उनके अन्तर्गत यू० पी० अरबन क्षेत्र में 150 मिलियन डालर की स्वीकृति हुई और 1989 तक मात्र 12 मिलियन डालर व्यय हुए। इस प्रकार से यू० पी० पावर···

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ? आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। आप प्रश्न पूछिए।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : मान्यवर, यह प्रश्न से जुड़ा हुआ विषय है···

अध्यक्ष महोदय : नहीं ऐसा नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमा रशर्मा : 150 मिलियन डालर के अगेंस्ट 12 मिलियन डालर के व्यय का औचित्य क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा क्यों हुआ ?

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : वही तो मैं जानना चाहता हूं।

मैं पूरी जानकारी चाहता हूं क्योंकि अपर गंगा इरीगेशन मोडर्नाइजेशन हेतु 125 मिलियन डालर की स्वीकृति हुई थी, उसके अगेन्स्ट केवल 29.347 मिलियन खर्च हुआ। इसी प्रकार रिहन्द पावर ट्रांसमिशन हेतु 250 मिलियन डालर की स्वीकृति हुई और उनके अगेन्स्ट 1989 तक केवल 110 मिलियन डालर खर्च हुआ। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसा कर रही है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं। मैं जानना चहता हूं कि इसमें क्या कारण है, उनकी विस्तार में जानकारी दी जाए। आज स्थिति यह है कि प्रदेश सरकारें अभूतपूर्व पावर क्राइसेज से जूझ रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप लम्बा प्रश्न पूछेंगे तो मंत्री जी को पता नहीं चल पाएगा कि क्या उत्तर देना है, फिर मुश्किल होगी।

श्री रामेश्वर ठाकुर : यदि माननीय सदस्य किसी एक योजना का विस्तृत विवरण चाहते हैं तो उसकी सूचना दें, मैं उन्हें पूरी स्थिति से सूचित कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, छोटा प्रश्न, छोटा उत्तर, अब आप कहिये।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मल्टी-लेटरल और बाईलेटरल जो स्कीम्स हैं, उनकी कुल राशि 450 करोड़ रुपये है, जो अभी तक खर्च नहीं की गई है। यदि प्रदेश सरकार उसे खर्च करे तो उसे और राशि मिल सकती है। यदि इसका विवरण माननीय सदस्य चाहें, तो मैं उन्हें भिजवा सकता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : अध्यक्ष जी, इस प्रश्न पर सदन में पूरी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि यह पूरे राष्ट्र से जुड़ा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। श्री देवी बक्स सिंह।

पर्यटन कोचों के लिए राष्ट्रीय परमिट

[अनुवाद],

*146. श्री पीयूष तिरकी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार माल ढोने वाले वाहनों को दिए गए राष्ट्रीय परमिटों की भांति ही पर्यटन कोचों को भी राष्ट्रीय परमिट देने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना कब से लागू की जाएगी;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में शिक्षित बेरोजगार युवकों, भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा विकलांग व्यक्तियों को कोई प्राथमिकता और रियायत देने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (च) माल ढोने वाले वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिटों की भांति पर्यटन कोचों को राष्ट्रीय परमिट जारी करने की एक योजना को अन्तिम रूप देने के लिए एक प्रस्ताव परिवहन विकास समिति के समक्ष इसकी 14 जनवरी, 1992 को हुई बैठक में रखा गया था। परिषद ने सिफारिश की कि विभिन्न पहलुओं, विशेषकर पर्यटन कोचों से लिए जाने वाले शुल्क, को ध्यान में रखते हुए परिवहन सचिवों की एक समिति द्वारा एक विस्तृत योजना को अन्तिम रूप दिया जाए। तदनुसार सरकार ने यह बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

चूंकि इस योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना शेष है, इसलिए योजना के ब्यौरे दे पाना अथवा समय-सीमा बता पाना कि यह योजना कब तक चालू हो पाएगी, सम्भव नहीं है।

श्री पीयूष तिरकी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है कि परिवहन विकास परिषद द्वारा इस योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

मैं जानना चाहूंगा कि इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है ? दूसरा, वे कौन-से पहलू हैं जो कि विचाराधीन हैं ?

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में 9 मार्च को बैठक आयोजित की जा रही है। उसमें हम निम्नलिखित मुद्दों पर बहस करेंगे। हम साधारण शुल्क के साथ माल ढोने वाले वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट योजना की ही भांति अखिल भारतीय पर्यटन परमिट योजना

पर भी विचार करने जा रहे हैं। यह भी वर्ष 1991 में हुए पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के आधार पर होगा। अन्तर्राज्यीय जांच स्थलों पर प्रस्तावित राष्ट्रीय परमिट योजना के अन्तर्गत चलने वाले पर्यटन वाहनों की जांच से बचने के लिए भी ऐसा किया जाएगा। एक पृथक तथा विशेष नम्बर प्लेट प्रणाली शुरू करने की आवश्यकता पर भी विचार करना है ताकि अन्तर्राज्यीय बैरियरों से वे आसानी से गुजर सकें। यह पर्यटन कोचों के लिए राष्ट्रीय परमिट के शुल्क की मांग को भी निर्धारित करेंगे तथा पर्यटन कोचों के लिए एक अलग टोकन भी आरम्भ करेंगे जैसा कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा पारित किया जाएगा। इसके अन्तर्गत एकल कर संग्रहण प्रणाली को भी आरम्भ किया जाएगा।

श्री पयूष तिरकी : क्या सरकारी बसों के निजीकरण पर भी विचार किया जा रहा है ?

श्री जगदीश टाईटलर : इस योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। जब एक बार सिफारिश की जाती है केवल तभी मैं उत्तर देने की स्थिति में होऊंगा।

श्री मृत्युन्जय नायक : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत मंजूर किए गए राष्ट्रीय परमिटों की कुल संख्या का प्रतिशत क्या है ? तथा विशेषकर से उड़ीसा राज्य के लिए इस वर्ग के अन्तर्गत मंजूर किए गए राष्ट्रीय परमिटों की संख्या क्या है ?

श्री जगदीश टाईटलर : इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। मैं इसे सभा पटल पर प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष महोदय, मूल अवाल में प्रश्न के भाग (ब) का उत्तर नहीं दिया गया है। यह केवल प्राथमिकता अथवा छूट देने का प्रश्न नहीं है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या राष्ट्रीय परमिटों के संबंध में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था की जाएगी ?

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, इसके तरीकों आदि को अन्तिम रूप देने के लिए 9 तारीख को सचिवों की समिति की बैठक होने जा रही है। जब तक कि प्रस्ताव नहीं आ जाते, मैं प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि माननीय सदस्य की इच्छा को समिति तक पहुंचा दिया जाए।

बुनकरों को सहायता

*147. डा० असीम बाला :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बुनकरों को रियायती दरों पर आगे की सहायता करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने "जनता कपड़ा योजना" के अंतर्गत बुनकरों को रोजगार देने की भी कोई नीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विद्युतकरघों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है जिसका बुनकरों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

[हिन्दी]

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) व (घ) बेरोजगार और अल्परोजगार हथकरघा बुनकरों को निरंतर रोजगार उपलब्ध करवाने और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उचित मूल्य पर कपड़ा उपलब्ध करवाने के उद्देश्यों से सरकार ने अक्तूबर 1976 से जनता कपड़ा योजना नामक एक योजना कार्यान्वित की है। इस योजना के अंतर्गत सूती कपड़े पर 3.40 रुपये प्रति वर्ग मीटर और ऊनी जनता कपड़े पर 13.60 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सब्सिडी दी जाती है।

(ङ) जी हां।

(च) हथकरघा उद्योग में संकट की स्थिति को देखते हुए इस उद्योग को प्रोत्साहन और सहयोग देने के उद्देश्य से सरकार ने संगठनात्मक और वित्तीय हस्तक्षेप के साथ-साथ कई कार्यक्रम और योजनाएं आरंभ की हैं। सरकार द्वारा किए गये उपायों में कच्चे माल की आपूर्ति की व्यवस्था, करघों का आधुनिकीकरण, हथकरघा उत्पादों की क्वालिटी में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी और अन्य निवेश के प्रावधान के अतिरिक्त हथकरघा क्षेत्र को पावरलूम क्षेत्र की चपेट से बचाने के लिए कुछ मदों को केवल हथकरघों पर ही उत्पादन के लिए आरक्षण पर भी बल दिया है। तथापि हथकरघा आरक्षण अधिनियम और इसके अंतर्गत जारी आदेश लागू नहीं किये जा सके क्योंकि विभिन्न न्यायालयों में मुकदमेबाजी चल रही है। हथकरघा उत्पादों के विक्रय और उनको अन्य क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा दिलवाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. करघे से पूर्व व करघे से उपरांत की संसाधन सुविधायें स्थापित करने के लिए सहायता।
2. करघों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता।
3. संशोधित प्रौद्योगिकी पर बुनकरों को प्रशिक्षण देने के लिए विकेंद्रीकृत योजना
4. बुनकरों को सुधरी हुई प्रणाली में प्रशिक्षण देने के लिए "बुनकर सेवक" को प्रशिक्षण देना।
5. देश में विभिन्न बुनकर सेवा केन्द्रों के माध्यम से डिजाइन सहयोग और प्रौद्योगिकी निवेश का प्रावधान।
6. पावरलूम की तुलना में हथकरघा क्षेत्र में मूल्य ह्रास दूर करने के लिए हथकरघा क्षेत्र को विशेष वित्तीय रियायतें।

7. हथकरघा संगठनों को विपणन विकास सहायता देना ।

8. राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो में हथकरघा कपड़े की बिक्री पर विशेष छूट ।

9. राष्ट्रीय और राज्य हथकरघा अभिकरणों द्वारा विपणन कॉम्पलैक्स की स्थापना के लिए सहायता ।

10. प्रदर्शनी-सह-बिक्री के माध्यम से अद्वितीय बुनाई और डिजाइन के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संग्रह कार्यक्रम के लिए सहायता ।

[अनुवाद]

डा० असीम बाला : महोदय, कृषि के बाद, वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। इस क्षेत्र में लगभग 15 मिलियन लोग कार्य कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी के पास कोई सूचना है कि पिछले एक वर्ष से सूती धागों की कीमतों में वृद्धि के कारण लगभग आधे हथकरघा बुनकर बेरोजगार हो गए हैं। यदि ऐसा है तो उनके रोजगार के लिए सरकार की क्या वैकल्पिक परियोजनाएं अथवा नीतियां हैं ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, पिछले एक अरसे से बुनकरों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, परन्तु ऐसे कोई फिगर्स हमारे पास नहीं हैं कि कितने बुनकर काम छोड़ चुके हैं। हमारी बराबर यह कोशिश रहती है कि हम यार्न को सस्ता सप्लाई करा सकें। उसके लिए हमने पहले भी निवेदन किया है कि एक तरफ हमने एन० टी० सी० को कहा है कि यार्न का प्रोडक्शन ज्यादा करे और दूसरी तरफ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वे अपने स्तर पर एंश्योर करें कि यार्न की सप्लाई पूरी हो सके।

[अनुवाद]

डा० असीम बाला : मैं उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं क्योंकि मेरा प्रश्न वैकल्पिक रोजगार के लिए नीति के बारे में है।

सरकार हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए तथा विशेष रूप से बुनकरों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम लागू कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सूती धागे की आपूर्ति तथा तैयार माल के विपणन के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : सर, यह क्वश्चन के मुख्य आंसर में बता रखा है कि जो हमारी मार्केटिंग डवलपमेंट स्कीम है, उसके अंतर्गत हम मार्केटिंग की व्यवस्था करते हैं। अध्यक्ष जी, एक्सपो लगते हैं, एग्जीबीशन लगती हैं, उनमें सेल की व्यवस्था की हुई है, उसी ढंग से हम इनकी सेल की व्यवस्था करते हैं।

[अनुवाद]

श्री पो० सी० चाक्को : मुझे अफसोस है कि दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है। प्रश्न के भाग (क) के जवाब में, मंत्री जी ने कहा है कि रियायती मूल्यों पर धागे की आपूर्ति की कोई योजना नहीं

है। माननीय मंत्री यह जानते होंगे कि सभी राज्यों में वस्त्र उद्योग द्वारा स्थापित सूती धागा बैंक हैं। जिनका एक उद्देश्य रियायती अथवा उचित मूल्यों पर हथकरघा उद्योग को धागे की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। क्या माननीय मंत्री, सभा को यह आश्वासन देंगे कि रियायती मूल्यों पर नहीं तो उचित मूल्यों पर बुनकरों को धागे की आपूर्ति के लिए कदम उठाये जायेंगे ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कहा है वह ठीक है। पहले यह स्कीम चलती थी, उसके बाद इस स्कीम को बन्द कर दिया गया। अब भी हम कोशिश में हैं कि यार्न को सस्ता सप्लाई करने के लिए हम लगे रहें और हमने प्राइवेट मिल ओनर्स की बात की है कि वे रीजनेबल रेट पर यार्न की सप्लाई कर सकें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल यह है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम की उत्तर प्रदेश में जो मिलें हैं और जो प्रायः बन्द के समान हैं, उनमें जो कर्मचारी थे, उनको अभी तक जो भी उनका फण्ड है या और जो भी पैसा है, उसका भुगतान नहीं हुआ है, तो क्या आप मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि जब उनको भुगतान किया जाएगा, तो जितने समय का भुगतान होना है, क्या वह मय ब्याज के दिलाने की कृपा करेंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत कठिन है। वे नहीं समझते हैं कि यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। यदि आप उत्तर दे सकते हैं, तो कृपया दें।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने पूछा है वह एन० टी० सी० के बारे में है और यह सवाल बुनकरों का नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी के जवाब से बहुत परेशान हूं। एक तो उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम नहीं है कि कितने बुनकर इस समय बेरोजगार हैं। डेढ करोड़ बुनकर इस देश में हैं और उन्हें मालूम नहीं है कि उनमें से कितने बेरोजगार हैं। दूसरा उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास अभी कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे यह मामला हल हो सके। मैं मंत्री जी से दो ठोस बातें पूछना चाहता हूं—पहली यह कि जो आपकी तरफ से जनता कपड़ा बनाने के लिए राज्यों को सबसिडी जानी चाहिए,, यह सबसिडी समय पर न देने के कारण आज देश के अनेक हिस्सों में जो हथकरघे के बुनकर हैं, उनका काम खत्म हो चुका है। क्या आप वह सबसिडी पहुंचाने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे और दूसरा प्रश्न यह है—कि जहां तक बेचने का सवाल है, ये कोआपरेटिव वगैरह सब ठीक हैं, लेकिन केन्द्र सरकार और उसके तमाम दफ्तर, तमाम प्रतिष्ठान, राज्य सरकारें, उनके तमाम दफ्तर और तमाम प्रतिष्ठान और जहां स्थानिक स्वराज संस्थाएं हैं, ऐसे तमाम लोगों को बुलाकर बुनकरों के हाथ के बनाए हुए कपड़े को प्राथमिकता के आधार पर वे लोग खरीदेंगे, इस प्रकार का फैसला लेने के लिए क्या सरकार तैयार है ?

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम सबसिडी मौनीटर करके समय पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जब तक फाइनल ऐकाउंट्स नहीं आता है, तब

तक हम देने की स्थिति में नहीं होते हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि टाइम पर सबसिडी मिल सके।

दूसरा सुझाव अच्छा है। हमने इस दिशा में कार्यवाही की है और तमाम मन्त्रालयों को लिखा है कि वे हैंडलूम को प्राथमिकता दें क्योंकि मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब तक हैंडलूम का प्रोडक्शन बढ़ने के साथ खादी की तरह इसकी भावना लोगों में नहीं जुड़ेगी तब तक यह समस्या, जिसकी तरफ माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है कि करीब डेढ़ करोड़ से अधिक बुनकर हैं, मुश्किल है। आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सकते हैं कि कितने बेरोजगार हैं क्योंकि यह ऐसा काम है कि आज उनको रोजगार मिलता है और कल खुद ही वे दूसरे काम में शिफ्ट हो जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि रेल मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, हम आइन्दा हैंडलूम के कपड़े को प्राथमिकता देंगे। दूसरे मंत्रालयों में भी हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उनको भी सहमत करा पाएं।

श्री संदीपान भगवान घोरात : अध्यक्ष महोदय, अभी बताया गया कि डेढ़ करोड़ से अधिक बुनकर हैं, वे खासकर शीकर सैक्शन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। उनको जो धागा सप्लाई करना है वह धागा सप्लाई करने के लिए जो स्पिनिंग मिल्स हैं उन स्पिनिंग मिल्स को कौटन चीप रेट में नहीं मिलता है। इसकी वजह से धागे की कीमत बढ़ती है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे कौपरेटिव स्पिनिंग मिल्स देश में हैं, उनके लिए कौटन सप्लाई करने के लिए चीपर रेट पर कोई व्यवस्था क्या सरकार के मन में है या नहीं ?

श्री अशोक गहलोत : कोपरेटिव मिल्स भी है तो उनको ओपन मार्केट से खरीदना पड़ता है। उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की आर्थिक दृष्टि से अक्षम मिलों का बन्द किया जाना

[अनुवाद]

*148. श्री सुदर्शन रायचौधरी :†

श्री वसुदेव आचार्य :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम की आर्थिक दृष्टि से अक्षम मिलों को बन्द करने के संबंध में कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन श्रमिकों की मिल-वार संख्या कितनी है जिनके बेरोजगार होने की संभावना है; और

(घ) उन कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

[हिन्दी]

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

श्री सुदर्शन रायचौधरी : पिछले वर्ष त्रिपक्षीय समझौता समाप्त हो गया था। राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में कार्य सम्बन्धी एक नया मानक लागू किया गया है तथा कर्मचारी राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों की स्थिति तथा व्यवहार्यता में सुधार लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में आधुनिकीकरण के कार्यक्रम का क्या हुआ जिसके बिना उनकी मिलें पूर्णतः व्यवहार्य नहीं होंगी ? इस आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को कब तक पूरे हो जाने की संभावना है ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : मोडर्नाईजेशन प्रोग्राम, अभी एन०टी०सी० मिल्स के बारे में यह कोशिश की जा रही है कि जो बिल्कुल नान-वायबल हैं उनका क्या किया जाए। अभी जो ट्राईपारटाइट बात हुई है उनके अन्तर्गत 63 मिलों का प्रपोजल है, जो हमें कहा गया है कि आप लेबर यूनियन को सप्लाई करें। उसकी सारी इनफार्मेशन हमने सप्लाई की है । उसके ऊपर डिपैंड करेगा कि उसके बाद हम मौडर्नाजेशन में किस हद तक जा सकते हैं। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री सुदर्शन राय चौधरी : यह आधुनिकीकरण के कार्यक्रम की नियति है ? पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के मिलों के कपड़े की कीमतों के पीछे एक मुख्य कारण कच्चे माल की कमी है, मेरा अर्थ कपास से है। मुझे बताया गया है, जब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को 600 से 700 कपास की गांठों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, तो उन्हें पिछले कुछ महीनों से केवल 300 से 350 गांठे ही मिल पाई हैं। कच्चे माल की आपूर्ति के लिए, विशेषकर पश्चिम बंगाल में स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को कपास की गांठों की आपूर्ति के लिए, सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कपास की गांठों की आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गलहोत : वेस्ट बंगाल की मिलों के बारे में उन्हें तकलीफ है तो हम अलग से जानकारी प्राप्त करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको इनपुट्स समय पर सप्लाई हो, वरना जो हालात मिलों की हैं, माननीय सदस्य भी इसकी जानकारी रखते हैं कि आज एन० टी० सी० के जो हालात हैं; उनमें एक तरफ बजटरी सपोर्ट कुछ कम हुई है। वेस्ट बंगाल के अलावा कई मिलें ऐसी हैं, जैसे यू०पी० के अन्दर कानपुर की मिलें हैं, जहां कॉटन सप्लाई पूरी नहीं होती। इसलिए हमारी कोशिश है कि कैसे उनकी एक्टीविटी कुछ इस प्रकार से रीस्ट्रक्चर करें कि वह मिल चल पायें और वायबल हो सकें।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत 124 मिलों में से लगभग 40 से 41 मिलें रुग्ण हैं। यह मिलें रुग्ण थी तथा अधिकतर मिलों का सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। लेकिन उन मिलों को व्यवहार्य बनाए जाने के लिए क्या किया जाना था, उनका आधुनिकीकरण किया जाना था तथा घिसी हुई मशीनरी को बदलना था, जो कि नहीं किया गया था। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अपने पूरे निगम की पुनर्संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। यदि हां तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम की पुनर्संरचना के इस प्रस्ताव पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी हाल ही में कहा था कि इसमें हमने दो तरह से प्रपोजल किया है। एक तरफ तो एमलगमेशन ऑफ मिल्स का किया है, जिसमें करीब 35 मिल्स को, जो अनवायबल हैं; उनको 15 मिल्स में कम्बर्ट करने की बात है और इसके अलावा रीमूविंग करके हम लोग चाहते हैं कि एन० टी० सी० की नाइन सब्सिडायरीज हैं, वह एक को छोड़कर करीब-करीब सभी घाटे में चल रही हैं, उसमें हम चाहते हैं कि कैसे हम अधिक-से-अधिक सब्सिडीज को प्रोफिट में ला सकें। इस दिशा में हमारा प्रयत्न जारी है। जैसा मैंने कहा कि अभी लेबर मिनिस्ट की चेयरमैनशिप में जो ट्रीपार्टाइट बात हुई है, उसमें हमने उनको पूरा प्रपोजल दे रखा है और वह प्रपोजल इसलिए दिया है जिससे कि लेबर यूनियंस को हम लोग पूरा डाटा सप्लाई कर सकें और तीनों पक्ष मिलकर कोई फैसला कर सकें इसलिए आइसोलेशन में कुछ बात नहीं कर सकते और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही उस पर कार्रवाई हो सकेगी। (व्यवधान)

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, मन्त्री महोदय से, कि राजस्थान के ब्यावर नगर का अस्तित्व मिलों के ऊपर निर्भर है और वहां दो···

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, अभी स्पेसिफिक प्रश्न पर आयेंगे। अगर मैं डिसएलाऊ करूंगा तो फिर भी आप शिकायत करेंगे। यह नेशनल क्वश्चन है।

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। नेशनल का ही प्रश्न पूछ रहा हूं। एन०टी०सी० की जो कपड़ा मिलें हैं, वहां के मजदूरों में इस प्रकार की गलतफहमी या असन्तोष पैदा हो रहा है कि मिलों को बन्द किया जा रहा है। मैं सरकार से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने एन० टी० सी० की दो रुग्ण मिलों को वापस मिलाकर एक करने का तय किया है ? क्या मिलों को बन्द करके मजदूरों को बेरोजगार होने के लिए छोड़ दिया जायेगा ? सरकार स्पष्ट नीति की घोषणा करे, मैं स्पष्टत: जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट पहले उन्होंने उसी का जवाब दिया है, रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में।

अशोक गहलोत : ब्यावर की जो बात कर रहे हैं, ब्यावर की दोनों मिलें प्रोफिट में हैं, उनको बन्द करने का कोई सवाल नहीं है।

श्री रतिलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि गुजरात में पहले से ही मिलें बन्द पड़ी हैं और एन०टी०सी० की मिलें भी गुजरात में चल रही हैं लेकिन वह दिन प्रतिदिन रुग्ण बनती जा रही हैं तो आप आश्वासन देंगे कि गुजरात की एन० टी० सी० की जो मिलें हैं, वह मिलें चालू ही रहेंगी ?

श्री अशोक गहलोत : हमारी कोई मिल वहां बन्द नहीं है और न बन्द करने का विचार है ?

धातु एवं खनिज व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात

[अनुवाद]

*149. श्री शरत् चन्द्र पटनायक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह में धातु एवं खनिज व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम ने कुल कितना निर्यात किया;

(ख) क्या इन संगठनों के कार्य-निष्पादन की कोई समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) अप्रैल, 1991 से जनवरी, 1992 तक धातु एवं खनिज व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम ने क्रमशः 1,423.27 करोड़ रुपए और 462.85 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात किया था।

(ख) और (ग) जी हां। सामान्यतः दोनों निगमों के कार्य-निष्पादन की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

श्री शरत् चन्द्र पटनायक: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या रुपये की परिवर्तनीयता से राज्य व्यापार निगम और खनिज और धातु व्यापार निगम के कार्यकरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

श्री पी० चिदम्बरम् : रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता वास्तव में सामान्यतः व्यापार में मदद करेगी; क्योंकि अब निर्यात आय का 60 प्रतिशत बाजार की निर्धारित मुद्रा दर पर बेचा जा सकता है। पहले निर्यातक, जिसमें राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम भी शामिल हैं अपनी निर्यात आय का केवल 30 प्रतिशत एक्सिम स्क्रिप्ट के रूप में परिवर्तित रूप में प्राप्त कर रहे थे। मैं समझता हूं कि 60 प्रतिशत की वृद्धि से राज्य व्यापार निगम और खनिज और धातु व्यापार निगम जब भारतीय बाजार में अपनी निर्यात आय को परिवर्तित करेंगे तो उन्हें बेहतर परिवर्तनीयता का लाभ प्राप्त होगा।

श्री शरत चन्द्र पटनायक : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अपने समुद्र पारीय कार्यालयों के माध्यम से तीसरे देश में व्यापार करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। यदि हां तो इन कार्यों से विदेशी मुद्रा की आय में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

श्री पी० चिदम्बरम : इसके विपरीत मैंने राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के बोर्डों को तीसरे देश में निर्यात करने के लिए प्रक्रिया तय करने के लिए कहा है। इन दोनों निगमों में प्रत्येक अपने बोर्ड द्वारा निर्धारित मार्गनिदेशों के अनुसार तीसरे देश में व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित होगा।

श्री अन्वारासु इरा : जहां तक नियन्त्रण और लाइसेंस के तन्त्र को समाप्त करने के प्रावधान हैं, मैं नई औद्योगिक नीति का समर्थन करता हूं। लेकिन इसके साथ ही वाणिज्य मंत्रालय के पास निर्यात संवर्धन परिषद, निर्यात विकास परिषद, डी० जी० टी० डी० इत्यादि नौ या दस संगठन हैं। मैं समझता हूं कि इन्हें बन्द करने का निर्णय ले लिया गया है। लगभग चार या पांच हजार कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप खनिज और धातु व्यापार निगम तथा राज्य व्यापार निगम के निर्यात से सम्बन्धित ही प्रश्न ही करें। आप देरी किए बगैर सीधा प्रश्न करें।

श्री अन्वारासु इरा : क्या इसी प्रकार खनिज और धातु व्यापार निगम तथा राज्य व्यापार निगम को भी बन्द करने का निर्णय लिया गया है जिसके फलस्वरूप इन संगठनों के कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत ही सीधा और अच्छा प्रश्न किया है।

श्री अन्वारासु इरा : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि क्या ऐसे कर्मचारियों को दुबारा रोजगार देने का कोई प्रस्ताव है जो कि निर्यात संवर्धन परिषद, निर्यात निरिक्षण परिषद जैसे संगठनों में बेरोजगार हो जाएंगे।

श्री पी० चिदम्बरम : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आपने 'बन्द करने' के लिए 'नहीं' कहा है या पुनः रोजगार देने के लिए 'नहीं' कहा है।

श्री पी० चिदम्बरम : 'बन्द करने' के लिए नहीं कहा है।

श्री मुमताज अन्सारी : कोडम्भा में स्थापित अभ्रक व्यापार निगम अर्थात मिटको घाटे में चल रहा है। मैंने अभी सुना है कि 'मिटको' को खनिज और धातु व्यापार निगम में मिलाने की योजना है। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

श्री पी० चिदम्बरम : इस समय 'मिटको' खनिज और धातु व्यापार निगम की एक पूर्ण सहायक कम्पनी है। इस दर्जे को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग

*150. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक† :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है जो अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार यातायात के योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव तथा मरम्मत हेतु राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने 1987 में राष्ट्रीय राजमार्गों की एक सूची तैयार की थी जिसके एक हिस्से के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के बड़े भाग की यातायात चलाने संबंधी गुणवत्ता को आंका था। विषय तल मान (रफनस लेव्यू) का राज्यवार सारांश

परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 41.6% लम्बाई पर यातायात संबंधी सुविधा संतोषजनक नहीं थी। तथापि निधियों की उपलब्धता के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों को सामान्यतः यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत कार्य है और इस प्रणाली का स्तर बढ़ाने के लिए 1987 से और अधिक निवेश किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए वर्ष 1992-93 के बजट में 169.68 करोड़ रु० का प्रावधान शामिल किया गया है। इस प्रावधान के राज्य-वार वितरण का निर्णय, संसद द्वारा अनुदान मांगें अनुमोदित किए जाने के बाद लिया जाएगा।

परिशिष्ट

तल विषमता की संक्षिप्त रिपोर्ट (लम्बाई कि०मी० में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	*2500—3500 एम एम/कि०मी०	*3500—4500 एम एम/कि०मी०	*4500—5500 एम एम/कि०मी०	*5500—6500 एम एम/कि०मी०	*ग्रेटर स्थान 6500 एम एम/कि०मी०
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	231	609	414	875	581
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	30	—	39
3. असम	69	112	558	672	737
4. बिहार	229	590	599	186	384
5. चंडीगढ़	—	5	—	—	—
6. दिल्ली	58	—	—	—	—
7. गोवा/दमन एवं द्वीप	—	33	99	—	58
8. गुजरात	487	340	96	21	35
9. हरियाणा	114	192	219	88	21
10. हिमाचल प्रदेश	20	58	120	123	266
11. जम्मू एवं कश्मीर	220	107	110	19	45
12. कर्नाटक	184	676	542	109	482

1	2	3	4	5	6
13. केरल	53	16	574	18	26
14. मध्य प्रदेश	269	466	352	440	1085
15. महाराष्ट्र	365	569	656	341	767
16. मणिपुर	—	—	—	—	400
17. मेघालय	—	3	76	187	184
18. मिजोरम	—	—	6	238	294
19. नागालैंड	—	—	—	—	100
20. उड़ीसा	—	—	—	236	1221
21. पांडिचेरी	—	—	25	—	—
22. पंजाब	96	184	144	114	307
23. राजस्थान	609	417	362	40	1021
24. सिक्किम	—	—	—	—	60
25. तमिलनाडु	209	1394	225	—	—
26. त्रिपुरा	—	—	—	108	100
27. उत्तर प्रदेश	253	598	716	660	429
28. पश्चिम बंगाल	319	500	335	280	—
योग :	3854	7025	6250	4204	8741
योग %	12.39	22.59	20.09	13.52	28.10

टिप्पणी : 1029 कि०मी०, जो अत्युत्तम स्थिति में हैं, को उक्त विवरण में शामिल नहीं किया गया है।

*बम्प इंटेग्रेटर द्वारा किए गए मापन के अनुसार विषम-तल मान जिसे सड़क की प्रति कि०मी० लम्बाई को मिलीमीटरों में व्यक्त किया गया है।

श्री बुद्धुल बालकृष्ण वासनिक : माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 41.6 प्रतिशत भारतीय राजमार्ग मानक स्तर से नीचे हैं। लेकिन केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 98 प्रतिशत भारतीय राजमार्ग मानक स्तर से नीचे हैं और वाहन चलने लायक नहीं हैं। पहले तो इससे सड़क दुर्घटनाओं में

वृद्धि हुई है जिससे गत एक वर्ष में ही पचास हजार से अधिक लोग मारे गए। दूसरे, इसके कारण प्रति वर्ष 6000 मिलियन रुपये अतिरिक्त व्यय के रूप में तेल की खपत में वृद्धि हुई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि भारतीय राजमार्गों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य के कथन में त्रुटि करना चाहता हूं। केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा दिये गये दस्तावेजों में कहा गया है कि 38.3 प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्गों की यातायात की दृष्टि से अच्छी गुणवत्ता है; 20.1 प्रतिशत की स्थिति यातायात की दृष्टि से औसत दर्जे की है जबकि बाकी 41.6 यातायात की दृष्टि से बहुत खराब सड़कें हैं। इसलिए, माननीय सदस्य कुछ हद तक सही हैं। सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।

लेकिन जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं कहता हूं कि हमारे पास उपलब्ध धनराशि के अनुसार सड़कों का रखरखाव, मरम्मत और आधुनिकीकरण पर जो कुछ सम्भव है और जहां भी सम्भव है, किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप स्वत: ही दुर्घटनाएं तथा लोगों की अन्य कठिनाइयां कम हो जाएंगी।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : महोदय, यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्ग देश के अन्दर सड़कों का केवल दो प्रतिशत हैं फिर भी वे लगभग साठ प्रतिशत यात्रियों के काम आ रहे हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि जो भी धनराशि उपलब्ध है उससे सरकार गुणवत्ता में सुधार लाने की योजना बना रही है। इसलिए मैं माननी मंत्री से जानना चाहता हूं कि हजारों लोगों के मरने और हजारों रुपये का अतिरिक्त तेल खर्च होने को देखते हुए क्या सड़क निर्माण और उसके रखरखाव के लिए उपलब्ध धनराशि में कमी आई है और यदि हां तो पिछले पांच वर्षों में इस कमी का प्रतिशत क्या रहा है ? दूसरे, यह हम सब जानते हैं कि सड़कों के निर्माण और रखरखाव में लगी एजेंसियां काफी अधिक धनराशि का दुरुपयोग कर रही हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन-से कदम उठाना चाहती है।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में निरन्तर ही परिवहन का हिस्सा 22 प्रतिशत से कम होता हुआ 12 प्रतिशत रह गया है और इसी के अनुसार सड़कों का हिस्सा 6.7 प्रतिशत से कम होकर 2.9 प्रतिशत रह गया है। नि:संदेह राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क नेटवर्क का केवल दो प्रतिशत हैं और एक तिहाई से अधिक सड़क यातायात इन पर चलता है और इनकी स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसके लिए योजनाओं में हिस्सा भी निरन्तर कम होता हुआ 1.4 प्रतिशत से 0.71 प्रतिशत रह गया है। स्थिर मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के विकास में निवेश सातवीं योजना तक लगभग एकसा ही रहा है हालांकि मात्रा और सड़क दोनों ही दृष्टि से यातायात कई गुना बढ़ गया है। इस यातायात व्यवस्था का समय-समय पर रखरखाव बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हम उपलब्ध धनराशि से अपनी सड़कों के रखरखाव हेतु यथासम्भव सब-कुछ कर रहे हैं।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, सड़कों के रखरखाव का दायित्व राज्य सरकारों का है। हम राज्य सरकारों को धनराशि देते हैं। लेकिन हाल ही में पता चला है कि यह धनराशि उचित प्रकार से खर्च नहीं हो रही। इसलिए धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हम केन्द्रीय मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकारों के साथ और अधिक गहनतापूर्वक निगरानी कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार पटेल : महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जहां ये राष्ट्रीय राजमार्ग अत्यधिक आबादी वाले शहरों से गुजरते हैं और जहां पर ये राजमार्ग नागरिकों के जीवन के लिए बड़ा खतरा बन जाते हैं तो इन पर उप-मार्ग बनाने के बारे में कौन से मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य के कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यह प्रश्न उप-मार्ग की बजाय राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव से सम्बन्धित है। यह एक बड़ा मुद्दा है। आप मुख्य प्रश्न तक ही सीमित रहिये अन्यथा आपको उत्तर नहीं मिलेगा।

श्री श्रवण कुमार पटेल : महोदय, जबलपुर और कटनी के दो अत्यन्त महत्वपूर्ण उप-मार्ग हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप किसी उप-मार्ग के विषय में बोलना चाहते हैं तो कृपया मन्त्री महोदय को लिखें और मंत्री महोदय उसका उत्तर देंगे।

श्री श्रवण कुमार पटेल : महोदय, ठीक है। तब मैं एक सीधा प्रश्न पूछता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव में निजी क्षेत्र को शामिल करना चाहती है और यदि हां तो कितना और इस बारे में सरकार की क्या योजना है ?

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, मैं शीघ्र ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन करने के उद्देश्य से एक विधेयक ला रहा हूं जिसके तहत निजी क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग तथा एक्सप्रैस राजमार्ग दोनों के कार्यों में सम्मिलित होने की अनुमति होगी।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से पूछना चहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्गों की जो योजना सरकार ने बनाई है उसमें उत्तर प्रदेश में कितने नए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए यह सारे देश की बात है।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश भी देश में ही आता है।

अध्यक्ष महोदय : हां, मगर इसका इनफोरमेशन इनके पास नहीं रहता है।

(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं नेशनल हाईवेज की ही बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवेज के लिए उनको आफिस में इनफोरमेशन लेनी पड़ती है।

श्री राजवीर सिंह : मेरा कहना यह है कि स्टेट हाईवेज को नेशनल हाईवेज में बदलने के लिए राज्य सरकारों से कितने प्रपोजल्स आए हैं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार ने 8 साल पहले नेशनल हाईवेज पर बाईपास बनाने की घोषणा की थी···।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अनेक कारणों से इसे अनुमति नहीं दे रहा।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, महंगाई बढ़ रही है, जमीन अक्वायर नहीं की गई है, उसके कारण बहुत कष्ट हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसे प्रश्न मत पूछिए। मूल प्रश्न को देखिए, फिर प्रश्न पूछिए।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय, यदि आपके पास जानकारी है तो कृपया माननीय सदस्यों को इसे दे दें।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, यह एक भिन्न प्रश्न है मैं माननीय सदस्य से कुछ समय और चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे लिखित में भेज सकते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, माननीय मंत्री कहते हैं कि संसाधन उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से सम्बन्धित जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के किसी प्रस्ताव पर सहमत हुए है और यदि हां तो विश्व बैंक ने ऐसी कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी है जिन्हें भारत सरकार का अनुमोदन अभी भी लम्बित है।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, मैं फिलहाल इस बारे में ब्यौरा नहीं दे सकता। विश्व बैंक ने कुछ परियोजनाओं के लिए धनराशि दी है। विश्व बैंक की धनराशि सीधी केन्द्रीय खजाने में आती है। हम केन्द्रीय बजट से आवंटन प्राप्त करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री जी० देवराय नायक : महोदय, अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप मुझे अवसर नहीं दे रहे।

अध्यक्ष महोदय : यह महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन आप इस प्रकार मत कहिए। मुझे इस पर आपत्ति है। 542 सदस्य हैं। आप यह समझिए।

श्री जी० देवराय नायक : मैंने अनेक बार कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं। कृपया अब अपने स्थान पर बैठ जाइए।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा किसानों को दिए गए ऋण

*151. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीने के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और सीमांत किसानों को कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया; और

(ख) उक्त राशि का कितने प्रतिशत अब तक वसूल कर लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) मार्च, 1990, मार्च, 1991 तथा सितम्बर, 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए गए ऋणों की कुल बकाया धनराशि इस प्रकार थी :—

के अन्त की स्थिति के अनुसार	(धनराशि करोड़ रुपए)
मार्च, 1990	3115
मार्च, 1991	3288
सितम्बर, 1991	3281

जून, 1988, जून, 1989 और जून, 1990 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सीमांत कृषकों को दिए गए ऋणों की बकाया धनराशि इस प्रकार थी :

के अन्त की स्थिति के अनुसार	रकम (करोड़ रुपए)
जून, 1988	2324
जून, 1989	2015
जून, 1990	2727

सूचना प्रणाली बैंक रकमों की वसूली के बारे में समूह-वार उधार कर्ता के अनुसार बकाया की सूचना प्रदान नहीं करती। अतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा सीमांत कृषकों के लिए अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, जून, 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार मांग के प्रतिशत के रूप में कृषि-ऋणों की वसूली 59.8 थी, जबकि जून, 1990 के अन्त की स्थिति के अनुसार यह 46.8 प्रतिशत थी।

[हिन्दी]

श्री कुन्वरजी सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार ने मार्जिनल किसानों को कितना लोन स्वीकृत किया है और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 10,000 रुपए तक के जो कर्जे माफ किए थे, उससे कितने किसान लाभान्वित हुए हैं और कितना कर्जा माफ किया गया है, ये फिगर्स बताने की कृपा करें।

श्री बलवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य ने जानकारी चाही है, जहां तक मार्जिनल किसानों का सवाल है, दस्तकार छोटे किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए हमने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि प्रायरिटी सेक्टर को जितना लोन देते हैं, उसमें से 40 परसेंट लोन इस वर्ग को दिया जाना चाहिए। 1991-92 में भारत सरकार ने रूरल डेवलपमेंट विभाग को लगभग 22,51,519 परिवारों के लिए 703.6 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रावधान किया है।

जहां तक किसानों के कर्जा माफी का प्रश्न है, पिछली सरकार ने जो घोषणा की थी, उसके

अनुसार सरकार पर लगभग 8000 करोड़ रुपए का भार पड़ा है। पिछली बार भी लगभग 2500 करोड़ रुपया इस काम के लिए रखा गया था। इस तरह से बहुत बड़ा भार केन्द्र सरकार पर इसका पड़ा है, लेकिन चूंकि किसान का मामला है, इसलिए इसको कंसीडर किया गया है।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्नयह है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो छोटे कर्ज दिए जाते हैं, उनके फिगर्स बताइए और बैंकों को जो 10 परसेंट ऋण इन लोगों को देने के निर्देश दिए गए हैं, उतना ऋण वितरित किया जा रहा है या उससे कम वितरित किया जा रहा है, यह भी बताने की कृपा करें।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमेशा जब भी बजट एलोकेट होता है, उसके लिए गाइड-लाइन्स बनी हुई हैं, आई० आर० डी० पी० की योजनाएं हैं, डी० आर० डी० पी० योजना है, ब्लाक लेवल पर ये योजनाएं हैं। डी० आर० आई० योजना के अन्तर्गत जिनकी आमदनी 6500 तक है, उनको 4 परसेंट पर लोन दिया जाता है। इस योजना में जून 1991 के अन्त तक में कुल लाभार्थियों में 45.3 परसेंट अनुसूचित जाति और जनजाति के थे।

[अनुवाद]

श्री संदीपन भगवान थोरट : महोदय, नरसिमहम समिति ने कमजोर वर्गों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को वित्तीय सहायता देने के संबंध में कुछ उपाय सुझाए हैं। लेकिन सरकार ने कोई नीति संबंधी उपाय प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने नीति संबंधी उपाय तैयार किए हैं और यदि हां तो सरकार इस नीति को कब घोषित कर रही है।

श्री बलबीर सिंह : यह विचाराधीन है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित रिपोर्ट

*152 श्री अम्मा जोशी† :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सेवा नियम और पदोन्नति नीति को अन्तिम रूप देने आदि के लिए गठित किये गये कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट और समीकरण समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु प्रायोजक बैंकों के समान स्तर के अधिकारियों और दूसरे कर्मचारियों के पदों पर लागू समान वेतनमान, भत्ते और अन्य लाभ क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंकों के कर्मचारियों को मंजूर करने के सरकार के आदेश 22 फरवरी, 1991 को जारी किए गए थे। इससे सेवा विनियमों, भर्ती/पदोन्नति नीति में परिवर्तन करना और उन मुद्दों को निपटाना आवश्यक हो गया था जो प्रायोजक बैंक के वेतनमानों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को व्यवस्थित करने से पैदा हो गयी थीं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने तदनुसार निम्नलिखित विचारणीय विषयों के साथ सितम्बर, 1991 में एक कार्यबल का गठन किया :

(I) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए सेवा विनियम तैयार करना;

(II) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती और पदोन्नति नीतियां तैयार करना; और

(III) समीकरण समिति की रिपोर्ट के साथ गठित न्यायाधिकरण के पंचाट के कार्यान्वयन सम्बन्धी कोई दूसरा मामला।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि कार्य दल ने 18-2-1992 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय बैंक को प्रस्तुत कर दी है। राष्ट्रीय बैंक रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा है और रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में वह सरकार को परामर्श देगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चावल का उत्पादन और निर्यात

[हिन्दी]

*153. डा० रमेश चन्द्र तोमर :

श्री के० प्रधानी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान बासमती और गैर-बासमती चावल का कितना उत्पादन हुआ और इनको कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) किन-किन देशों को निर्यात किया गया; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान चावल के उत्पादन और निर्यात के लिए क्या लक्ष्य रखे गये हैं तथा यह निर्यात किन-किन देशों को करने का प्रस्ताव है।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान कुल 72-73 मिलियन टन चावल के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। बासमती चावल के उत्पादन के अनुमानित आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

1 अप्रैल, 1991 से 31 जनवरी, 1992 तक की अवधि के दौरान 1,80,600 मी० टन

बासमती चावल तथा 3,56,200 मी० टन गैर-बासमती चावल का निर्यात किया गया है।

(ख) चावल का निर्यात मुख्य रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, मस्कट, जोर्डन, ईरान तथा इंग्लैंड (यू० के०) आदि को किया जाता है।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान चावल के उत्पादन के लिए 78.5 मिलियन टन से 79 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि वर्ष 1992-93 के लिए चावल के निर्यात के लिए निश्चित लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है, तथापि हमारा प्रयास यह होगा कि परम्परागत अपने बाजारों में चावल के निर्यात को और बढ़ाया जाय बशर्ते कि निर्यात के लिए बेशी माल उपलब्ध रहे।

आर्थिक अपराध न्यायालय

[अनुवाद]

*154. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्रीमती हरमेन्द्र कौर (बीपा) :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आर्थिक अपराध न्यायालयों का राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) इन न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) इसके क्या कारण है;

(घ) मुकदमे बाजी के अन्तर्गत कितना राजस्व बाता है;

(ङ) क्या सरकार का ऐसे और न्यायालय खोलने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा राज्यवार क्या है; और

(छ) लम्बित मामलों के त्वरित निपटान के लिए अब्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सूचना निम्नानुसार है :—

क्र०सं०	राज्य का नाम	न्यायालयों की संख्या
1	2	3
1.	गुजरात	1
2.	महाराष्ट्र	1
3.	कर्नाटक	1
4.	मध्य प्रदेश	1

1	2	3
5.	केरल	1
6.	दिल्ली	1
7.	आंध्र प्रदेश	1
8.	राजस्थान	1
9.	उत्तर प्रदेश	2
10.	तमिलनाडु	2
11.	बिहार	1
12.	उड़ीसा	1

(ख) प्रत्यक्ष करों की बाबत सूचना निम्नानुसार है :—

क्र०सं०	राज्यों का नाम	लम्बित पड़े मामलों की सं०
1.	गुजरात	156
2.	महाराष्ट्र	15391
3.	कर्नाटक	668
4.	मध्य प्रदेश	519
5.	केरल	98
6.	दिल्ली	7737
7.	आंध्र प्रदेश	598
8.	राजस्थान	301
9.	उत्तर प्रदेश	1809
10.	तमिलनाडु	2107
11.	बिहार	255*
12.	उड़ीसा	

*बिहार और उड़ीसा राज्य के लिए आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

जहां तक अन्य सुसंगत कानूनों का सम्बन्ध है, सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) चूंकि अभियोजन अपराधिक कार्यवाही है अतः न्यायालय को विस्तृत प्रक्रिया अपनानी

पड़ती है जिसमें अधिक समय लगता है। बहुत से मामलों में अभियुक्त द्वारा बार-बार स्थगन मांगे जाते हैं। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए स्थगन आदेशों के कारण भी कार्यवाहियों में विलम्ब होता है।

(घ) कर-कानूनों के अन्तर्गत आने वाले अपराधों में अपराधिक कार्यवाहियां है जिनमें राजस्व प्रत्यक्ष रूप से अंतर्वलित नहीं है। गलत बयान देने, धोखाधड़ी, जालसाजी आदि के लिए कर कानून तथा भारतीय दण्ड संहिता में उल्लिखित विभिन्न उपबन्धों के उल्लंघन के लिए अभियोजन दायर किए जाते हैं। और यह नहीं कहा जा सकता कि मुकदमें के अन्तर्गत राजस्व की कोई विशिष्ट राशि है।

(ङ) और (च) आर्थिक अपराधियों के लिए अधिक विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के प्रश्न पर अक्तूबर, 1990 में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई अन्तर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक में जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भी भाग लिया था, विचार विमर्श किया गया था। अन्तर्राज्यीय परिषद द्वारा 33 और अधिक विशेष न्यायालयों के गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था।

क्र०सं०	राज्य का नाम	खोले जाने वाले प्रस्तावित न्यायालयों की संख्या
1.	बिहार	4
2.	गुजरात	1
3.	हरियाणा	1
4.	मध्य प्रदेश	1
5.	महाराष्ट्र	9
6.	पंजाब	2
7.	राजस्थान	1
8.	तमिलनाडु	1
9.	उत्तर प्रदेश	4
10.	दिल्ली	4
11.	पश्चिम बंगाल	5
	कुल	33

(छ) मामलों को उन सम्बद्ध न्यायालयों द्वारा ही निपटाया जाएगा जिनपर केन्द्रीय सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। फिर भी, विभागीय अधिकारियों और सरकारी काउंसेलों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे सम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कदम उठाएं।

विदेशी कंपनियों द्वारा प्रेषण-क्रम

*155. श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पूंजी निवेश से संबंधित नई नीति के अनुसार सभी विदेशी कंपनियों के लिए यह शर्त रखी गई है कि वे निर्यात से उतनी विदेशी मुद्रा अनिवार्य रूप से प्राप्त करें, जितनी वे स्वदेश भेजते हैं;

(ख) क्या सभी कंपनियों को अपने तुलन पत्रों में अर्जित की गई एवं अर्जित की गई विदेशी मुद्रा की राशि को अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विदेशी मुद्रा में स्पष्ट रूप से हानि उठाने वाली कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत विदेशी इक्विटी के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाली कंपनियों से इस समय लाभांश भुगतानों का संतुलन कुछ निश्चित अवधि में विदेशी अर्जनों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। लाभांश संतुलन की शर्त 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाली सभी मौजूदा कंपनियों के लिए भी अपेक्षित है।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के अनुसार, कम्पनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्रत्येक तुलन-पत्र के साथ अपने निदेशक मण्डल की विदेशी मुद्रा अर्जन तथा निकासी संबंधी रिपोर्ट संलग्न करें।

(ग) जब पिछले वर्ष नई औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। देश के सम्मुख आई हुई भुगतान संतुलन की कठिन स्थिति, तथा उसके परिणाम स्वरूप निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध सभी साधनों को उपयोग में लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लाभांश संतुलन की अपेक्षा आरम्भ की गई। सरकार ने यह संकेत दिया है कि जैसे ही भुगतान संतुलन की स्थिति सुधरेगी, लाभांश संतुलन की आवश्यकता की समीक्षा की जाएगी। निर्देशकों की रिपोर्ट में कम्पनियों के निर्यात-निष्पादन को प्रकाश में लाने और इस प्रकार निर्यात के महत्व पर जोर देने के लिए (ख) में उल्लिखित अपेक्षा प्रारम्भ की गई थी।

(घ) लाभों/लाभांशों का प्रत्यावर्तन, प्रतिबन्ध के बिना अनुमत्य है। परन्तु नई नीति के अधीन लाभांशों की मानीटरी भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से की जाएगी ताकि नए विदेशी निवेश अनुमोदन और विदेशी इक्विटी बढ़ावे के मामलों में निर्यात अर्जनों द्वारा संतुलन सुनिश्चित किया जा सके।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा भवन निर्माण ऋण

*156. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने आवेदकों ने भवन निर्माण ऋण हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को आवेदन पत्र दिए हैं और निगम द्वारा कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया है;

(ग) ऐसे ऋण देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(घ) वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऐसे ऋण दिए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

आवास निर्माण ऋण, जीवन बीमा निगम और उसकी सहायक कम्पनी जीवन बीमा निगम आवास वित्त लिमिटेड (एल० आई० सी० एच० एफ० एल०) द्वारा पालिसी धारकों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत और गैर-पालिसीधारकों को जीवन बीमा निगम सम्पत्ति रेहन योजना के तहत दिए जाते हैं । पिछले तीन वर्षों में आवेदकों और जिन्हें वास्तविक रूप से ऋण प्रदान किए गए, ऐसे आवेदकों की संख्या निम्नलिखित प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	उन आवेदकों की संख्या जिन्होंने ऋण के लिए आवेदन किया	उन आवेदकों की संख्या जिन्हें ऋण प्रदान किए गए
1988-89	25,059	20,622
1989-90	45,946	42,501
1990-91	58,638	52,076

आवास निर्माण ऋण प्रदान करने के आधारभूत मानदण्ड, संबंधित केन्द्र में जल-आपूर्ति, बिजली, सफाई आदि जैसी सुविधाओं की उपलब्धता आवेदक की आयु तथा वापसी अवायगी की उसकी क्षमता, सम्पत्ति का ऋण मुक्त एवं विपण्य स्वामित्व का होना और आवेदक द्वारा जीवन-पालिसी का संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में समनुदेशन हैं । जीवन बीमा निगम द्वारा ऋणों को मंजूर करने संबंधी प्रक्रियाओं की बराबर समीक्षा की जाती है ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके । इनमें से कुछ इस प्रकार हैं—ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को निर्माणाधीन फ्लैटों/मकानों की खरीद के लिए भी ऋण प्रदान करने की दृष्टि से सरल बना दिया गया है, ऋणों को स्वामित्व विलेख जमा करके साम्यिक बंधक प्रभार का सृजन करने के आधार पर मंजूर किया जा रहा है; जिस मामले में पट्टानामा सीधे किसी सरकारी निकाय द्वारा निष्पन्न किया जाता है, वहां स्वामित्व की कानूनी जांच पड़ताल खत्म कर दी गयी है तथा ऋणों की मंजूरी और संवितरण में होने वाले विलम्ब को कम करने की दृष्टि से क्षेत्र प्रबंधकों को 5 लाख रुपये तक के लिए प्रशासनिक वित्तीय अधिकार दे दिए गए हैं ।

पूर्वी तटवर्ती सड़कें

*157 डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम :

श्री के० राममूर्ति टिडिवनाम :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी तटीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस कार्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) इस कार्य के पूरा होने के लिए निर्धारित लक्ष्य तिथि क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) माननीय सदस्यों का आशय सम्भवत: तमिलनाडु में मद्रास और कन्याकुमारी के बीच तटीय सड़क से है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग न होकर एक राज्य सड़क है और इस सड़क के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तमिलनाडु में तटीय सड़क के मद्रास कुड्डालोर खण्ड के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु सरकार को 13.12 मिलियन अमरीकी डालर से अनधिक की ऋण सहायता प्रदान की है। इस स्कीम के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के बजट में वित्तीय प्रावधान रखा जाता है। राज्य सरकार द्वारा यह कार्य अप्रैल, 1991 में शुरू किया गया है और दिसम्बर, 1991 तक 6.74 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने सूचित किया है कि स्कीम पूरी होने की अनुमानित तारीख मई, 1995 है।

निगमित क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

*158. श्री के० वी० तंगकाबालू :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों को भारत में निगमित क्षेत्र में उसी प्रकार धन लगाने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिस प्रकार उन्हें अपनी धनराशि बैंकों में जमा करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारतीय कंपनियों को प्रत्यावर्तन और अप्रत्यावर्तन दोनों ही आधार पर निक्षेप स्वीकार करने की पहले ही अनुमति दी हुई है। यदि धनराशियां तीन वर्ष की अवधि के लिए जमा की जाती है, और अलग अलग स्वीकार की जाने वाली धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित की जाती है, तो अनिवासी भारतीय जमा कर्ता प्रत्यावर्तन आधार पर निक्षेप कर सकते हैं। ऐसे सभी मामलों में विदेशी मुद्रा प्रेषणाएं, विदेशी मुद्रा का कार्य करने वाले प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से अथवा जमाकर्ता के अनिवासी बाह्य/विदेशी

मुद्रा अनिवासी खातों के जरिए भेजी जानी चाहिए। यदि कम्पनी भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन करती है और राशियां विदेशी मुद्रा अनिवासी/अनिवासी बाह्य अथवा एन० आर० ओ० खातों के जरिए प्रेषित की जाती है तो अनिवासी भारतीय अप्रत्यावर्तनीय आधार पर भी राशियां जमा कर सकते हैं।

सहायता के वितरण हेतु दिशा निर्देश

*159. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक तथा एशिया विकास बैंक जैसे बाह्य एजेन्सियों से प्राप्त सहायता को विभिन्न राज्यों में वितरित करने हेतु कोई दिशा निर्देश है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी धनराशियों का प्रत्येक राज्य ने किस-किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी हां। संवितरण के रूप में प्राप्त विदेशी सहायता, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में निधि प्रवाह के विद्यमान सिद्धांतों के अन्तर्गत राज्य सरकार को दे दी जाती है। सामाजिक सेवा क्षेत्र में परियोजनाओं के मामले में और ऐसे कार्य-क्रमों के लिए जिनका गरीबी दूर करने पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो विदेशी सहायता संवितरण के शत-प्रतिशत के बराबर धनराशियां जारी की जाती हैं और अन्य मामलों में अतिरिक्तता को सहायता संवितरण के 70 प्रतिशत तक सीमित किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लेखे में जारी की गई ऐसी राशियों के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

रु० करोड़

राज्य	88-89	89-90	90-91
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	35.78	38.09	68.05
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
असम	1.10	0.06	2.65
बिहार	32.37	12.32	19.84
गोवा	—	—	—
गुजरात	62.87	135.90	172.89

1	2	3	4
हरियाणा	13.76	21.55	35.21
हिमाचल प्रदेश	8.71	5.75	21.99
जम्मू एवं कश्मीर	4.01	6.89	6.92
कर्नाटक	31.03	44.80	57.91
केरल	35.35	24.87	46.18
मध्य प्रदेश	53.32	89.39	47.81
महाराष्ट्र	81.45	103.08	139.86
मणिपुर	—	—	—
मेघालय	—	—	—
मिजोरम	—	—	—
नागालैंड	—	—	—
उड़ीसा	62.07	58.13	46.96
पंजाब	3.13	—	4.00
राजस्थान	28.13	9.35	12.44
सिक्किम	—	—	—
तमिलनाडु	52.04	95.49	142.61
त्रिपुरा	—	4.06	—
उत्तर प्रदेश	76.55	239.79	292.69
पश्चिम बंगाल	27.24	49.15	41.10

विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नाम भेजा जाना

*160. श्री जे० चोक्का राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे कार्मिकों के नाम विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजे जाने हेतु द्विपक्षीय व्यवस्थाओं सहित राष्ट्रमण्डल विकास कार्यक्रमों तथा कोलम्बो योजना के अन्तर्गत योजनाओं/कार्यक्रमों की संख्या क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से कितने-कितने व्यक्तियों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रायोजित किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) कामन वेल्थ विकास कार्यक्रम नामक कोई कार्यक्रम नहीं है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के विकासशील देशों में उनके अपने सहकारी प्रयत्नों और अन्य सदस्य देशों की सहायता से आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित मामलों में कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत सामान्य और विशेषज्ञता प्राप्त प्रशिक्षण दोनों ही के संदर्भ हैं। कोलम्बो योजना सदस्य देशों के बीच तकनीकी सहायता पर विचारों और सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक उपयोगी मंच भी है। भारत कोलम्बो योजना कार्यकलापों में इसके आरम्भ से ही सक्रिय भाग लेता आ रहा है और इसे विशेष रूप से यू० के० से तथा कुछ कोलम्बो योजना देशों से सहायता प्राप्त हुई है। भारत भी कई विकासशील सदस्य देशों को सहायता उपलब्ध कराता है। सभी कोलम्बो योजना सहायता द्विपक्षीय है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बचत की प्रवृत्ति

*161. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री हरिन पाठक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बचत करने की प्रवृत्ति घटती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1991-92 की तिमाहियों के दौरान गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष की उसी अवधि की तुलना में बचत में कितनी कमी आई;

(घ) इस प्रवृत्ति को बदलने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) अब तक इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) बचतों की दर में कोई नकारात्मक प्रवृत्तियां नहीं हैं। चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल घरेलू बचतों का अनुपात छठी आयोजना अवधि (1980-85) के दौरान 19.7 प्रतिशत की तुलना में सातवीं आयोजना अवधि (1985-90) के दौरान 20.5 प्रतिशत था। 1990-91 में, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के तुरन्त अनुमान सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल घरेलू बचतों के अनुपात में 1989-90 में 22.3 प्रतिशत की अपेक्षा 21.9 प्रतिशत पर मामूली गिरावट सूचित करते हैं।

वर्ष 1991-92 के सकल घरेलू बचतों के वास्तविक अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा बचतों के तिमाही अनुमान तैयार नहीं किए जाते हैं।

वस्त्रों का निर्यात

*162. श्री आर्थर फर्नान्डीज :

प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1991 से जनवरी, 1992 तक की अवधि के दौरान गत तीन वर्षों में वर्ष-वार इसी अवधि की तुलना में वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो संगठित और असंगठित क्षेत्रों का तत्संबंधी पृथक्-पृथक् ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन देशों को, जिनके लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं है, वस्त्रों विशेषकर हथकरघा वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई नई योजना शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत करघा निर्यातक पात्रता प्रणाली भी शुरू कर रही है;

(ङ) क्या सरकार का वर्ष 1992-93 के लिए दीर्घकालिक वस्त्र निर्यात पात्रता वितरण नीति में संशोधन करने का भी विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) इससे वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने में कितनी सहायता मिलेगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सितम्बर, 1991-जनवरी, 1992 के दौरान तथा पिछले तीन वर्षों की इसी अवधि के दौरान सूती वस्त्रों के निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपये में)

अवधि	संगठित क्षेत्र	गैर-संगठित क्षेत्र*	कुल
सितंबर, 91-जनवरी, 92	917.29	885.59	1802.88
सितंबर, 90-जनवरी, 91	622.53	492.30	1114.83
सितंबर, 89-जनवरी, 90	438.71	385.24	823.95
सितंबर, 88-जनवरी, 89	301.21	287.06	588.27

(*इसमें विद्युतकरघा तथा हथकरघा वस्त्र निर्यात)

(ग) जी, हां, वस्त्रों की गैर-कोटा निर्यात हकदारी (एन० क्यू० ई०) पद्धति के अंतर्गत वर्ष 1992 और 1993 के लिए गैर-कोटा हथकरघा निर्यात के लिए 3% का वार्षिक कोटा आरक्षित किया गया है।

(घ) जी हां, वर्ष 1992 और 1993 के लिए विद्युतकरघा निर्यात हकदारी पद्धति के अंतर्गत 3% का वार्षिक कोटा आरक्षित किया गया है।

(ङ) इस समय वर्ष 1992, 1993 के लिए नीति में कोई और प्रमुख संशोधन करने पर विचार नहीं किया जा रहा।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी

[हिन्दी]

1633. श्री बारे लाल जाटव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला अफीम और अन्य नशीले पदार्थों की खेती और उत्पादन का बड़ा केन्द्र है; और

(ख) यदि हां, तो मंदसौर में नशीले पदार्थों का उत्पादन और उनकी तस्करी रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) मंदसौर मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है जहां लाइसेंस के अन्तर्गत अफीम के उत्पादन के लिए अफीम डोडी की खेती की जा सकती है। संबंधित प्रवर्तन एजेंसियां वैध अफीम की अवैध अफीम के सम्भावित अपवर्तन के प्रति सतर्क रहती हैं तथा कानून एवं नियमों में ऐसे अपवर्तन के प्रति कतिपय सुरक्षा उपाय हैं।

स्वर्णाभूषणों का निर्यात

[अनुवाद]

1634. श्री जे० चोक्का राव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय स्वर्णाभूषणों का निर्यात किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के आभूषणों का तथा वर्ष 1990-91 और 1991-92 में अब तक कितने मूल्य के आभूषणों का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां। अभी स्वर्ण आभूषणों। सादे तथा जड़ाऊ दोनों का निर्यात किया जाता है।

(ख) रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी० जे० ई० पी० सी०) की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण-आभूषणों (सादे तथा जड़ाऊ दोनों) के निर्यात निम्नानुसार हैं :—

(करोड़ रु० में)

मद	1990-91	1991-92 (अप्रैल-जनवरी) 92 (अनन्तिम)
स्वर्ण आभूषण (सादे तथा जड़ाऊ)	363.53	508.66

करों की वसूली

[हिन्दी]

1635. श्री ललित उरांव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान अब तक प्रत्येक वर्ष में आयकर, सम्पत्ति कर और उपहार कर की राज्य-वार कितनी वसूली हुई; और

(ख) प्रत्येक राज्य में प्रत्येक श्रेणी के पांच शीर्षस्थ कर दाताओं के नाम क्या हैं और उपरोक्त तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इनमें से प्रत्येक करदाता द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 1989-90 तथा 1990-91 के वर्षों के दौरान आयकर (निगम-कर सहित) धनकर तथा दानकर की राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार वसूली विषयक विवरण-पत्र संलग्न हैं। इस सूचना को वर्ष 1991-92 के लिए अभी तक संकलित नहीं किया गया है।

(ख) आयकर, धनकर तथा दानकर के राज्य-वार शीर्ष कर-दाताओं के बारे में तथा उनके द्वारा अदा की गई कर की राशि के बारे में सूचना इस मंत्रालय द्वारा संकलित नहीं की जाती है। इस सूचना को समूचे देश के कर-निर्धारण अधिकारियों से एकत्र किया जाना होगा। इस प्रकार की सूचना को एकत्र करने के तथा उसे संकलित करने के मामले में पर्याप्त समय लगेगा और प्रयास करने पड़ेंगे, जो प्राप्तव्य उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होंगे।

विवरण-I

1989-90 तथा 1990-91 के वित्त वर्षों के दौरान आयकर (निगम कर सहित) की राज्यवार वसूली।

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य	1989-90	1990-91
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	294	342
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2
3.	असम	73	78
4.	बिहार	133	155
5.	गोवा	31	39
6.	गुजरात	518*	469

1	2	3	4
7.	हरियाणा	83	101
8.	हिमाचल प्रदेश	20	18
9.	जम्मू तथा कश्मीर	20	40
10.	कर्नाटक	352	352
11.	केरल	168	216
12.	मध्य प्रदेश	174	188
13	महाराष्ट्र	3304	3773
14.	मणिपुर	6	6
15.	मेघालय	6	7
16.	मिजोरम	0.03	0.02
17.	नागालैंड	5	5
18.	उड़ीसा	66	85
19.	पंजाब	208	235
20.	राजस्थान	124	158*
21.	सिक्किम	0.02	0.17
22.	तमिलनाडु	624	707
23.	त्रिपुरा	4	4
24.	उत्तर प्रदेश	796	465
25.	पश्चिम बंगाल	812	949
	संघ-शासित क्षेत्र		
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2	2
2.	चंडीगढ़	39	41
3.	दमन दीव	—	1
4.	दादरा तथा नागर हवेली	—	0.19
5.	नई दिल्ली	1113	1389
6	पांडिचेरी	5	7
7.	लक्षद्वीप	—	—

* इन आंकड़ों में दादरा तथा नागर हवेली और दमन तथा दीव के आंकड़े भी शामिल हैं।

विवरण-II

1989-90 तथा 1990-91 के वित्त वर्षों के दौरान धनकर तथा दानकर की राज्य-वार वसूली।

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य	धनकर		दानकर	
		1989-90	1990-91	1989-90	1990-91
1	2	2	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	539.35	657.75	60.40	55.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
3.	असम	112.58	141.96	8.87	6.77
4.	बिहार	89.82	143.00	8.89	6.33
5.	गोवा	104.37	187.61	4.64	3.48
6.	गुजरात	1585.02*	1677.85	66.23*	41.65
7.	हरियाणा	143.35	174.50	4.97	2.40
8.	हिमाचल प्रदेश	21.14	30.21	0.63	1.55
9.	जम्मू तथा कश्मीर	0.63	0.31	—	—
10.	कर्नाटक	995.89	1132.63	39.71	53.95
11.	केरल	329.27	403.44	45.27	20.55
12.	मध्य प्रदेश	300.83	418.08	15.68	16.01
13.	महाराष्ट्र	7056.19	9013.51	233.23(*)	160.28
14.	मणिपुर	3.75	3.56	0.40	0.29
15.	मेघालय	17.09	19.37	0.28	0.91
16.	मिजोरम	—	—	—	—
17.	नागालैण्ड	2.75	2.37	0.68	0.43
18.	उड़ीसा	32.69	35.10	2.04	1.58
19.	पंजाब	593.62	759.23	18.95	12.51
20.	राजस्थान	224.62	346.05	15.37	15.14

1	2	3	4	5	6
21.	सिक्किम	—	—	—	0.01
22.	तमिलनाडु	1802.87	2543.53	110.23	76.93
23.	त्रिपुरा	1.18	22.88	0.56	0.56
24.	उत्तर प्रदेश	667.64	871.44	27.01	18.56
25.	पश्चिम बंगाल	1252.24	1590.30	79.70	123.86
	संघ शासित क्षेत्र				
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	0.54	0.85	—	0.12
2.	चंडीगढ़	78.92	79.44	2.08	1.25
3.	दमन दीव	—	1.27	—	—
4.	दादरा तथा नागर हवेली	—	0.15	—	—
5.	नई दिल्ली	1883.73	2848.28	59.35	35.68
6.	पांडिचेरी	10.73	12.56	1.25	2.46
7.	लक्षद्वीप	—	—	—	—

* इन आंकड़ों में दमन तथा दीव और दादरा तथा नागर-हवेली के आंकड़े भी शामिल हैं।

अफगानिस्तान को भारतीय सामान का निर्यात

[अनुवाद]

1636. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफगानिस्तान को भारतीय सामान का निर्यात किस मार्ग से किया जाता है;

(ख) क्या भूतपूर्व सोवियत संघ में हाल में हुए परिवर्तनों के कारण अफगानिस्तान के लिए उक्त सप्लाई मार्ग प्रभावित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में अफगानिस्तान के साथ अपना निर्यात सम्पर्क बनाए रखने के लिए किस प्रकार बात करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) अफगानिस्तान को भारतीय सामान का निर्यात निम्नलिखित मार्गों से किया जाता है :—

(I) हवाई जहाज द्वारा : दिल्ली-काबुल तथा अमृतसर-काबुल।

(II) पाकिस्तान में कराची पत्तन से होकर।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मसाला बोर्ड को स्वीकृत धनराशि

1637. श्री पी० सी० थामस :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 वर्ष में काली मिर्च की खेती को सुरक्षा प्रदान करने एवं उसे विकसित करने हेतु मसाला बोर्ड को स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वह धनराशि बोर्ड के कार्यकलापों को पूरा करने के लिए पर्याप्त और काली मिर्च के निर्यात से प्राप्त आमदनी के अनुपात के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) इलायची को छोड़कर और अन्य सभी मसालों के उत्पादन में बढ़ोतरी करने का उत्तरदायित्व कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों का है और मसाला बोर्ड की केवल एक अनुपूरक भूमिका होती है। वर्ष 1991-92 के दौरान काली मिर्च की खेती के विकास के लिए मसाला बोर्ड ने निम्नलिखित योजनाओं को मंजूरी दी थी—

(I) रोपण सामग्री का उत्पादन—	12.75 लाख रुपया
(II) सूखा/प्रभावी क्षेत्रों में पौध संरक्षण कार्य करने के लिए काली मिर्च के उपजकर्ताओं को 400 रुपये स्प्रेयर्स की आपूर्ति	8.40 लाख रुपया

भारतीय निर्यात के बारे में अनिश्चितता

1638. श्री परशराम भारद्वाज :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के विघटन और पूर्वी यूरोप में समाजवाद समाप्त होने से भारत के निर्यात के करीब पांचवें भाग के बारे में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन घटनाओं से प्रभावित भारतीय व्यापारियों के हितों की रक्षा हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) पूर्वी यूरोप तथा पूर्ववर्ती सोवियत संघ में हुए राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों से भारत के निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस दृष्टि से सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय कर रही है कि इन देशों के साथ हमारे व्यापार को नया आयाम मिले। इन उपायों में (क) वाणिज्यिक उच्च स्तर पर सीधे सम्पर्क को बढ़ावा देना (ख) स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रसंघ के नए गणराज्यों के साथ सीधे सम्पर्क स्थापित करना और (ग) संयुक्त उद्यमों जैसे आर्थिक सहयोग के नए रूपों पर बल देना आदि शामिल है।

उजबेकिस्तान तथा कजाकिस्तान के साथ व्यापार करारों को पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है। रूस संघ के साथ एक व्यापार करार भी आशाक्षरित हो चुका है और इस पर निकट भविष्य में हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। वर्ष 1992 के लिए रूस संघ तथा उजबेकिस्तान के साथ व्यापार संलेखों को भी अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

बिहार में सरकारी क्षेत्र को वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण वितरण

1639. श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 और 1991-92 (31 दिसम्बर, 1991 तक) के दौरान बिहार में सरकारी क्षेत्र को वित्तीय संस्थानों द्वारा संस्था-वार कितनी धनराशि के ऋण मंजूर तथा वितरित किए गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान तथा 31 दिसम्बर, 1991 तक बिहार में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत एवं संवितरित ऋण राशियां नीचे दी गई हैं :—

(करोड़ रुपए में)

संस्थान	1990-91 (अप्रैल से मार्च)		अप्रैल से दिसम्बर 1991	
	मंजूरियां	संवितरण	मंजूरियां	संवितरण
आई०डी०बी०आई०	56.2	42.8	98.4	51.3
आई०एफ०सी०आई०	23.1	5.4	4.0	8.7
आई०सी०आई०सी०आई०	69.3	9.1	12.7	23.2
एस०आई०डी०बी०आई०	44.4	43.5	27.4	22.9
आई०आर०बी०आई०	1.7	5.7	2.4	5.2
एल०आई०सी०	0.8	5.5	57.1	24.5
यू०टी०आई०	1.9	2.7	21.9	2.3
जी०आई०सी०	—	0.9	21.5	2.7
टी०एफ०सी०आई०	11.7	0.3	—	—
जोड़	199.1	115.9	245.4	140.8

रुपये का मूल्य

1640. श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1971 को आधार वर्ष मानकर रुपये का मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : 1971 को आधार वर्ष मानते हुए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी० पी० आई०) के व्युत्क्रम में मापित दिसम्बर, 1991 में एक रुपये का मूल्य (नवीनतम उपलब्ध) 17 पैसे था।

"एस०बी०आई० फैक्टर्स एण्ड कामर्शियल सर्विसेज लिमिटेड" का कार्यकरण

1842. श्री राम नाईक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में "एस०बी०आई० फैक्टर्स एण्ड कामर्शियल सर्विसेज लिमिटेड" कार्य का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि इस समय एस०बी० आई० फैक्टर्स एण्ड कमर्शियल सर्विसेज प्रा० लि० के कार्य को सारे देश में फैलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) दक्षता और प्रचालन में मितव्यता को सुनिश्चित करने के लिए एस० बी० आई० फैक्टर्स एण्ड कमर्शियल सर्विसेज प्रा० लि० ने फिलहाल पश्चिमी क्षेत्र में कार्य करने का प्रस्ताव किया है।

महाराष्ट्र में हथकरघा बुनकरों की समस्याओं के बारे में सर्वेक्षण

1643. श्री बापूहरि चौरे :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र में हथकरघा बुनकरों की समस्याओं के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य में मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में हथकरघा बुनकर जिनमें महाराष्ट्र के बुनकर भी शामिल हैं की प्रमुख समस्या सूत के बढ़ते हुए मूल्य हैं। सरकार मूल्य स्थिति की निरंतर समीक्षा कर रही है और इसके लिए कई उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं। राज्य क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों को निदेश दिए गए हैं कि सूत के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए संगीन काऊंट के धागे के उत्पादन में वृद्धि करें। राष्ट्री वस्त्र निगम से कहा गया है कि वे अपनी उत्पादन योजना में इस प्रकार समायोजन करें जिससे 40 और उससे कम काऊंट के धागे का अधिक उत्पादन हो क्योंकि ऐसे काऊंट के धागे बढ़ते हुए मूल्यों ने हथकरघा क्षेत्र को अधिक प्रभावित किया है। राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि सहकारी/राज्य क्षेत्र की मिलों के सूत के उत्पादन की देख-रेख करें और हैंक यार्न की आपूर्ति, इसके मूल्यों और वितरण के संबंध में नियमित रूप से राज्य स्तर पर समीक्षा की जाए। मुख्य मंत्रियों से यह भी कहा गया है कि वे जिला अधिकारियों को बलपूर्वक कहें कि वे अपने-अपने जिलों में नियमित रूप से सूत वितरक के स्टॉक और विक्रय मूल्यों का निरीक्षण करें ताकि सूत की जमाखोरी को रोका जा सके।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम में प्रबंधकों की पदोन्नति

1644. डा० पी० वहलल पेडमान :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा प्रबंधकों की पदोन्नति के लिए 40 प्वाइंट रोस्टर बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकारी उद्यम ब्यूरो से भी कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) एम० एम० टी० सी० में वरिष्ठ स्तरों पर प्रबंधकों की पदोन्नति में आरक्षण आदेश तथा 40% रोस्टर व्यवस्था लागू नहीं होती है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चाय का निर्यात

1645. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991-92 के दौरान चाय के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने चाय के निर्यात में वृद्धि करने हेतु कुछ नए उपाय अपनाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन नए उपायों को कब तक कार्यान्वित किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) उपलब्ध अनन्तिम सूचना के अनुसार अप्रैल, 1991 से जनवरी, 1992 के बीच निर्यात की गई चाय की मात्रा में अप्रैल, 1990 से जनवरी, 1991 की अवधि की तुलना में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ग) और (घ) हमारी चाय के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु, बाजार में अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए ब्रिटेन में दार्जिलिंग और असम चाय लोगों अभियान की शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के विकास हेतु व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों को भी विभिन्न देशों में जाने की अनुमति दी गई है। चाय बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इनमें से कई प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद शुल्क वापसी, टी बेगिंग मशीनों पर आयात शुल्क में कमी, निर्यात लाभ को आयकर से मुक्त रखना इत्यादि वित्तीय प्रोत्साहन पहले से ही उपलब्ध हैं।

वीडियोकोन गेम्स का निर्यात

1646. श्री गुरुदास कामत :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूस को वीडियोकोन गेम्स का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या है; और

(ग) उन वीडियो गेम्स के निर्यात का मूल्य क्या है जिनके लिए समझौता किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) संघ और भारत के बीच 1992 में जिस व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उसके अनुसार सरकार का रूस संघ को वीडियो गेम्स निर्यात करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

काकानाड में भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड एकक

1647. श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के काकानाड में नौसेना भौतिक महासागरीय प्रयोगशाला हेतु आधुनिक उपकरण के उत्पादन के लिए भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड का कोई संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का पानी के भीतर ट्रांसड्यूसरों के अंशशोधन तथा अनुरक्षण के लिए नौसेना भौतिकी समुद्रविज्ञान प्रयोगशाला कोचीन में सर्विस केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

आन्ध्र प्रदेश में रक्षा कार्यों के लिए भूमि

1648. श्री धर्मलिंगम :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में रक्षा कारखानों की स्थापना के लिए जिलेवार बस्ती वाली और कृषि वाली भूमि के अधिग्रहण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विस्थापित व्यक्तियों को वैकल्पिक भूमि और रोजगार उपलब्ध कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण "क" में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, इसलिए कम्पनियां विस्थापित व्यक्तियों को कोई भूमि उपलब्ध नहीं करवातीं। तथापि, पात्र व्यक्तियों के लिए रिक्तियों के आधार पर रोजगार की व्यवस्था की जाती है जैसा कि संलग्न विवरण "ख" में दिया गया है।

विवरणी—"क"

1. आर्डनेंस फैक्टरी परियोजना मेडक के लिए 2890 एकड़ 17 गुन्टा कृषि भूमि मेडक जिले में अधिग्रहित की गई है। आर्डनेंस फैक्टरी परियोजना मेडक के लिए 130 एकड़ 12 गुन्टा कृषि भूमि रंगा रेड्डी जिले में अधिग्रहीत की गई।

2. वर्ष 1975, 1978 व 1982 में मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने आन्ध्र प्रदेश सरकार के माध्यम से रंगा रेड्डी जिले (पूर्व हैदराबाद जिला) में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत निजी भूमि का अधिग्रहण किया।

3 हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड हैदराबाद के लिए रंगा रेड्डी जिले में बालानगर और फिरोज गुडा गांवों में कुल 314 एकड़ और 7 गुंटा भूमि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी जिसमें कि 5 एकड़ और 4 गुन्टा कृषि योग्य भूमि है और शेष शुष्क एवं कृषि अयोग्य भूमि नहीं है।

4. आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की कंचनबाग यूनिट के लिए लगभग 346 एकड़ भूमि दी गई थी। आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड की भानूर शाखा को स्थापित करने के लिए लगभग 1000 एकड़ भूमि मेडक जिले में अधिग्रहित की गई थी।

विवरणी—"ख"

1. मेडक जिले में भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित 375 लोगों को तथा रंगा रेड्डी जिले में विस्थापित 31 लोगों को आयुध निर्माणी परियोजना मेडक में नौकरी दी जा चुकी है।

2. मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने एक व्यक्ति की भूमि अधिग्रहित की थी, उसे नौकरी दी है।

3 हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड की हैदराबाद शाखा में विस्थापित 3 व्यक्तियों को नौकरी दी गई जिन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया था।

4. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा विस्थापित 61 व्यक्तियों को नौकरी दी जा चुकी है और अन्य 21 को दिसम्बर, 1992 तक नौकरी दी जाएगी।

हिमाचल में स्कूलों में एन० सी० सी०

1649. प्रो० प्रेम कुमार :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कितने उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में फिलहाल एन० सी० सी० का प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश में कुछ स्कूलों में एन० सी० सी० डिवीजन शुरू करने हेतु निवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन प्रस्तावित स्कूलों का ब्यौरा क्या है जिनमें सरकार 1992-93 के दौरान एन० सी० सी० प्रशिक्षण शुरू करना चाहती है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) हिमाचल प्रदेश में 195 उच्च/सीनियर विद्यालय हैं, जो इस समय राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रशिक्षण दे रहे हैं।

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर ग्रुप मुख्यालय, शिमला को 26 और ऐसे स्कूलों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनसे राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण की व्यवस्था किए जाने के लिए कहा गया है।

(ग) हिमाचल प्रदेश के कुछ और स्कूलों में भी एन० सी० सी० प्रशिक्षण की व्यवस्था किए जाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

भूतपूर्व सोवियत संघ के गणतंत्र के साथ व्यापारिक समझौते

1650. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को रूस से किए गए निर्यात का मूल्यांकन डालर में करने का प्रस्ताव है तथा इसके लिए भारत द्वारा भुगतान का परिकलन अमरीकी डालर की वर्तमान दर पर रुपये में किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भूतपूर्व सोवियत संघ के गणतन्त्रों के साथ अब तक किए गए व्यापारिक समझौतों/संलेखों का ब्यौरा क्या है तथा आयात-निर्यात की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के मूल्य और मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) भूतपूर्व सोवियत संघ के गणतन्त्रों और भारत के बीच कितना व्यापार होने की सम्भावना है तथा आयात-निर्यात के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन गणतन्त्रों के साथ समझौतों का डालर क्षेत्र को किया गया निर्यात मानने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) वर्ष 1992 के लिए भारत-रूस व्यापार संलेख के अनुसार माल के निर्यात और आयात संबंधी संविदाएं अन्तर्राष्ट्रीय रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में सम्पन्न की जाएंगी। जो सौदे इस संलेख के क्षेत्र में आते हैं, उनके लिए भुगतान उस विनिमय दर पर भारतीय रुपयों में किया जाएगा जो भारतीय रिजर्व बैंक की नीति के अनुसार निर्दिष्ट मुद्रा एवं भारतीय रुपये के बीच भारत में प्रचलित है।

(ग) और (घ) भारत ने उजबेकिस्तान और कजाकिस्तान गणराज्यों के साथ व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस परिसंघ के साथ एक व्यापार करार पर निकट भविष्य में हस्ताक्षर किये जाने की सम्भावना है। उजबेकिस्तान गणराज्य और रूस परिसंघ के साथ 1992 के लिए व्यापार संलेखों पर भी हस्ताक्षर किये गये हैं, जिनका लक्ष्य क्रमश: 75 मिलियन तथा 2,200 मिलियन अमरीकी डालर का कारोबार करना है। इन गणराज्यों को विभिन्न मदें निर्यात किये जाने का विचार है जिनमें ये शामिल हैं—चाय, सोयाबीन, सिस्सारण, औषधियां, शू-अपर्स, मसाले, रंग-रोगन आदि। आयात की मदों में ये शामिल हैं—कच्चा तेल, अखबारी कागज, उर्वरक, दवाई, अलौह धातुएं आदि।

(ङ) और (च) रूस परिसंघ के साथ 1992 के लिए सम्पन्न व्यापार संलेख के अनुसार इस संलेख क्षेत्र के भीतर आने वाले सौदे संतुलित आधार पर किए जाएंगे जिनका भुगतान भारतीय रुपयों में होगा। तथापि, इस संलेख में परस्पर व्यापार, वस्तु-विनिमय, प्रतिक्रय कार्य का भी प्रावधान है और भुगतान की व्यवस्था मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में अथवा व्यापार सहयोग की अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त किसी अन्य विधि से की जाएगी। उजबेकिस्तान के मामले में व्यापारिक माल का संचालन भारतीय रुपये में भुगतान के आधार पर किया जा सकेगा। इसमें वस्तु-विनिमय और प्रति व्यापार की भी व्यवस्था है।

स्टाक एक्सचेंजों का खोला जाना

[हिन्दी]

1651. श्री गोविंदराव निकाम :

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार कितने स्टाक एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या अनेक संगठनों ने सरकार से देश में नये स्टाक एक्सचेंज खोलने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां सरकार का स्टाक एक्सचेंज खोलने का विचार है; और

(ङ) इनकी स्थापना कब तक हो जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों की सूची विवरण-I पर दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। मंत्रालय में नए स्टाक एक्सचेंजों की स्थापना के लिए अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। स्थानों के नाम विवरण-I में दिये गये हैं।

(घ) और (ङ) फेरवानी अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर नवीन बम्बई, ग्वालियर, चण्डीगढ़, शिमला और नागपुर में नये स्टाक एक्सचेंजों की स्थापना का सिद्धांत रूप से अनुमोदन करने के लिए निर्णय लिया गया है। स्टाक एक्सचेंजों की स्थापना का मुख्य दायित्व प्रवर्तक समूह का है।

विवरण-I

मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों की राज्यवार सूची

राज्य का नाम	स्टाक एक्सचेंजों का नाम
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद स्टाक एक्सचेंज लि०, हैदराबाद
असम	गुवाहाटी स्टाक एक्सचेंज लि०, गुवाहाटी
बिहार	मगध स्टाक एक्सचेंज संघ लि०, पटना
दिल्ली	दिल्ली स्टाक एक्सचेंज संघ लि०, नई दिल्ली
गुजरात	अहमदाबाद स्टाक एक्सचेंज, अहमदाबाद, सौराष्ट्र कच्छ स्टाक एक्सचेंज लि०, राजकोट, बड़ोदरा स्टाक एक्सचेंज लि०, बड़ोदा
कर्नाटक	बंगलौर स्टाक एक्सचेंज लि०, बंगलौर, मंगलौर स्टाक एक्सचेंज लि०, मंगलौर
केरल	कोचीन स्टाक एक्सचेंज लि०, कोचीन
मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश स्टाक एक्सचेंज, इंदौर
महाराष्ट्र	बम्बई स्टाक एक्सचेंज, बम्बई, पुणे स्टाक एक्सचेंज लि०, पुणे ओवर दी काउन्टर एक्सचेंज आफ इंडिया, बम्बई
उड़ीसा	भुवनेश्वर स्टाक एक्सचेंज संघ लि०, भुवनेश्वर
पंजाब	लुधियाना स्टाक एक्सचेंज सं० लि०, लुधियाना
राजस्थान	जयपुर स्टाक एक्सचेंज लि०, जयपुर
तमिलनाडु	मद्रास स्टाक एक्सचेंज लि०, मद्रास कोयम्बटूर स्टाक एक्सचेंज लि०, कोयम्बटूर
उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश स्टाक एक्सचेंज संघ लि०, कानपुर, मेरठ स्टाक एक्सचेंज लि०, मेरठ
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि०, कलकत्ता

विवरण-II

उन स्थानों के नाम जिनके लिए नये स्टाक एक्सचेंजों की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं

स्थानों के नाम
आगरा
भोपाल
कालीकट
चण्डीगढ़
ग्वालियर
जम्मू
जामनगर
जोधपुर
जालंधर
कोटा
लखनऊ
नागपुर
नवीन बम्बई
नौएडा
रांची
रोहतक
शिमला
सिलीगुड़ी
तिरुअनंतपुरम
उदयपुर
वाराणसी
विजयवाड़ा

पैप्सी फूड्स का आयात

1652. श्री शिव शरण वर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री 29 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 1372 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण पत्र संलग्न है। दिनांक 8-2-1992 को आश्वासन पूरा किया जा चुका है।

विवरण

प्रश्न के भाग (क) को विषय-वस्तु के अनुसार अक्तूबर, 1991 तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। फिर भी नवम्बर, 1991 के दौरान खाद्य संसाधन मंत्रालय में मैसर्स पेप्सी फूड्स के इस आशय का एक अनुरोध प्राप्त हुआ कि उसके निर्यात दायित्व में संशोधन करके उसे उत्पादन के 50% के वर्तमान दायित्व के बदले 10 वर्षों की अवधि में 400 करोड़ रुपये सकल निर्यात दायित्व किया जाए। इस मामले को उनके द्वारा जांच की जा रही है।

इस कार्यालय द्वारा मैसर्स पेप्सी फूड्स प्रा० लि० को साफ्ट ड्रिंक सान्द्रण के उत्पादन हेतु उनके अवयवों के आयात को कोई अनुमति नहीं दी गई है। मैसर्स पेप्सी फूड्स ने इस बात की भी पुष्टि की है कि उन्होंने साफ्ट ड्रिंक सांद्रण तैयार करने के लिए किन्हीं अवयवों का आयात नहीं किया है और सभी अवयव स्थानीय रूप से खरीदे जाते हैं।

बैंकों में ब्याज की दरें

[अनुवाद]

1653. श्री अरविन्द त्रिवेदी :

श्री साईमन मरांडी :

श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निर्धारित ब्याज की वर्तमान दरें क्या हैं;

(ख) क्या कई औद्योगिक संस्थाओं ने ब्याज की दर के सम्बन्ध में वर्तमान नीति में सुधार करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) 2 मार्च, 1992 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू उधार तथा जमा राशियों की ब्याज दरें विवरण में दी गई हैं।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उधार की दरों में वृद्धि तथा उत्पादन पर उनके प्रभाव के बारे में उन्हें अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि 2 मार्च, 1992 से 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमा पर उधार की ब्याज दर एक प्रतिशत घटाकर 20 प्रतिशत (न्यूनतम) से 19 प्रतिशत (न्यूनतम) कर दी गयी है तथा बैंकों को पहले ही यह परामर्श दे दिया गया है कि वे इस श्रेणी के अन्तर्गत सभी ऋणकर्ताओं से 2 मार्च, 1992 से पहले लिए जाने वाले ब्याज की दर में न्यूनतम एक प्रतिशत प्वाइंट की दर से कमी करें।

विवरण

1. सीमा का आकार	ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)
(क) 7500/-रु० तक और उसके सहित	11.5
(ख) 7500/-रु० से अधिक और 15000 रु० तक	13.0
(ग) 15000/-रु० से अधिक और 25000 रु० तक	13.5
(घ) 25000/-रु० से अधिक और 50000 रु० तक	15.5
(ङ) 50000/-रु० से अधिक और 2 लाख रु० तक	16.5
(च) 2 लाख रुपये से अधिक	19.0 (न्यूनतम)
2. चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए उधार की दर	
एस० सी० सी० के अधीन वस्तुओं के बदले ऋण/अग्रिम/नकद ऋण/ओवर ड्राफ्ट	19.0 (न्यूनतम)
3. निर्यात-ऋण	
(1) पूर्व लदानोत्तर ऋण	
(i) (क) 180 दिन तक	15.0
(ख) 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से)	17.0
(ii) ई०सी०जी०सी० गारंटी के भीतर आने वाली सरकार से प्राप्त होने योग्य प्रोत्साहन के बदले (90 दिन तक)	1.0

(2) लदानोत्तर ऋण

(i) मार्गस्थ अवधि (एफ०ई०डी०ए०आई० द्वारा बताये गये अनुसार) के लिए मांग बिल । 15.0

(ii) मियादी बिल

निर्यात बिलों की मियादी अवधि, मार्गस्थ अवधि (जैसे कि एफ०ई०डी०ए०आई० द्वारा बताई गई है और रियायती अवधि जहां कहीं लागू हो, सहित कुल अवधि के लिए ।

(क) 90 दिन तक 15.0

(ख) 90 दिन के बाद और शिपमेंट की तारीख से 6 महीने तक 19.0

(iii) शिपमेंट की तारीख से 6 महीने के बाद तक 24.0

(iv) ई०सी०जी०डी० गारंटी के भीतर आने वाले सरकार से प्राप्त होने योग्य प्रोत्साहनों के बदले (90 दिन तक) 15.0

(v) निकासीन किए गए शेष के बदले (90 दिन तक) 15.0

(vi) शिपमेंट की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अदा किये जाने तक अवधारण धन (सिर्फ वितरण भाग) के बदले (90 दिन तक) 15.0

(3) आस्थगित ऋण

180 दिन से अधिक की अवधि के लिए आस्थगित ऋण 15.0

4. अन्यथा बताया नहीं गया निर्यात ऋण 19.0

(5) लदानोत्तर निर्यात ऋण अमरीकी डालरों के मूल्य वर्गों में (न्यूनतम)

(i) पारगमन अवधि के लिए मांग बिल (एफ०ई०डी०ए०आई० द्वारा बताए गए अनुसार) 6.5

(ii) मियादी बिल (निर्यात बिलों को मियादी अवधि जैसा कि एफ०ई०डी०ए०आई० द्वारा बताया गया है और माफी अवधि जहां कहीं लागू हो, वाली कुल अवधि के लिए) लदान की तारीख से 6 माह तक 6.5

(4) डी० आर० आई० अग्रिम 4.0

(5) उपर्युक्त आधार पर डांवा कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण दोनों पर लागू होगा ।

(6) कृषि, लघु उद्योग और दो गाड़ियों वाले परिवहन परिचालकों के वास्ते सावधि ऋण के लिए निम्नलिखित दरें लागू होंगी ।

सीमा का आकार	ब्याज की दर (प्रतिशत प्रति वर्ष)
(i) 25000 रु० से अधिक और 50000 रु० तक	14.0
(ii) 50000 रु० से अधिक और 2 लाख रु० तक	15.0
(iii) 2 लाख रु० से अधिक	15.0 (न्यूनतम)

(7) 20.0 प्रतिशत (न्यूनतम) की श्रेणी में उधारकर्ताओं के लिए बिलों की भुनायी पर प्रभावी ब्याज दर इस श्रेणी में उधारकर्ताओं से वसूल की जाने वाली उधार दर से एक प्रतिशतता अंक कम होगी और इस प्रकार उधारकर्ताओं को ऐसी श्रेणी के लिए वित्तिमय की बिल की भुनायी पर प्रभावी ब्याज दर 19.0 प्रतिशत (न्यूनतम) होगी ।

(8) अन्तिम हिताधिकारियों को ऋण देने के लिए मध्यवर्ती एजेंसियों (आवास वाली सहित) और निवेश सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों को मंजूर किया गया वित्त । — 17.0 प्रतिशत की नियत दर अर्थात 2 लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों को श्रेणी में ऋण सीमाओं के लिए लागू न्यूनतम दर से 3.0 प्रतिशत बिंदु कम ।

(9) भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि० को अग्रिम — 20.0% प्रति वर्ष (न्यूनतम)

(10) (i) टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के ऋण
(ii) शेयर और डिबेंचरों/बाण्डों के लिए व्यक्तियों को ऋण
(iii) अन्य गैर-प्राथमिकता वाले वैयक्तिक ऋण
— बैंक दर के निर्धारण के लिए मुक्त है ।

टिप्पणी :

जिस मामले में अल्पावधि ऋण पी०ए०सी०एस०/एल०ए०एम०पी०एस०/एफ०एस०एस० के माध्यम से दिये जाते हैं तो बैंक द्वारा पी० ए०सी०एस०/एल०ए०एम०पी०एल०/एफ०एस०एस० से वसूल की जाने वाली ब्याज की दरें, उपरोक्त मद 1 में, ऋण सीमा की अपनी-अपनी मात्रा के लिए दिखाये गये अन्तिम ऋणकर्ताओं की दरों की अपेक्षा 2 ½ प्रतिशत कम बिन्दुओं पर होंगी ।

जमा राशियों पर 9 अक्तूबर, 1991 से लागू ब्याज की दर

(एफ० सी० एन० आर०/एन० आई० ई० जमा राशियों के अलावा)

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

खाते की श्रेणी	
(i) चालू	शून्य
(ii) बचत	5.0
(iii) सावधि जमाराशियां	
(क) 46 दिनों से अधिक और एक वर्ष से कम तक के लिए	11.0
(ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम तक के लिए	12.0
(ग) तीन वर्ष और अधिक के लिए	13.0

कोयले के व्यापारियों पर आयकर के छापे

[हिन्दी]

1654. श्री साईमन मरान्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग द्वारा जनवरी और फरवरी, 1992 के दौरान काले धन का पता लगाने के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल के कोयला व्यापारियों के यहां पर छापे मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो पटना, धनबाद, बोकारो, कलकत्ता और रांची में किन-किन प्रतिष्ठानों पर छापे मारे गए; और

(ग) इन छापों के दौरान पकड़े गए काले धन और आपत्तिजनक दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सांवर मल पोद्दार ग्रुप की धनबाद तथा बोकारो में स्थित निम्नलिखित व्यापारिक कम्पनियों की तलाशी ली गई थी :—

(i) मैसर्स वसुधा उद्योग, बोकारो।

(ii) मैसर्स बजरंगबली मेटल इंडस्ट्रीज, धनबाद।

(iii) मैसर्स अंजनी बिस्केट इंडस्ट्रीज, धनबाद।

(iv) मैसर्स कालीमाता ट्रेडिंग कम्पनी, धनबाद।

इन तलाशियों के परिणामस्वरूप बहीखातों तथा दस्तावेजों के अलावा 1.39 लाख रुपये की

नगदी तथा 2.37 लाख रुपये के मूल्य की अन्य मूल्यवान वस्तुएं अभिगृहीत हुई थीं।

समान रैंक समान पेंशन

[अनुवाद]

1655. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री पवन कुमार बंसल :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री बारे लाल जाटव :

श्री प्रवीन डेका :

श्री श्रीकान्त जेना :

श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

डा० ए० के० पटेल : (अमृतलाल कालिदास पटेल)

अमृतलाल कालिदास पटेल :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री राम विलास पासवान :

श्री मोहन सिंह :

श्री अगबीर सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समान रैंक समान पेंशन पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पूरी रिपोर्ट लागू करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है; और

(च) सरकार रक्षा पेंशन भोगियों को अन्य कौन-सी सुविधायें उपलब्ध करा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (च) सरकार ने अधिकार प्राप्त उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट में विहित सर्वसम्मत सिफारिशों को पूर्णत: स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में सरकारी आदेश जारी किए जा रहे हैं।

उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा भूतपूर्व सैनिकों को दी गई अन्य सुविधाओं का ब्यौरा संलग्न है।

विवरण

(क) अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशें

अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

सिपाही पेंशनर

(1) 15 से 17 वर्ष तक की सेवा पूरी करके 1.1.1986 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए सिपाहियों की पेंशन दरें उन्हें 18 वर्ष की अर्हक सेवा का लाभ देकर संशोधित कर दी जाएं। दूसरे शब्दों में 1.1.1986 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए उन सिपाही पेंशनरों, जिन्होंने 15 से 17 वर्ष तक सेवा की है, को भी 18 वर्ष तक सेवा करने वाले सिपाहियों के बराबर ही पेंशन दी जाए।

(2) 1.1.1973 से पहले सेवानिवृत्त हुए सिपाहियों की पेंशन 1.1.1973 को या उसके तुरन्त बाद सेवा निवृत्त सिपाहियों की पेंशन के बराबर ला दी जाए और इसके बाद 1.1.86 से पहले सेवानिवृत्त सभी सिपाहियों की पेंशन की राशि बढ़ाकर उस स्तर पर ला दी जाए जो 1.1.1986 के बाद और 1.1.1973 के बाद सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली पेंशन की दरों के बीच के अन्तर को 95 प्रतिशत तक पूरा कर देगी। इस प्रकार निर्धारित की गई पेंशन और मौजूदा पेंशन के बीच के अंतर की राशि एक बार वृद्धि के रूप में दी जाए।

2. सैर-कमीशन-प्राप्त अफसर/जूनियर कमीशन-प्राप्त अफसर/आनरेरी कमीशन-प्राप्त अफसर

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा अनुमोदित पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पेंशन में तदर्थ अनुग्रहपूर्वक वृद्धि के बराबर राशि को पेंशन में एक बार की वृद्धि के रूप में मंजूर कर दिया जाए।

3.3 कर्नल से नीचे रैंक के कमीशन-प्राप्त अफसर

लेफ्टि. कर्नल के रैंक तक के 1.1.1973 से पूर्व सेवानिवृत्त अफसरों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय स्वीकृत मूल पेंशन, 1.1.1973 को अथवा इसके तत्काल बाद सेवानिवृत्त हुए अफसरों की स्वीकृत मूल पेंशन के बराबर कर दी जाए। 1.1.1973 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए अफसरों की उपर्युक्तानुसार बढ़ाई गई मूल पेंशन तथा 1.1.1973 से 31.12.1985 तक के बीच सेवानिवृत्त हुए अफसरों की मूल पेंशन को 33 वर्ष की अर्हक सेवा का लाभ देते हुए और बढ़ा दिया जाए। इसके बाद चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सुझाव अनुसार संशोधित समेकित पेंशन का निर्धारण किया जाए। इस प्रकार आंकी गई संशोधित समेकित पेंशन और वर्तमान पेंशन के बीच का अन्तर पेंशन में एक बार की वृद्धि के रूप में मंजूर कर दिया जाए।

4. कर्नल और उससे ऊपर के अफसर

इन रैंकों में 1.1.1973 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए अफसरों की वर्तमान पेंशन 1.1.1973 अथवा उसके तत्काल बाद सेवानिवृत्त हुए अफसरों की पेंशन के बराबर कर दी जाए।

5. 1.6.1953 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कार्मिक

सभी रैंकों में 1.6.1953 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की पेंशन में भी ऊपर बताए गए सिद्धांतों के अनुसार संशोधन किया जाए तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा इस बारे में समुचित अनुदेश जारी किए जाएं।

6. अन्य सिद्धान्त

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा अनुमोदित पेंशन में तदर्थ वृद्धि की योजना में शामिल अन्य सभी सिद्धान्त पेंशन में एक बार की वृद्धि मंजूर करने के लिए वर्तमान प्रस्तावित स्कीम पर लागू होंगे।

7. विसंगत रिजविस्टों के परिवारों को अनुग्रह परिवार पेंशन

जिन रिजविस्टों ने एक बार एकमुश्त उपदान की राशि के भुगतान के लिए विकल्प दिया था, उनके परिवारों को 150 रुपए प्रतिमाह की अनुग्रह परिवार पेंशन मंजूर की जाए, जैसा कि अंशदायी भविष्य निधि का लाभ प्राप्त करने वाले जो कार्मिक मर गए हैं, उनके परिवारों के मामले में किया जा रहा है।

8. अधिक लाभकारी परिवार पेंशन प्राप्त करने का विकल्प

दो पेंशन प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को दोनों परिवार पेंशनों में से अधिक राशि वाली पेंशन का विकल्प देने का अधिकार दिया जाए।

9. त्वरित क्रियान्वयन

रक्षा मन्त्रालय प्रस्तावित योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।

10. विश्वयुद्ध के सेनानी

रक्षा मन्त्रालय प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के सेनानियों को समुचित राहत प्रदान करने के मामले पर विस्तारपूर्वक विचार करेगा।

11. भूतपूर्व सैनिकों की अन्य समस्याएं

रक्षा मन्त्री भूतपूर्व सैनिकों की शेष समस्याओं पर समयबद्ध आधार पर विचार करने और उनका उपयुक्त हल सुझाने के लिए एक उपयुक्त समिति का गठन करेंगे।

12. लागू होने की तारीख

अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय समिति की इन सिफारिशों को लागू करने के परिणामस्वरूप बढ़े हुए लाभ 01 जनवरी, 1992 से दिए जाएं।

(ख) सशस्त्र सेना पेंशनरों को दी गई सुविधाओं/रियायतों का ब्योरा

सशस्त्र सेनाओं के पेंशनरों को व्यापक रूप से सुविधाएं और रियायतें दी जा रही हैं और उनके कल्याण के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। कुछ प्रमुख सुविधाएं और रियायतें इस प्रकार हैं :—

(क) केन्द्रीय सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने की पात्रता।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों की क्षमता में सुधार लाने के लिए उनके लिए बनाई गई प्रशिक्षण योजनाओं में से किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता।

(ग) अनेक योजनाओं के तहत, जिनमें सेमफेक्स-I सेमफेक्स-II और सेमफेक्स-III प्रमुख हैं,

स्व-रोजगार कार्य शुरू करने के लिए सुविधाएं प्राप्त करने की पात्रता। पैट्रोलियम उत्पाद एजेंसियों का आबंटन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया एजेन्सियों का आबंटन, कोयला और पैट्रोलियम उत्पादों के लिए परिवहन एजेन्सियों के आबंटन आदि जैसी अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ ये पेंशनर भी प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) सैनिक अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं।

(ङ) कैंटीन की सुविधाएं।

(च) आवश्यकता होने पर, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, सेना मुख्यालयों और अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता।

(छ) युद्ध में निशक्त हुए पेंशनरों के बच्चों को शिक्षा संबंधी रियायतें दी जाती हैं जैसे प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम तक शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्कों, छात्रावास प्रभारों और किताबों तथा अन्य लेखन-सामग्री की मदों को कीमत और वर्दी की कीमत आदि में पूरी तरह छूट दिया जाना।

(ज) निशक्त/युद्ध में घायल पेंशनरों को कृत्रिम अंग और शल्य-क्रिया उपकरण निःशुल्क प्रदान करना।

(झ) जो नेत्रहीन पेंशनर सैन्य सेवा के कारण नेत्रहीन हुए हों उन्हें प्रतिमाह 50/-रुपए की विशेष पेंशन।

(ट) युद्ध में घायल पेंशनरों के उपयुक्त मामलों में सतत परिचर्या भत्ता दिया जाता है चाहे उनका रैंक कुछ भी हो।

(ठ) इसके अतिरिक्त इन पेंशनरों के लाभ के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनेक अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं लेकिन इनकी स्थिति हर राज्य में अलग-अलग है।

भूतपूर्व सोवियत गणराज्यों के साथ व्यापार समझौता

[हिन्दी]

1656. कुमारी उमा भारती :

श्री ई० अहमद :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री प्रतापराव भोसले :

डा० देवी प्रसाद पाल :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इससे तत्कालीन सोवियत संघ में पढी हाल की घटनाओं ने विभिन्न आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के भारतीय निर्यातकों में एक आशंका पैदा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो किन उपभोक्ता वस्तुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) व्यापार में कितनी कमी आई है और अब तक कितना घाटा हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने नये गणराज्यों से व्यापारिक समझौता किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार का सभी गणराज्यों के व्यापारिक समझौता करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) सोवियत संघ जिस राजनैतिक और आर्थिक अनिश्चितता से गुजरा है, उसका भारतीय निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसकी वजह से भारतीय निर्यातकों में कुछ भय और अनिश्चितता पैदा हो गई है। अप्रैल—नवंबर, 1990 की तुलना में अप्रैल—नवम्बर, 1991 क अवधि के दौरान भूतपूर्व सोवियत संघ को हुए निर्यातकों में लगभग 1198 करोड़ रु० की गिरावट आई है। वर्ष 1991 के भारत सोवियत व्यापार योजना प्रावधानों की तुलना में इंजीनियरी, वस्त्र, चमड़ा एवं खनिज तथा अयस्क क्षेत्रों में क्षेत्रवार कार्य निष्पादन कम रहा।

(घ) से (च) जी, हां। कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान के साथ पहले ही व्यापार करार किये जा चुके हैं। रूस के साथ भी व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर हो गए हैं। यूक्रेन, बेलारूस और अजरबेजान गणराज्यो के साथ भी विचार-विमर्श किया गया है।

तिब्बती शरणार्थियों की व्यापार सम्बन्धी गतिविधियां

[अनुवाद]

1657. श्री विजय कुल्ल हांडिक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा चीन सरकार के बीच हाल ही में हस्ताक्षर किये गये ज्ञापन के फलस्वरूप तिब्बती शरणार्थियों की व्यापार सम्बन्धी गतिविधियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो तिब्बती शरणार्थियों के हितो के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क)

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण

1658. श्री गंगाधरा सामीपल्ली :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रदूषण नियन्त्रण की दृष्टि से 31 दिसम्बर, 1991 तक कितने सरकारी और

निजी वाहनों का चालान किया गया है;

(ख) उन पर लगाए गए जुर्माने का ब्योरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप किस हद तक प्रदूषण नियन्त्रित किया गया है; और

(घ) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण नियन्त्रण के लिए कानून लागू हैं ?

जल-सूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मार्च, 1990 से दिसम्बर, 1991 तक की अवधि के दौरान 12,917 वाहनों का चालान किया गया था।

(ख) 22,17,750 रुपये का जुर्माना किया गया था।

(ग) जनवरी, 1992 तक लगभग 12.68 लाख वाहनों की जांच की गई थी और दिसम्बर, 1987—फरवरी, 1990 के बीच निर्धारित मानदण्डों से अधिक प्रदूषण करने वाले 36% वाहनों की तुलना में 16% वाहनों को निर्धारित मानदण्डों से अधिक प्रदूषणकारी पाया गया था।

(घ) मोटर यान अधिनियम, 1988 के उपबन्ध पूरे देश में समान रूप से लागू हैं।

वीडियो फिल्मों का आयात

1659. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वादुडे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सैक्षणिक, वैज्ञानिक और तकनीकी वीडियो फिल्मों का आयात करने हेतु देश में इनके अनुलिपिकरण के बारे में नये मार्गनिर्देश जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) परिशिष्ट 1 भाग—क, 2, 5 भाग—ख 8 तथा 11 में आने वाली मदें नकारात्मक सूची में हैं। परिशिष्ट 2; भाग—क में कवर होने वाली मदों को छोड़कर, जिसके आयात पर प्रतिबन्ध है, नकारात्मक सूची में शामिल मदों के आयात की अनुमति विशेष लाइसेन्सों के आधार पर दी जाएगी। अन्य सभी मदें जो नकारात्मक सूची में शामिल नहीं हैं वे मुक्त रूप से आयात की जा सकेंगी।

ऑगजिलयरि कैडिट कोर कोप्स और नेशनल कैडिट कोर का प्रशिक्षण

1660. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों और कालिजों में अभी भी ऑगजिलयरि कैडिट कोर और नेशनल कैडिट कोर का गठन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ये कितने स्कूलों और कालिजों में कार्यरत है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार कुल कितने कैडिटों को प्रशिक्षित किया गया;

(च) इस अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ वार्षिक बजट कितना आवंटित किया गया; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान इनमें से कितने प्रतिशत प्रशिक्षित कैडिटों को रक्षा सेवाओं में रखवाया गया ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (छ) राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण में 4156 महाविद्यालयों तथा 6030 विद्यालयों में दिया जा रहा है। सहायक कैडेट कोर नाम की कोई संस्था नहीं है।

2. राष्ट्रीय कैडेट कोर संगठन के लिए धन की व्यवस्था केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है। राज्य सरकारें तथा संघ शासित प्रशासन अपने हिस्से के व्यय का अपने-अपने बजट में प्रावधान करते हैं, केन्द्र सरकार के व्यय का मुख्य भाग रक्षा सेना प्राक्कलन द्वारा वहन किया जाता है। विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों जैसे मानव संसाधन मंत्रालय, रेल मंत्रालय आदि द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों/महाविद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर पर आने वाली लागत के हिस्से को राज्य सरकारों के अतिरिक्त इन मंत्रालयों द्वारा भी वहन किया जाता है। इस व्यय के आंकड़ों को अलग से नहीं रखा जाता इसलिए इसकी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। फिर भी, पिछले तीन वर्षों में, रक्षा मंत्रालय में बजट में राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए सेवा के संगत उप शीर्ष के अन्तर्गत हुआ व्यय नीचे दिये अनुसार है :—

1988-89	—	12.10 करोड़ रुपये
1989-90	—	16.04 करोड़ रुपये
1990-91	—	15.32 करोड़ रुपये

इस उप शीर्ष में केवल पूर्णकालिक राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्मिकों का वेतन तथा भत्ते, कैडेटों के लिए कपड़े, कैम्प खर्च आदि से संबंधित व्यय की व्यवस्था की जाती है।

3. यद्यपि, राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य कैडेटों को केवल सेना में भर्ती के लिए तैयार करना ही नहीं है। फिर भी, पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कैडेट कोर के कुल 2065 कैडेट कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में रक्षा सेनाओं में भर्ती हुए थे।

4. पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	कैडेट संख्या		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	65,183	64,348	63,302
2.	बिहार	71,277	72,340	71,613

1	2	3	4	5
3.	दिल्ली	30,114	32,676	30,776
4.	गुजरात, दादर नगर हवेली	48,450	48,617	48,087
5.	जम्मू व कश्मीर	12,090	12,260	6,400
6.	कर्नाटक तथा गोवा	70,008	69,903	65,918
7.	केरल	68,620	69,644	69,191
8.	मध्य प्रदेश	70,686	72,013	72,355
9.	महाराष्ट्र	87,784	85,325	87,134
10.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	54,609	56,052	55,143
11.	उड़ीसा	42.432	42,281	42,234
12.	पंजाब, हिमाचल प्रदेश हरियाणा व चंडीगढ़	99,426	98,594	98,243
13.	राजस्थान	40,758	40,863	40,418
14.	तमिलनाडु, पी० एण्ड ए० एन०	88,076	86,804	86,823
15.	उत्तर प्रदेश	1,28,565	1,28,616	1,28,622
16.	पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम	75,483	79,240	74,129

बंधित भांडागारों का संचालन

1661. श्री अन्वारासु इरा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राइवेट पार्टियों को बंधित भांडागारों के संचालन की अनुमति दी है;

(ख) क्या केन्द्रीय भांडागार निगम पूरे देश के भांडागारों का संचालन कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के विशेषरूप से सम्भावित देयों की गैर-अदायगी की दृष्टि से प्राइवेट पार्टियों को बंधित भांडागारों के संचालन की अनुमति देने का क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) 31-12-1991 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय भांडागार निगम 15 राज्यों में 174

और संघ राज्य क्षेत्रों में 4 सीमा शुल्क बंधकित भांडागारों का संचालन कर रही थीं।

(ग) निजी बंधकित भांडागारों की स्थापना के लिए लाईसेंस उन मामलों में प्रदान किये जाते हैं जहां :—

(i) केन्द्रीय भांडागार निगम अथवा राज्य भांडागार निगम अपेक्षित गोदाम सुविधाएं मुहैया कराने में असमर्थ होते हैं;

(ii) ऐसे उन मामलों में जहां आयातित माल के लिए विशेष भण्डारण सुविधाओं की आवश्यकता हो;

(iii) खतरनाक/विस्फोटक माल के स्वरूप में हैं;

(iv) ऐसा माल जिसके लिए चौबीसों घंटे सर्विस की अपेक्षा हो; अथवा

(v) निर्यातोन्मुख उद्योगों के उपयोग में लाया गया माल।

सरकारी बकायों की गैर-अदायगी असंभाव्य है क्योंकि लाईसेंस सीमा शुल्क अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रदान किये जाते हैं जो पर्याप्त रूप से राजस्व के हितों की रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त, भण्डारण के लिए एक बार प्रवेश किये गये माल की विशिष्ट सांविधिक अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि के भीतर निकासी किया जाना अपेक्षित होता है, ऐसा न करने पर माल के भंडारण के समय अमल में लाए गए बन्धकित भाण्डागारों सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रवर्तनीय बन जाते हैं जिससे सरकारी बकायों की वसूली हो सकती है।

नेवले के बालों की तस्करी

[हिन्दी]

1662. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में अब तक प्रतिबंधित नेवले के बालों की तस्करी का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

खनिजों और खनिज्यकी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

[अनुवाद]

1663. श्री प्रफुल पटेल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में वानिकी और मात्स्यिकी परियोजनाओं के लिए सहायता देने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ हाल ही में तीन परियोजनाओं के लिए निम्नानुसार बातचीत की गई है :—

1. 889 लाख एस० डी० आर० (322.6 करोड़ रुपये के समकक्ष) के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण के लिए महाराष्ट्र वानिकी परियोजना।

2. 241 लाख एस० डी० आर० (87.4 करोड़ रुपये के समकक्ष) के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण के लिए पश्चिम बंगाल वानिकी परियोजना।

3. 629 लाख एस० डी० आर० (228.0 करोड़ रुपये के समकक्ष) के कुल अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण के लिए, पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों को शामिल करते हुए झींगा एवं मछली पालन परियोजना।

तीनों परियोजनाओं को शीघ्र ही कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है।

रसायनों की ढुलाई

[हिन्दी]

1664. श्री रामकृष्ण कुसमरिया :

श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

श्री बलराज पासी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न रसायनों की परिवहन की ढुलाई के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए राज्य एवं जिला-स्तर पर किसी सड़क सुरक्षा कमेटियों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन रसायनों की ढुलाई करने वाले चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए कुछ नियम बनाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 9 में खतरनाक अथवा संकटमय माल ढो रहे वाहनों को चलाने के लिए एक ड्राइवर के लिए अपेक्षित अर्हता और प्रशिक्षण का प्रावधान है। यह नियम अभी लागू किया जाना है। इस नियम के संगत उद्धरण विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 9 के उद्धरण

नियम--9 : खतरनाक या संकटमय माल वहन करने वाले माल वाहनों के चालकों के लिए शैक्षिक अर्हताएं।

(1) इस नियम के प्रारम्भ की तारीख से ही, कोई व्यक्ति जो मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति का माल वहन करने वाला वाहन चलाता है, किसी परिवहन यान के चलाने की चालन अनुज्ञप्ति का धारक होने के अतिरिक्त कम से कम 10वें दर्जे पास शैक्षिक अर्हता का धारक भी होगा या उसके पास ऐसे माल के परिवहन से संबंधित उतनी अवधि का और ऐसे स्थापन का कोई पाठ्यक्रम पूरा करने का प्रमाणपत्र होगा जो राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(2) चालन अनुज्ञप्ति का ऐसा धारक, जिसके पास न्यूनतम अर्हताएं या उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र है, ऐसे अनुज्ञापन प्राधिकारी को, जिसकी अधिकारिता के अन्तर्गत वह निवास करता है, अपनी चालन अनुज्ञप्ति और मुसंगत प्रमाणपत्र साथ लगाकर अपनी चालन अनुज्ञप्ति में आवश्यक प्रविष्टियां करने के लिए लिखित आवेदन करेगा, और यदि चालन अनुज्ञप्ति प्ररूप 7 में है तो आवेदन के साथ नियम 32 की सारणी के क्रम सं० 8 में निर्दिष्ट फीस साथ लानी होगी।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी उप-नियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक की चालन अनुज्ञप्ति में इस आशय का एक पृष्ठांकन करेगा कि वह ऐसा माल वाहन चलाने के लिए प्राधिकृत है जिसमें ऐसी प्रकृति का माल वहन किया जाये जो मानव जीवन के लिए खतरनाक या संकटमय हो।

(4) मूल प्राधिकारी से भिन्न ऐसा पृष्ठांकन करने वाला अनुज्ञापन प्राधिकारी मूल अनुज्ञापन प्राधिकारी को इस बात की संसूचना देगा।

कृषि व उद्योग क्षेत्रों को ऋण

[हिन्दी]

1665. श्री नारायण सिंह चौधरी :

श्री सुधीर सावन्त :

श्री के० चोक्का राव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य को वर्षवार उद्योग और कृषि क्षेत्रों के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा कितने ऋण दिये गये; और

(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्था-वार अब तक इन दोनों क्षेत्रों के कितने ऋण माफ किये गये और कितनी राशि वसूल नहीं की जा सकी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) दिसम्बर, 1988, सितम्बर, 1989 और मार्च, 1990 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार कृषि और लघु उद्योगों के क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों की राज्यवार बकाया राशि विवरण-I और II में दी गई है। इस प्रकार वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के लिए प्रत्येक राज्य में उद्योगों के लिए सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और संवितरीत धनराशि विवरण-III में दी है।

(ख) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, कारीगरों और बुनकरों सहित पात्र ऋणकर्ताओं के लिए प्रति ऋणकर्ता 10,000 रुपये तक की ऋण राहत प्रदान करने के लिए कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 प्रारम्भ की थी। इस योजना के तहत 7714.60 करोड़ रुपये के ऋणों की राशि माफ की गई थी। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली रियायतों और समझौतों के संबंध में इस पर प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर उनके द्वारा निर्णय लिया जायेगा। बहरहाल, मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) कृषि और उद्योगों में सभी आकार की बकाया राशि के मुकाबले में बैंकों को अतिदेयराशियां निम्न प्रकार से थी :

(रुपये करोड़ में)

क्षेत्र	बकाया राशि	अतिदेय राशि
बड़े और मझोले उद्योग	32549.41	4276.94
लघु उद्योग	15198.15	3074.83
कृषि	16603.06	3450.78

विवरण-I

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दिसम्बर 1988	सितम्बर 1989	मार्च 1990
1	2	3	4
हरियाणा	587	634	678
हिमाचल प्रदेश	68	71	95
जम्मू व कश्मीर	50	51	54
पंजाब	951	1046	1110
राजस्थान	688	722	796
चण्डीगढ़	171	187	198

1	2	3	4
दिल्ली	127	236	194
असम	119	131	133
मणिपुर	5	6	7
मेघालय	9	12	13
नागालैण्ड	15	18	20
त्रिपुरा	18	23	26
अरुणाचल प्रदेश	2	3	3
मिजोरम	2	2	2
सिक्किम	4	4	5
बिहार	622	690	752
उड़ीसा	331	359	391
पश्चिम बंगाल	532	592	673
अंडमान व निकोबार	2	2	3
मध्य प्रदेश	809	935	1037
उत्तर प्रदेश	1347	1466	1725
गुजरात	787	787	832
महाराष्ट्र	1389	1572	1715
गोवा	28*	38	38
दमन व दीव	—	1	1
दादरा व नागर हवेली	1	1	1
आंध्र प्रदेश	1827	1927	2089
कर्नाटक	1286	1467	1530
केरल	583	609	730
तमिलनाडु	1567	1770	2043
पाण्डिचेरी	31	30	33
लक्षद्वीप	0.4	0.4	0.3

*गोवा, दमन व दीव से संबंधित आंकड़े

विवरण-II

राशि (करोड़ रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिसम्बर 1988	सितम्बर 1989	मार्च 1990
1	2	3	4
हरियाणा	399	411	472
हिमाचल प्रदेश	63	74	81
जम्मू व कश्मीर	95	96	103
पंजाब	838	824	949
राजस्थान	321	373	417
चंडीगढ़	73	83	84
दिल्ली	975	1120	1279
असम	128	139	148
मणिपुर	12	14	14
मेघालय	3	5	6
नागालैण्ड	12	13	15
त्रिपुरा	9	11	12
अरुणाचल प्रदेश	5	3	3
मिजोरम	3	3	3
सिक्किम	2	2	5
बिहार	380	443	496
उड़ीसा	189	224	235
पश्चिम बंगाल	912	1035	1107
अंडमान व निकोबार	2	2	2
मध्य प्रदेश	531	583	686
उत्तर प्रदेश	1162	1268	1426

1	2	3	4
गुजरात	932	1051	1182
महाराष्ट्र	2362	2708	2903
दमन और दीव	—	7	7
गोवा	58*	58	59
दादरा और नागर हवेली	2	3	2
आंध्र प्रदेश	807	903	940
कर्नाटक	839	923	990
केरल	528	572	535
तमिलनाडु	1312	1672	1827
पाण्डिचेरी	18	19	20
लक्षद्वीप	0.03	0.03	0.03

*आंकड़े गोवा, दमन और दीव से संबंधित हैं।

विवरण-III

(करोड़ रुपए)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि					
		मंजूरी			संवितरित		
		1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1270.3	977.8	1501.4	823.2	660.1	945.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.3	1.0	4.0	0.4	0.9	1.4
3.	असम	59.9	216.4	69.8	45.9	58.9	71.1
4.	बिहार	211.6	367.3	195.7	151.7	198.8	109.1
5.	गोवा	94.8	118.7	87.3	44.5	76.7	79.2
6.	गुजरात	1757.6	1563.0	2583.7	1088.4	923.4	1375.9
7.	हरियाणा	1236.0	838.0	354.1	183.0	273·8	314.5
8.	हिमाचल प्रदेश	127.0	154.3	325.4	75.1	90.3	74.3
9.	जम्मू व कश्मीर	71.7	59.7	54.2	50.6	44.7	39.7
10.	कर्नाटक	548.7	546.5	934.3	402.0	406.5	550.9
11.	केरल	200.2	227.9	276.7	151.6	172.2	175.3

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य प्रदेश	846.8	628.8	1185.7	505.5	432.4	624.8
13.	महाराष्ट्र	1943.0	3644.8	4438.3	1408.9	1877.6	2567.4
14.	मणिपुर	12.9	12.2	2.6	3.5	8.8	4.8
15.	मेघालय	14.7	10.1	5.7	11.7	11.2	7.7
16.	मिजोरम	7.1	4.0	4.5	5.7	4.0	4.0
17.	नागालैण्ड	9.3	3.0	2.9	5.3	4.2	5.7
18.	उड़ीसा	396.9	870.7	307.2	214.5	174.4	292.5
19.	पंजाब	469.5	365.7	455.3	268.3	359.6	355.4
20.	राजस्थान	775.3	576.6	748.0	218·7	302.9	423.2
21.	सिक्किम	3.4	8.0	1.2	1.7	2.5	3.6
22.	तमिलनाडु	1131.8	1188.6	1332.0	697.2	833.7	938.3
23.	त्रिपुरा	5.4	11.5	1.3	3.0	3.7	2.3
24.	उत्तर प्रदेश	1562.6	1066.4	1324.2	858.6	705.9	852.3
25.	पश्चिम बंगाल	427.2	611.2	609.5	424.5	396.7	417.7
26.	संघ राज्य क्षेत्र	416.5	309.2	646.0	122.0	232.1	401.6

केन्द्रीय सड़क कोष से धनराशि का आवंटन करने हेतु उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव

1666. **श्री राजवीर सिंह :**

श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क कोष से धनराशि के आवंटन हेतु संघ सरकार के पास पिछले तीन वर्षों के दौरान भेजे गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है तथा कितने अस्वीकृत किए गए हैं;

(ग) प्रस्तावों को नामंजूर करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस समय कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं तथा उनके संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) आठवीं योजना अवधि के लिए केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार से 119.50 करोड़ रु० राशि की 43 स्कीमें प्राप्त हुई।

(ख) और (ग) चूंकि संसद द्वारा 13-6-1968 को पारित संशोधित संकल्प के अनुरूप केन्द्रीय सड़क निधि में, जिसके प्रति प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे, अभी वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है, अत: राज्य सरकार द्वारा भेजी गई स्कीमों पर अब तक कार्रवाई करना संभव नहीं हो पाया है।

(घ) सम्बिल्त स्कीमों के नाम तथा उनकी लागत दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इन स्कीमों की मंजूरी के समय के बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि के संबंध में अभी निर्णय लिया जाना शेष है।

विवरण

क्र० सं०	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु०)
1	2	3
1.	गाजियाबाद जिले में मोहन नगर से बजीराबाद (लम्बाई 6.2 कि०मी०) तक की लिंक सड़क को चौड़ा करके 4 लेन का बनाना	63.00
2.	मोदीपुरम से दौराला तक के खंड को चौड़ा करके 4 लेन का बनाना (72 कि०मी० से 77.500 कि०मी०)	55.00

1	2	3
3.	ओखला—बैराज को उत्तर प्रदेश और नोएडा (लम्बाई 2.5 कि०मी०) से जोड़ने वाली सड़क का बी० एम० एस० डी० सी०	50.00
4.	कानपुर जिले में जी० टी० रोड (ईस्ट) के 4.40 कि०मी० से 8.20 कि०मी० (लम्बाई 3.8 कि०मी०) तक के खंड को चौड़ा करके 4 लेन का करना।	55.00
5.	मेरठ-बुलन्दशहर-नरोरा-बदायूं (राज्यीय राजमार्ग-18) सड़क को चौड़ा करना	338.00
6.	मेरठ-करनाल सड़क पर यमुना नदी पर सम्पर्क मार्गों का निर्माण	67.50
7.	चंदौली-अलीगढ़-आगरा-टाटपुर कोट (राज्यीय राजमार्ग-34) को चौड़ा करना (120 कि०मी० से 244 कि०मी०)	90.00
8.	मुजफ्फरपुर-सहारनपुर मेजर जिला सड़क को चौड़ा करना।	135.00
9.	अलीगढ़-टप्पल-जेवार सड़क को चौड़ा करना।	201.50
10.	पीलीभीत-बरेली-मथुरा-भरतपुर मार्ग (राज्य राजमार्ग 33) को 262 से 275, 276 से 283, 191 से 211, 212 से 222 कि०मी० तक चौड़ा करना तथा सुदृढ़ीकरण।	100.00
11.	पीलीभीत-बरेली-बदायूं-मथुरा (राज्य राजमार्ग-33) को चौड़ा करके 2 लेन का बनाना	225.00
12.	मुरादाबाद-चन्दौसी-बदायूं-फर्रुखाबाद सड़क (राज्य राजमार्ग-43) को चौड़ा करके 2 लेन का बनाना।	70.00
13.	मुरादाबाद-काशीपुर-रामपुर मार्ग को 2 लेन का बनाना।	64.00
14.	मुरादाबाद-धामपुर-नजीबाबाद-हरिद्वार मार्ग को चौड़ा करना।	80.00

1	2	3
15.	गजरौला-रामपुर-कालागढ़-रामपुर-कालागढ़ मार्ग को सुदृढ़ करना।	700.00
16.	लखनऊ-बागरमऊ-बिल्हौर-बेला-इटावा (राज्य राजमार्ग-40) को चौड़ा करना तथा सुदृढ़ करना।	1077.00
17.	बहराइच-बांदा मार्ग (यमुना पहुंच मार्ग) को चौड़ा तथा सुदृढ़ करना।	112.00
18.	हमीरपुर-रा०-गुरसराय मार्ग को चौड़ा तथा सुदृढ़ करना।	490.00
19.	झांसी-आगरा सड़क (7 कि०मी०—18 (कि०मी०) को चौड़ा तथा सुदृढ़ करना।	75.00
20.	बलिया-देवरिया-रिविलगंज (? से 49 कि०मी०) मार्ग को चौड़ा करना।	180.00
21.	फोगवल-जुबेल मार्ग (नया मार्ग) (1 --17 कि०मी०) का निर्माण	155 00
22.	जनपद देवरिया में पड़रौना-देवरिया-कसिया मार्ग (35 कि०मी०—52 कि०मी०) को चौड़ा तथा सुदृढ़ करना।	125.00
23.	जनपद कुमाऊ में हल्द्वानी बाईपास का निर्माण	500.00
24.	लखनऊ-अलीगंज के खेप भाग महमूदाबाद सड़क (30 कि०मी०) को चौड़ा तथा सुदृढ़ करना।	150.00
25.	मेरठ-बिजनौर सड़क पर 2 कि०मी० पर काली नदी पर आर० सी० सी० पुल का निर्माण	40.00
26.	फर्रुखाबाद जनपद में अतिया-खैरनगर-असेर सड़क पर पान्डु नदी पर पुल का निर्माण।	88.00
27.	जनपद कानपुर में घाटम-बजनेर सड़क पर नाम नदी पर पुल का निर्माण।	50.00
28.	वाराणसी जनपद शिवपुर-जरौला सड़क पर बेलान नदी पर पुल का निर्माण।	70.00

1	2	3
29.	वाराणसी जनपद में सोन नदी पर पुल का निर्माण	700.00
30.	वाराणसी जनपद में बिजुल-परसोई सड़क पर बिजुल नदी पर पुल का निर्माण	70.00
31.	गोसाईंगंज-मोती रोड पर माचा नदी पर पुल का निर्माण	70.00
32.	धन्कौर के निकट मझवाली में यमुना नदी पर पुल का निर्माण।	441.00
33.	सहारनपुर जनपद में देवबन्द मिरानपुर सड़क पर पुल का निर्माण।	90.92
34.	देवरिया जनपद में कुशीनगर-कसिया-पड़रौना मार्ग को चौड़ा और सुदृढ़ करना।	239.00
35.	देवरिया जनपद में पड़रौना-अड्डा बाजार मार्ग को चौड़ा तथा सुदृढ़ करना।	201.66
36.	जनपद गाजीपुर में कबीरपुर से लट्ठडीह मार्ग का निर्माण।	86.50
37.	जनपद गाजीपुर में डेहमा से महेन मार्ग का निर्माण।	104.40
38.	जनपद आजमगढ़ में महुला से रौनपुर तक (1 कि०मी० से 16 कि०मी०) महुला गड़वाल बंध का निर्माण।	100.00
39.	गाजीपुर-ऊजियार-बलिया सड़क (राज्य राजमार्ग-36) को चौड़ा तथा सुदृढ़ करना।	1371.75
40.	बलिया जनपद में बलिया से मांझीघाट-छपरा सड़क (राज्य राजमार्ग-36) को चौड़ा तथा सुदृढ़ करना।	963.00
41.	बलिया जनपद में रसारा-नगारा-किविहरपुर फतेहपुर सड़क को चौड़ा तथा सुदृढ़ करना	821.00
42.	जनपद आजमगढ़ में छतवाड़ा-देवीत-मेहनगर-पतहाना-मेहनगर-ओरिहार सड़क को सुदृढ़ करना, सतह ऊंची करना तथा एक छोटे पुल का निर्माण।	208.53

1	2	3
43.	जनपद आजमगढ़ में मुहम्मदाबाद-चिरैयाकोट-सादात-संदपुर सड़क (चिरैयाकोट से तितरा तक) का पुनर्निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण ।	86.76

बैंक मैनेजरों की पद-स्थिति

1667. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंक मैनेजरों को केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के समान पदस्थिति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

(ग) राजपत्रित स्तर केवल उन अधिकारियों के लिए प्रासंगिक है, जिन्हें किसी राज्य द्वारा भारत को समेकित निधि से भुगतान किया जाता है । सरकारी क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों को भारत की समेकित निधि अथवा किसी राज्य सरकार से भुगतान नहीं किया जाता है । अतः उन्हें राजपत्रित स्तर प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा बीससूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए ऋण

1668. श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री पी० सी० थामस :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा वर्ष 1990 और 1991 के दौरान अब तक, बैंकवार तथा राज्यवार कितनी धनराशि के ऋण दिए गए हैं; और

(ख) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत राज्यवार, कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 (दिसम्बर, 1991 तक) के दौरान बैंकों (अर्थात वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक) द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए ऋणों तथा लाभार्थियों की संख्या को नीचे दर्शाया गया है :

वित्तीय वर्ष	हिताधिकारियों की कुल संख्या	बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया गया ऋण (करोड़ रुपये)
1989-90	33,51,373	1220.53
1990-91	28,97,775	1190.03
1991-92	12,21,842	681.63

(दिसम्बर, 91 तक)

राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

सितम्बर, 1989 तथा सितम्बर, 1990 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार बीस सूत्री कार्यक्रम 1986 के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों के संबंध में आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

(खातों की संख्या लाखों में)
(राशि करोड़ रुपये)

	खातों की संख्या	शेष राशि
सितम्बर, 1989	245.25	11871.25
सितम्बर, 1990	265.25	12657.52

उपर्युक्त के संबंध में सरकारी क्षेत्र केप्रत्येक बैंक के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख दिए जाएंगे। तथापि राज्यवार आंकड़े विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

राज्य/संघ रा० क्षेत्र/	1989-90		1990-91		1991-92	
	हिताधिकारी हजार में	संवितरित ऋण (करोड़ों में)	हिताधिकारी हजार में	संवितरित ऋण (करोड़ों में)	हिताधिकारी हजार में	संवितरित ऋण (करोड़ों में)
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	255.228	91.73	263.391	98.39	137.231	56.47
अरुणाचल प्रदेश	8.582	1.24	8.423	1.18	1.928	0.16
असम	61.146	23.52	50.345	20.69	15.159	5.74
बिहार	449.038	144.85	415.814	149.53	136.091	19.55
गोवा	3.858	2.36	3.200	1.64	1.847	0.86
गुजरात	102.465	33.92	72.426	27.93	48.573	19.66
हरियाणा	55.657	20.22	34.179	12.68	11.192	4.33
हिमाचल प्रदेश	30.417	7.32	17.037	5.03	9.244	3.20
जम्मू व कश्मीर	14.376	6.45	13.008	4.71	5.773	2.91

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	140.275	51.66	125.027	47.85	42.544	12 53
केरल	74.150	31.57	60.877	25.60	28.144	11.66
मध्य प्रदेश	225.995	93.49	345.514	127.79	125.269	48.75
महाराष्ट्र	248.059	181.62	214.199	87.90	85.751	36.94
मणिपुर	3.716	0.038	4.962	61.62	2.009	0.74
मेघालय	2.320	1.70	3.134	1.61	1.375	0.77
मिजोरम	4.982	0.16	3.366	0.21	0.986	0.10
नागालैंड	4.932	1.09	4.429	1.26	1.915	0.52
उड़ीसा	185.969	31.84	149.612	32.53	41.935	12.48
पंजाब	56.128	23.90	35.944	15.68	12.935	6.17
राजस्थान	159.039	44.37	135.604	47.38	52.292	23.13
सिक्किम	1.717	0.74	1.422	0.60	0.797	0.39
तमिलनाडु	221.509	81.49	181.842	59.91	76.602	27.13
त्रिपुरा	12.275	5.54	12.222	4 30	0.789	0.56
उत्तर प्रदेश	680.024	28.90	508.840	311.33	285.434	182.87

1	2	3	4	5	6	7
प० बंगाल	291.848	129.33	226.603	101.48	94.303	43.06
अंडमान व निको०	1.939	0.75	1.660	0.63	0.762	0.34
चंडीगढ़	—	0.08	—	—	—	—
दादरा व न० ह०	0.387	0.15	0.311	0.15	0.228	0.11
दिल्ली	2.375	0.69	1.567	0.62	0.644	0.34
दमन व दीव	0.726	0.33	0.600	0.27	0.204	0.91
लक्षद्वीप	0.209	0.09	0.139	0.07	59	0.03
पांडिचेरी	2.089	0.51	2.078	0.57	0.797	0.22

विवरण-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सितम्बर, 1989 शेष बकाया		सितम्बर, 1990 शेष बकाया	
	खातों की सं० (लाखों में)	राशि (करोड़ में)	खातों की संख्या (लाखों में)	राशि (करोड़ में)
1	2	3	4	5
हरियाणा	4.63	266	4.89	292
हिमाचल प्रदेश	2.08	90	2.14	97
जम्मू व कश्मीर	0.98	44	0.97	41
पंजाब	6.95	472	7.75	505
राजस्थान	8.25	493	9.12	529
चण्डीगढ़	0.23	141	0.15	133
दिल्ली	0.75	190	0.84	214
असम	3.49	141	4.28	164
मणिपुर	0.20	11	0.15	7
नागालैंड	0.18	12	0.22	15
त्रिपुरा	0.97	27	1.36	37
अरुणाचल प्रदेश	0.05	3	0.07	4
मिजोरम	0.12	7	0.14	8
सिक्किम	0.19	9	0.21	9
बिहार	18.64	726	20.26	739
उड़ीसा	11.08	319	13.69	357
पश्चिम बंगाल	16.15	521	17.81	593
अंडमान व निकोबार	0.03	2	0.04	2
मध्य प्रदेश	17.37	950	18.23	1093
उत्तर प्रदेश	29.33	1340	32.73	1491
गुजरात	12.85	558	12.22	614

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	19.30	1303	21.45	1267
दमन और दीव	0.004	0.4	0.005	0.3
गोवा	0.61	35	0 65	44
दादरा नागर हवेली	0.03	0.91	0.02	0.3
आंध्र प्रदेश	29.94	1378	31.50	1448
कर्नाटक	21.84	1141	21.92	1162
केरल	13.32	475	14.2[illegible]	510
तमिलनाडु	24.59	1161	26.76	1220
पाण्डिचेरी	0.56	21	0.68	28
लक्षद्वीप	0.03	2	0.04	2

नरसिम्हम समिति की सिफारिशें

[अनुवाद]

1570. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :**

श्री चित्त बसु :

श्री जी० माडगोडा :

श्री मोहन रावले :

डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

श्री सूर्य नारायण यादव :

श्री जोवन शर्मा :

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

श्री रामनारायण मीरधा :

श्री माण्ये गोवर्धन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरसिम्हम समिति की प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू करने का है;

(ग) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) श्री एम० नरसिम्हम की अध्यक्षता में वित्तीय प्रणाली पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, ये सिफारिशें की हैं— (क) बैंकिंग ढांचे के लिए एक चार स्तरीय श्रेणीबद्ध संगठन की स्थापना करना जिसमें शीर्ष स्तर पर भारतीय स्टेट बैंक सहित 3 या 4 बड़े-बड़े बैंक हों। जिनका स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय हो सकता है) और निचले स्तर पर) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) ग्रामीण बैंक हो (जो ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित हो और क्लब और संबद्ध क्रियाकलापों का वित्तपोषण करना जिनका मुख्य कार्य होगा), (ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर से पर्यवेक्षी कार्य को अलग करके उसे भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण के अन्तर्गत एक अलग अर्ध-स्वायत्त निकाय को सौंपना, (ग) गैर-सरकारी क्षेत्र की विस्तृत भूमिका, (घ) बास्ले समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार 8 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता अनुपात को चरणबद्ध रूप से प्राप्त करना, (ङ) शाखा लाइसेंसिंग नीति को समाप्त करना (च) 1991-92 से प्रारम्भ करके सांविधिक चल निधि अनुपात (एस० एल० आर०) में चरणबद्ध कटौती, (छ) ब्याज दरों का अविनियमन करना जो चक्रवर्ती समिति द्वारा दिए गए मार्गनिर्देशों के आधार पर बैंक दर से संबद्ध, (ज) वित्तीय संस्थाओं के बीच स्पर्धा जिससे सिंडीकेटिंग या भागीदारी (कंसोर्सियम के स्थान पर) दृष्टिकोण अपनाएं, (झ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मात्र अपनी पुनर्वित्त भूमिका निभाना और उसके प्रत्यक्ष ऋण देने के कार्य को किसी अलग निगमित निकाय को सौंपना, (ञ) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण पर नियंत्रण करने के लिए विवेकपूर्ण मार्गनिर्देशन और (ट) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की परिसम्पतियों का उचित वर्गीकरण और खातों का पूर्ण प्रकटिकरण और पारदर्शिता।

समिति ने, प्रत्यक्ष निवेशों और ऋण कार्यक्रमों, वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना और भारत सरकार द्वारा परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण निधि नामक एक अलग संस्था का गठन करना जो बैंकों के ऋण फोर्टफोलियों के एक भाग को ग्रहण करने पर तुरन्त कार्य करेगा जो अशोध्य और संदिग्ध हो गए हैं और धीमी कानूनी प्रक्रिया के कारण जिनकी वसूली में रुकावट आ रही है। इस प्रकार सिफारिसों में लाभप्रदता और कार्यक्षमता कम होने के कारणों को पता लगाने और उपयुक्त मौद्रिक स्थिरता के समग्र ढांचे के अन्तर्गत उनके कार्यों में लचीलापन और स्वायत्तता को बनाए रखने की बात कही गई है।

समिति की कुछ सिफारिशों पर और विचार करने की आवश्यकता है और कार्यान्वयन के कार्य को एक चरणबद्ध ढंग से किया जाना प्रस्तावित है।

चीनी का स्टाक

1671. श्री महासमुद्रम गणेन्द्र रेड्डी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी की अद्यतन स्टाक स्थिति क्या है; और

(ख) कितनी चीनी का निर्यात करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) दिनांक 7 फरवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार चीनी का स्टाक अनन्तिम तौर पर 51.86 लाख मी० टन आंका गया है।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान 5.61 लाख मी० टन चीनी निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है।

मछली का आयात

1672. श्री आर० जोवरत्नम :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में मछली का आयात किया गया; और

(ख) वर्ष 992 के दौरान कितनी मात्रा में इसका आयात करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) महानिदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (डा० जी० आई० टी०) के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान मछली के आयात की कोई अनुमति नहीं दी गई।

(ख) वर्ष 1992 के दौरान मछली के आयात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

सिने कलाकारों की तरफ बकाया आयकर

1673. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्से :

श्री काशी राम राणा :

श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सिने कलाकारों के नाम क्या हैं जिनके 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के वित्तीय वर्षों के अन्त में 10 लाख रु० से अधिक आयकर की वसूली की जानी थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनसे वसूल किए जाने वाले आयकर की राशि कितनी है; और

(ग) इन बकाया राशियों की वसूली करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जिन फिल्मी सितारों से प्रत्येक वित्त वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के अन्त तक 10 लाख रुपये से अधिक के आयकर की मांगों की वसूली की जानी थी, उनके नाम निम्नानुसार है :—

1. शशि राजकपूर
2. अमजद खान
3. राजेश खन्ना
4. रति अग्निहोत्री
5. राज बब्बर
6. स्व० किशोर कुमार गांगुली
7. शत्रुघ्न सिन्हा
8. रेखा गणेशन
9. अमिताभ बच्चन
10. स्व० प्रेम नाजिर
11. ए० श्रीदेवी
12. एस० कमल हासन
13. आर० जयप्रदा
14. जी०एस०आर० कृष्णमूर्ति
15. विजय आनन्द
16. सी० सुहासिनी

(ख) उनसे वसूल की जाने वाली आयकर की कुल मांग दिनांक 31-3-1990 को 9.60 करोड़ रुपये तथा दिनांक 31-3-1991 को 5.15 करोड़ रुपये थी।

(ग) बकाया करों की वसूली के लिए आयकर कानून के अन्तर्गत अनुमत्य कार्यवाही के अतिरिक्त बकाया कर को कम करने के निमित्त निरंतर समुचित प्रशासनिक उपाय किए जाते है। मामले दर मामले में कार्यवाही भिन्न-भिन्न होती है। विधायी कार्यवाहियों में ये शामिल है समुचित मामलों में अदायगी नहीं करने पर दण्ड लगाने के निमित्त नोटिस जारी करना है, बैंक खातों, ऋणों, आदि की कुर्की हेतु मानिशी आदेश जारी करना; और कर वसूली अधिकारियों द्वारा कर वसूली विवरण पत्र तैयार किया जाना ताकि वे चूककर्ताओं की परिसंपत्तियों की कुर्की/बिक्री करके वसूली कर सकें। उचित मामलों में कर की अदायगी किश्तों में करने की अनुमति भी दी गई है। इन सभी मामलों में कर-निर्धारण अधिकारियों के लिए डोजियर-रिपोर्ट भेजना अपेक्षित होता है, जिनमें करों की वसूली विषयक प्रगति का उल्लेख करना होता है; और उनकी रिपोर्टों की समीक्षा बकाया राशि को ध्यान में रखते हुए आयकर आयुक्त तथा उससे उच्च स्तर पर की जाती है। चूंकि मांग का एक बहुत बड़ा भाग अपीलों आदि में विवादग्रस्त होता है, इसलिए अपीलों के शीघ्र निपटान हेतु भी उपाय किए जाते हैं।

जापान को वस्त्र उत्पादों का निर्यात

1674 श्री एम० डेनिस :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपड़ा मिलें जल्दी ही अपने उत्पाद जापान को निर्यात करेंगी; और

(ख) यदि हां, तो मिल-वार तत्संबंधी विवरण क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) भारतीय वस्त्र मिलें अपने उत्पादों का जापान को पहले ही निर्यात कर रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय मिल क्षेत्र द्वारा जापान को किया गया निर्यात निम्नोक्त प्रकार है :—

मूल्य करोड़ रुपयों में

वर्ष	फैब्रिक	मेड-अप्स	यार्न	कुल
1989	2.09	1.82	29.03	32.94
1990	0.44	1.36	21.08	22.88
1991	1.23	1.98	50.66	53.87

एल्युमीनियम के बर्तनों का निर्यात

[हिन्दी]

1675. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री रामकृष्ण कुसमरिया :

श्री बलराज पासी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा एल्युमीनियम के बरतनों के निर्यात हेतु अब तक पहचाने गए देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनको यह निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० (एन० एस० आई० सी०) ने एल्युमीनियम के बरतनों के निर्यात हेतु इग्लैंड (यू० के०) जर्मनी तथा नीदरलैंड की पहचान की है। इग्लैंड तथा नीदरलैंड को निर्यात पहले से ही किये जा रहे हैं और वर्ष 1992-93 में जर्मनी को भी निर्यात करने की सम्भावना है।

जयपुर में हीरा उद्योग परिसर की स्थापना

1676. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हीरे के निर्यात के लिए राजस्थान में हीरा उद्योग को क्या सुविधाएं दी गई हैं;

(ख) क्या सरकार का हीरा व्यापार के संवर्धन के लिए जयपुर में हीरा उद्योग परिसर स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सरकार पूरे देश में हीरे के निर्यातकों को एक समान सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं और इनका उल्लेख वर्तमान आयात-निर्यात नीति में किया गया है। अतः राजस्थान सहित किसी भी राज्य में हीरे के निर्यातकों को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है।

(ख) सरकार के पास जयपुर में हीरा उद्योग परिसर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जूट का आयात और निर्यात

1677. श्री राम पूजन पटेल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 और जनवरी 1992 तक कितनी मात्रा में जूट का आयात और निर्यात किया गया; और

(ख) तत्संबंधी आय और व्यय का ब्यौरा क्या है;

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89; 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान (जनवरी-1992 तक) भारतीय पटसन निगम द्वारा आयातित तथा निर्यातित पटसन की मात्रा तथा उन पर हुए व्यय तथा आय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

मात्रा : "000" गांठ में प्रत्येक गांठ

180 कि०ग्रा०

कीमत : रु०/लाख

	आयात	निर्यात	व्यय	निवल लाभ
1988-89	—	21.55	256.70	1.64
1989-90	—	28.11	374.86	1.80
1990-91	—	56.35	986.58	11.49
1991-92 (जनवरी, 92 तक)	—	—	—	—

जयपुर के शेयर-बाजार के लाइसेन्स का नियमन

[अनुवाद]

1678. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जयपुर के शेयर-बाजार के लाइसेंस का नियमन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सरकार ने जयपुर स्टाक एक्सचेंज की मान्यता का 9 जनवरी, 1990 से 5 वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण कर दिया है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 की मरम्मत

1679. श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर-मोतीहारी-रक्सौल राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 28 कई स्थानों पर टूटा-फूटा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उपर्युक्त सड़क की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाने का है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-28 का मुजफ्फरपुर-मोतीहारी-रक्सौल खंड आमतौर पर यातायात योग्य स्थिति में है। 1988-89 से 1990-91 के दौरान इस खंड हेतु सामान्य रख-रखाव अनुदान (ग्रांट) के अतिरिक्त 32.00 लाख रु० लागत के बाढ़ ग्रस्त कार्यों/विशेष मरम्मत कार्यों और 508.00 लाख रु० लागत के सुधार कार्यों को मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, 1991-92 के दौरान 103.50 लाख रु० लागत के 2 सुधार कार्यों को भी मंजूरी दी गई है।

अग्नि प्रक्षेपास्त्र

[हिन्दी]

1680. श्री यशवंतराव पाटिल :

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 और 1991 के लिए अग्नि प्रक्षेपास्त्र के दो और परीक्षणों की योजना तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त परीक्षण कराए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं और सशस्त्र बलों में यह प्रक्षेपास्त्र कब तक शामिल किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का पेट्रिअट प्रक्षेपास्त्र के अनुरूप कोई अन्य प्रक्षेपास्त्र विकसित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) मई, 1989 में पुन: प्रवेश परीक्षण वाहन "अग्नि" का पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किए जाने के पश्चात् आगामी वर्षों में और प्रक्षेपण किए जाने की योजना बनाई गई थी परन्तु इसके लिए कोई विशेष प्रक्षेपण कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया। अगला प्रक्षेपण 199 के पूर्वार्द्ध में किए जाने की योजना है। "अग्नि" मात्र एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक प्रक्षेपास्त्र है इसलिए इसे सशस्त्र सेनाओं में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(ग) सतह से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र "आकाश" विकास के अन्तिम चरण में है और वह उसी श्रेणी का है जो अमेरिका की पेट्रियाट मिसाइल है।

(घ) "आकाश" एक चल, मध्यम दूरी तक सतह से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है इसमें बहुलक्ष्यभेदी तथा एंटी-बैलिस्टिक डिफैंस क्षमता होगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 2 को चौड़ा करना

1681. श्री शिवलाल नागजीभाई बेकरिया :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 2 पर बल्लभगढ़ और मथुरा खण्ड को चौड़ा करके तथा विकसित करके डबल लेन मार्ग बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के बल्लभगढ़-मथुरा खंड को 130.91 करोड़ रु० की अनुमोदित लागत से चौड़ा करके चार लेन का बनाने का कार्य प्रगति पर है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक

1682. डा० परशुराम गंगवार :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गंभीर आर्थिक संकट को देखते हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को इस रोक के कारण कर्मचारियों के असंतोष की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एस० टी० ए० परमिटों के अन्तर्गत चलने वाली बसों के लिए बसों के किराए

[अनुवाद]

1683. **डा० सी० सिलवेरा :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में डी० टी० सी० मार्गों पर एम० टी० ए० परमिटों के अन्तर्गत चलने वाली बसों के किराये को हाल ही में संशोधित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने मनमाना किराया वसूल करने के लिए इन बसों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली में जनवरी, 1992 में "प्राईवेट स्टेज कैरिज" बसों को संशोधित करके दिल्ली परिवहन निगम के संशोधित किराये के समान कर दिया है, जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

दूरी	किराया
0—6 कि० मी०	1 रु०
6—16 कि० मी०	2 रु०
16 कि० मी० से आगे	3 रु०

(ग) उपर्युक्त पैरा (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कॉफी उत्पादकों के लिए नाम

1684. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :**

श्री के० एच० मुनियप्पा :

श्री बी० कृष्ण राव :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अन्य वस्तुओं की तरह कॉफी उत्पादकों को अपने उत्पादों पर नाम

लिखने की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पो० चिदम्बरम) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कॉफी अधिनियम के मुताबिक उपजकर्ताओं द्वारा आपूरित कॉफी को पूल में शामिल किया जाएगा और कॉफी रोपणकर्ताओं को अपने उत्पाद के लिए अपना नाम देने की कोई गुंजाइश नहीं है।

बैंकों में जमा राशि

1685. श्री दिलीप सिंह भूरिया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 30 जून, 1991 तथा 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में जनता की कुल कितनी धनराशि जमा थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार जून, 1991 (28 जून, 1991) और दिसम्बर, 1991 (27 दिसम्बर, 1991) के अन्तिम शुक्रवार के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियां क्रमश: 173753.66 करोड़ रुपये और 190984.76 करोड़ रुपये थी।

रबड़ का आयात

[अनुवाद]

1686. श्री थाइल जॉन अजलोज :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार प्राकृतिक और सिंथेटिक रबड़ के आयात पर रोक लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रबड़ के पौधा रोपण के लिए राजसहायता में वृद्धि करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पो० चिदम्बरम) : (क) और (ख) आयात तथा निर्यात नीति की समीक्षा की जा रही है। 1 अप्रैल, 1992 को जब नई नीति की घोषणा की जाएगी तब निर्णय लिया जाएगा।

(ग) और (घ) रबड़ के नये पौधरोपड़ तथा पुनर्रोपण के लिए आर्थिक सहायता को संशोधित करके उसे बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उस पर रबड़ बोर्ड की आठवीं योजना प्रस्तावों के एक भाग के रूप में विचार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में सड़क/पुलों के निर्माण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से सहायता

1687. **श्री शंकरराव काले :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में पुलों और सड़कों के निर्माण के लिए कुछ अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कें/पुलों को इसके अन्तर्गत लिए जाने का विचार है और उनकी लम्बाई कितनी है;

(ग) वित्तीय संस्थानों के नाम और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता राशि कितनी है;

(घ) इन सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य हेतु निर्धारित समय सीमा क्या है; और

(ङ) निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र में ऐसी राज्य सड़क परियोजनाओं और उनकी लम्बाई के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

	सड़क का नाम	(लम्बाई कि० मी० में)
1.	आबडी-पालघर	69.9
2.	पुणे-अहमदनगर	113.0
3.	अहमदनगर-औरंगाबाद	106.4
4.	औरंगाबाद-मांथा	130.7
5.	अकोला-कन्हेरगांव	96.0
6.	नागपुर-कांपा	70.0
7.	अहमदनगर-कोपरगांव	96.0
		682 0

(ख) और (घ) विश्व बैंक ने 49.7 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान किया है। ऋण के अन्तर्गत इन परियोजनाओं के पूरे होने का समय शिड्यूल दिसम्बर, 1994 तक है।

(ङ) ये सड़कें राज्य सड़कें हैं और इसलिए इन परियोजनाओं को समय शिड्यूल के अन्दर पूरा करने का काम अनिवार्यतः महाराष्ट्र सरकार का है।

एम० वी० निकोबार को हटाना

1688. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या जलभूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा खरीदे गये एम० वी० निकोबार यात्री तथा मालवाहक जलयान की अंडमान मुख्य भूमि सेवा से हटाने के आदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) हज तीर्थयात्रा सेवा के प्रचालन के प्रयोजन से यात्री व कार्गो जहाज एम०वी० निकोबार को अप्रैल, 1992 से सितम्बर, 1992 तक मुख्य भूमि अंडमान सेवा से हटाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1992 के दौरान जहाज एम० वी० निकोबार की हज सेवा पर लगाने का प्रस्ताव है क्योंकि फिलहाल उपलब्ध जहाजों में से केवल यह भारतीय यात्री जहाज ही हज सेवा के प्रचालन के लिए उपयुक्त है। इस जहाज को मुख्य भूमि अंडमान सेवा से हटाने के बाद, यह आशा है कि दो जहाज एम० वी० हर्षवर्धन और एम० वी० नानकोरी (नया जहाज जिसके शीघ्र ही डिलिवर होने की सम्भावना है) अप्रैल से सितम्बर, 1992 के दौरान मुख्य भूमि अंडमान सेवा के लिए उपलब्ध होंगे। तीर्थ यात्रियों को लाने ले जाने के प्रयोजन से दीर्घावधि विकल्पों का पता लगाने के लिए भी प्रयास किये गये हैं।

उड़ीसा में सूती मिलें

1689. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में कितनी सूती मिलें कार्यरत हैं;

(ख) क्या इस राज्य की सूती मिलों को सूती मिलने में कठिनाई हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31-1-1992 की स्थिति अनुसार उड़ीसा में 14 सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलें (13 बुनाई तथा 1 मिश्रित) थीं।

(ख) और (ग) कपास की उपलब्धता के बारे में कोई कठिनाई नहीं है। तथापि, कुछ मिलों को पर्याप्त मात्रा में खरीदारी करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि विशेषकर मध्य भारत में बारिस के न होने के कारण कपास के उत्पादन में गिरावट आने के फलस्वरूप चालू वर्ष के दौरान कपास की कीमतों में वृद्धि हुई है।

बैंकों में धोखाधड़ी

1690. श्री मोहन सिंह :

श्री राम विलास पासवान :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990 की तुलना में 1991 के अन्त में बैंकों में धोखाधड़ियों में राज्यवार कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान धोखाधड़ी के इन मामलों में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) क्या सरकार ने इस पूरे मामले की जांच हेतु कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान आंकड़ा रखरखाव प्रणाली से बैंक धोखाधड़ियों की संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशियों के बारे में राज्यवार सूचना नहीं प्राप्त होती। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उसे अक्तूबर से दिसम्बर, 1991 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों में पता लगाई गई धोखाधड़ियों की संख्या और राशि के बारे में अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः 1990 और 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार बैंक धोखाधड़ियों की तुलना नहीं की जा सकती। अलबत्ता, जनवरी से सितम्बर, 1990 (1357 धोखाधड़ियां, जिनमें 7924.30 लाख रुपये + 7500 डालर + एस० एच० एस० 4597787 अन्तर्ग्रस्त हैं) और जनवरी से सितम्बर, 1991 (1288 धोखाधड़ियां, जिनमें 4722.30 लाख रुपये और 8000 डालर अन्तर्ग्रस्त हैं) की अवधि से संबंधित धोखाधड़ियों की संख्या और राशि की तुलना से धोखाधड़ियों की संख्या में 5.08% और राशि में लगभग 40.41% की कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1990 और 1991 (सितम्बर 1991 तक) में भारत में सभी वाणिज्यिक बैंकों (उनकी विदेशी शाखाओं सहित) के संबंध में बैंक धोखाधड़ियों में क्रमशः 11014.90 लाख रुपये + 7500 डालर + एस० एच० एस० 4597787 और 4722.30 लाख रुपये + 8000 डालर की राशि अन्तर्ग्रस्त थी।

(ग) सरकार के परामर्श पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में धोखाधड़ियों और कदाचारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन उप-गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

टेलीफोन रखने वाले व्यक्तियों को आयकर के नोटिस

1691. श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में आयकर विभाग नये टेलीफोन प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) नये टेलीफोन कनेक्शनों को सम्भावित नये करदाताओं का पता लगाने हेतु जांच-पड़ताल किए जाने के मापदण्डों में से एक मापदण्ड माना गया है। तदनुसार, जिन व्यक्तियों ने नये टेलीफोन कनैक्शन बुक करवाये थे अथवा प्राप्त किए थे, ऐसे व्यक्तियों के बारे में संबंधित प्राधिकारियों से तथा गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा एवं तमिलनाडु के राज्यों में स्थित आयकर विभाग की केन्द्रीय सूचना शाखाओं से प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर संबंधित व्यक्तियों को एक चुनिंदा आधार पर जांच-पत्र जारी किए गए थे, और एकत्र हुई सूचना को समुचित कार्यवाही हेतु कर-निर्धारण अधिकारियों के पास भेज दिया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना

1692. श्री विजय कुमार यादव :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना से कर्मचारियों की संख्या में कितनी कमी होगी ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के प्रयोजन से इसकी पुन: स्थापना हेतु एक अन्त: संबंध पैकेज तैयार करने के लिए वित्त मन्त्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक दल गठित किया गया है। दि० प० नि० के कर्मचारियों के लिए ऐच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम का प्रस्ताव मंत्रियों के इस दल के विचाराधीन प्रस्तावों में से एक है। इस स्कीम पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

लघु उद्योगों को ऋण

[हिन्दी]

1693. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री विलासराव नागनाथराव मुंडेवार :

श्री रामजी लखन सिंह यादव :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री प्रकाश वी० पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा लघु उद्योगों को ऋण मंजूर करने के लिए कोई दिशानिर्देश निर्धारित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बैंकों और संस्थानों को लघु उद्योगों/उद्यमियों से ऋण के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितना ऋण मंजूर किया गया;

(घ) क्या ऋण मंजूर करने में विलम्ब के कारण अनेक उद्योग रुग्ण हो गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) और (ख) बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को कार्यशील पूंजी सीमा और अन्य वित्तीय सहायता को समय पर और उचित मंजूरी से संबंधित सामान्य दिशा निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये जाते हैं। लघु उद्योगों के संवर्द्धन, वित्त पोषण करने और विकास के वास्ते मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक एस० एफ० सी०, एस० आई० डी० सी०, वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों जैसी प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं को दिशा निर्देश जारी करता है जिसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ ब्याज की दर, प्रवर्तकों का योगदान, ऋण इक्विटी अनुपात, पुनर्अदायगी की अवधि और ऐसे अन्य मदों जैसी सहायता की शर्तें रखते हुए लघु उद्योग विकास बैंक की पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग पुनर्वित्त की विशेष मदें आ जाती हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वे एककों की संख्या और मंजूर की गई धनराशि से संबंधित आंकड़े एकत्र नहीं करते। तथापि, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने अप्रैल, 90 से मार्च, 91 और अप्रैल, 91 से सितम्बर, 91 की अवधि के दौरान क्रमशः 1,06,663 और 68,337 एककों को 2,823.8 करोड़ रु० और 2267.5 करोड़ रु० की सहायता मंजूर की। उपर्युक्त अवधि में अपनी पुनर्वित्त और बिलों की भुनायी योजनाओं के अन्तर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा मंजूर की गई सहायता को राज्यवार दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक लघु उद्योगों को प्राय: समय पर ऋण देते हैं। तथापि, एकाध ऐसे दृष्टांत हो सकते हैं जहां ऋण संकुचन या बैंक के ऋण पोर्टफोलियों के अत्यधिक विस्तार के कारण बैंक कार्यशील पूंजी देने में असमर्थ रहे हों। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समिति लघु उद्योग एककों के मामलों की निरंतर समीक्षा करते हैं जिनके लिए एस॰ एफ॰ सी॰ द्वारा सावधि ऋण मंजूर किये गए हैं, लेकिन जिनके लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी मंजूर नहीं की गई है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक से उद्योगों को रुग्ण होने से रोकने के लिए बैंकों को समय पर कार्यशील पूंजी की मंजूरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

विवरण

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा मंजूर राज्य-वार सहायता

(करोड़ रुपए)

सं॰	राज्य	अप्रैल, 90 से मार्च, 91 मंजूर राशि	अप्रैल, 91 से दिसम्बर, 91 मंजूर राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	190.3	118.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.6	0.2
3.	असम	16.2	11.4
4.	बिहार	44.4	27.4
5.	गोवा	22.7	19.5
6.	गुजरात	278.5	245.4
7.	हरियाणा	64.8	61.3
8.	हिमाचल प्रदेश	22.2	21.5
9.	जम्मू व कश्मीर	29·3	19.3
10.	कर्नाटक	203.6	150.7
11.	केरल	111.4	75.9
12.	मध्य प्रदेश	111.6	67.9
18.	महाराष्ट्र	290.8	206.9

1	2	3	4
14.	मणिपुर	1.8	1.9
15.	मेघालय	2.7	1.2
16.	मिजोरम	3.4	1.6
17.	नागालैण्ड	2.1	0.3
18.	उड़ीसा	50.7	37.2
19.	पंजाब	95.1	53.9
20.	राजस्थान	124.1	97.9
21.	सिक्किम	0.9	1.9
22.	तमिलनाडु	263.5	224.3
23.	त्रिपुरा	1.3	2.4
24.	उत्तर प्रदेश	189.6	147.4
25.	पश्चिम बंगाल	107.5	87.3
26.	संघ राज्य क्षेत्र	63.1	52.8
	कुल	2292.2	1746.1

बिहार में आयुध कारखाना

1694. **श्री राजेश कुमार :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में एक आयुध कारखाना स्थापित करने हेतु निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु किस स्थान का चुनाव किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) प्रणोदकों के उत्पादन के संबंध में प्रस्तावित आयुध निर्माणी की स्थापना के लिए बिहार सरकार ने कुछ समय पूर्व कतिपय स्थानों का प्रस्ताव रखा था।

(ख) प्रणोदकों का निर्माण करने के लिए नई आयुध निर्माणी स्थापित करने का प्रस्ताव अब छोड़ दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्यों को अग्रिम राशि

[अनुवाद]

1695. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए आगामी वित्त वर्ष से अग्रिम राशि देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो 1992-93 के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कुल कितनी राशि देने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में राशि का इस्तेमाल न किए जाने के कारण विदेशी कोष व्यपगत हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) विदेशी से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्यों को अग्रिम राशि देने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) और (घ) विदेशी सहायता सामान्यत: 5-7 वर्षों वाली परियोजनाओं से सम्बद्ध होती है। जहां आवश्यक होता है, वचनबद्ध सहायता के पूरे उपयोग के लिए दाता एजेंसियों के साथ निरन्तर और पुन:संरचना के लिए समझौता किया जाता है।

नाविकों के लिए राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड

1697. **श्री पी० जी० नारायणन :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1988 में नाविकों के लिए गठित किए गए राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड की अवधि समाप्त हो गई है और यदि हां, तो कब;

(ख) क्या बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां। 1988 में गठित किए गए राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड का कार्यकाल 27-1-[illegible] को समाप्त हो गया था।

(ख) जी हां।

(ग) राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड को गठित करने संबंधी विभाग [illegible] की अधिसूचना की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

(भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (II) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली 10-4-91

अधिसूचना

का०आ० 851 (अ) समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड नियमावली, 1963 के नियम 3 और 4 के साथ पठित वाणिज्य नौवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 218 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

अध्यक्ष		
1.	नौवहन मंत्री	(पदेन)
सदस्य		
2.	नौवहन महानिदेशक जहाज भवन, वालचन्द हीराचन्द मार्ग, बम्बई-400038	(पदेन)
3.	नाविक कल्याण से संबंधित संयुक्त सचिव जल-भूतल परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली	केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि
4.	श्री सत्य नारायण, उप सचिव श्रम मंत्रालय, जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली	
5.	श्री सुमंत्र चौधरी, भा०प्र०से० संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि
6.	कैप्टन के, सुब्रमण्यम, पत्तन अधिकारी मार्फत राज्य पत्तन निदेशक, काकीनाड़ा ईस्ट गोदावरी, जिला, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि
7.	कैप्टन बी० आर० राव, हारबर मास्टर, विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के प्रतिनिधि
8.	कैप्टन पी०सी० चतुर्वेदी, हारबर मास्टर कांडला पोर्ट ट्रस्ट, गांधीधाम (कच्छ) गुजरात	कांडला पोर्ट ट्रस्ट के प्रतिनिधि

9.	श्री एम० ई० पारधिवाल, उपाध्यक्ष मै० ग्रेट ईस्टन शिपिंग कार्पोरेशन लि० हांचकांग बैंक बिल्डिंग, 60, एम०जी० रोड बम्बई-400023	जहाज मालिकों के प्रतिनिधि
10	श्री के० एस० भंडार कर, अध्यक्ष नौनसं एजेंट समिति (कूच) 4, एस० बी० मार्ग, बलार्ड स्टेट, बम्बई-400038	
11.	डा० लिओबर्नीज, महासचिव, नेशनल यूनियन आफ सीफेअरर आफ इंडिया 4, गोवा स्टेट, बलार्ड स्टेट बम्बई-400038	सेफेअरर का प्रतिनिधि
12.	श्री के० ई० सुखिया, महासचिव, मैरीटाइम यूनियन ऑफ इण्डिया, उद्योग भवन चौथी मंजिल 29 डब्लू०एच० मार्ग बलार्ड स्टेट, बम्बई-400038	
13.	अधिसूचना सं० एम०टी०-15012/3/90- एम०टी० दिनांक 20-9-91 द्वारा श्री जार्ज फर्नांडिस, लोक सभा सदस्य का नाम सम्मिलित किया गया	लोकसभा के प्रतिनिधि
14.	श्री ई० बालानन्दन, राज्य सभा के सदस्य 203, नार्थ ऐवन्यू, नई दिल्ली पुनामुल्लथ, पो०ओ० कलमसरी, एर्नाकुलम	राज्यसभा के प्रतिनिधि
15.	श्री लक्ष्मीनारायण, शिपिंग मास्टर, गवर्नमेंट शिपिंग आफिस, न्यू भवन, बलार्ड स्टेट, बम्बई-400038	नाविकों के कल्याण वाली सोसाइटियों के प्रतिनिधि
16.	श्री प्रेम जी भाई बी० खोखरी महासचिव, फेडरेशन ऑफ आल इंडिया सैलिंग वेसल्ज, इंडस्ट्री ऐसोशिएशन बंदर रोड, पोरबन्दर जिला जूनागढ़ गुजरात	नाविकों के कल्याण अथवा सार्वजनिक कल्याण क्षेत्र में ख्याति प्राप्त गैर सरकारी सदस्य
17.	नौवहन उप महानिदेशक, नाविक कल्याण प्रभारी, जहाज भवन, वालचंद होराचन्द मार्ग, बम्बई-400038	(पदेन) सदस्य सचिव

(फा० सं० एस० टी०-15012/3/ 0-एम० टी०)

ह०/-

(एस० एन० कक्कड़)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी,
नई दिल्ली

(भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खंड 3 उप-खंड (II) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
(नौवहन पक्ष)
नई दिल्ली, 20-3-91

का०आ० (अ) समय-समय पर यथा संशोधित नेशनल वैलफेयर बोर्ड ऑफ सीफेयररज नियम, 1963 के नियम 3 और 4 के साथ पठित वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 218 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद् द्वारा इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 851 (अ) दिनांक 10 अप्रैल, 1991 के अनुक्रम में श्री जार्ज फर्नांडिस, लोकसभा सदस्य 3, कृष्णा मैनन मार्ग, नई दिल्ली को लोक सभा का प्रतिनिधित्व करने हेतु उपर्युक्त बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित करती है।

(फा० सं० एस० टी०-15012/3/90-एम० टी०)

ह०/-
(एस० एन० कक्कड़)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि :—

1. सभी राज्य सरकार।
2. प्रधान मंत्री कार्यालय।
3. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली।
4. संसदीय कार्य विभाग, नई दिल्ली।
5. सभी पत्तन न्यास।
6. महानिदेशक, नौवहन बम्बई को इस अनुरोध के साथ एक प्रतिलिपि तथा 50 अतिरिक्त प्रतियां कि सभी संबंधित सदस्यों को एक प्रति भेज दी जाए।

ह०/-
(के० पद्मनाभाचार)
अवर सचिव, भारत सरकार।

महाराष्ट्र को केन्द्रीय सड़क निधि

1698. श्री सुधीर सावन्त :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 30 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5253 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत आबंटित राशि में असंगति के क्या कारण हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित 10.57 करोड़ रुपए की अपनी बकाया राशि के समायोजन के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत कोई योजना भेजी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कारवाई की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) केन्द्रीय सड़क निधि विभिन्न राज्यों में खपत हुए पैट्रोल पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की वसूली में से अपना राजस्व प्राप्त करती है। पुराने संकल्प के अनुसार इस निधि की संभूतियों की दर 3.5 पैसे प्रति लीटर बनती है। चूंकि विभिन्न राज्यों में पैट्रोल की खपत अलग-अलग होती है, इसलिए के० स० नि० के अन्तर्गत संबंधित राज्यों की संभूतियों में भी अन्तर होता है। इसके अतिरिक्त संबंधित राज्यों को निधियों का वास्तविक आबंटन, अनुमोदित स्कीमों की कुल लागत, पहले से ही जारी की गई निधियां राज्य सरकार द्वारा परियोजित आवश्यकताएं और वित्त वर्ष के दौरान सारे देश के लिए उपलब्ध कुल निधियों पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) पुराने संकल्प के अनुसार 31.3.1992 तक शेष 10.57 करोड़ रु० की संभूतियों के मुकाबले महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 17.70 करोड़ रु० लागत की 42 स्कीमें भेजी है। इन स्कीमों को इस शर्त पर मंजूरी दी गई है कि शेष लागत तथा इसमें 10.57 करोड़ रु० से ज्यादा यदि कोई वृद्धि हुई तो वह राज्य सरकार द्वारा अपने योजनागत संसाधनों से पूरी की जाएगी।

गुजरात और हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए योजनाएं

[हिन्दी]

1699. श्री अवतारसिंह भड़ाना :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और गुजरात सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु आठवीं पंच वर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई योजनाएं भेजी हैं; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और केन्द्रीय सरकार द्वारा उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है।

चूंकि आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है इसलिए और राष्ट्रीय राजमार्गों

के परिव्यय की अभी जानकारी नहीं है, इसलिए इस स्थिति में किसी प्रस्ताव पर विचार करना संभव नहीं है।

विवरण

गुजरात

क्रम सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)
1.	सड़क कार्यों में सुधार (1453 कि० मी०)	640.39
2.	नये राष्ट्रीय राजमार्ग (2124 कि० मी०)	425.00
3.	एक्सप्रेसवेज (250 कि० मी०)	874.00
4.	बाईपास (6)	29.00
5.	पुल कार्य (520)	266.57
6.	विविध	277.13
	जोड़ :	2512.09

हरियाणा

1.	सड़क कार्यों का सुधार (509.5 कि० मी०)	256.67
2.	बाईपास (6)	79.63
3.	पुल कार्य (2)	4.50
4.	आर० ओ० बी० (4)	18.25
5.	विविध	15.45
	जोड़	374.50

लोजिंग कम्पनियां

[अनुवाद]

1700. श्री प्रतापराव जी० जाधव :

श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनेक वित्त तथा लीजिंग कम्पनियों को प्राइवेट बैंकों के रूप में काम करने की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि वित्तीय और लीजिंग कम्पनियों को बैंक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु मास्टर प्लान

[हिन्दी]

1701. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा नेपाल सीमा को जोड़ने वाले आठ अन्तर्राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में सम्मिलित करने हेतु किसी मास्टर प्लान की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) बिहार और नेपाल को जोड़ने वाली दरभंगा और फारबिसगंज के बीच की सड़क का निर्माण कार्य रोक दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त कार्य को पूरा करवाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) बिहार में प्रशनगत सड़क सहित विभिन्न राज्यों में नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा से सम्बन्धित निर्णय, इस प्रयोजनार्थ निर्धारित कुछ मानदंडों और निधियों की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना के तैयार होने के बाद ही लिया जाएगा।

विवरण

क्रम सं०	सड़क का विवरण	लम्बाई (कि० मी०)
1	2	3
1.	पीलीभीत-हरद्वार-पौड़ी-नाहन अम्बाला	475
2.	गोरखपुर-सोनवा	84

1	2	3
3.	*दरभंगा-फोरबेसगंज लिंक सहित पार्श्व-सड़क (बरेली अमीनगांव)	1050
4.	गाजीपुर-बलिया-छपरा-हाजीपुर	210
5.	मोहकम-फरक्का	310
6.	आरा-बक्सर	80
7.	पटना-मुजफ्फरपुर-सोनबरसा	160
8.	कोरा-कटिहार-हरीशचन्द्र-फरक्का	95

*. दरभंगा फोरबेसगंज हिस्से को छोड़कर यह राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में शामिल है।

सरकारी अधिकारियों द्वारा सरकारी वाहनों का प्रयोग

[अनुवाद]

1702. श्री मदन लाल खुराना :

क्या वित्त मन्त्री ३ अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 1515 के उत्तर क्षेत्र के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को अपनी कारें सरकारी अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाने हेतु उनसे अनुरोध मिलते रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो बचत सम्बन्धी जारी निर्देशों को ईमानदारी पूर्वक पालन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्टाफ कार नियमों का उल्लंघन करते हुए कई अधिकारियों को विशेष तौर पर ड्राइवर सहित स्टाफ कार उपलब्ध कराई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त उल्लंघन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों मे स्टाफ कारों का प्रयोग प्रत्येक कम्पनी की अपनी-अपनी नीति के अनुसार तथा सरकारी उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के दौरे पर न रहते हुए उनके द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों की स्टाफ कारों का प्रयोग करने की मनाही के भी अनुदेश विद्यमान हैं। अनुदेशों की मानीटरी करना उस प्रशासनिक मन्त्रालय/विभाग का काम है जिसके नियंत्रणाधीन कम्पनियां/निकाय हैं। यह सूचना भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों/विभागों से एकत्रित करनी पड़ेगी और उससे प्राप्त होने वाला उद्देश्य उसमें लगने वाले समय और श्रम के अनुरूप नहीं होगा।

(ग) और (घ) किसी भी अधिकारी के प्रयोग के लिए अलग से कोई स्टाफ कार नहीं रखी

जाती है। स्टाफ कारों का एक पूल होता है और उन्हें उपलब्धता तथा आवश्यकता के अनुसार काम में लगाया जाता है। स्टाफ कारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्टाफ कार नियमों तथा सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों में सुरक्षा उपायों की व्यवस्था है।

विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंक

1703. **श्री जी० माडे गौडा :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विदेशों, में बैंकवार और देशवार भारतीय बैंकों की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं;

(ख) क्या उनमें से कुछ बैंक रुग्ण हो गए हैं और घाटे में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन बैंकों के घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) इस समय 9 भारतीय बैंकों की 115 शाखायें विदेशों में कार्य कर रही है। बैंक-वार और देश-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए जाने वाले अपेक्षित प्रावधानों के कारण भारतीय बैंकों की कुल विदेशी शाखाओं को हानि हुई है।

(ग) विदेशों में कार्य कर रहे अलग-अलग भारतीय बैंकों को हुई हानियों का ब्यौरा प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

(ख) विदेशी शाखाओं के परिचालनों पर निगरानी करने और उनमें सुधार करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्मिक नीति और ऋण देने की सीमा तथा देशीय लेन-देनों के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करना, आन्तरिक और पर्यवेक्षी नियंत्रण को मजबूत करना, भारतीय बैंकों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना अन्तर्राष्ट्रीय प्रभागों का निरीक्षण, अलाभ शाखाओं को बन्द करना, समस्या ऋणों की समीक्षा करना आदि शामिल हैं। विदेशी शाखाओं की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की कार्य योजना बैठकों में भी विस्तार से चर्चा की जाती है।

विवरण

देश	बैंक आफ बड़ोदा	बैंक आफ इण्डिया	भारत ओवर-सीज; बैंक	केनरा बैंक	इंडियन बैंक	इंडियन ओवर-सीज; बैंक	बैंक आफ इंडिया	सिंडिकेट बैंक	यूको बैंक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बंगला देश	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
बहामास	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
बहरीन	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
बेलजियम	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
केमे द्वीप	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
चैनल द्वीप	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
फीजी द्वीप	9	—	—	—	—	—	—	—	—	9
फ्रांस	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
गुयाना	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
हांगकांग	—	2	—	—	—	2	1	—	2	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जापान	—	2	—	—	—	—	2	—	—	4
कन्या	6	2	—	—	—	—	—	—	—	8
मारीसस	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7
मालदीव	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
ओमान	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3
पमामा	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
दक्षिण कोरिया	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
श्रीलंका	—	—	—	—	2	2	2	—	—	6
सिंगापुर	—	—	—	—	2	2	2	—	3	7
सिसली	1	—	—	1	1	1	—	—	3	1
थाईलैण्ड	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—
यू० एस० ए०	1	2	—	—	—	—	5	1	2	33
यू० के०	11	3	—	—	1	—	—	—	—	6
यू० ए० ई०	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6
एफ० आर० जर्मनी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
योग	48	25	1	1	3	6	23	1	7	115

बैंकों में लाकरों की सुरक्षा

1704. **श्री जीवन शर्मा :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों से किराये पर लिये गए लाकरों में रखी गयी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए बैंक उत्तरदायी हैं;

(ख) यदि नहीं, तो लाकरों और उनमें रखी गयी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए वे किस हद तक उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या कई बैंक लाकरों को टूटा हुआ अथवा अनाधिकृत रूप से खुला पाया गया और उनमें से वस्तुओं को गुम पाया गया;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में ऐसे लाकरों और उनमें से गुम हुई वस्तुओं के मूल्य का बैंक-वार ब्योरा क्या है;

(ङ) लाकरों के टूटे होने और उनमें से वस्तुओं के गुम होने के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों ने न्यायालय में मामले दायर किये हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा सुरक्षा उपायों सहित क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ग्राहक जो लॉकर किराए पर लेता है, उसमें दो चाबी वाला ताला लगा होता है और उसे दो चाबियों की मदद से ही खोला जा सकता है। एक चाबी सदैव ग्राहक के पास होती है और दूसरी बैंक के पास। लॉकर्स किराये पर लेने संबंधी समझौते में, किराये देने वाले के संबंध में ब्योरा होता है जिसे सामान्य तौर पर वार्षिक आधार पर पूर्व निर्धारित किराया प्रभारों की अदायगी करनी होती है। बैंक को लॉकर में रखी वस्तुओं की कोई जानकारी नहीं होती है। बैंक से आशा की जाती है कि वह साधारण देख-भाल करे और वाल्ट और लाकर्स की सुरक्षा के लिए उपयुक्त सावधानी बरते।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :

1. **ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स; गुडगांव शाखा**

अक्तूबर, 1988 में शाखा में हुई सेंधमारी में 9 लॉकरों को खुला पाया गया था।

2. **बैंक आफ महाराष्ट्र, अमृतसर शाखा**

7/8 जनवरी, 1989 को शाखा में हुई सेंधमारी में 44 सुरक्षा जमा लाकरों को खुला पाया गया था।

3. **न्यू बैंक आफ इंडिया, पक्खोवाल शाखा, जिला अमृतसर**

15/16 दिसम्बर, 1990 को शाखा में हुई सेंधमारी में 28 लाकरों को खुला पाया गया। पुलिस द्वारा बरामद 1.5 कि० ग्रा० स्वर्णाभूषणों और 4,26, 390/- रुपयों को मजिस्ट्रेट ने 21 दावेदारों में बांटा।

4. पंजाब नेशनल बैंक, गोरेगांव (पश्चिम) शाखा, बम्बई

लाकरों से चोरी के बारे में 13.6.88 को शिकायत प्राप्त हुई थी। पट्टेदारों ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के पास शिकायत भी दर्ज की।

5. पंजाब नेशनल बैंक, अशोक विहार शाखा, दिल्ली

लाकरों से चोरी के बारे में 16.6.88 को शिकायत प्राप्त हुई थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामले को जांच-योग्य नहीं पाया और बैंक ने दावे से इंकार कर दिया है।

6. पंजाब नेशनल बैंक, फरीदाबाद शाखा

लाकरों से चोरी के बारे में 21.9.88 की शिकायत प्राप्त हुई थी। पट्टेदारों ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के पास भी शिकायत दर्ज की है।

7. पंजाब नेशनल बैंक, फरीदाबाद शाखा

लाकरों से चोरी के बारे में 23.9.88 को शिकायत प्राप्त हुई थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामले को जांच-योग्य नहीं पाया और बैंक ने दावे से इंकार कर दिया है।

8. पंजाब नेशनल बैंक, माल रोड शाखा, दिल्ली

एक एक तोले की चूड़ियों के गुम हो जाने के बारे में 8.1.92 को शिकायत प्राप्त हुई थी। पुलिस ने आरंभिक जांच की है।

9. देना बैंक, पार्क सर्कस शाखा, कलकत्ता

शिकायतकर्ता के लाकर से सोने के लगभग 50 तोला वजन के स्वर्णाभूषणों की चोरी के आरोप के बारे में फरवरी 1989 को भारतीय रिजर्व बैंक को शिकायत प्राप्त हुई थी।

10. केनरा बैंक, मैसूर शाखा

शिकायतकर्ता के लोकर से 3 तोले से अधिक वजन के सोने के हार के चोरी के आरोप के बारे में मार्च, 1989 को भारतीय रिजर्व बैंक को शिकायत प्राप्त हुई थी।

(घ) लॉकरों के रखरखाव और उनके परिचालन के लिए बैंकों के अपने आंतरिक निर्देश/मार्गनिर्देश हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे विशेष रूप से वाल्ट के स्थान, लोकरों की प्रकृति, गुप्त घंटी प्रणाली और स्थानीय पुलिस के साथ संपर्क करने के संबंध में एहतियाती उपाय करें।

स्वर्ण का उत्पादन तथा मांग

[हिन्दी]

1705. डा० लाल बहादुर राव्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण वार्षिक उत्पादन और जनता की अनुमानित मांग कितनी है;

(ख) क्या स्वर्ण की मांग तथा पूर्ति के बीच अत्यधिक अन्तर होने के कारण स्वर्ण की तस्करी होती है; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न स्रोतों से स्वर्ण की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सोने की घरेलू मांग और पूर्ति के बीच अन्तर होने के कारण और साथ ही उसके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कम होने और घरेलू मूल्य अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण सोने में तस्करी के लिए परम्परागत रूप से आकर्षण की वस्तु बना हुआ है। गत वित्तीय वर्षों के दौरान देश में मूल सोने के वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वित्तीय वर्ष	मात्रा (किलोग्राम में)
1988-89	2066.19
1989-90	2154.30
1990-91	2093.30

चूंकि सोना एक अनिवार्य वस्तु नहीं है, इसलिए सरकार घरेलू बाजार में इसकी पूर्ति को नियंत्रित नहीं करती है। तथापि, 29 फरवरी, 1992 को बजट अभिभाषण में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय मूल के तथा भारतीय पासपोर्ट रखने वाले यात्रियों को कुछेक वर्तों के अधीन सीमा शुल्क की अदायगी करने पर 5 किलोग्राम की मात्रा तक सोना आयात करने की अनुमति दी गई है। देश में सोने की मांग का अंदाजा लगाना सम्भव नहीं है।

लघु बचतों में गिरावट

[अनुवाद]

1706. श्री मोहन रावले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 के दौरान लघु-बचत-संग्रह में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितनी गिरावट आई है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप राज्यों को प्राप्त हिस्से में कोई गिरावट आई है। यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने संग्रह में होने वाली गिरावट के कारणों का पता लगाने तथा इनमें सुधार करने के उपायों के लिए एक समिति नियुक्त की है;

(ङ) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(च) क्या उस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है ? यदि हां, तो कब; और

(छ) समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो सुझाव दिये हैं उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अल्प बचतों में अप्रैल से दिसम्बर, 1991 के दौरान हुए निवल संग्रहों में अप्रैल से दिसम्बर, 1990 के निवल संग्रहों की तुलना में 32.8 प्रतिशत गिरावट दिखाई देती है।

(ग) जी, हां। राज्यवार कमी की मात्रा का पता वित्तीय वर्ष के बन्द होने के बाद चल सकेगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) समिति की अध्यक्षता डा० सी० रंगराजन, सदस्य, योजना आयोग ने की। सचिव आर्थिक कार्य विभाग, अपर सचिव (बजट), आर्थिक कार्य विभाग, डाक विभाग के प्रतिनिधि, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के वित्त सचिव समिति के सदस्य थे।

(च) समिति ने फरवरी, 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(छ) समिति ने कतिपय अल्प बचत पत्रों पर ब्याज दरों में वृद्धि करने और राजकोषीय रियायतों का विस्तार करने का सुझाव दिया है।

लौंग और दाल चीनी का आयात

1707 प्रो० के० वी० थामस :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लौंग तथा दालचीनी का प्रतिबन्धित वस्तुओं के रूप में आयात करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी, हां। विशेष लाइसेंसों पर लौंग और दालचीनी का आयात जारी रखने के लिए तथा इन मदों का एक्जिम स्क्रिप पर आयात करने की अनुमति नहीं देने के लिए विभिन्न स्थानों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय को दिनांक 29-2-1992 को सार्वजनिक सूचना सं० 278-आई० टी० सी० (पी० एन०)/1990—93 के अनुसार आयात एवं निर्यात नीति में संरचनात्मक परिवर्तन करने की घोषणा की है और निषेधात्मक सूची में शामिल की जा रही लौंग और दालचीनी मदें अब से विशेष लाइसेंसों पर आयात के लिए उपलब्ध रहेंगी। उक्त सार्वजनिक सूचना की प्रतियां संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

करेंसी नोट

1708. श्री पवन कुमार बंसल :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एक रुपया, दो रुपये और पांच रुपये के कुल कितने करेंसी नोट मुद्रित किए गए हैं; और

(ख) इन नोटों की औसत आयु कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग के मुद्रित तथा भारतीय रिजर्व बैंक को पूर्ति किए गए करेंसी नोटों की कुल संख्या नीचे बताई गई है :—

(आंकड़े दस लाख अदद में)

वर्ष	मूल्य वर्गवार उत्पादन		
	1 रुपया	2 रुपया	5 रुपया
1988-89	406.80	1527	1378
1989-90	355.00	1563	1235
1990-91	440.80	1549	1287

(ख) एक रुपये, दो रुपये और पांच रुपये के करेंसी नोटों की औसत आयु क्रमश: लगभग छह महीने, एक वर्ष और दो वर्ष है।

हथकरघा बुनकरों की मांगें

[हिन्दी]

1709. श्री दिलीप भाई संघानी :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 में केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात की धागा बनाने वाली इकायों को कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) 1990-91 में धागे के अलावा, केन्द्रीय सरकार को देश के हथकरघा बुनकरों की धागे की पूर्ति के अलावा कितनी मांगें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितनी पूरी की गई हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) हथकरघा बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना हेतु ऋण सहायता योजना के अन्तर्गत 1990-91 के दौरान गुजरात में मिलों को कोई सहायता जारी नहीं की गई क्योंकि इस राज्य के इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

(ख) भारत सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के

अन्तर्गत सभी राज्यों को सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। इन योजनाओं के अन्तर्गत देश में विभिन्न राज्यों को 1990-91 के दौरान 215.40 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। देश में कताई मिलों द्वारा लगभग 4626 मिलियन किलोग्राम बैंक यार्न वितरित किया गया, जिसमें 1990-91 के दौरान हथकरघा क्षेत्र में प्रयोग के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा सप्लाई किया गया 13.9 मिलियन किलोग्राम सूत भी शामिल है।

नए आयुध कारखानों की स्थापना

[अनुवाद]

1710. श्रीमती शीला गौतम :

श्री रामश्राय प्रसाद सिंह :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश मे आयुध कारखानों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए राज्यवार चुने गये स्थानों के नाम क्या हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

1711. श्री डी० डी० खनोरिया :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ग) शेष प्रस्तावों को स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या किसी स्वीकृत परियोजना के निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, (अर्थात 1989-90, 1990-91 और 199 -92) फरवरी, 1992 राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार से 167 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से, 4464.05 लाख रुपये लागत के 110 प्रस्ताव मंजूर हो चुके हैं, जिनके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) शेष प्रस्तावों को, वार्षिक योजना में शामिल न करने, तकनीकी और अन्य ब्यौरे उपलब्ध न करने, राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण में विलम्ब इत्यादि जैसे विभिन्न कारणों से मंजूरी नहीं दी जा सकी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र० सं०	कार्य की श्रेणी	अनुमोदित कार्यों की संख्या	अनुमोदित राशि (लाख रु०)
1.	सुधार/चौड़ीकरण	25	1556.51
2.	पेवमेंट बनाना	5	903.05
3.	भूमि अधिग्रहण	4	259.18
4.	पुल/पुलियां/सम्पर्क मार्ग	14	825.08
5.	सड़क संकेत, पटरियां, सर्वेक्षण और जांच तथा अंकलन आदि जैसे विविध कार्य।	62	920.23
	योग :	110	4464.05

चाय के मूल्यों में गिरावट

1712. श्री मोरेश्वर साबे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी खरीदारों के न होने से चाय के मूल्यों में तीव्र कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चाय उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए और वैकल्पिक विदेशी बाजारों की तलाश के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) रूसी क्रेताओं के न होने की वजह से भारतीय नीलामी कीमतों में कोई तेजी से गिरावट नहीं देखी गई है। वर्ष 1991 के दौरान कीमतों में समग्र गिरावट विश्वव्यापी घटना थी। भारतीय नीलामी केन्द्रों में कीमतों में 7% गिरावट की तुलना में कोलम्बो, जकार्ता तथा लंदन में क्रमश: 18%, 28% तथा 9% की गिरावट देखी गई।

(ग) भारतीय चाय के निर्यात संवर्धन के लिए ब्रिटेन में असम तथा दार्जिलिंग चाय लोगों अभियान शुरू किया गया है और इस ब्रांड संवर्धन योजना प्रचालन में है। इसके अलावा, चाय निर्यात पर उत्पाद शुल्क में पूरी छूट, पैकेजिंग सामग्री आदि पर शुल्क वापसी जैसे विविध प्रोत्साहन दिये गये हैं। इस उद्योग के प्रतिनिधिमण्डलों को विभिन्न देशों में जाकर बाजार विकसित करने की अनुमति दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक में नकद जमा अनुपात

1713. **श्रीमती मारगयम् चन्द्रशेखर :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक में 30,000 करोड़ रुपये का नकद जमा अनुपात रखा जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो नकद जमा अनुपात की राशि पर कुल कितनी राशि का ब्याज दिया जाता है;

(ग) क्या नकद जमा अनुपात को घटाने तथा इस पर ब्याज कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) फरवरी, 1992 को समाप्त पाक्षिक के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के पास औसत रूप से 37600 करोड़ रुपये के लगभग वैधानिक बकाया रखना अपेक्षित है।

(ख) 1990-91 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कुल 2431 करोड़ रुपये ब्याज का भुगतान किया गया।

(ग) से (ङ) नकदी प्रारक्षित अनुपात वित्त नियंत्रण का लिखित है और यह अनुपात व्याप्त परिस्थिति के अनुसार बढ़ता या घटता है। इन बकायों पर ब्याज दर भी समय-समय पर अलग-अलग होती है। भारतीय रिजर्व बैंक का यह विचार है कि इस समय नकदी प्रारक्षित अनुपात और उस पर दिया गया ब्याज उचित है। अलबत्ता, इस मामले की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है उसमें परिवर्तन किए जाते हैं।

सीमा पर तस्करी के बारे में विदेशों से बातचीत

[हिन्दी]

1714. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सीमा के पार तस्करी गतिविधियों में हो रही वृद्धि के बारे में पड़ोसी देशों के साथ कोई बातचीत की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) तस्करी गतिविधियों को रोकने हेतु पड़ोसी देशों की सरकारें कौन-कौन से कदम उठाने पर सहमत हुई हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कर्नाटक की परियोजनाओं के लिए जापानी सहायता

[अनुवाद]

1715. श्री खासकार फेरनान्डस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कुछ परियोजनाओं के लिए ओ० ई० सी० एफ० जापान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन परियोजनाओं के लिए समझौता हुआ है; और

(ग) प्रत्येक योजना के लिए अब तक कितनी धनराशि दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जापान सरकार ने कर्नाटक सरकार की क्लम्प परियोजना के लिए 16,050 बिलियन येन की ऋण सहायता प्रदान की है। इस संबंध में ऋण करार पर 13-6-1991 को हस्ताक्षर किए गए थे।

कर्नाटक पर्यटन परियोजना नामक एक दूसरी परियोजना जिसे जापान सरकार ने पिछले दो वर्षों में ऋण प्रदान करने के लिए नहीं चुना था, को पुनः 1992 के समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि ऋण पैकेज के लिए लिया गया है। इस परियोजना के लिए जापान सरकार के निर्णय की घोषणा भारत सहायता संघ की मई, 1992 में होने वाली बैठक में की जाएगी।

कालीनों के निर्यात पर प्रोत्साहन

1716. श्री राम निहोर राय :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालीन निर्माताओं को कालीनों के निर्यात पर इस समय दिए जा रहे प्रोत्साहनों को वापस ले लिया है;

(ख) क्या सरकार कालीनों के निर्यात को बढ़ावा देने की कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) सामान्य नीति के रूप में निर्यात

प्रोत्साहनों अर्थात नकद प्रतिपूर्ति सहायता और एग्जिम स्क्रिप्स को सभी निर्यात योग्य मदों से वापिस ले लिया गया है, इनमें कालीन भी सम्मिलित है। तथापि, शुल्क वापसी और शुल्क की रियायती दर पर कच्ची ऊन का आयात और 180 दिनों के लिए पोतलदान पूर्व ऋण संबंधी योजना कालीन निर्यातों पर पर लाग् रहेगी।

(ख) और (ग) विदेशों में हाथ से बुने कालीनों के निर्यात का संवर्धन करने के लिए 1992-93 के दौरान निम्नोक्त उपाय प्रस्तावित किए गए हैं :—

1. निम्नोक्त अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेकर भारतीय कालीनों का प्रदर्शन करना :—

   (क) डोमोटैक्स इन्टरनेशनल ट्रेड फेयर, हनोवर (जर्मनी)।

   (ख) हो इमटेक्सटिल एशिया फेयर, टोकियो, जापान।

2. नई दिल्ली में क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित करना।

3. विदेशों से विश्लेषज्ञ/तकनीकी प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित करना।

4. अग्रगण्य विदेशी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं में निर्यात का प्रचार करना।

5. वार्षिक अखिल भारतीय कालीन व्यापार मेला का संवर्धन करना।

बिहार में नई ऊन कपड़ा मिलों का अधिग्रहण

[हिन्दी]

1917. श्री नवल किशोर राय :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार की कुछ ऊन कपड़ा मिलों का अधिग्रहण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऊन मिलों का सरकार द्वारा अधिग्रहण अथवा राष्ट्रीयकरण करने से ऊनता की समस्या का निवारण नहीं हो जाता और नियम के तौर पर सरकार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती।

भारत-पाक सीमा पर झड़पें

1718. श्री मुमताज अंसारी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत-पाक सीमा पर कितनी झड़पें हुईं;

(ख) इनमें जन-धन की कितनी हानि हुई;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान से कोई विरोध जताया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) हालांकि पिछले तीन महीनों के दौरान भारतीय पाकिस्तान सीमा पर कोई झड़पें नहीं हुई हैं, लेकिन नियंत्रण रेखा पर रुक-रुक कर गोलाबारी की घटनाएं होती रहती हैं। इस अवधि में नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी की 331 घटनाएं तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अमृतसर क्षेत्र में पाकिस्तानी रेंजरों तथा सीमा सुरक्षा बल के बीच गोलाबारी की 10 घटनाएं हुई थीं।

(ख) गोलाबारी के दौरान न तो सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुंचा और न ही कोई नागरिक हताहत हुआ है। कुछ भारतीय सैनिक हताहत हुए। ब्यौरे देना वांछनीय नहीं होगा।

(ग) और (ङ) भारत तथा पाकिस्तान के सैन्य संक्रिया महानिदेशकों ने साप्ताहिक टेलीफोन सम्पर्कों के माध्यम से, नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के प्रयास किए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलाबारी की घटनाओं पर सीमा सुरक्षा बल तथा पाकिस्तानी रेंजरों की ध्वज बैठकों में विचार किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बैंकों में जमा राशियां और निवेश

1719. **भुवन चन्द्र खंडूरी :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों और ग्रामीण बैंकों द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए जमा राशियों और ऋण मंजूरी के संबंध में अपनाई जाने वाली नीति एक समान होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी बैंक की एक शाखा को अपनी कुल जमा राशि का 80 प्रतिशत उसी क्षेत्र में निवेश करना होता है जहां पर वह शाखा स्थित है;

(घ) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बैंकों द्वारा इस नियम का पालन किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों से प्रत्येक वर्ष पौड़ी और चमोली जिलों में इस सम्बन्ध में क्या ब्यौरे हैं;

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में बैंकों को कोई अनुदेश जारी करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (छ) अग्रिमों पर ब्याज की दरें सभी बैंकों के लिए समान हैं और ये ऋण के आकार से जुड़ी हैं। बेहतर जमा राशि जुटाने के लिए क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंकों को प्रोत्साहन के रूप में, कतिपय जमाओं पर 1/2 प्रतिशत अधिक देने की अनुमति दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों से अखिल भारत आधार पर न कि क्षेत्रीय और राज्य आधार पर, अपने ग्रामीण और अर्द्धशहरी शाखाओं के लिए 60 प्रतिशत के ऋण जमा अनुपात को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। सितम्बर, 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण और अर्द्धशहरी शाखाओं का ऋण जमा अनुपात क्रमशः 59.1 प्रतिशत और 47.6 प्रतिशत था।

(ङ) सितम्बर, 1990 और सितम्बर, 1991 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त पिछले दो वर्षों के लिए चमोली और गढ़वाल जिलों में वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशियां और ऋण नीचे दिए गए हैं :—

(रुपये करोड़ों में)

के अन्त की स्थिति के अनुसार	जमा राशियां	ऋण	ऋण : जमा अनुपात
चमोली			
सितम्बर, 1990	46.03	7.13	15.5
सितम्बर, 1991	56.75	8.75	15.4
गढ़वाल			
सितम्बर, 1990	137.14	22.50	16.4
सितम्बर, 1991	160.29	24.71	15.4

कुड्डालोर पत्तन को मुख्य पत्तन घोषित करना

[अनुवाद]

1720. श्री पी० पी० कालियापेरुमल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में साउथ आर्कोट जिले के कुड्डालोर पत्तन को मुख्य पत्तन घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तमिलनाडु में पहले ही 2 महापत्तन मौजूद हैं और इस समय कुड्डालोर पत्तन को महापत्तन घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त कुड्डालोर पत्तन पर आने वाले ट्रैफिक से इसको महापत्तन के रूप में घोषित करने का औचित्य सिद्ध नहीं होता।

पर्यटन उद्योग को दिया जाने वाला "एक्जीम स्क्रीप्स"

1721. श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन उद्योग ने, अपने संचार साधनों, कार्यालय और होटल उपस्करणों सम्बंधी कोचों, आटोमोबाइल आदि के आयात के लिए "एक्जीम स्क्रीप्स" के लिए आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन उद्योग ने अपनी विदेशी मुद्रा अर्जन के बदले एक्जिम स्क्रीप की मांग की थी लेकिन इस मामले में अन्तिम निर्णय लिए जा सकने से पूर्व, रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता शुरू कर दी गई है और इसके परिणामस्वरूप एक्जिम स्क्रीप प्रणाली को अब समाप्त कर दिया गया है।

सिगरेट कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

1722. श्री ए० अशोकराज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय रिजर्व बैंक कुछ सिगरेट कम्पनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना अपनी विभिन्न ब्रांड सिगरेटों के लिए विदेशी ब्रांड नाम का प्रयोग करके विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 का उल्लंघन किए जाने के सम्बन्ध में कुछ संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग ने, मैसर्स गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, बम्बई और मैसर्स आई०टी०सी० लि०, कलकत्ता के विरुद्ध, उनके द्वारा देश में विदेशी ब्रांडों के नामों का उपयोग सिगरेट के अपने ब्रांडों के लिए किए जाने से उनके एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम की धारा 38क (1) की परिभाषा के अधीन अधिकथित रूप से अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त पाए जाने के लिए जांच आरम्भ की गई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के मैसर्स गोडफ्रे के विरुद्ध आयोग के समक्ष कार्यवाहियों को स्थगित कर दिया है।

कालीन, दरी और हस्तशिल्प का विकास

[हिन्दी]

1723. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालीन, दरी और हस्तशिल्प आदि के विकास के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी संरक्षण के अभाव में कालीन उद्योग द्वारा कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) जी, हां। कालीन और दरी सहित हस्तशिल्प के विकास के संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नोक्त है :—

(1) आर्थिक कार्यकलाप के रूप में शिल्पों से आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।

(2) देश की विदेशी मुद्रा आय को बढ़ाने के उपाय के रूप में निर्यात संभाव्यता को बढ़ाना।

(ग) और (घ) कालीन उद्योग, जैसा कि बताया गया है, कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहा है और इसे पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से कालीनों के निर्यात में हुई निम्नोक्त वृद्धि से देखा जा सकता है।

वर्ष	(करोड़ रुपये में)
1989-90	420.08 (अनन्तिम)
1990-91	507.00 (अनन्तिम)
1991-92 (अप्रैल – दिसम्बर)	553.86 (अनन्तिम)

यद्यपि, अन्य सहायता के साथ-साथ कालीनों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नोक्त प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं :—

1. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया गया है।
2. कालीन ग्रेड ऊन पर 10% का रियायती शुल्क है जबकि अन्य ऊन पर 40% है।
3. एफ० ओ० बी० मूल्य के 3% की दर से शुल्क वापसी।
4. कालीनों के लिए 180 दिनों के लिए पोतलदान पूर्व ऋण है जबकि अन्य निर्यातों पर 90 दिनों के लिए है; और
5. पोतलदान पश्चात ऋण पर ब्याज की रियायती दर जैसा कि अन्य निर्यातों पर उपलब्ध है।

बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण व प्रवर्तन

[अनुवाद]

1724. श्री बी० एन० रेड्डी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन तथा मोशन-पिकचरों के लिए मार्किट पहुंच परिस्थितियों के संबंध में भारत सरकार के अधिनियमों, नीतियों तथा प्रथाओं के बारे में सार्वजनिक प्रतिक्रिया मांगी है जैसा कि दिनांक 25 जनवरी, 1992 के हिन्दुस्तान टाइम्स समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस-पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) माह जनवरी, 1992 में संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यू० एस० टी० आर०) ने एक ऐसी सूचना जारी की जिसमें जनता से दिनांक 24 फरवरी, 1992 तक इस आशय की लिखित टिप्पणियां देने को कहा गया कि क्या बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण तथा प्रवर्तन और चलचित्रों के लिए बाजार प्रवेश के सम्बन्ध में भारत सरकार के अधिनियम, नीतियां तथा पद्धतियां "अनुचित" तथा अमरीकी वाणिज्य पर बोझ डालने वाली है अथवा इसे प्रतिबंधित करती है और यदि हां, तो संयुक्त राज्य अमरीका इसकी प्रतिक्रिया के रूप में किस तरह की कार्रवाई, यदि कोई हो, करें।

(ख) सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ट्रेडमार्कों तथा कापीराइट सम्बन्धी हमारे कानून और कापीराइट अधिनियम में किए जाने वाले कुछ प्रस्तावित संशोधन पर्याप्त हैं। एक ऐसा भी निर्णय लिया गया है कि चलचित्रों और वीडियो सम्बन्धी बाजार प्रवेश में सुधार किया जाए। जहां तक एकस्वों को जारी किए जाने का सम्बन्ध है, संयुक्त राज्य अमरीका का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि यह मुद्दा बहुपक्षीय वार्ताओं का एक विषय है जो अभी पूरी नहीं हुई हैं।

दिनांक 26 फरवरी, 1992 को यू० एस० टी० आर० ने भारत के विरुद्ध धारा 301 के तहत जांच वापस लेने सम्बन्धी निर्णय की घोषणा की।

उच्चतम न्यायालय और केन्द्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण में सैनिक और सिविल कर्मचारियों द्वारा दायर किये गये लम्बित मामले

1725. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और केन्द्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में सेवारत और आम नागरिकों द्वारा दायर किए गए लम्बित मामलों की संख्या क्या है;

(ख) क्या रक्षा सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रालय के सिविल अधिकारियों ने अनेक न्यायालयों/न्यायाधिकरणों से सहायता मांगनी शुरू कर दी है और उनकी संख्या में असाधारण वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) सेना/सिविलियन कार्मिकों द्वारा वर्ष 234 मामले

उच्चतम न्यायालय तथा 465 मामले केन्द्रीय प्रशासकीय अधिकरण में इस समय विचाराधीन हैं।

(ख) और (ग) दर्ज किये गए मामलों की संख्या प्रतिवर्ष अलग-अलग है, एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष में दर्ज किये गए मामलों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने का कोई संकेत नहीं है।

(घ) सेना अधिकारियों को अपनी शिकायतों के बारे में केन्द्र सरकार के पास वैधानिक शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। उचित शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा इनकी निष्पक्ष जांच की जाती है। मुकदमेबाजी को कम करने की दृष्टि से मंत्रालय में प्राप्त कानूनी नोटिसों की जांच के लिए समितियां गठित की गई है।

कम्पनियों के नाम बकाया अप्रत्यक्ष कर

1726. श्री सोमजी भाई डामोर :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कंपनियों से अप्रत्यक्ष करों की भारी राशि देय है;

(ख) क्या सरकार का ऐसी किसी कंपनी को जिस पर उसकी कुल परिसंपत्तियों के मूल्य से अधिक कर की राशि बकाया है अथवा विवादग्रस्त है, ऐसी मांगों अथवा विवादों के समाधान होने तक कोई लाभांश अथवा बोनस की राशि का वितरण करने की अनुमति न देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) ऊपर (ख) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

कुवैत और इराक के साथ व्यापार सम्बन्ध

1727. श्री ई० अहमद :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी युद्ध की अवधि में कुवैत और इराक के साथ व्यापार सम्बन्ध पुन: स्थापित करने के लिए कोई उपाय किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश को खाड़ी युद्ध के कारण निर्यात का घाटा हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) कुवैत को संप्रभुता पुन: प्राप्त हो जाने पर, कुवैत से व्यापार पर लगा प्रतिबंध दिनांक 14 मार्च, 1991 से हटा लिया

गया है। तब से कुवैत को होने वाले निर्यात में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। इराक पर लगे सतत आर्थिक प्रतिबन्धों के कारण, उस देश के सामान्य व्यापार सम्बन्धों को तब तक बहाल नहीं किया जा सकता है जब तक इराक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबन्ध नहीं हटा लिए जाते हैं। फिर भी इराक को खाद्य पदार्थों, दवाओं और नागरिक आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य मदों के निर्यात की अनुमति इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की परिधि के अन्तर्गत है।

(ग) और (घ) आर्थिक प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप इराक और कुवैत को निर्यात जो वर्ष 1989-90 के दौरान 323.63 करोड़ रुपये (अनु०) के हुए थे घटकर वर्ष 1990-91 में 117.18 करोड़ रुपये (अनु०) के रह गए।

चावल का निर्यात

1728. श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चावल के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) चावल को एक्सिमलिस्ट योजना के दायरे में शामिल किए जाने के फलस्वरूप भारतीय चावल की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। गैर-बासमती चावल को खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन लाकर और अनिवार्य पोतसदान-पूर्व निरीक्षण की शर्तों में छूट देते हुए निर्यात की क्रियाविधि को भी सरल बनाया गया है।

(ख) दिनांक 1 अप्रैल, 1991 से 31 जनवरी, 1992 तक की अवधि के दौरान 492.89 करोड़ रु० मूल्य का 5,36,800 मी० टन चावल का निर्यात हुआ है।

उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करना

[हिन्दी]

†1729. श्री पेक लाल मीणा :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार से उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आपरेशन गुडविल

[अनुवाद]

1730. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना ने कश्मीर में "आपरेशन गुडविल" चलाया है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इन उद्देश्यों में कहां तक सफलता मिली है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) सेना ने कश्मीर घाटी में "सदभावना" संक्रिया 25 दिसम्बर, 1991 को शुरू की थी। स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए यह एक चलती रहने वाली कार्ययोजना है जिससे कि उनमें विश्वास पैदा किया जा सके तथा उनके स्वास्थ्य, साफ-सफाई आदि की बेहतर व्यवस्था हो सके। इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक चिकित्सा सहायता के अतिरिक्त, विभिन्न स्थानों पर कई विशेष चिकित्सा कैम्प आयोजित किए गए हैं तथा विधवाओं और निःसहाय लोगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं, विद्यालय भवनों की मरम्मत, बस शेडों का निर्माण, जल व्यवस्था में सुधार, जियारत का रख-रखाव, लकड़ी की नक्काशी तथा हथकरघा केन्द्रों की स्थापना, वृक्षों की पौध लगाना, बच्चों के लिए बाल-क्रीड़ा स्थलों तथा खेल के मैदानों का निर्माण और खेल-कूद संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन आदि किया गया है। साथ ही लोगों की शिकायतों को दूर करने और विकास संबंधी परियोजनाओं को चलाने के लिए सिविल प्रशासन को लिखा गया है।

बैंकों में "गोल्डन हैंड शेक" योजना

1731. श्री ओबल्लम पाणिग्रही :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'गोल्डन हैंड शेक" योजना को राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बसवीर सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए "गोल्डन हैंड शेक योजना" नामक कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सीमाशुल्क वसूल करने की प्रणाली में परिवर्तन

1732. श्री जगत वीर सिंह द्रोण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राजस्व सेवा संघ ने सीमाशुल्क वसूल करने की वर्तमान प्रणाली में कुछ

संरचनात्मक परिवर्तन हेतु सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इनमें से कितने सुझाव स्वीकार किये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारतीय राजस्व सेवा (सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) संघ से सीमाशुल्क संबंधी प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने के संबंध में कुछेक सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ख) इन सुझावों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :—

(क) कार्गो निकासी के लिए ग्रीन चैनल आरम्भ करना;

(ख) अग्रिम वर्गीकरण संज्ञापन जारी करने के लिए व्यवस्था;

(ग) आगम पत्रों के अग्रिम निर्धारण की प्रणाली के लिए व्यवस्था;

(घ) स्वत: निर्धारण प्रक्रिया लागू करना;

(ङ) नमूनों के चयनात्मक परीक्षण तथा प्रतिष्ठित प्राइवेट प्रयोगशालाओं की परीक्षण सुविधाओं का उपयोग करना;

(च) टैरिफ अधिसूचनाओं की समीक्षा और उनकी छंटाई करना;

(छ) अलग-अलग समय पर मूल्यांकन की मेज पर निर्धारण कार्य रखना;

(ज) कुछेक मूल्यांकन कार्य को गोदियों और भांडागारों में अन्तरित करना;

(झ) सीमाशुल्क गृहों और गोदियों में कम्प्यूटर पर दस्तावेज संसाधित करने सहित विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों का शीघ्र कम्प्यूटरीकरण करना;

(ञ) परीक्षण सुविधाओं में सुधार करना; और

(ट) आसूचना और जांच ढांचे को सुदृढ़ बनाना;

(ग) ये सुझाव 31 जनवरी, 1992 को प्राप्त हुए हैं। समाहर्ताओं के साथ पहले ही विचार-विमर्श आरंभ कर दिया गया है। निर्णय लिए जाने से पूर्व और आगे विचार-विमर्श किया जाना अपेक्षित है।

विदेशी ऋण

[हिन्दी]

1733. श्री नीतीश कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त वर्ष 1991-92 के दौरान विदेशी ऋण में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस ऋण का भुगतान करने के लिए सरकार ने कोई समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) वित्त वर्ष 1991-92 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस अवधि तक के लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग), (घ) और (ङ) प्रत्येक ऋण की शर्तों के अनुसार, देय तारीखों पर विदेशी ऋण की वापसी अदायगी की जाती है । सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यह ऋण-भार ऐसे ऋणों का परिशोधन करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता से अधिक नहीं हो । सरकार दीर्घावधि पुनर्संरचना के साथ अल्पावधि स्थिरीकरण के उद्देश्य से, आर्थिक सुधारों के एक कार्यक्रम को पहले ही शुरू कर चुकी है । इन सुधारों से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और निर्यात अर्जन क्षमता सहित हमारी विकास प्रक्रिया पुनर्जीवित होगी जिससे ऋणों की वापसी अदायगी करने की हमारी क्षमता में वृद्धि होगी।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

[अनुवाद]

1734. श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए उक्त राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क/पुल परियोजनाओं के लिए 45 प्राक्कलन प्राप्त हुए हैं । इनमें से 2097.24 लाख रु० की लागत के 24 प्राक्कलनों को स्वीकृति दे दी गई है । 135.17 लाख रु० की लागत के 10 प्राक्कलनों को स्वीकृति दी जा रही है । 1452.47 लाख रु० की लागत के 3 प्राक्कलनों को विभिन्न कारणों से वापिस कर दिया गया तथा 2429.60 लाख रु० की लागत के 8 प्राक्कलन लो०नि० विभाग के परामर्श से की जा रही जांच के विभिन्न स्तरों पर हैं ।

चाय का निर्यात

1735. श्री सुधीर गिरि :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान पूर्व सोवियत संघ को कितनी मात्रा में चाय का निर्यात किया गया;

(ख) उन देशों के नाम क्या है जिन्हें भारी मात्रा में चाय का निर्यात किया जाता है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी मात्रा में चाय के निर्यात की संभावनाएं हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 (अप्रैल—जनवरी) के दौरान भारत से सोवियत संघ को चाय का निर्यात निम्नानुसार किया गया :—

मात्रा : एम० कि०ग्रा०

वर्ष	मात्रा
1989-90	121.87
1990-91	112.85
1991-92 (अप्रैल—जनवरी)	102.04*

*अनुमानित

(ख) यू० के०, इरान, ए० आर० ई०, पोलैंड, सऊदी अरब, आयरिश रिपब्लिक, नीदरलैंड, जर्मनी, युगोस्लाविया, यू० एस० ए०, यू० ए० ई०, मोरक्को, जापान, अफगानिस्तान, इत्यादि वे मुख्य देश हैं जिन्हें अधिक मात्रा में चाय का निर्यात किया जाता है।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान करीब 220 मिलियन कि० ग्रा० चाय के निर्यात की सम्भावना है।

अनाज व्यापारियों को ओवरड्राफ्ट सुविधा

1736. श्री एस० एम० लालजान बाशा :

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से अनाज व्यापारियों को ओवरड्राफ्ट सुविधा न देने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) धान/चावल, गेहूं, दालों और अन्य खाद्यान्नों अर्थात ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि के स्टाक के बदले भारतीय रिजर्व बैंक के चयनात्मक ऋण नियंत्रण के उपबंधों के अनुसार अग्रिम मंजूर किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इस समय खाद्यान्नों के सम्बन्ध में 75 प्रतिशत का उच्च मार्जिन निर्धारित कर (गेहूं के मामले में अपवाद स्वरूप 40%) और व्यापारियों को कम मालसूची रखने की अनुमति देकर ऐसे व्यापारियों के संबंध में प्रतिबंधात्मक ऋण नीति अपनाता है। चयनात्मक ऋण नीति के अन्तर्गत ऋण देने के लिए

अधिकतम मार्जिन और ऋण के पर सीमा निर्धारित कर ऋण की मात्रा पर नियंत्रण रखा जाता है। इससे संबंध नीति का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर इस ढंग से संशोधन किया जाता है जो किसी विशेष स्थिति को पूरा करने या ऋण की दिशा संबंधी वांछित प्रवाह को प्राप्त करने के लिए उचित हो।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

1737. श्री काशीराम राणा :

श्री श्रीकान्त जेना :

श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के उद्देश्य क्या-क्या हैं; और

(ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा प्रत्येक राज्य के रुग्ण उद्योगों के क्या नाम हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष उक्त बोर्ड द्वारा सहायता दी गई है और उन रुग्ण उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें भविष्य में सहायता देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के तहत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) के गठन का उद्देश्य, सम्भावित अर्थक्षम रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों का शीघ्रता से पुनरुद्धार और पुनर्वास करना और गैर अर्थक्षम रुग्ण एककों का परिसमापन कर उनके उत्पादक परिसम्पत्तियों को बचाना है।

(ख) बी०आई०एफ०आर० ने सूचित किया है कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनरुद्धार के लिए बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभिन्न एजेंसियों द्वारा सहायता दी जाती है। बी० आई० एफ० आर० द्वारा इस प्रयोजन के लिए कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

बिहार के सहकारी क्षेत्र में सूती/सूती धागों की मिलों की स्थापना

[अनुवाद]

1739. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत सूती धागों की कितनी मिलें है;

(ख) क्या ये मिलें हथकरघों और विद्युतचालित करघा एककों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार के जहानाबाद, नालन्दा और गया जिलों में नई सूती/सूती धागों की मिलें स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिले-वार कितनी मिलें स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन मिलों की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 31 जनवरी, 1992 की स्थिति अनुसार बिहार में तीन सहकारी कताई यानें मिलें हैं।

(ख) चूंकि यानें को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं। इस-हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों की यानें की मांगों को देश में सभी कताई मिलों के उत्पादन से पूरा किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से ऋण

[हिन्दी]

1740. श्री राम टहल चौधरी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक बिहार में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए सहायता देने हेतु सहमत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ऋण राशि का किस योजना के लिए उपयोग किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) विश्व बैंक इस समय बिहार पठार विकास परियोजना तैयार करने में लगा हुआ है जिसके अन्तर्गत राज्य के आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में 9 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस परियोजना से कृषि विकास संबंधी आधारभूत ग्रामीण ढांचे के सुदृढ़ होने की आशा है और इससे विकास आयोजना एवं परियोजना क्रियान्वयन में लोगों की और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा। सहायता की राशि और क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के ब्यौरों के बारे में तभी पता चलेगा जब परियोजना को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

भारतीय कम्पनियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बान्ड जारी किया जाना

[अनुवाद]

1741. श्री रवि राय :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने संसाधन जुटाने हेतु विदेशी बाजार में बाण्ड जारी करने की अनुमति मांगी है;

(ख) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बाण्ड जारी करने के लिए कुछ कम्पनियों को अनुमति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) निम्नलिखित कंपनियों ने विदेशी बाजार में बाण्ड जारी करने की अनुमति मांगी है :—

(i) टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि०

(ii) रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि०

(iii) ग्रसिम लिमिटेड और

(iv) ऐस्सर गुजरात लिमिटेड

(ख) और (ग) सरकार ने इन कंपनियों को विदेशी बाजार में बाण्ड/ईक्विटी जारी करने के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन कर दिया है।

अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों पर नई आर्थिक नीति का प्रभाव

1742. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर नई आर्थिक नीति के प्रभाव के संबंध में सरकार ने कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

काजू का निर्यात

1743. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितनी मात्रा में काजू का निर्यात किया गया;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान इसके निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 में अप्रैल—जनवरी के दौरान भारत से काजू गिरी का निर्यात निम्नलिखित रहा :

वर्ष	मात्रा (हजार एम० टी०)	मूल्य (करोड़ रुपए)
1980-91 (स्रोत डी० जी० सी० आई० ऐंड एस०)	49.812	441.40
1991-92 (अप्रैल—जनवरी)	37.758	481.36

स्रोत—काजू निर्यात संवर्धन परिषद

(ग) सरकार ने निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से व्यापार नीति सुधारों के एक पैकेज की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में विनांक 29 फरवरी, 1992 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत बजट प्रस्तावों में रेखांकित उपायों से गति आई है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निर्यात संवर्धन परिषदें विदेशों में कुछ चुनिन्दा मेलों में भाग लेंगी और निर्यातकों के प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में आयातकों के साथ विचार-विमर्श करेंगे और क्रेता-विक्रेता बैठकों में भी भाग लेंगे।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते पर आयकर

1744. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है जो कि आयकर के रूप मे केन्द्रीय सरकार को वापस प्राप्त हो जाता है; और

(ख) महंगाई भत्ते की इन किस्तों के द्वारा कर्मचारियों/पेंशन भोगियों को महंगाई की कितनी प्रतिपूर्ति होती है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अदा किए गए बढ़े हुए महनाई भत्ते मे से आयकर की वसूली के संबंध में पृथक-पृथक आंकड़े इस मन्त्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को संदेय महंगाई भत्ते के मौजूदा फार्मूले के अन्तर्गत कीमतों में वृद्धि को देखते हुए उसकी प्रतिपूर्ति की मात्रा निम्नानुसार है : —

वेतन रेंज	प्रतिपूर्ति
1. 3500/-रु० प्रतिमाह तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी।	100%
2. 3500/-रु० प्रतिमाह से अधिक तथा 6000/-रु० प्रतिमाह तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी।	75%
3. 6000/-रु० प्रतिमाह से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी।	65%

केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगी कर्मचारियों के मामले में प्रतिपूर्ति की मात्रा निम्नानुसार है :

पेंशन रेंज	प्रतिपूर्ति
1. 1750 रुपये प्रतिमाह तक पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी कर्मचारी।	100%
2. 1750/-रु० से अधिक तथा 3000/-रु० प्रतिमाह तक पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी कर्मचारी।	75%
3. 3000/-रु० प्रतिमाह से अधिक पेंशन पाने वाले पेंशन भोगी कर्मचारी।	65%

तथापि, जैसाकि भाग (क) में उल्लेख किया गया है, बढ़े हुए महंगाई भत्ते में से आयकर की वसूली के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। इसलिए, आयकर की कटौती के पश्चात् प्रभावी प्रतिपूर्ति को सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं है।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद तथा उनके स्थानांतरण संबंधी नीति

1745. श्री गुमान मल लोढ़ा :

कुमारी उमा भारती :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के न्यायालय-वार कितने स्थान रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्थानांतरण-नीति का न्यायाधीशों की पदोन्नति के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो स्थानांतरण नीति में कौन-से संशोधन करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद भरने के लिए

संबंधित सांविधानिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) स्थानांतरण नीति सभी उच्च न्यायालयों को समान रूप से लागू होती है और इससे प्रोन्नति के अवसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोन्नति गुणागुण के आधार पर की जाती है।

(घ) सरकार का स्थानांतरण नीति में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्र० सं०	उच्च न्यायालय	1-3-1992 को रिक्त पदों की संख्या		
		स्थायी न्यायाधीश	अपर न्यायाधीश	योग
1.	इलाहाबाद	2	—	2
2.	आंध्र प्रदेश	—	2	2
3.	मुंबई	2	5	7
4.	कलकत्ता	9	1	10
5.	दिल्ली	—	4	4
6.	गुवाहाटी	3	—	3
7.	गुजरात	2	—	2
8.	हिमाचल प्रदेश	1	—	1
9.	जम्मू-कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	4	2	6
11.	केरल	2	2	4
12.	मध्य प्रदेश	4	4	8
13.	मद्रास	4	—	4
14.	उड़ीसा	1	—	1
15.	पटना	3	—	3
16.	पंजाब और हरियाणा	3	—	3
17.	राजस्थान	1	—	1
18.	सिक्किम	1	—	1
		42	20	62
	उच्चतम न्यायालय			2

आयकर अपील अधिकरण

1740. श्रीमती विमल कुमारी भंडारी :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अपील अधिकरण का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका कार्य क्षेत्र क्या है;

(ग) क्या अधिकरण ने देश में अपनी खंड पीठें स्थापित कर ली हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे कहां-कहां पर हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 253 से 256 में कृत्य वर्णित हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) अधिकरण की न्यायपीठें, मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, पूने, नागपुर, इन्दौर, अमृतसर, चंडीगढ़, जबलपुर, जयपुर, इलाहाबाद, कटक, पटना, गुवाहाटी, हैदराबाद, बंगलौर, और कोचीन में स्थित हैं।

तम्बाकू का न्यूनतम गारंटी मूल्य

1747. श्री आर० अनुसकोडी आदित्यन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एफ० सी० बी० तम्बाकू का न्यूनतम गारंटी मूल्य क्या है; और

(ख) इस तम्बाकू का न्यूनतम गारंटी मूल्य लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) प्रत्येक मौसम के आरम्भ में व्यापारी तम्बाकू उपजकर्ताओं को उनके तम्बाकू के लिए कुछ न्यूनतम मूल्य का भुगतान करने की गारंटी देते हैं जिसे न्यूनतम गारंटी मूल्य (एम० जी० पी०) कहते हैं। कर्नाटक में वर्ष 1991 का औसत एम० जी० पी० 19.50 रुपये प्रति कि०ग्राम था। वर्ष 1992 के लिए आन्ध्र प्रदेश नीलामियों के संबंध में एम० जी० पी० निम्नोक्त प्रकार निर्धारित किया गया है :—

उत्तरी हल्की मिट्टी	21.50 रु० प्रति किग्रा०
दक्षिणी हल्की मिट्टी	19.50 रु० प्रति किग्रा०
काली मिट्टी	18.50 रु० प्रति किग्रा०

(ख) यह एम० जी० पी० व्यापारियों, उपजकर्ताओं तथा बोर्ड के बीच केवल एक आपसी समझौता है। यह एक स्वैच्छिक समझौता है।

जब्त की गई विलासिता की वस्तुओं के निपटान में अनियमितताएं

1748. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क विभाग द्वारा जब्त की गई उन आयातित विलासिता की वस्तुओं जिन्हें मुम्बई निदेशालय द्वारा वर्ष 1986 में बाजार मूल्य पर बेचा जाना था, का मूल्य-निर्धारण करने तथा उनका निपटान करने में अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताएं न बरती जाएं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) मुम्बई सीमा शुल्क गृह के बारे में निवारक संकायं निदेशालय की 1986 की निरक्षण रिपोर्ट में जब्तशुदा माल को गिनने और इसका निपटान करने के संबंध में कुछेक अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था।

(ग) से (ङ) निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख की गई अनियमितताओं के विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है।

उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार में सामाजिक कार्य दल को कानूनी सहायता

[हिन्दी]

†1749. श्री श्रीकांत जेना :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार के उन सामाजिक कार्य दलों के नाम क्या हैं जिन्हें कानूनी सहायता योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान कानूनी सहायता और संसाधन प्रदान किए गए;

(ख) उक्त सामाजिक कार्य दलों का अधिकार-क्षेत्र कौन-सा है;

(ग) क्या सरकार को इन सामाजिक कार्य दलों के कार्यों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम्) : (क) वित्तीय वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार के निम्नलिखित सामाजिक कार्य करने वाले समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी :—

राज्य का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
उड़ीसा	कुछ नहीं	(i) नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान, बैंगनांव, जिला पुरी।	कुछ नहीं।
		(ii) निर्धनों के लिए नैतिक मार्गदर्शन और विधिक सहायता सेवा संघम, भुवनेश्वर।	
उत्तर प्रदेश	कुछ नहीं	सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण, ग्रामीण विकास और शैक्षिक सोसाइटी, संस्थान, जिला फैजाबाद।	जन प्रयास परियार जिला मऊ।
बिहार	(i) ग्रामीण हकदारी हकदारी और विधिक सहायता केन्द्र, पटना।	(i) सत्य पथ, जिला गया।	(i) नि:शुल्क विधिक सहायता समिति; जमशेदपुर।
	(ii) न्यू भारत जागृति केन्द्र, बांध बैहरा (बिहार)।	(ii) ग्रामीण हकदारी और विधिक सहायता केन्द्र पटना।	(ii) कानूनी सलाह केन्द्र, पटना।
	(iii) कानूनी सलाह केन्द्र, पटना।	(iii) कानूनी सलाह केन्द्र, पटना।	(iii) सत्य पथ, जिला गया।

(ख) सामाजिक कार्य करने वाले समूह सामान्यत: अपने जिले या राज्य में विधिक सहायता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सामाजिक कार्य करने वाले समूहों के कार्य क्षेत्र का अवधारणा उनके अपने गठन के अनुसार किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भाग (ग) के उत्तर के अनुसार, प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋणों का भुगतान

[अनुवाद]

1750. श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों की भुगतान अवधि को बढ़ाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) किसानों, ग्रामीण कारीगरों और बुनकरों को ऋण राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार की गई कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से) राज्य सरकारों को सहकारी समितियों द्वारा बट्टेखाते डाली गई रकम के उनके 50% भाग को पूरा करने के लिए 10% वार्षिक की रियायत ब्याज पर ऋण दिए गए थे। जिन्हें मार्च, 1991, 1992 और 1993 के अन्त तक तीन समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है। ये ऋण सरकार ने नहीं दिए थे। कुछ राज्य सरकारों से ऋणों की वापसी अदायगी की अवधि को तीन वर्षों की निर्धारित अवधि को बढ़ाने के अनुरोध प्राप्त हुए थे। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ क्योंकि ऋणों की शर्तें पहले ही रियायती थीं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी

1751. श्री वाइमा सिंह युमनाम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी जाने वाले शेयर पूंजी में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पूंजी बैंकों को उपलब्ध करा दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर गठित कार्य दल की सिफारिशों के अनुसरण में समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी को एक चरणबद्ध ढंग में 25 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाई जा रही है। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी को पहले ही प्रथम चरण में 25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। चालू द्वितीय चरण के अन्तर्गत इसे 75 लाख रुपये तक बढ़ाया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए अब तक 140 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहचान की गई है। जिसमें से 128 को मार्च, 1992 के अन्त तक कवर

कर लिया जाएगा। बहरहाल, चूंकी केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों को शेयर पूंजी का 50% : 15% : 35% अंशदान करना है, अतः शेयर पूंजी की राशि की मंजूरी और उनके वास्तविक रूप से जारी होने के बीच एक समय-अन्तराल है। बहरहाल, सभी सम्बन्धितों द्वारा मंजूर की गई कुल राशि वित्तीय वर्ष के अन्त से पूर्व ही कुल मिलाकर जारी कर दी जाती है।

असम में सड़कों की मरम्मत के लिए धन

1753. **श्री द्वारकानाथ दास :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में करीमगंज रंगपुर, करीमगंज जिले में करीमगंज-रंगमती और हेलाकांडी जिले में पंचग्राम रामनाथपुर की सड़कों की मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि आवंटित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) संवैधानिक तौर पर भारत सरकार मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के लिए ही जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों से इतर सड़कों के लिए अनिवार्यतः संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। चूंकि प्रश्नगत सड़कें राज्य सड़कें है इसलिए उनकी मरम्मत और रखरखाव के लिए असम सरकार जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने उक्त सड़कों के सुधार के संबंध में केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम के तहत अनुमोदन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। इसलिए, इन सड़कों के लिए के० स० नि० के तहत निधि आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में रेशम उद्योग का विकास

1754. **डा० आर० मल्लू :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जनवरी, '9 के "पायोनियर" में "उड़ीसा पायज्द फार सिल्क रिवोल्यूशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में रेशम उद्योग और हस्त उद्योग के विकास की काफी सम्भावनाएं हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कदम उठाए है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड उड़ीसा राज्य सरकार के रेशम उत्पादन के विकास के प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्य से राज्य में रेशम उत्पादन विकास के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहा है :—

(1) कोरापुट जिले में विश्व बैंक/स्विस सहायता प्राप्त राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना।

(2) गंजम जिले में गहन रेशम उत्पादन विकास परियोजना।

(3) स्विस सहायता प्राप्त अन्तर्राज्यीय तसर परियोजना का अनुवर्ती चरण।

इसके अलावा केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने अनुसंधान, विस्तार, बीज, विपणन और प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में रेशम उत्पान में सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित इन्फ्रास्ट्रक्चर का सृजन किया है :—

(1) 1 क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र।

(2) 1 क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र।

(3) 5 मूल बीज गुणन एवं प्रशिक्षण केन्द्र।

(4) 1 कच्चा माल बैंक-उप-डिपो।

(5) 1 क्षेत्रीय विकास कार्यालय।

(6) 2 अनुसंधान विस्तार केन्द्र।

(7) 1 पी-2 फार्म।

(8) 1 कोसा बाजार।

(9) 8 तकनीकी सेवा केन्द्र।

(10) 2 रेशम-कीट बीज उत्पादन केन्द्र।

(11) 1 कृषक प्रशिक्षण केन्द्र।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड उड़ीसा सहित अनेक राज्यों में रेशम उत्पादन के विकास के लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों को रेशम कीट पालन किटों की सप्लाई, डीलरों को सहायता आदि प्रदान कर विभिन्न योजनाएं भी क्रियान्वित कर रहा है।

बोफोर्स मामले की जांच

1755. श्री चित्त बसु .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री साईमन मरान्डी :

श्री शिव शरण वर्मा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और विदेश में बोफोर्स की जांच की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) भारत और स्वीडन की सरकारों द्वारा कानूनी और प्रशासकीय अड़चनों को दूर करने

तथा बोफोर्स संबंधी जांच को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस जांच के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) इस बारे में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सक्रिय रूप से जांच की जा रही है। जांच कार्य को शीघ्र पूरा कर लेने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यह मामला भारत तथा कुछ अन्य देशों की अदालतों में विचाराधीन है तथा इसमें कई जटिल कानूनी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि यह जांच कार्य कितने समय में पूरा किया जा सकेगा।

व्यापार घाटा

1756. डा० देवी प्रसाद पाल :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान विदेश व्यापार घाटे के और समग्र भुगतान संतुलन घाटे के कितना-कितना रहने की सम्भावना है;

(ख) क्या नई आयात निर्यात नीति का भुगतान संतुलन स्थिति पर कोई असर हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) वर्तमान अनुमान के अनुसार अप्रैल—दिसम्बर, 1991 के दौरान भारत का व्यापार घाटा 3906 करोड़ रुपये अथवा 1628 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का था जबकि अप्रैल—दिसम्बर, 1990 के दौरान यह घाटा 8535 करोड़ रुपये अथवा 4832 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का था। इस स्थिति में सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 1991-92 के संबंध में व्यापार घाटे का सही अनुमान लगाना कठिन है। तथापि, सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न नीति संबंधी उपायों के फलस्वरूप, ऐसी सम्भावना है कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान 20644 करोड़ रुपये अथवा 5932 मिलियन अमरीकी डालर की अपेक्षा काफी कम रहेगा। समग्र भुगतान संतुलन में वर्तमान लेखागत घाटा, व्यापार घाटे तथा यात्रा, परिवहन, ब्याज के भुगतान सहित निवेश आय के माध्यम से अदृश्य प्राप्तियों पर निर्भर करेगा। परिणामी चालू खाते में जो घाटा है उसे पूंजीगत खाते में निवल आवक से पूरा किया जाएगा जबकि विदेशी ऋणों द्वारा, जिसमें आई० एम० एफ० से प्राप्त ऋण, विदेशी वाणिज्यिक ऋण, एन० आर० आई० जमा राशि भी शामिल है तथा अन्य पूंजीगत प्राप्तियों से चालू लेखागत घाटे को पूरा किए जाने की सम्भावना है। इसके साथ-साथ रुपये को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बनाने, पूंजीगत माल तथा निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल पर सीमा शुल्क में कटौती आदि जैसे विभिन्न उपायों के जरिए निर्यात बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

गुजरात में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को पुन: खोला जाना

1257. श्री हरि सिंह चावड़ा :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र नीति अनेक बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को पुन: खोलने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में कितनी मिलें बन्द पड़ी हैं तथा इससे मिलवार कितने मजदूर प्रभावित हुए;

(ग) उक्त प्रभावित मजदूरों के कल्याण और बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को पुन: चालू करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि भविष्य में ये मिलें कारगर रूप से चलें ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) एक विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) और (घ) इन मिलों का पुनरूद्धार करने के लिए सरकार के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में शामिल है :—रूग्ण मिल की अर्थक्षमता को निर्धारित करने के लिए एक नोडिए अभिकरण का सृजन करना, आधुनिकीकरण सहायता के लिये एक वस्त्र आधुनिकीकरण निधि की स्थापना करना, पुनस्टार पैकेज तैयार करने के लिये औद्योगिक और वित्तीय पुन: निर्माण बोर्ड की स्थापना करना। मिलों के स्थायी रूप से बन्द होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को अन्तरिम राहत प्रदान करने के लिये वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना की स्थापना की गई है।

विवरण

बन्द पड़ी मिलों के नाम तथा उनके बन्द होने के कारण प्रभावित कामगारों के विवरण नीचे दिए गए हैं :—

क्र० सं०	मिल का नाम	बन्द होने की तारीख	प्रभावित कामगार
1	2	3	4
1.	फाइन प्रिंटिंग क० लि०	10-7-70	191
2.	अहमदाबाद जुबली मिल्स लि०	10-3-87	3598
3.	ओमेक्स इनवस्टरर्स लि०	1-8-86	2758
4.	अहमदाबाद श्री रामाकृष्ण मिल्स क० लि०	19-3-87	1758

1	2	3	4
5.	अजीत मिल्स लि०	21-11-87	1412
6.	अरुण मिल्स लि०	28-11-91	3200
7.	आदित्य गंग एंड मन्यू० क० लि०	2 -7-87	2858
8.	आदित्य गंग एंड वि० क० लि०	10-11-86	1500
9.	प्रसाद मिल्स लि०	20-11-86	1384
10.	भारत सूर्योदय क० लि०	28-10-86	3758
11.	कार्पिशियल अहमदाबाद मिल्स क० लि०	26-10-85	2184
12.	न्यू गुजरात सिंथे० लि० नं०	10-8-86	2685
13.	न्यू गुजरात सिंथे० लि० नं० 2	1-9-86	2099
14.	श्री नदीश्वर स्पि० एंड वि० प्रा० लि०	16-9-85	1501
15.	नूतन मिल्स लि०	20-1-92	2161
16.	श्री अम्बिका मिल्स लि० नं० 1	20-9-91	4875
17.	श्री विवेका नन्द मिल्स लि०	20-2-88	1277
18.	विजय मिल्स क० लि०	2?-11-88	1920
19.	श्री अपस्ता मिल्स लि०	3-11-90	1744
20.	अहमदाबाद काटन मन्यू क० लि० नं० 1	1-6-84	1408
21.	अलाकिया मिल्स क० लि०	12-3-82	1776
22.	तरुण कार्मिशियल मिल्स लि०	7-3-84	2033
23.	मन्चोक एंड अहमदाबाद मन्यू० क०	14- 2-76	1345
24.	मार्संडेन स्पि० एंड मन्यू क० लि०	18-1-82	2296
25.	अभय मिल्स लि०	1-4-84	1423
26.	गांधी धाम स्पि० एंड वि० क० लि०	25-7-86	611
27.	श्री मन्डवी स्पि० मिल्स लि०	2-9-83	310
28.	श्री यमना मिल्स लि० (क०)	26-8-87	948
29.	गायक वाड मिल्स लि०	11-6-86	2031
30.	नवज्योति टाक्सटाइल्स मिल्स लि०	18-12-83	887

1	2	3	4
31.	क्लोर मिल्स लि०	5-10-87	1626
32	नवजीवन मिल्स लि०	15-12-86	2818
33.	महाराणा मिल्स लि०	13-2-83	2049

दिल्ली की वित्तीय कम्पनियों को विदेशी मुद्रा का आवंटन

1758. **श्री कड़िया मुण्डा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली की वित्तीय कम्पनियों को कुल कितनी विदेशी मुद्रा आवंटित की गई;

(ख) क्या इन कम्पनियों ने कथित रूप से विदेशी बैंकों को भारी धनराशि प्रत्यावर्तित की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले की जांच करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वातानुकूलन पर खर्च की गई राशि

[हिन्दी]

1759. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में गत तीन वर्षों में वातानुकूलन पर खर्च की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) वातानुकूलन संयंत्रों के रख-रखाव पर आने वाले वार्षिक खर्च का ब्यौरा क्या है और इनमें कितनी बिजली की खपत हुई;

(ग) क्या खर्च कम करने और बिजली बचाने के उपाय के रूप में सरकार का विचार इन संयंत्रों को बन्द करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों में निर्माण ठेकों से अर्जित विदेशी मुद्रा

1760. **श्री फूलचन्द वर्मा :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में निर्माण ठेकों से गत दो वर्षों के दौरान अब तक कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी है;

(ख) सरकार ने ऐसे कितने ठेकों पर हस्ताक्षर किये हैं/ठेके हाथ में लिए हैं तथा अभी तक कितने ठेके पूरे किये गये हैं; और

(ग) बाकी ठेके कब तक पूरे होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) एक्जिम बैंक आफ इण्डिया द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1989-90 से अप्रैल-दिसम्बर, 1991-92 तक की अवधि के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी-दोनों क्षेत्रों की भारतीय कम्पनियों को कुल 414 करोड़ रु० मूल्य के 13 विदेशी सिविल निर्माण ठेके प्राप्त हुए थे।

ऐसी आशा है कि इस समय विदेशी सिविल निर्माण की सभी कार्यरत परियोजनाएं जून, 1994 तक पूरी हो जाएंगी। इनमें इराक में चल रही परियोजनाएं शामिल नहीं हैं क्योंकि वहां अगस्त, 1990 में खाड़ी संकट के कारण परियोजनाओं का निर्माण कार्य बीच में छोड़ दिया गया था।

गेहूं का आयात

1761. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**

श्री रूपचन्द पाल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में गेहूं की खपत कितनी है और चालू वर्ष के लिए इसका उत्पादन लक्ष्य कितना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान गेहूं सहित आयात किए गए खाद्यान्न का मात्रा-वार ब्योरा क्या है और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(ग) किन देशों से इनका आयात किया गया; और

(घ) किन कारणों से गेहूं का आयात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : क, [illegible] नियंत्रक, आयात एवं निर्यात/वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा संकलित नहीं किए जाते।

(ख) से (घ) गेहूं के आयात से संबंधित जानकारी खाद्य मंत्रालय से प्राप्त हुई वर्ष 1988-89 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका से 10.11 लाख मी० टन गेहूं का आयात किया गया वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान गेहूं का आयात नहीं किया गया। वर्ष 1991-92 के दौरान अब तक गेहूं

का आयात नहीं किया गया है। किन्तु, खाद्य मन्त्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार ने हाल ही में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने और खुले बाजार में उसकी कीमतें स्थिर रखने के उद्देश्य से। मिलियन टन गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया है।

जलपोतों की मरम्मत के लिए गोदी का निर्माण

1762. श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलपोतों की मरम्मत के लिए वर्तमान व्यवस्थायें पर्याप्त नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने जलपोतों की मरम्मत के लिए गोदी के निर्माण के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि बजटगत कठिनाइयों के कारण नई जहाज मरम्मत सुविधाओं के सृजन में निवेश करना सरकार के लिए सम्भव नहीं है, फिर भी निजी क्षेत्र में या राज्य सरकारों की सहभागिता के साथ संयुक्त क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं स्थापित करने में सरकार प्रोत्साहन देगी।

पत्तन न्यासों को यह परामर्श दिया गया है कि वे अपने पत्तनों में जहाज मरम्मत सुविधाएं स्थापित करने के लिए सम्भावित उद्यमियों को आवश्यक भूमि और वाटर-फ्रंट क्षेत्र सुलभ कराएं।

रक्षा उपकरणों का उत्पादन

[अनुवाद]

1763. श्री चन्द्रजीत यादव :

श्री साईमन मरान्डी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) क्या रक्षा उत्पादन में संयुक्त सहयोग करने के लिए किसी देश से सम्पर्क किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) रक्षा उपकरणों की उत्पादन लागत घटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) धन के वार्षिक आवंटन तथा सेनाओं की आवश्यकताओं की प्राथमिकता के आधार पर उत्पादन के लिए/मद-वार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति की समय-समय पर निगरानी की जाती है।

(ख) और (ग) इस समय जिन मदों का उत्पादनों चल रहा है उनमें से कुछ मदें विदेशों के साथ तकनीकी सहयोग करके बनायी जा रही हैं। इस संबंध में अधिक ब्यौरा देना लोक हित में नहीं है।

(घ) इस संबंध में उठाए गए कदमों में सामान-सूची नियंत्रण, क्षमता का इष्टतम उपयोग तथा ऊर्जा संरक्षण मूल्य इंजीनियरी आदि जैसे आर्थिक उपाय शामिल है।

नये क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विस्तार

[हिन्दी]

1764. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की गतिविधियों का नए क्षेत्रों में विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों के लक्ष्य समूहों का वित्त पोषण करते हैं। कमजोर वर्गों को ऋण दिलाने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहचान और स्वरूप का बनाए रखने का निर्णय लिया है। अलबत्ता, बैंकों द्वारा प्रस्तुत की गयी सकारात्मक भूमिका को बनाए रखने के लिए सरकार, नाबार्ड और प्रायोजक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन पर निरंतर निगरानी रख रहे हैं और उनके कार्यनिष्पादन में सुधार करने और उनकी वित्तीय कमजोरियों को समाप्त करने के लिए उपचारात्मक उपाय करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्जन की क्षमता में सुधार करने के लिए कतिपय विशेष उपाय किए गए हैं जैसेकि, ट्रेक्टर के वित्त पोषण संबंधी क्षेत्र का विस्तार, परिवहन वाहनों के वित्त पोषण के लिए प्रत्येक ऋण सीमा पर 1 लाख रुपए की परिसीमन को हटाना, संमिश्र ऋण योजना के तहत गैर कृषि क्रिया-कलापों के लिए व्यक्तिगत ऋण पात्रता मे वृद्धि कर उसे 30,000 रुपए से 50,000 रुपए तक करना।

दिल्ली में अजुधिया टेक्सटाईल मिल्स को पुन: शुरू करना

[अनुवाद]

1765. श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत दिल्ली में अजुधिया टेक्सटाईल मिल्स को पुन: शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो बेरोजगार श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम का अजुधिया टेक्सटाइल मिल बन्द नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गैर सरकारी वित्तीय कम्पनियों की भूमिका

1766. श्री रूप चन्द्र पाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में गैर सरकारी वित्तीय कम्पनियों द्वारा अदा की गई भूमिका के बारे में सरकार ने कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की वित्तीय कम्पनियों और बैंकों के कुछ अधिकारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कई वित्तीय कम्पनियों में संलिप्त पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) अद्यंयवस्था में गैर-सरकारी वित्तीय कंपनियों द्वारा अदा की गई भूमिका के संबंध में सरकार ने कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है। असबत्ता, वित्तीय प्रणाली संबंधी नरसिंहम समिति ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विवेकाधीन मानदंड और मार्गनिर्देश निर्धारित करने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं।

(ग) से (ङ) इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

काफी के बीज और पावडर के मूल्य

1767. श्री ओ० चोक्का राव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड ने पिछले एक वर्ष के दौरान काफी के बीजों और पावडर के मूल्यों में काफी वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है; और

(ग) मूल्यों को रोकने और कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पा० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) काफी बोर्ड की संवर्धनात्मक इकाइयों द्वारा बेचे जाने वाले काफी पावडर और अपरिष्कृत काफी की खुदरा कीमत काफी की न्यूनतम रिलीज कीमत तथा 5% जारी खर्च के आधार पर निर्धारित की जाती थी। यह कीमत स्थानीय बाजार कीमतों से काफी कम होती थी। संवर्धनात्मक इकाइयों में खुदरा कीमतों तथा बाजार कीमतों में अन्तराल को देखते हुए और कीमत विभेद के कारण काफी के विपथन की शिकायत

से बचने के लिए काफी बोर्ड ने कीमत निर्धारण के लिए एक नया फार्मूला अपनाने का निश्चय किया। नये फार्मूले के अनुसार काफी का विक्रय मूल्य पिछले माह की औसत नीलामी कीमत में उपरि व्यय के रूप में 5 रुपये जोड़कर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार इन इकाइयों में इस समय लागू कीमतें इस फार्मूले से निर्धारित की जाती हैं और यह पिछले एक वर्ष के दौरान संशोधित की गई थी। कीमतों की त्रैमासिक आधार पर समीक्षा की जाती है। चूंकि अब संशोधित बिक्री कीमत भी समान ग्रेड वाली काफी की बाजार कीमतों से काफी कम है इसलिए काफी की कीमतें कम करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

जीवन बीमा निगम द्वारा बिहार में निवेश

[हिन्दी]

1968. श्री ललित उरांव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालयों की वर्तमान संख्या कितनी है और वे कहां-कहां हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यालयों ने कितनी धनराशि का व्यापार किया है; और

(ग) कुल जमा की गई राशि में से बिहार की विभिन्न योजनाओं में अभी तक कितनी राशि निवेश की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) इस समय बिहार में 5 मंडलीय कार्यालय भागलपुर, मुजफ्फरपुर, जमशेदपुर, पटना और हजारीबाग में हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 4 मंडलों (1990-91 तक स्थापित) का कारोबार (टर्न-ओवर) निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	पालिसियों की संख्या	बीमाकित राशि
1988-89	2,89,078	954 02
1989-90	3,73,055	1355.77
1990-91	4,22,989	1614.98

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा बिहार राज्य में विभिन्न समाजोन्मुखी योजनाओं में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल निवेशित राशि निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपए)

योजनाएं	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4
1. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और सरकार द्वारा प्रत्याभूत विपत्र योग्य प्रतिभूतियां	24.50	29.34	29.29

1	2	3	4
2. को ऋण			
(i) सामाजिक आवासीय स्कीमों के लिए राज्य सरकार (योजना आयोग आबंटन के अनुसार)	1.37	—	—
(ii) राज्य बिजली बोर्ड (योजना आयोग आबंटन के अनुसार)	14.89	18.32	20.00
(iii) शिरवर आवासीय वित्त सोसायटी	7.50	5.00	6.00
3. निजी निगमित क्षेत्र में निवेश	22.81	55.28	8.51
जोड़ :	1.07	7107.53	63.80

दिल्ली परिवहन निगम की बसें

[अनुवाद]

1769. डा० असीम बाला :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अपनी बसें चलाने के लिए प्रति किलोमीटर औसतन कितना धन खर्च किया जाता है;

(ख) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा किलोमीटर योजना के अन्तर्गत निजी बस चालकों को प्रति किलोमीटर कितना धन दिया जाता है; और

(ग) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा प्रतिवाहन पर औसतन कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) दिल्ली परिवहन निगम ने जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार 11.99 रु० प्रति किलोमीटर (ब्याज एवं मूल्यह्रास प्रभारों सहित) खर्च किया है।

(ख) प्राइवेट बसों के प्रचालन की किलोमीटर स्कीम को मार्च, 88 से समाप्त कर दिया गया था और तब से किलोमीटर आधार पर प्राइवेट बस प्रचालकों को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है।

(ग) 31.1.1992 को स्थिति के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम द्वारा प्रति वाहन नियुक्त व्यक्तियों की औसत संख्या 9.35 थी।

वार्षिक व्यापार समझौतों को अन्तिम रूप देना

1770. श्री अशोक आनंदराव देशमुख :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ विदेशों के साथ वर्ष 1992 के लिए वार्षिक व्यापार समझौतों को अन्तिम रूप देने का विचार है;

(ख) क्या व्यापार के तौर-तरीकों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का इन देशों के साथ प्रति-व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (छ) कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान के नए गणराज्यों के साथ व्यापार करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। रूस और उजबेकिस्तान के साथ वर्ष 1992 के लिए व्यापार संलेख भी सम्पन्न किए गए हैं। नए हस्ताक्षरित करारों, संलेखों में संतुलित आधार पर अ-परिवर्तनीय भारतीय रुपयों में व्यापार की व्यवस्था है, हालांकि इसमें प्रति व्यापार, वस्तु विनिमय, मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा या व्यापार-सहयोग की अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्य किसी अन्य विधि से भुगतान के रूप में सौदे की अनुमति भी है।

निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना

1771. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाने और इसे विश्व बाजार के अनुरूप बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) सभी देशों के लिए एकरूप निर्यात प्रक्रिया कब तक बनाए जाने की संभावना है जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरीका, ब्रिटेन और जापान में प्रचलित है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) निर्यात नीति तथा निर्यात प्रक्रियाओं की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। निर्यात संवर्धन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इसमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं।

काली मिर्च का उत्पादन

1772. श्री पी० सी० थामस :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष काली मिर्च के निर्यात उपकर से कितनी राशि अर्जित की गई है;

(ख) इसी अवधि में काली मिर्च की खेती तथा उसके विकास के लिए कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार काली मिर्च का उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक राशि आवंटित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य राज्यमंत्री में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) काली मिर्च पर निर्यात उपकर से प्राप्त राशि नीचे दी गई है :

1989-90	0.75 करोड़ रु०
1990-91	0.65 करोड़ रु०
1991-92	0.40 करोड़ रु०

(ख) से (घ) मसालों के विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत काली मिर्च की खेती तथा विकास के लिए परिव्यय नीचे दिया गया है :

1989-90	0.65 करोड़ रु०
1990-91	1.16 करोड़ रु०
1991-92	3.37 करोड़ रु०

इसके अतिरिक्त, काली मिर्च उपजकर्ता एवं निर्यातक कृषि मंत्रालय तथा मसाला बोर्ड की निर्यात बढ़ाने तथा उत्पादन क्षमता में सुधार लाने संबंधी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष लाभ उठा रहे हैं। मसालों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1991-92 के 5 करोड़ रु० के परिव्यय को बढ़ाकर वर्ष 1992-93 में 12 करोड़ रु० करने का प्रस्ताव है। काली मिर्च के विकास के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत तदनुसार परिव्यय बढ़ जाएगा।

उदारीकरण नीति के व्यापारी समुदाय को लाभ

1773. श्री के० राममूर्ती तिंडिवनाम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की उदारीकरण नीति के संबंध में व्यापारी समुदाय और उद्योगपतियों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ख) उदारीकरण नीति से व्यापारी समुदाय को कितना लाभ हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 29.2.1992 की सार्वजनिक सूचना संख्या 277/90-93 और 278/90-93 के तहत नई व्यापार नीति में परिवर्तनों की घोषणा की है। उसकी प्रतियां संसद

पुस्तकालय में उपलब्ध है। नीति के उदारीकरण के सम्बन्ध में उद्योगपतियों और व्यापारी समुदाय की प्रतिक्रिया के बारे में कुछ कहना अभी संभव नहीं है।

स्टाक इन्वेस्ट (स्टाक निवेश) के लिए नई योजना

1774. श्री परसराम भारद्वाज :

क्या वित्त, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शेयर प्रार्थना पत्र के पैसे वापस न मिलने/विलम्ब से लौटाए जाने संबंधी शिकायतों को रोकने के लिए "स्टाक इन्वेस्ट" के नाम से एक नयी योजना लागू की है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वित्त, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा तैयार की गयी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार सरकार ने "स्टाक इन्वेस्ट" नामक एक नयी योजना लागू की है। यह योजना नकद अथवा चैक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा आवेदन पत्र के पैसों के भुगतान की वर्तमान प्रक्रिया के अतिरिक्त है। स्टाक इन्वेस्ट नामक योजना में प्रेषणकर्ता का नाम, मांगे गये शेयरों/ऋण पत्रों की संख्या तथा राशि, मांगे गए शेयरों तथा ऋण पत्रों के लिए पात्रता दर्शाने, कम्पनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए स्थान दर्शाने हेतु और बैंक से इस आशय का विवरण दर्शाने के लिए प्रावधान है कि सभी शाखाओं में समतुल्य भुगतान के लिए योजना की गारन्टी होती है। इस योजना के अन्तर्गत आवेदनकर्ता के पैसे उसी के खाते में लगातार रहते हैं और उन पर ब्याज अर्जित होता रहता है। सफल निवेशक का स्टाक इन्वेस्ट केवल उस सीमा तक नकद दिया जाता है कि वह शेयरों का आबंटन प्राप्त करने में सफल हुआ है। असफल आवेदनकर्ता को स्टाक इन्वेस्ट योजना को उसके बैंक में वापिस भेजना होता है जिससे कि योजना में दर्शायी गई राशि पर से उसका ग्रहणाधिकार उठ जाये। कम्पनी द्वारा सफल/आंशिक रूप से सफल आवेदनकर्ता की योजना नकद भुगतान लेने के पश्चात अलग बैंक खाते में जमा कर दी जायेगी जहां अन्य निवेशकों से प्राप्त हुई नकद राशि तथा अन्य धन राशि जमा की जाती है। इस योजना से बहुत से आवेदकों का नये प्रेषणों के लिए लाभ पहुंचेगा जिनकी निधियां कम्पनियों में काफी समयावधि के लिए पड़ी रहती है।

विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा प्रेषित धन

1775. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या वित्त मन्त्री 20 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4804 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश को चालू वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर, 1991 तक तथा गत तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक विमान कम्पनी से प्रतिवर्ष रुपयों में कितनी राशि प्राप्त हुई है; और

(ख) एअर-इंडिया और इंडियन एअर-लाइन्स ने उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार और देशवार कितनी कुल राशि भेजी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

संसद सदस्यों द्वारा भेजे गए पत्रों का उत्तर

1776. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्री महोदय को संसद सदस्यों से गत नौ महीनों के दौरान, प्रति माह, कितने पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से माहवार, कितने पत्रों की पावती/अन्तिम उत्तर भेजे गए और कितने पत्रों के उत्तरों की पावती अभी तक लंबित है; और

(ग) उत्तर शीघ्र भिजवाने और विलम्ब न होने देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) वित्त मंत्री को संसद सदस्यों से गत नौ महीनों के दौरान माहवार प्राप्त पत्रों की संख्या निम्नलिखित है :—

महीना	प्राप्त पत्र
जून, 1991	4
जुलाई	174
अगस्त	445
सितम्बर	396
अक्तूबर	210
नवम्बर	220
दिसम्बर	889
जनवरी, 1992	299
फरवरी	246

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित सभी पत्रों की पावती/अंतिम उत्तर भेज दिए गए हैं, और

(ग) पहले से ऐसे अनुदेश विद्यमान हैं कि संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

बिहार में लोक अदालतें

[हिन्दी]

†1777. श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सहरसा, पूर्णिया, मधुपुरा, सुपौल और कटिहार जिलों में अब तक कितनी लोक अदालतों का गठन किया गया है;

(ख) इन अदालतों में कितने मामलों को निपटाया गया; और

(ग) वर्ष 1992-93 में कितनी लोक अदालत गठित करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) बिहार राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) लोक अदालतें नियमित रूप से गठित न्यायालय नहीं है। ये पक्षकारों में सुलह करा कर और समझा-बुझा कर विवादों का समाधान करने के लिए स्वैच्छिक प्रयास हैं। लोक अदालतें, समय-समय पर, देश के विभिन्न भागों में राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों और जिला विधिक सहायता समितियों, आदि, द्वारा आयोजित की जाती हैं।

विदेशी कम्पनियों द्वारा पूंजी निवेश

1778. श्री सूर्यनारायण यादव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी कम्पनियों द्वारा देश में पूंजी निवेश करने तथा अपनी शाखाएं खोलने संबंधी अपनी नीतियों में हाल ही में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 दिसम्बर, 1991 को देश में विदेशी कम्पनियों के कितने कार्यालय थे; और

(घ) 1991 में इन कम्पनियों द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा देश में लाई गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) अभी हाल तक केवल एयरलाइन्स और नौवहन कम्पनियों को ही पारस्परिक आधार पर शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 9 जनवरी, 1992 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विदेशी कम्पनियों से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर शाखा कार्यालय खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी तक कोई मार्गनिर्देश तैयार नहीं किये हैं।

(ग) भारत में 54 एयर लाइनों की शाखाएं है तथा नौवहन कम्पनियों नौवहन रजिस्टर की संख्या 8 है।

(घ) एयर लाइन्स और नौवहन कम्पनियां साधारणतया विदेशी मुद्रा नहीं लाती है।

डली हुई वस्तुओं का निर्यात

[अनुवाद]

1779. श्री आर्ल फर्नान्डीज :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढलुई हुई वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने की काफी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार ढलाई प्रौद्योगिकी को उन्नत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) ढलुवां वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि का रूप रहा है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है—

करोड़ रु०

1988-89	1989-90	1990-91
47	97	180

इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ई० ई० पी० सी०) ने वर्ष 1991-92 के दौरान किये जाने वाले निर्यात के लिए 205 करोड़ रु० का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ख) से (घ) औद्योगिक तथा व्यापार नीतियों में पर्याप्त उदारीकरण, जो विशेष रूप से भारत के निर्यात और खास तौर पर ढलुवां वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि के लिए अनुकूल है, के अलावा, सरकार ने एक ऐसे गहन निगरानी दल का गठन किया है जो इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनीति का सुझाव देगा। सरकार ने औद्योगिक नीति को उदार बनाकर तकनालॉजी का आयात सुकर बना दिया है। ऐसी आशा है कि ढलुवां वस्तु उद्योग अपनी तकनालाजी के उन्नयन के लिए स्वयं इन सुविधाओं का लाभ उठाएगा।

उत्पाद शुल्क में घाटा

1780. श्री राम काप्से :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1988-89 से 1990-91 के वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं लवण अधिनियम, 1944 में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप नोटिस जारी रखने अथवा वापिस लिए जाने के कारण सरकार को उत्पाद शुल्क के रूप में राजस्व में कितना घाटा हुआ है; और

(ख) सहायक कलक्टर, अपीलीय कलक्टर, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लगाई गई सीमाओं के कारण वापिस लिए गए नोटिसों के परिणामस्वरूप हुए उक्त घाटे का वर्षवार, अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 से 1990-91 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 में ऐसे कोई संशोधन नहीं किए गए हैं जिनके कारण पहले जारी किए गए मांग नोटिसों को वापस लिया गया हो अथवा उनकी पुष्टि की गई हो। अतः, इस कारण कोई राजस्व हानि नहीं हुई।

मामलों का अन्तरण न होने के कारण उत्पादन शुल्क में हानि

1781. श्री राम कापसे :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पाद तथा नमक (संशोधन) कानून 1985 की धारा 8 के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद समाहर्ताओं को अन्तरित किए जाने वाले मामलों में कार्रवाई न किए जाने के फलस्वरूप राजस्व में कितनी हानि हुई है; और

(ख) उपर्युक्त उपबन्ध के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद समाहर्ताओं द्वारा अन्तरित किए जाने के बावजूद इन मामलों पर कोई निर्णय न लिए जाने के कारण राजस्व में कितनी हानि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जैसा कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक (संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 8 के अन्तर्गत अपेक्षित है, मामलों को न्यायनिर्णयन के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ताओं को अन्तरित किया गया था। कार्यवाहियों का न्यायिक-कल्पस्वरूप होने की बात को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि मामलों के न्यायनिर्णयन हेतु किए गए समय के दौरान राजस्व की कोई हानि नहीं हुई हो।

गेहूं का निर्यात

1782. कुमारी उमा भारती :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान कितने गेहूं का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान भी गेहूं के निर्यात करने का है;

(ग) यदि हां, तो कितनी मात्रा में; और

(घ) यह निर्यात किन देशों को किया जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) दिनांक 1 अप्रैल, 1991 से 20 फरवरी 1992 की अवधि के दौरान 6,72,600 एम टी गेहूं का निर्यात किया गया है।

(ख) से (घ) वर्ष 1992-93 के दौरान निर्यात किए जाने वाले गेहूं की मात्रा के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में खिलाड़ियों का चयन

1783. श्री हरिन पाठक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीकृत बैंकों में खिलाड़ियों के चयन के लिए स्थायी अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंक आफ बड़ौदा, स्टेट बैंक आफ इंडिया, अहमदाबाद ने इन अनुदेशों

का अनुपालन किया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सरकार ने 1981 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा वर्ष 1980 में जारी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए बैंकों में योग्य खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए एक योजना, यदि पहले से विद्यमान न हो, तैयार करने के लिए कहा था। भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित बैंक खेल-कूद बोर्ड ने 1988 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती के लिए मानदण्ड परिचालित किए।

बैंक आफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उनके बैंकों में ऐसी योजनाएं विद्यमान हैं। वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान जहां भारतीय स्टेट बैंक ने खेल-कूद के आधार पर 102 व्यक्तियों को भर्ती करने की सूचना दी है, वहीं बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि उन्होंने इस अवधि के दौरान इस आधार पर किसी भी व्यक्ति की भर्ती नहीं की है। बैंक आफ बड़ौदा के अनुसार, बैंक में खिलाड़ियों की भर्ती के लिए योजना विद्यमान है लेकिन जब 1987 में यह प्रक्रिया शुरू की गई थी, उस समय अदालत में एक मामला हो जाने के परिणामस्वरूप खिलाड़ियों की भर्ती में विलम्ब हुआ। तत्पश्चात बैंक ने भर्ती के लिए अपनी आवश्यकताओं की समीक्षा की और फिलहाल खिलाड़ियों की भर्ती न करने का निर्णय लिया है।

मुम्बई में राजस्व की वसूली

1784. श्री राम नाईक :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई मे 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई है; और

(ख) मुम्बई के विकास के लिए उक्त प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) मुम्बई से वसूल किए गए राजस्व की राशि निम्न प्रकार है :—

(रुपये करोड़ों में)

	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सीमा शुल्क	आयकर (निगम कर सहित)
1988-89	4239.65	6982.41	2565
1989-90	5083.32	7711.77	2882
1990-91	5354.24	9030.31	3287

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आंकड़े समाहर्तालय-वार रखे जाते हैं। समहर्तालयों का क्षेत्राधिकार बम्बई शहर की सीमा से मेल नहीं खाता है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने, नौवें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार गन्दी बस्तियों की सफाई और पर्यावरणीय सुधार हेतु तथा बम्बई शहर में मूलभूत सुख सुविधा के लिए उपबंधों के लिए महाराष्ट्र सरकार को उसके हिस्से की 48.33 करोड़ रुपये की रकम उपलब्ध करा दी है। वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है :—

	रुपये करोड़ों में
1989-90	26.81
1990-91	7.71
1991-92	13.81

केन्द्रीय सरकार ने राज्य के हिस्से के रूप में केन्द्रीय करों और राज्य की योजना के लिए केन्द्रीय सहायता तथा रेल यात्री किराये के बढ़ते अनुदान की निम्नलिखित रकम भी जारी कर दी है :—

वर्ष 1989-90 में 1377.72 करोड़ रुपये

वर्ष 1990-91 में 1463.01 करोड़ रुपये

वर्ष 1991-92 में (अब तक) 1377.38 करोड़ रुपये।

आम उपयोग की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

1785. श्री राम कापसे :

श्री नारायण सिंह चौधरी :

डा० पी० आर० गंगवार :

डा० ए० के० पटेल :

श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों में आम उपयोग की अधिकांश वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1 जुलाई, 1991, और 1 फरवरी, 1992 को इन वस्तुओं की कीमतों की तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(ग) इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) 1991-92 के दौरान आम उपभोग की वस्तुओं की तुलनात्मक मूल्य स्थिति विवरण में दी गई है।

(ग) सरकार ने आम इस्तेमाल की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को कम करने के लिए अनेक

उपाय किए हैं। इनमें राजकोषीय घाटे में कटौती के माध्यम से सख्त राजकोषीय अनुशासन लाना और मूल्य संवेदी आवश्यक वस्तुओं के लिए मुद्रा पूर्ति और बैंक ऋण में वृद्धि करना, आवश्यक/संवेदी वस्तुओं की पूर्ति और मांग का अधिक कारगर प्रबन्ध करना और जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, शामिल है। मूल्यों में मध्यावधि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं।

विवरण

1991-92 के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में उतार-चढ़ाव
(आधार : 1981-82 100)

वस्तुएं	भारांश	निम्नलिखित तारीख को थोक मूल्य सूचकांक			
		29-6-91 (जुलाई, 1991 के निकटतम)	31-8-91	28-12-91	1-2-92
1	2	3	4	5	6
सभी वस्तुएं	100.00	200.1	210.3	212.0	214.2
I. खाद्य वस्तुएं	17.39	331.9	247.7	249.2	251.5
चावल	3.69	195.7	215.2	231.7	240.5
गेहूं	2.25	173.1	199.7	223.2	248.2
ज्वार	0.42	163.9	186.6	235.9	241.6
बाजरा	0.18	161.1	180.7	253.6	272.0
चना	0.41	200.2	202.5	194.6	196.6
अरहर	0.27	300.2	324.8	304.4	318.2
मूंग	0.20	217.4	226.6	237.0	242.0
मसूर	0.05	227.5	262.5	257.1	233.7
उड़द	0.15	506.2	328.9	307.9	311.8
आलू	0.47	889.3	331.4	313.6	194.1
प्याज	0.16	209.6	322.6	147.5	120.2
दूध	1.96	233.2	233.0	245.7	240.1

1	2	3	4	5	6
मछली	0.51	254.1	218.7	210.2	231.4
मांस	0.52	243.4	243.4	242.3	245.1
लाल मिर्च	0.32	243.5	395.8	384.6	357.5
चाय	0.56	308.7	295.6	265.1	251.4
आटा	0.76	204.9	206.3	226.6	227.0
चीनी	2 01	148.4	161.0	155.9	170.9
गुड़	1.76	181.0	193.2	150.3	150.1
सरसों का तेल	0.28	211.3	252.0	261.6	252.4
नारियल का तेल	0.17	277.2	285.5	368.5	362.6
मूंगफली का तेल	0.53	259.2	269.3	275.5	263.4
नमक	0.04	188.0	199.7	203.8	207.7
हाइड्रोजनित वनस्पति	0.52	271.5	282.4	293.4	289.2
II. अन्य					
सोफ्ट कोक (कोक्कारी कोयला)	0.35	253.8	253.8	320.0	320.0
मिट्टी का तेल	0.87	161.4	145.5	145.5	145.8
लट्ठा चादरें	0.36	155.0	155.0	155.0	155.0
धोतियां, साड़ियां और बाबल	1.19	173.2	175.0	176.2	176.8
कपड़े धोने का साबुन (घरेलू लांडरी)	0 59	167.9	171.9	8[illegible]8	[illegible]
माचिसें	0.23	134.4	134.4	138.4	138.4

छोटे किसानों को ऋण राहत देने के बारे में मार्गनिर्देश

[हिन्दी]

1786. श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संघ सरकार ने राज्यों को छोटे किसानों को दिए गए ऋण का

एक भाग माफ करने और भूमिहीन श्रमिकों एवं गरीब किसानों को दिए गए गैर-संस्थागत ऋणों को माफ करने के बारे में क्या मार्गनिदेश जारी किए गए हैं;

(ख) इस संबंध में प्रत्येक राज्य में जिलों को दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संघ सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिदेशों के कार्यान्वयन पर कोई निगरानी रखी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (घ) सम्भव है कि माननीय सदस्य का आशय भारत सरकार द्वारा निष्पादित कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 से है जिसमें उन पात्र किसानों, भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों और बुनकरों को ऋण राहत देना है जिन्होंने सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लिया था। केन्द्रीय सरकार की सलाह पर राज्य सरकारों ने भी सहकारी क्षेत्र में ऋणकर्ताओं के फायदे के लिए भारत सरकार की योजना के अनुरूप अपनी-अपनी योजनाओं को निष्पादित किया था। कृषि और ग्रमीण ऋण राहत योजना 15 मई, 1990 से प्रभावी हुई थी। इस योजना के तहत 2 अक्तूबर, 1989 की स्थिति के अनुसार पात्र उधारकर्ताओं को समस्त अतिदेय राशियां और प्रति ऋणकर्ता 10000- रुपये तक के अस्पावधि और सांवधि ऋण भी शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने बैंकों को योजना के सुचारू और तुरन्त कर्यान्वयन के लिए उपयुक्त मार्गनिर्देश जारी किए थे। यह योजना जम्मू और कश्मीर और असम के अलावा सभी राज्यों में 31 मार्च, 1991 को बन्द हो गई थी तथा इन दो राज्यों में यह 30 जून, 1991 को बन्द हुई थी। नाबार्ड, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों मे योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है उससे तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार 28 फरवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार सारे देश में कुल 315 लाख हिताधिकारियों को 7714 करोड़ रुपये तक की ऋण राहत प्रदान की गई है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को मुक्त पत्तन घोषित किया जाना

1787. डा० असीम बाला :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को मुक्त पत्तन क्षेत्र घोषित करने का विचार है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई समिति गठित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) सरकार ने एक सलाहकार समिति का गठन किया है जो अन्य बातों के अलावा भारत में एक मुक्त पत्तन स्थापित

करने की वांछनीयता तथा व्यवहार्यता की जांच करने, उपयुक्त स्थान का सुझाव देने तथा उसके लिए एक उपयुक्त नीतिगत सुझाव देने का काम करेगी। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

1788. डा० असीम बाला :

श्री मोरेश्वर सावे :

श्री भैरों लाल मीणा :

श्री बाऊ बयाल जोशी :

डा० विश्व फातमीनाथम केनियो :

मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अनिवासी भारतीयों की संख्या कितनी है जिन्होंने सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में हाल ही के महीनों में पूंजी निवेश किया है;

(ख) क्या इन योजनाओं के प्रति अनिवासी भारतीयों की प्रतिक्रिया आशानुरूप रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन योजनाओं को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है; और

(ङ) क्या अनिवासी भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी निवेश करने के इच्छुक हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) हाल में शुरू की गई योजनाओं के प्रति अनिवासी भारतीयों की प्रतिक्रिया इस प्रकार थी :—

(i) विदेशी मुद्रा (उन्मुक्तियां) योजना, 1991 में प्रेषणाएं जो 18-9-91 से 31-1-92 तक खुली थी। इस योजना के माध्यम से प्राप्त प्रेषणाएं दिनांक 28-2-92 को 821.971 मिलियन अमरीकी डालर (2137.13 करोड़ रुपये के समकक्ष) थीं।

(ii) भारतीय स्टेट बैंक को, अमरीकी डालर और पौंड स्टर्लिंग में मूल्य वर्धित भारतीय विकास बाण्ड जारी करने की अनुमति दी गई थी। यह निर्गम दिनांक 31-3-92 तक खुला था। दिनांक 28-2-92 की स्थिति के अनुसार इस योजना में जमा की गई राशि इस प्रकार थी :—

अमरीकी डालर	—	1297,000 मिलियन
पौण्ड स्टर्लिंग	—	179,828 मिलियन

(iii) अक्तूबर, 1991 में घोषित नवीन अनिवासी भारतीय निवेश नीति के अनुसार अब अनिवासी भारतीयों/समुद्रपारीय निगमित निकायों को नवीन औद्योगिक नीति के अनुबन्ध-III में

शामिल किए गए 34 उच्च प्राथमिक उद्योगों में प्रत्यावर्तन लाभों सहित 100 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है। आज की तारीख तक भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है जिनमें लगभग 290.00 लाख रुपये का निवेश शामिल है।

(ख), (ग) और (घ) अनिवासी भारतीयों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है।

(ङ) और (च) अनिवासी भारतीयों ने फार्म गृहों की अधि-प्राप्ति में अपनी रुचि दिखाई है।

(छ) और (ज) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 30 जून, 1991 को देश में 103 विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम कम्पनियां थीं और इनमें से कोई भी कम्पनी बैंकिंग और बीमा कारोबार में नहीं लगी थीं।

मल्टी-माडल परिवहन पर विचार गोष्ठी

1789. श्री शरत् चन्द्र पटनायक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मल्टी-माडल परिवहन पर दिल्ली में अगस्त, 1991 में आयोजित की गई विचार-गोष्ठी में की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) इंस्टीट्यूट आफ रेल ट्रांसपोर्ट और फेडरेशन ऑफ फारवर्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा नई दिल्ली में दिनांक 6-7 अगस्त, 1991 को संयुक्त रूप से आयोजित बैठक में मल्टी-मॉडल परिवहन विकास पर विचार-गोष्ठी की सिफारिशें संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सरकार ने विचार-गोष्ठी की सिफारिशों को सभी संबंधितों के ध्यान में ला दिया है।

विवरण

6 और 7 अगस्त, 1991 को नई दिल्ली में हुई मल्टी-माडल परिवहन पर विचार-गोष्ठी की सिफारिशें

1. मल्टीमोडल माल परिवहन अधिनियम का अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए और वर्ष 1991 के अन्त तक समयबद्ध तरीके से ससद द्वारा अधिनियमित किया जाना चाहिए। यह राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था, विशेषरूप से निर्यात क्षेत्र के हित में होगा क्योंकि मल्टी-माडल की संकल्पना से परिवहन लागतों में कमी की सम्भावना सिद्ध की है। अधिनियम के अन्तर्गत सहायक नियमों का प्रारूप तैयार करने से संबंधित कार्य को साथ-साथ ही करना चाहिए ताकि अधिनियमन और कार्यान्वयन के बीच समय-अन्तराल न हो।

2. मल्टी-माडल परिवहन का संवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय समन्वय निकाय (नेशनल कोआरडीनेशन बॉडी) होनी चाहिए।

3. आधुनिक इंको (अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक) की शर्तों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

4. भारतीय बैंक द्वारा यू० सी० पी० 400 (इंटरनेशनल चैंबर्स ऑफ कामर्स, पेरिस के प्रकाशन सं० 400 के तहत समान सीमा शुल्क तथा पद्धतियों) के उपबन्धों को प्रेषकी ऋणों से निपटते समय मान्यता दी जानी चाहिए।

5. गैर-सरकारी क्षेत्र के निवेश, प्रबन्धकीय विशिष्टियों तथा उद्यम संबंधी निपुणता को पत्तनों पर कंटेनर हैंडलिंग से संबंधी सुविधाओं, कंटेनर भाड़ा स्टेशनों, सीमा शुल्कबद्ध भांडागारों तथा एयर कार्गो परिसरों की स्थापना तथा प्रचालन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6 अनुतट (व्यापार) कानूनों में यानान्तरण तथा तटीय सेवाओं को शुरू करने के लिए विदेशी नौवहन लाइनों की अनुमति देने हेतु ढील दी जानी चाहिए।

7. एसोन सहायता के अन्तर्गत भारत में दक्षिण-एशिया क्षेत्र के लिए उपक्षेत्रीय परिवहन संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। इंस्टीट्यूट आफ फोरेन ट्रेड तथा निम्प (एन०आई०एम०पी०) जैसी कुछ विद्यमान संस्थाओं के उन्नयन पर विचार किया जाना चाहिए।

8. मल्टी-माडल परिवहन कार्यशालाओं का विशेषरूप से प्रमुख पत्तनों से दूर स्थित छोटे व्यापार केन्द्रों तथा कस्बों में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजन करते रहना चाहिए। कुछ विशेषीकृत विषयों जैसे मल्टी-माडल ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स, परिवहन बीमा ट्रांसपोर्ट कानून तथा कंटेनर टर्मिनल पैनल पर इस्केप द्वारा अभिकल्पित की जा रही नई कार्यशालाएं भारत में भी आयोजित की जानी चाहिए।

9. दक्षिण एशिया क्षेत्र के भीतर विशेषरूप से भारत और पड़ोसी देशों के बीच सीमा पार यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए मल्टी-माडल परिवहन का संवर्धन करने के लिए और अधिक क्षेत्रीय समन्वय होना चाहिए। नौवहन व्यापार तथा वास्तविक परिसम्पत्तियों को लेयर/एकत्र करने के संबंध में सूचना की अदला-बदली को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

10. पत्तनों, सीमशुल्क, रेलवे, नौवहन लाइनों, भाड़ा फारवर्डस, उपयोक्ताओं, बैंकों, बीमा कम्पनियों की कम्प्यूटर प्रणालियों के माध्यम से इलैक्ट्रानिक आंकड़ों की अदला-बदली (ई०डी०आई०) के प्रयोग को शुरू करके उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

11. सीमा शुल्क संबंधी क्रियाविधियों तथा प्रलेखन को सरल बनाया जाना चाहिए।

12. पूर्ववर्ती कार्यकलापों ने सिफारिश की थी कि कंटेनर फ्रेट स्टेशन तथा इंडियन कंटेनर डिपुओं की स्थापना व्यवहार्य स्थानों पर की जानी चाहिए।

13. सड़क परिवहन क्षेत्र के चेसिस, ट्रेलर्स और मल्टी एक्सिल यूनिटें प्राप्त करने के लिए आसानी से धनराशि मिलनी चाहिए। यह भी सिफारिश की गई थी कि आयकर संबंधी प्रोत्साहन नौवहन कम्पनियों के अनुसार ही देशीय मल्टी-माडल परिवहन आपरेटर्स (एम० टी० ओ०) को उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

14. पृष्ठ क्षेत्र से हवाई पत्तनों तक एयर कार्गो के आवागमन के जहां पर सम्भव हो पैलेटाई से (रंग-पट्टिका) तथा कंटेनरीकरण के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

15. परिवहन की सभी उप-प्रणालियों तथा अन्य सम्बद्ध एजेंसियों को जितना अधिक से अधिक सम्भव हो, लागतों को कम करने से संबंधित कार्य स्वयं करना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में लम्बित पड़े मामले

1790. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :

श्री महासमुद्रम गणेन्द्र रेड्डी :

श्री विजय नवल पाटिल :

श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री वी० धनंजय कुमार :

श्रीमती चन्द्र प्रभा असं :

क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में 31 दिसम्बर, 1991 तक लम्बित पड़े मुकदमों की न्यायालय-वार संख्या क्या थी;

(ख) उच्चतम न्यायालय में 1991 के दौरान कितने मुकदमें दायर किए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने मुकदमों का निपटारा किया गया;

(घ) क्या सरकार की देश की मौजूदा न्यायिक प्रणाली में सुधार करने की कोई योजनाएं हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(च) सरकार ने लम्बित पड़े मामलों का तत्काल निपटारा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) उपलब्ध जानकारी, संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

(ख) 42215।

(ग) 93102।

(घ), (ङ) और (च) बकाया मामला विषयक समिति, जिसने उच्च न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या की जांच की और जिसमें इस समस्या के विभिन्न पहलुओं जैसे कि, न्यायपालिका में अधिकारिता विषयक और प्रक्रियात्मक उपांतरण/सुधार करना, विशेष प्रकार के मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए अधिकरण/आयोग जैसी विशेषज्ञ निकायों की स्थापना, न्यायालयों में कार्यालय उपस्करों के आधुनिकीकरण सहित अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करना, न्याय-पालिका को और अधिक निधियों का आवंटन, न्यायालयों के दिन प्रतिदिन के कार्य में सुधार करना आदि सम्मिलित हैं, की सिफारिशें सभी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों राज्य सरकारों और उच्च न्याया-लयों की आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए भेज दी गई हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है। विभिन्न न्यायालयों ने उपयुक्त कदम उठाए हैं, जैसे कि विधि के

सामान्य प्रश्न वाले मामलों को एक समूह में रखना, शीघ्र निपटारे की अपेक्षा रखने वाले मामलों को पूर्विकता देना, विशेषज्ञ न्यायापीठों का गठन आदि ।

उच्चतम न्यायालय में न्यायपीठें इस प्रकार गठित की गई हैं कि वे दीर्घतर अवधि के लिए कार्य करे और कार्य इस प्रकार आवंटित किए जाते हैं कि एक ही प्रकार के मामले उसी न्यायपीठ के समक्ष रखें जाएं।

विवरण

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित मामले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या

न्यायालय का नाम	31-12-91 को लंबित मामलों की संख्या	
उच्चतम न्यायालय	134221	
उच्च न्यायालय का नाम		
राजस्थान	19578	
दिल्ली	134053	
पंजाब और हरियाणा	97757	
कर्नाटक	99067	
गुजरात	91156	
सिक्किम	72*	
हिमाचल प्रदेश	13029*	
मुम्बई	170574*	
आन्ध्र प्रदेश	76314	
इलाहाबाद	566847*	
गुवाहाटी	** 22499	
मध्य प्रदेश	** 70096	
पटना	67777	31-12-1990 को
उड़ीसा	33303	31-12-1990 को
मद्रास	236579	31-12-1990 को
केरल	78411	31-12-1990 को
कलकत्ता	200528	30-06-1990 को
जम्मू और कश्मीर	42099	31-12-1989 को

*31-7-1991 को स्थिति ।
**30-6-1991 को स्थिति ।

दिल्ली परिवहन निगम को घाटा

1791. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :

प्रो० के० वी० थामस :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम में हो रहे भारी घाटे का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली परिवहन निगम की दीर्घकालीन व्यवहार्यता सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सरकार दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण पर निरन्तर नजर रख रही है। नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा परीक्षक ने 1990 की अपनी रिपोर्ट संख्या 6 (वाणिज्यिक) के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण की विस्तार से जांच की है। नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा परीक्षक की यह रिपोर्ट 12-7-1991 को संसद के दोनों सदनों में रखी गयी है।

(ग) और (घ) उत्पादकता में वृद्धि करने, प्रति यूनिट लागत दरों, किफायत संबंधी उपाय लागू करने, चालक दल के व्यवहार और सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा राजस्व आर्जित करने की दरों में वृद्धि करने, कार्य घाटा, रूटों को युक्तिपरक बनाने आदि की दृष्टि से राजस्व-लीकेज को रोकने के लिए सतत् आधार पर उपाय किए जाते हैं।

दिल्ली परिवहन निगम की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने की दृष्टि से दिल्ली परिवहन निगम की पुनः बहाली के लिए एक अन्तः सम्बद्ध पैकेज तैयार करने के लिए वित्त मन्त्री की अध्यक्षता में मन्त्रियों का एक दल भी गठित किया गया है।

काफी बोर्ड के कुछ विभागों में कथित कुप्रबन्धन

1792. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काफी बोर्ड के काफी अनुसंधान केन्द्रों और जनसंपर्क विभाग में कथित कुप्रबन्धन के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) जहां तक काफी अनुसंधान केन्द्रों का सम्बन्ध है, कुप्रबन्ध की कोई शिकायत नहीं मिली है। किन्तु अनुसंधान की

अपर्याप्तता और घटिया कार्य-निष्पादन की कभी-कभी आलोचना हुई है। जन सम्पर्क मामलों की भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सरकार द्वारा अनुसंधान क्रियाकलापों की समीक्षा वाणिज्य मंत्रालय में हाल ही में गठित एक वैज्ञानिक सलाहकार समिति के जरिए की जा रही है।

अफीम की खेती

[हिन्दी]

1793. डा० रमेश चन्द्र तोमर :

श्री देवी बक्स सिंह :

श्री रतिलाल वर्मा :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफीम की खेती किन-किन राज्यों में होती है;

(ख) क्या कुछ क्षेत्रों में अफीम की खेती पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के नाम क्या हैं और इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या सरकार ने कुछ और क्षेत्रों में अफीम की खेती करने हेतु लाइसेंस जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में केन्द्रीय सरकार के कड़े लाइसेंसिंग नियंत्रण और पर्यवेक्षक के अधीन केवल अधिसूचित क्षेत्रों में ही अफीम पोस्त की खेती की जाती है। भारत सरकार की दिनांक पहली अक्तूबर, 1991 की अधिसूचना संख्या 1/91 द्वारा अफीम फसल वर्ष 1991-92 के लिए ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है।

अफीम पोस्त की अवैध खेती की रोकथाम करने के लिए, औषध कानून प्रवर्तन करने वाली विभिन्न एजेंसियां कड़ी निगरानी रखती हैं और स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत कठोर दण्ड लगाने की व्यवस्था की गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) इसका प्रश्न नहीं उठता।

परियोजनाओं के लिए विदेशों से सहायता

1794. डा० रमेश चन्द्र तोमर :

श्री देवी बक्स सिंह :

श्री रतिलाल वर्मा :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी और फ्रांस सहित कुछ देशों ने भारत को कुछ परियोजनाओं के लिए सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं की स्थापना किन-किन राज्यों में किए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) दानी देश सामान्यत: समग्र वचन की शर्त पर सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था की विभिन्न परियोजना और गैर-परियोजना आवश्यकताओं के लिए प्रत्येक दानी देश के साथ सतत प्रक्रिया के रूप में सहायता बातचीत की जाती है। परियोजना और गैर-परियोजना सहायता, शर्तें आदि जैसे ब्यौरों का पता दानी देशों के साथ करारों को अन्तिम रूप देने के बाद ही लगता है।

तस्करी में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सहायता करना

[अनुवाद]

1795. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार और हवाई अड्डा-वार तस्करी गतिविधियों का बढ़ावा देने और उसमें मदद करने में शामिल पाए गए हवाई अड्डों पर नियुक्त सीमाशुल्क अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और कितने अधिकारियों को उपरोक्त गतिविधियों में शामिल होने के बावजूद भी फिर से हवाई अड्डों पर नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या हवाई अड्डों पर सीमाशुल्क अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सुंकी घाट पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 की मरम्मत

1796. श्री के० प्रधानी :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने सुंकी घाट पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 की मरम्मत हेतु अनुमानित व्यय भेजा है जो भूस्खलन में क्षतिग्रस्त हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु संघ सरकार द्वारा कितनी राशि दी गई/दिये जाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर तूफान से सुंकी घाट को हुई क्षति के लिए 8.57 लाख रु० के एक प्राक्कलन को फरवरी, 1991 में मंजूरी दी गई थी और इस प्राक्कलन की पूरी राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इसके अलावा, दो कार्यों घाटी खिसकने से सुरक्षा के लिए 24.35 लाख रु० की लागत के एक कार्य को और पुश्ता दीवारों के निर्माण के लिए 10.86 लाख रु० की लागत के एक अन्य कार्य को क्रमश: 30-10-91 और 20-2-92 को मंजूरी दे दी गई है। बाढ़ से हुई क्षति के अंतर्गत हाल ही में एक और प्राक्कलन प्राप्त हुआ है जिसमें सुंकी घाट पर कुछ मरम्मत कार्य निहित है। साथ ही साथ उड़ीसा में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर तत्काल स्वरूप की मरम्मत कार्यों के लिए, जिसमें यह खंड भी शामिल है, 30 लाख रु० रिलीज किए जा चुके हैं।

भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए सामूहिक बीमा योजना

1797. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री बलराज पासी :

श्रीमती रीता वर्मा :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1991 को भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत लाभभोगियों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) 1991 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने दावों को निपटाया गया तथा दावों की धनराशि कितनी थी।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत लाभानुभागियों की संख्या 1.5 करोड़ होने का अनुमान है।

(ख) 1-4-1991 से 31-12-1991 तक की अवधि के दौरान भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत निपटाए गए दावों की संख्या और राशि का क्षेत्रवार और

राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्षेत्र	1-4-91 से 31-12-91 तक की अवधि के दौरान निपटाए गए दावे	
	दावों की संख्या	राशि (रुपए)
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
हरियाणा	510	5,10,000
हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
जम्मू एवं कश्मीर	5	5,000
पंजाब	325	3,25,000
राजस्थान	262	2,62,000
चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	195	1,95,000
दिल्ली	95	96,000
पूर्वी क्षेत्र		
अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
असम	107	1,07,000
बिहार	273	2,73,000
मेघालय	शून्य	शून्य
मिजोरम	शून्य	शून्य
मणिपुर	शून्य	शून्य
नागालैंड	शून्य	शून्य
उड़ीसा	1 5 ·	10,53,000
सिक्किम	शून्य	शून्य
त्रिपुरा	शून्य	शून्य
पश्चिम बंगाल	2197	21,97,000
अंडमान एवं निकोबार	शून्य	शून्य

1	2	3
केंद्रीय क्षेत्र		
मध्य प्रदेश	803	8,03,000
उत्तर प्रदेश	498	4,98,000
दक्षिणी क्षेत्र		
केरल	1644	16,44,000
तमिलनाडु	6341	63,41,000
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
पांडिचेरी	शून्य	शून्य
दक्षिणी-केंद्रीय क्षेत्र		
आंध्र प्रदेश	3938	39,38,000
कर्नाटक	1413	14,13,000
पश्चिमी क्षेत्र		
गोआ	366	3,66,000
गुजरात	6540	65,40,000
महाराष्ट्र	2201	22,01,000
दादरा एवं नगर हवेली	शून्य	शून्य
दमन एवं दीव	शून्य	शून्य
निगम के लिए कुल जोड़ :	28861	2,88,61,000

बहुपक्षीय एजेंसियों से रियायती सहायता

1798. श्री आर्य पलनीवेल :

श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन में हाल ही में हुई दानदाताओं की बैठक में एशिया विकास निधि से भारत को रियायती सहायता उपलब्ध कराने के विषय पर कोई सर्वसम्मित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इससे आगामी वर्षों में बहुराष्ट्रीय एजेंसियों से रियायती सहायता की प्राप्ति को प्रोत्साहन देने संबंधी भारत की योजना प्रभावित होगी; और

(घ) इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) दो विशाल पात्र कम-आय वाले डी० एम० सी० अर्थात् चीन जनवादी गणराज्य और भारत में से किसी के लिए भी एशियाई विकास निधि में से संसाधन उपलब्ध कराने के विषय में 9-10 दिसम्बर, 1991 को लन्दन में हुई दाता देशों की बैठक में दाताओं के बीच कोई मतैक्य नहीं हुआ। साथ ही, एशियाई विकास निधि के परम्परागत प्राप्तकर्ताओं और अन्य पात्र उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए, दानी देशों ने निष्कर्ष निकाला कि एशियाई विकास निधि VI अवधि के दौरान इन दो देशों को एशियाई विकास निधि के संसाधन उपलब्ध कराना सम्भव नहीं होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनिवासी भारतीयों की जमा राशि

1799. श्री आर्य फर्नांडीज :

श्री मोरेश्वर सावे :

श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री सुबोध गिरि :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई आर्थिक नीति की घोषणा के पश्चात् अब तक देश को अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से कितना ऋण मिला है;

(ख) नई आर्थिक नीति के प्रारम्भ करने से एक वर्ष पूर्व अनिवासी भारतीयों की जमा राशि कितनी थी और उसके बाद की स्थिति क्या है;

(ग) अनिवासी भारतीयों को और अधिक धनराशि जमा करने हेतु आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(घ) क्या अनिवासी भारतीयों से आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) नई आर्थिक नीति की घोषणा के समय से आज तक देश में अंतर्राष्ट्रीय ऋण प्रवाह के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस अवधि के लिए लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) जुलाई, 1990 और जनवरी, 1992 के अंत में संचयी अनिवासी भारतीय जमाराशियां

क्रमशः 18536 करोड़ रुपए और 21896 करोड़ रुपए थी।

(ग) सरकार ने अक्तूबर, 1991 में एक नई अनिवासी भारतीय निवेश नीति की घोषणा की है, जिस में प्रत्यावर्तन लाभों सहित 34 उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में शत-प्रतिशत अनिवासी भारतीय निवेश की व्यवस्था है। इसमें विदेशी मुद्रा (उन्मुक्ति) योजना में प्रेषणाओं की भी घोषणा की है जो जनवरी, 91 में समाप्त हो गई। इस स्कीम के अंतर्गत भारत से बाहर कोई भी निवासी भारत में किसी भी व्यक्ति को प्रेषणाएं भेज सकता है और इस स्कीम के अंतर्गत विदेशी मुद्रा आदि के स्रोत को प्रकट करने से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। एक अन्य स्कीम "भारत विकास बांड" की भी अक्तूबर, 1991 में घोषणा की गई थी।

(घ) और (ङ) प्रौद्योगिकी करार के लिए कार्यप्रणाली को सरल बनाया गया है और वह अनिवासी भारतीयों के मामले में भी लागू होगी।

विदेशी बैंकों द्वारा सरकारी क्षेत्र के एककों का विश्लेषण

[हिन्दी]

1800. श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

श्री बलराज पासी :

श्री रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हांगकांग बैंक, सिटी बैंक तथा ग्रिंडलेज बैंक ने सरकारी क्षेत्र के कुछ एककों का विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बैंकों ने कोई विवरण-पत्र सरकार के पास विचारार्थ भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

शिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण

1801. श्री राम नारायण बेरवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वयं रोजगार योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली ऋण राशि में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना को उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग विकास आयुक्त द्वारा लागू किया जाता है। हिताधिकारियों की पहचान करने और डी० आई० सी० कार्यदल द्वारा उनकी परियोजनाओं को व्यावहारिक/अर्थक्षम पाने के बाद बैंक प्रत्येक उद्यमी को औद्योगिक कार्य के लिए 35,000/-रु० से अनधिक, सेवा कार्य के लिए 25,000/-रु० से अनधिक और छोटे कारोबार के लिए 15,000/-रु० से अनधिक के समिश्र ऋण देते हैं। योजना के प्रचालन ब्यौरें, जैसे कि लक्ष्य समूह, लक्ष्य का आकार, कवरेज, ऋण और सब्सिडी का आकार आदि की समीक्षा और मूल्यांकन सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से करती है।

सोने की तस्करी

[अनुवाद]

180.2 श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री छोटू भाई गामीत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने की तस्करी में वृद्धि हो रही है;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान सोने की तस्करी के कितने मामलों का पता चला और कितने मूल्य का सोना जब्त किया गया;

(ग) कितने मामलों में अभियोजन शुरू किया गया है/निपटाया गया/है/लम्बित पड़ा है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों में जुर्माना किया गया अथवा जेल की सजा दी गई;

(ङ) क्या सोने की तस्करी में वृद्धि होने का एक कारण सोना नियंत्रण आदेश को वापिस लिया जाना है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (च) उपलब्ध रिपोर्टों तथा किये गये अभिग्रहणों से यह पता चलता है कि सोना देश में तस्करी के लिए आकर्षण की वस्तु बना हुआ है। तथापि, चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किया जाने वाला धंधा है, अतः यह कहना संभव नहीं है कि सोने की तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है अथवा नहीं। गत दो वर्षों के दौरान पकड़े गये सोने की मात्रा तथा मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	पकड़े गये सोने का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	सोने की मात्रा (मीट्रिक टन में)
1990	192.96	5.72
1991	187.00	4.93

गत 2 वर्षों के दौरान सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के तहत दर्ज किये गये मामलों की संख्या तथा उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमे चलाये गये हैं/जिन्हें दोषी सिद्ध किया गया है/दोषमुक्त किया गया है और वर्ष 1991 के अंत में अनिर्णीत पड़े अभियोजनों की संख्या नीचे दी गई है। तथापि, केवल सोने के मामलों के संबंध में आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं :—

वर्ष	दर्ज किये गये मामलों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिनपर मुकदमे चलाये गये	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें दोषी सिद्ध किया गया	उन व्यक्तियो की संख्या जिन्हें दोष मुक्त किया गया	अनिर्णीत पड़े अभियोजनों की संख्या
1990	73279	2268	555	141	---
1991*	50224	1640	585	146	6237

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ङ) और (च) सोने की घरेलू मांग तथा पूर्ति के बीच अन्तर होने और साथ ही इसके अंतरराष्ट्रीय कम मूल्य तथा अपेक्षाकृत अधिक स्वदेशी मूल्य के बीच अन्तर होने जैसे विभिन्न पहलुओं के कारण भी सोना देश में तस्करी के लिए परम्परागत रूप से आकर्षण की वस्तु बना हुआ है। चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किया जाने वाला धंधा है, अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम को निरस्त किए जाने के कारण अथवा अन्यथा इसमें वृद्धि हुई है/कमी हुई है। निरस्त स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के उपबंध केवल स्वदेशी स्वर्ण व्यापार को ही नियंत्रित करते थे।

इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की जब्ती

1803. **श्री अवध कुमार पटेल :**

श्री राम बदन :

कुमारी उमा भारती :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जनवरी, 1992 के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए सोने की मात्रा और मूल्य क्या है;

(ख) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 25 जनवरी, 1991 को कुछ सामान में रखा लगभग 30 करोड़ रुपए के मूल्य का 58 किलोग्राम सोना जब्त किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस मामले में कोई जांच की गयी है;

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है;

(च) ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान राजनयिकों के नाम से माल का आयात किया गया था; और

(छ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) दिल्ली में जनवरी, 1992 के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय तथा अन्य प्रवर्तन एजंसियों द्वारा लगभग 4.22 करोड़ रुपए के मूल्य का 87.179 किलोग्राम सोना पकड़ा गया है।

(ख) से (ङ) विदेशी मूल के मार्का वाले 500 सोने के टुकड़े, जिनका कुल मिलाकर वजन 58.325 किलोग्राम था और मूल्य लगभग 2.81 करोड़ रुपए आंका गया था, राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा 25-1-1992 को एक खेप से पकड़े गए जो एक विदेशी दूतावास के अधिकारी के नाम पर इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची थी। इस सोने को अन्य घरेलू सामान के साथ आयातित वाशिंग मशीन और कुकिंग रेंज में छिपाया हुआ था। जांच-पड़ताल से यह पता चला है कि विदेशी दूतावास का अधिकारी इसमें शामिल नहीं था। राज कुमार गुप्ता तथा त्रिलोचन सिंह नामक दो व्यक्तियों को, जो दिल्ली के थे, इस मामले में शामिल पाया गया था और उन्हें 25 जनवरी, 1992 को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अधीन 13 फरवरी, 1992 से नजरबन्द भी कर दिया गया है।

(च) और (छ) राजस्व आसूचना निदेशालय ने गत 3 वर्षों के दौरान एक अन्य ऐसी घटना के ब्यौरे सूचित किया है जिसमें 1989 में लगभग 2,58,93,000/- रुपये के मूल्य की 3699 किलोग्राम चांदी एक ऐसी खेप से पकड़ी गयी थी जिसका आयात एक विदेशी दूतावास के नाम से किया गया था। इस दूतावास ने इस खेप के आयात किए जाने के बारे में मना कर दिया था और इसे छोड़ दिया। चूंकि माल का किसी ने दावा नहीं किया था अतः, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया था।

शिष्टमण्डल का सोवियत गणतंत्रों का दौरा

1804. श्री अवध कुमार पटेल :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार और वाणिज्य तथा रुपया-रूबल समस्याओं इत्यादि से संबंधित विभिन्न मसलों के बारे में राष्ट्रकुल में शामिल प्रत्येक गणतंत्र के साथ बातचीत करने के लिए एक सरकारी शिष्टमण्डल ने हाल में रूस की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक गणतंत्र के साथ हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) विदेश सचिव की अध्यक्षता में सरकारी स्तर का एक प्रतिनिधिमण्डल जनवरी, 1992 में मास्को गया था। इस प्रतिनिधिमण्डल ने रूसी सरकार के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार संबंधों सहित विभिन्न द्विपक्षीय

मामलों पर विचार-विमर्श किया था। इस यात्रा की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में फरवरी, 1992 के तीसरे सप्ताह में एक रूसी प्रतिनिधिमण्डल भारत आया था। इस यात्रा के दौरान व्यापार एवं आर्थिक सहयोग सम्बन्धी एक करार आद्याक्षरित किया गया था और इस पर निकट भविष्य में हस्ताक्षर किए जाने की आशा है। इस यात्रा के दौरान वर्ष 1992 के लिए एक द्विपक्षीय व्यापार संलेख भी सम्पन्न किया गया था। कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान के साथ भी अलग से व्यापार करार किए गए हैं। उक्रेन, बेलेरस और अजरबैजान राष्ट्रराज्यों के साथ भी विचार विमर्श किया गया है।

विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ऋणों संबंधी समयावलि

1805. श्री श्रवण कुमार :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ अन्तिम दौर की बातचीत में भारत के लिए ऋणों के सम्बन्ध में क्या समयावलि तैयार की गई है;

(ख) इन बैठकों में भारत की अर्थव्यवस्था के पुनर्संयोजन के सम्बन्ध में उठाए गए और उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के सम्बन्ध में भारत से कौन कौन से आश्वासनों की मांग की गई; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में दिए गए स्पष्टीकरण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारत को उधार देने के कार्यक्रम के बारे में विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकों में कोई चर्चा नहीं हुई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

नई वस्त्र नीति को कार्यान्वित करना

[हिन्दी]

1806. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई वस्त्र नीति के कार्यान्वयन के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नीति का राजस्थान में हथकरघा, विद्युतकरघा उद्योगों के कार्यकरण और वस्त्र श्रमिकों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) वर्ष 1985 में सरकार ने वस्त्र नीति की घोषणा की थी। उसके बाद इस नीति के कार्यचालन की समीक्षा करने

के लिए श्री आबिद हुसैन समिति की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंक जमाराशि पर प्रोत्साहन

1807. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक बचत को आकर्षित करने के लिए बैंक जमाराशियों पर आकर्षक ब्याज दर अथवा कोई अन्य प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक जमा राशियों पर ब्याज दरों का निर्धारण अन्य बातों के साथ-साथ स्रोतों के उपयोग की आवश्यकता, बचत के अन्य लिखतों पर ब्याज दर, उधार दर और बैंकों की लाभप्रदता आदि के आधार पर किया जाता है। अन्य सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए बैंक जमाराशियों पर विद्यमान ब्याज दरें उचित मानी गई हैं। तथापि इन दरों की निरंतर समीक्षा की जाती है।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण

[अनुवाद]

1808. **श्री जे० चोका राव :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 के दौरान तथा 1991-92 में 31 दिसम्बर, तक केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुल कितना ऋण दिया गया है,

(ख) क्या ऋण राशि में वृद्धि होने के कारण और करेंसी नोट छापने पड़े, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बजट घाटों पर दी गई ऋण राशि में वृद्धि होने का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वर्ष 1989-90, 1990-91 के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष 27 दिसम्बर, 1991 तक केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण में वृद्धि निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

	1989-90	1990-91	1991-92 (27 दिसम्बर 1991 तक)
केन्द्रीय सरकारें	13,813	14,745	9811
राज्य सरकारें	255	420	(—)1665

(ख) सरकारों को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण में वृद्धि से प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि होती है और इसके फलस्वरूप मौद्रिक विस्तार होता है । प्रचालन में, नोटों में 1989-90 में 8086 करोड़ रुपए, 1990-91 में 6931 करोड़ रुपए और चालू वित्तीय वर्ष में (27 दिसम्बर, 1991 तक) 6287 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

(ग) केन्द्र और राज्य सरकारें भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण मुख्य रूप से अपने बजट घाटों को पूरा करने के लिए लेती हैं।

विशाखापतनम नौसैनिक गोदी

1809. **श्री सनत कुमार मण्डल :**

श्री गुरुदास कामत :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापतनम नौसैनिक गोदी ने लड़ाकू जलपोतों की मरम्मत में अत्यधिक देरी की है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) वहां पर मरम्मत की कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) नौसेना गोदी विशाखापत्तनम में नौसेना पोतों की मरम्मत तथा उन्हें दुरुस्त करने में देरी होने के सामान्यत: कोई मामले नहीं हुए हैं । तथापि, गोदी में पर्याप्त मरम्मत क्षमता की कमी अथवा विदेशी स्रोतों से कलपुर्जे उपलब्ध न हो पाने के कारण कुछ मामलों में अपरिहार्य देरी हुई है । ऐसी देरी न होने पाए इसके लिए अनेक उपाय किये गये हैं, जिनमें नौसेना डाकयार्ड, बम्बई से सहायता लेना, पुर्जों के देश में उत्पादन के लिए अधिक से अधिक प्रयास करना तथा अन्य ऐजेन्सियों को मरम्मत कार्य सौंपना आदि शामिल हैं।

चमड़ा उत्पादों का निर्यात

[हिन्दी]

1810. **श्री यशवन्तराव पाटिल :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चमड़ा उत्पादों के निर्यात हेतु कोई नीति तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नई नीति की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) हालांकि चमड़ा उत्पादों के निर्यात के लिए कोई नीति तैयार करने का कोई खास प्रस्ताव नहीं है, तथापि चमड़ा उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप,

हाल के वर्षों में चमड़ा उत्पादों का निर्यात वर्ष 1988-89 के लगभग 913 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1990-91 में प्रशासनीय रूप से बढ़कर 1831 करोड़ रुपए हो गया।

मतदाता सूचियां और मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करने को अद्यतन बनाना

†1811. श्री यशवंतराव पाटिल :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोकसभा और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाताओं की अद्यतन सूची तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मतदाताओं को पहचानपत्र जारी करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित किये जाने वाले मतदाताओं के नाम स्थानांतरण के स्थान की मतदाता सूची में नहीं रखे जाते; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने, उत्तर प्रदेश के उत्तर काशी, टिहरी गढ़वाल और चमोली जिलों को छोड़कर, जो हाल ही के भूकम्प से प्रभावित हुए थे, 1.1.1992 को अर्हता की तारीख मानकर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण का आदेश दिया था। संक्षिप्त पुनरीक्षण से संबंधित कार्य पूरा हो गया है और अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामावलियों का अन्तिम रूप से छापाकाम भी पूरा हो गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार, मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। तथापि, मतदाताओं की बड़ी संख्या, व्यय और इसके लागू किए जाने में अन्तर्वलित प्रशासनिक उपायों को ध्यान में रखते हुए, पूरे देश में बहु उद्देशीय फोटो पहचान-पत्र के आरंभ किए जाने में पांच वर्ष से कम समय लगने की संभावना नहीं है।

(ङ) और (च) कोई भी मतदाता जिसने अपना निवास एक निर्वाचनक्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में बदल लिया है, किसी भी समय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन उस निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को, जिसमें वह अपना निवास बदल कर गया है, आवेदन पत्र द्वारा उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपने नाम को सम्मिलित करने के लिए आवेदन कर सकता है।

हरियाणा और गुजरात में जनता और कंट्रोल के कपड़े की बिक्री

1812. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

श्री अवतार सिंह भड़ाना :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और गुजरात में पिछले तीन वर्षों से जनता और कंट्रोल के कपड़े की बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी किन-किन एजेंसियों के माध्यम से बिक्री की जा रही है और उनका किस्मवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इनकी बिक्री में की जा रही अनियमितताओं से अवगत है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) यद्यपि गुजरात में जनता और कंट्रोल कपड़ा दोनों ही बेचे जाते हैं लेकिन हरियाणा में केवल कंट्रोल कपड़ा ही बेचा जाता है।

(ख) गुजरात और हरियाणा में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा उत्पादित कंट्रोल कपड़े की साड़ियां, धोतियां, लांग क्लाथ और पालियस्टर सूती कपड़ा राष्ट्रीय/राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, एन० टी० सी० के खुदरा विक्रय केन्द्रों और एन० टी० सी० द्वारा प्राधिकृत विक्रेताओं द्वारा बेचा जाता है। गुजरात में हथकरघा जनता कपड़ा गुजरात में कार्यान्वयन अभिकरणों के अपने विक्रय केन्द्रों के अतिरिक्त उपभोक्ता सहकारी समितियों और उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाता है। गुजरात में जनता कार्यान्वयन अभिकरण केवल साड़ियां और धोतियां ही तैयार करते हैं।

(ग) व (घ) सरकार को गुजरात और हरियाणा में जनता और कंट्रोल कपड़े की बिक्री में अनियमितताओं के संबंध में कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है। जनता कपड़ा योजना के कार्यान्वयन की मार्गदर्शिका में जुलाई, 1990 से व्यापक संशोधन किया गया है जिससे वितरण व्यवस्था सहित कई और कमियों में सुधार किया गया है। संशोधित मार्गदर्शिका में यह निर्धारित है कि उत्पादन और वितरण व्यवस्था की देख-रेख सहित अन्य और कार्यों के लिए मुख्य सचिव/हथकरघा प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तर की कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाए और इस समिति में नागरिक आपूर्ति विभाग, गैर सरकारी अधिकारियों, उपभोक्ता प्रतिनिधियों, अन्य विशेषज्ञों आदि को शामिल किया जाए।

रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव

1813. श्री साईमन मरांडी :

श्री विजय एम० पाटील :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1991 से विभिन्न विदेशी मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये के अवमूल्यन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस अवमूल्यन का भुगतान संतुलन, मुद्रास्फति और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) प्रमुख विदेशी

मुद्राओं की तुलना में रुपए के विदेशी मूल्य में परिवर्तन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं : —

	3, जुलाई, 1991	27 फरवरी, 1992	27 फरवरी, 1992
	31 दिसम्बर, 1990	31 दिसम्बर, 1990	3 जुलाई 1991
	प्रतिशत परिवर्तन		
	मूल्यह्रास (—)		मूल्य वृद्धि (+)
पौंड स्टर्लिंग	—17.1	—24.0	—8.8
अमरीकी डालर	—30.8	—30.7	0.1
ड्यूश मार्क	—15.4	—28.9	—10.0
येन	—28.4	—33.1	—6.7
फ्रांसीसी फ्रांक	—16.7	—23.8	—9.6

जुलाई, 1991 में रुपए की विनिमय दर में किए गए समायोजन भारतीय निर्यातकों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और विश्वास कायम रखने के उद्देश्य से नीतियों के एकमुश्त उपायों के भाग के रूप में थे । इन उपायों से कुछ सफलता मिली है। विदेशी मुद्रा भंडारों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, फरवरी, 1992 के तीसरे सप्ताह में ये भंडार 11410 करोड़ रुपये (4.4 बिलियन डालरों) पर पहुंच गए थे। मुद्रास्फीति की दर जो अगस्त, 1991 में 16.7 प्रतिशत गिरकर फरवरी, 1992 में लगभग 12 प्रतिशत रह गयी ।

कन्टेनर फ्रेट स्टेशन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टियों को लाइसेंस देना

[अनुवाद]

1814. श्री अन्थारासु इरा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों (सी०एफ०एस०) के संचालन के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतियोगी के रूप में प्राइवेट पार्टियों को लाइसेंस दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का अपने उस निर्णय पर पुन: विचार करने का प्रस्ताव है जिसके द्वारा कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों के संचालन की अनुमति प्राइवेट पार्टियों को दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों (सी०एफ०एस०) में गैर सरकारी क्षेत्र की सहभागिता की अनुमति चुनिन्दा आधार पर दी जाती है ताकि प्रतिस्पर्धा का सृजन हो सके और प्रयोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान की जा सके और कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों सहित परिवहन क्षेत्र के लिए आवश्यक स्रोतों की समस्या हल की जा सके। यह सरकार की उदारीकरण नीति के अनुरूप भी है ।

सरकार का इस नीति में परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली परिवहन निगम को धनराशि

1815. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली परिवहन निगम को 1992-93 के दौरान और धनराशि आवंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सरकार ने 1992-93 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के लिए गैर-योजनागत सहायता के रूप में 15 करोड़ रुपये तथा योजनागत सहायता के रूप में 20 करोड़ रु० की राशि देने का प्रस्ताव किया है।

बैंकों में जमाराशियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर आयकर की वसूली

[हिन्दी]

1816. श्री दिलीप सिंह भूरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष बैंक जमा पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर आयकर काटने के आदेश जारी किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो परिणामस्वरूप कुल कितना आयकर वसूल किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां। वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1991 में इसके बारे में एक उपबन्ध निहित है।

(ख) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत कर-कटौती से संबंधित उपबन्धों में किए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप 125 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि की वसूली होने की संभावना है।

रबड़ की खरीद

[अनुवाद]

1817. श्री चाहत आन सम्बसोथ :

श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा कितनी रबड़ खरीदी गई ;

(ख) रबड़ उत्पादकों को प्रति किलोग्राम कितना मूल्य दिया गया;

(ग) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम को खुले बाजार से और अधिक रबड़ की खरीद करने के निदेश दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) दिनांक 26-2-1992 की स्थिति के अनुसार, एस०टी०सी० ने पिछले 8: महीनों के दौरान घरेलू बाजार से 14969 मी० टन प्राकृतिक रबड़ निम्नानुसार एकत्र किया है :—

आर०एम०ए०-5	: 6703 मी० टन
आर०एम०ए०-4	: 8266 मी० टन
योग :	14969 मी० टन

(ख) एस०टी०सी० घरेलू बाजार से प्राकृतिक रबड़ की खरीद अपनी चार खरीद एजेंसियों की मार्फत करता है और वह खरीद एजेंसियों को निम्नानुसार भुगतान करता है :—

आर०एम०ए०-4 के लिए—20.95 रु० प्रति कि०ग्रा०

आर०एम०ए०-5 के लिए—20.45 रु० प्रति कि०ग्रा०

(ग) और (घ) सरकार ने एस०टी०सी० को यह निर्देश दिया है कि उसे प्राकृतिक रबड़ के निर्दिष्ट ग्रेडों की जितनी भी मात्रा की पेशकश आती है वह उसे क्वालिटी विनिर्देशनों के आधार पर खरीद लें।

छावनी बोर्ड

1818. श्री शंकरराव काले :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छावनी बोर्ड में लोकतन्त्र लाने और इनके स्थान पर चुने हुए निकाय लाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक लागू होने की संभावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) छावनी बोर्ड ऐसे स्थानीय निकाय हैं जिनमें चुने गए तथा नामित सदस्य होते हैं। इन्हें ऐसे निकाय में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है जहां सभी चुने गए सदस्य हों।

जर्मनी को निर्यात

1819. श्री के० एच० मुनियप्पा :

श्री वी० कृष्णा राव :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मनी को निर्यात की जा रही मुख्य वस्तुएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) क्या पिछले वर्ष के दौरान जर्मनी को किए गए निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1992 के दौरान निर्यात में और अधिक वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) भारत से जर्मनी संघीय गणराज्य को निर्यात की जाने वाली मुख्य मदों में वस्त्र (परिधान सहित) चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं रसायन और भेषज, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, रत्न एवं आभूषण शामिल है ।

(ख) और (ग) जी हां । वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान जर्मनी को 2548.82 करोड़ रु० के निर्यात किए गए जबकि पिछले वर्ष (1989-90) में 1994.20 करोड़ रु० के निर्यात किए गए थे ।

(घ) नीतियों में हाल में जो परिवर्तन किए गए हैं उनका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात बढ़ाना है । इसके अतिरिक्त मेलो/प्रदर्शनियों मे भाग लेना, बाजार सर्वेक्षण और व्यापार/उद्योग प्रतिनिधिमण्डलों का आवागमन जैसे विभिन्न निर्यात संवर्धन उपायों से भी भारत से जर्मनी को निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलेगी ।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को नुकसान

[हिन्दी]

1820. श्री बारे लाल जाटव :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश मे भारी वर्षा तथा बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन राजमार्गों की मरम्मत पर कितनी धन-राशि खर्च की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में दूर-दूर फैले हुए रीचेज में बाढ़/बारिश से प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्ग, नीचे दर्शाए गए हैं :

वर्ष	प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्ग
1988-89	संख्या 3, 6, 7, 12, 26 और 43।
1989-90	संख्या 3, 6, 7, 12, 16, 26 और 43।
1990-91	संख्या 3,6,7,12,16,25,26,27 और 43।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर मरम्मत और अनुरक्षण अनुदानों के अन्तर्गत खर्च की गई राशि, जिससे बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत शामिल है, नीचे दी गई है :

वर्ष	खर्च (लाख रु०)
1988-89	891.49
1989-90	1097.90
1990-91	1774.41

वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋण

1821. **श्री बारे लाल जाटव :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक राज्य में सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण के रूप में कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य में इन संस्थाओं द्वारा वास्तव में कितनी राशि दी गई; और

(ग) सरकार ने स्वीकृत ऋणों को शेष राशि देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय ऋण तथा निवेश निगम लि०, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय साधारण बीमा निगम, आर० सी० टी० सी०, टी०डी०आई०सी०आई०, एस० सी०आई०सी०आई० और टी० एफ० सी० आई० जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक राज्य को मंजूर और संवितरित ऋण राशि को विवरण में दिया गया है।

(ग) किसी एक निर्धारित समय में मंजूर राशियों और संवितरित राशि में सदा ही कुछ अंतर रहेगा क्योंकि मंजूर ऋण की राशि को जारी करना/संवितरित करना परियोजना की प्रगति और ऋणकर्ता द्वारा विभिन्न शर्तों के अनुपालन पर निर्भर करता है। तथापि संस्थान निरंतर प्रयासरत हैं कि मंजूरियों और संवितरणों के बीच के अन्तराल को कम किया जाए और संवितरण शीघ्र किए जाएं।

विवरण

क्र०सं०	अप्रैल-मार्च राज्य	1990-91 मंजूर राशि	1990-91 संवितरित राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1569.1	965.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.0	1.4
3.	असम	69.0	71.0
4.	बिहार	199.1	115.9
5.	गोवा	09.9	02.9
6.	गुजरात	2657.0	1897.3
7.	हरियाणा	359.8	316.9
8.	हिमाचल प्रदेश	328.5	75.3
9.	जम्मू व कश्मीर	84.5	39.8
10.	कर्नाटक	960.7	662.6
11.	केरल	201.3	200.5
12.	मध्य प्रदेश	1201.2	634.8
13	महाराष्ट्र	4887.6	2747.8
14.	मणिपुर	2.6	4.0
15.	मेघालय	5.7	7.7
16.	मिजोरम	4.5	4.0
17.	नागालैंड	2.9	5.7
18.	उड़ीसा	307.2	293.7
19.	पंजाब	465.5	357.7
20.	राजस्थान	760.0	429.3
21.	सिक्किम	1.2	3.6
22	तमिलनाडु	1402.7	980.5

1	2	3	4
23.	त्रिपुरा	.3	2.3
24.	पश्चिम बंगाल	654.5	486.6
25.	उत्तर प्रदेश	1362.5	078.5
26.	संघ राज्य क्षेत्र	665.8	413.3
	जोड़ :	18054.9	11030.0

निर्यातकों पर प्रतिबन्ध हटाने की मांग

[अनुवाद]

1822. श्री ताराचन्द खंडेलवाल :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यात संगठन महासंघ ने केन्द्रीय सरकार से निर्यातकों पर से जैसा कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियमन के अन्तर्गत किया गया है, प्रतिबन्ध समाप्त करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में निर्णय कब तक लिए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) जी, नहीं।

झींगा मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन

1823. प्रो० उमारेड्डि वेंकटेश्वरलु :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत समुद्री क्षेत्रों में झींगा मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : समुद्रतटीय क्षेत्रों में झींगा मछली पालन के विकास मे सहायता प्रदान करने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) झींगा मछलियों हैचरियों की स्थापना और नए फार्मों की स्थापना हेतु अनेक उपदान योजनाएं चलाता है। एम्पीडा उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसके अण्डों तथा चारे की खरीद पर इमदाद भी प्रदान करता है। इसके अलावा, एम्पीडा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के जरिए तकनीकी सहायता और प्रसार सेवाएं भी प्रदान करता है।

आंध्र प्रदेश में झींगा मछली पालन को मंजूरी

1824. प्रो० उमारेड्डि वेंकटेश्वरलु :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के गुन्टुर जिले में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत झींगा मछली के लिये किसी कृत्रिम सेने के स्थान को मंजूरी दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू का उत्पादन और निर्यात

1825. श्री० उमारेड्डि वेंकटेश्वरलु :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू का उत्पादन चालू वर्ष के दौरान काफी बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तम्बाकू का, देश-वार, कितना निर्यात किया गया;

(घ) क्या भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों ने अब तक कोई क्रय आर्डर दिया है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या चालू उत्पादन वर्ष के दौरान तम्बाकू के भारी उत्पादन तथा उसके निर्यात में कमी से उसके मूल्यों पर प्रभाव पड़ा है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) इस वर्ष 150 मिलियन कि०ग्रा० तम्बाकू का उत्पादन होने की आशा है जबकि पिछले वर्ष 109.48 मिलियन कि०ग्राम उत्पादन हुआ था।

(ग) एक विवरणपत्र संलग्न है।

(घ) और (ङ) रूसी संघ के साथ 22 फरवरी, 1992 को एक व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें वर्ष 1992 के दौरान 25,000 टन तम्बाकू और 3 अरब सिगरेटों के निर्यात की व्यवस्था है।

(च) इस वर्ष नीलामी की शुरुआत से आंध्र प्रदेश में प्रचलित कीमतें पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान प्रचलित कीमतों से अधिक हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विवरण-पत्र

पिछले तीन वर्षों के दौरान तम्बाकू का देशवार निर्यात

(मात्रा टनों में और मूल्य लाख रुपयों में)

देश	1990-91		1989-90		1988-89	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
पश्चिमी यूरोप :						
यूनिटेड किंगडम	9204	3806.78	8422	3195.66	6877	2309.38
बेल्जियम	6191	2223.26	2771	921.06	705	248.68
फिनलैण्ड	10	6.36	—	—	10	2.91
फ्रांस	1188	158.38	1245	79.31	990	90.18
जर्मनी	1310	795.57	3166	1212.56	930	399.74

1	2	3	4	5	6	7
आइरिश गणराज्य	266	167.03	266	119.70	351	127.37
इटली	38	14.06	220	52.56	280	56.06
नीदर लैण्ड्स	995	380.70	1045	288.18	295	94.39
स्वीडन	120	1.55	90	13.30	80	15.20
पुर्तगाल	88	49.79	38	16.18	79	33.56
ग्रीस	95	42.77	—	—	—	—
	19505	7667.15	17260	5898.51	3720	1068.09
पूर्वी यूरोप :						
चेकोस्लोवाकिया	1469	677.39	849	209.78	870	257.77
[illegible] गणराज्य			2643	977.70	1642	528.03
[illegible]	19638	6436.36	10955	3203.98	13035	3435.64
[illegible]	1004	291.95	—	—	—	—
	22111	7405.70	14447	4391.46	15547	4221.44

1	2	3	4	5	6	7
मध्य पूर्व :						
साइप्रस	—	—	12	5.42	6	2.58
इस्राइल	85	44.66	47	18.20	42	9.67
जार्डन	45	18.97	73	32.49	51	17.74
कुवैत	37	14.92	28	6.26	—	—
पी० डी० आर०	2318	388.16	7880	1410.87	4552	684.58
दक्षिण अरब	3360	511.89	2884	385.40	1030	183.67
संयुक्त अरब अमीरात	26	2.57	537	78.43	9	1.51
वाई० ए० आर०	7007	1086.49	2427	464.14	109	17.19
इराक	—	—	500	242.68	—	—
	12878	2067.66	14228	2643.89	5799	916.34
दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया						
बंगला देश	361	154.42	407	135.12	434	117.04
चीन	640	329.28	100	34.32	220	63.25

1	2	3	4	5	6	7
मलेशिया	20	7.03	क	0.05	क	0.08
मालदीव	9	2.05	89	15.65	65	13.87
नेपाल	7441	1514.63	5740	1134.96	5778	991.61
उत्तरी कोरिया	—	—	50	22.51	—	—
सिंगापुर	820	286.90	243	162.69	396	92.09
श्रीलंका	17	1.56	—	—	34	4.19
इंडोनेशिया	127	23.52	308	40.22	—	—
वियतनाम	1050	124.18	—	—	—	—
	10485	2449.56	7237	1543.63	6927	1282.13
अफ्रीका						
अल्जीरिया	500	78.65	2800	477.51	—	—
मिस्र	1732	464.87	2876	689.41	164	29.47
लीबिया	200	98.24	707	341.20	206	77.24
सेमालिया	696	89.75	542	89.90	335	58.65
मैडागास्कर	—	—	400	47.61	—	—

1	2	3	4	5	6	7
ट्यूनिसिया	10	1.91	—	—	—	—
तंजानिया	312	96.79	—	—	51	24.52
आइवरी कोस्ट	3450	822.21	7325	1615.63	756	190.08
अन्य						
आस्ट्रेलिया	70	26.25	66	14.08	66	13.64
न्यू गिनी	210	61.51	160	44.79	160	43.40
न्यूजीलैंड	86	47.12	19	10.36	58	25.12
यू० एस० ए०	1560	863.04	84	37.61	7	2.01
सोलोमन द्वीप समूह	20	5.91	—	—	—	—
बर्ड योग	1946	503.83	329	106.84	291	84.17
कुल योग	70375	20916.11	58183	15224.26	39917	10071.63

स्रोत : तम्बाकू बोर्ड

तम्बाकू की कीमतें

1826. प्रो० उमारेड्डि वेंकटेश्वरलु :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 के मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के तम्बाकू उत्पादकों को "फ्लयू क्योर्ड" वर्जीनिया तम्बाकू का प्रतिकिलो औसत मूल्य क्या दिया गया;

(ख) क्या चालू मौसम के दौरान इन मूल्यों में और वृद्धि होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वर्ष 1991 के दौरान आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तम्बाकू उत्पादकों से प्राप्त औसत कीमतें निम्नानुसार है :

आंध्र प्रदेश : 33.00 रु० प्रति कि०ग्रा०

कर्नाटक : 42.13 रु० प्रति कि०ग्रा०

(ख) और (ग) वर्ष 1992 के लिए कर्नाटक नीलामियां शुरू नहीं हुई हैं। आंध्र प्रदेश नीलामियां दिनांक 14-2-1992 से शुरू हो गई हैं। हालांकि तम्बाकू की कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित की जाती हैं; तथापि पिछले वर्ष की तुलना मे इस वर्ष की नीलामी में औसत कीमत अपेक्षाकृत अधिक है।

असैनिक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति

1827. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान कई असैनिक कर्मचारियों को अनुशासनात्मक नियमों का पालन किए बिना दण्ड के रूप में वित्तीय नियम 56 (ज) के अधीन सेवानिवृत्त कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गया तथा चम्पारन जिलों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

[हिन्दी]

1828. श्री राजेश कुमार।

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) बिहार के गया तथा चंपारण जिलों मे विश्व बैंक सहायता से जिन परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है उनके नाम तथा ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने मुजफ्फरपुर वाया गया—समस्तीपुर रोड को चौड़ा करने हेतु सहायता देने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) ऐसी कोई विशेष विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं नहीं हैं जिनका कार्यान्वयन बिहार के गया और चंपारन जिलों तक सीमित हो। लेकिन राज्यव्यापी और सहभागी राज्य बिहार सहित राष्ट्रव्यापी परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण मे है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	शामिल क्षेत्र
1	2	3
1.	बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना	इस परियोजना में पश्चिम चंपारन, पूर्व चंपारन और गया समूत बिहार के 26 जिले शामिल होंगे ।
2.	व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना	इस परियोजना में बिहार सहित सहभागी राज्यों में चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं । इसका राज्यव्यापी विस्तार है ।
3.	तकनीकियन शिक्षा परियोजना-I	इस परियोजना के अन्तर्गत बिहार सहित चुने हुए राज्यों में पोलिटेक्निक प्रणाली में कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा । इसका राज्यव्यापी विस्तार है।
4.	सातवीं जनसंख्या परियोजना	इस परियोजना के अन्तर्गत चुने हुए राज्यों में स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की जाती है और इसका राज्यव्यापी विस्तार है ।

1	2	3
5.	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम-III परियोजना	इस परियोजना में बिहार सहित देश के सभी राज्य आ जाते हैं।
6.	राष्ट्रीय डेयरी-II	इस परियोजना में बिहार सहित देश के सभी राज्य आ जाते हैं।
7.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-II	इस परियोजना में बिहार सहित देश के सभी राज्य आ जाते हैं।
8.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-III	इसमें देश के चुने हुए राज्य आते हैं जिसका बिहार एक भाग है।
9.	राष्ट्रीय बीज परियोजना-III	इस परियोजना में बिहार सहित देश के सभी राज्य आ जाते हैं।

बैंक का ऋण-जमा अनुपात

1829 श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रति व्यक्ति निवेश का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्यवार लघु उद्योगों तथा कमजोर वर्गों के सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण-जमा अनुपात क्या है; और

(ग) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक राज्य में लघु उद्योगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के लिए वाणिज्यिक बैंकों का प्रति व्यक्ति निवेश का राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध है और विवरण-I में दिया गया है।

(ख) किसी राज्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात उनमे लगाये गए कुल बैंक जमा राशियों और संवितरित ऋणों पर आधारित है। अत: खण्ड-वार ऋण-जमा अनुपात उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 1989, 1990 और 1991 के लिए अनुसूचित बैंकों का राज्यवार ऋण-जमा अनुपात विवरण-II में दिया गया है।

(ग) दिसम्बर, 1988, सितम्बर, 1989 और मार्च, 1990 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिए गए बकाया अग्रिमों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

मार्च, 1990 के अन्त की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का राज्यवार प्रतिव्यक्ति निवेश को दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों छोड़कर) का निवेश (लाख रुपये)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का प्रति व्यक्ति निवेश
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1,46,380	28
अरुणाचल प्रदेश	577	71

1	2	3
असम	53,761	218
बिहार	1,72,668	202
गोवा	1,513	113
गुजरात	1,32,831	327
हरियाणा	48,385	298
हिमाचल प्रदेश	17,095	339
जम्मू व कश्मीर	26,635	363
कर्नाटक	1,10,357	246
केरल	98,077	329
मध्य प्रदेश	1,40,718	222
महाराष्ट्र	2,16,131	290
मणिपुर	4,840	273
मेघालय	8,481	493
नागालैण्ड	6,892	621
उड़ीसा	86,470	278
पंजाब	57,444	298
राजस्थान	1,20,347	275
सिक्किम	757	172
तमिलनाडु	1,53,126	274
त्रिपुरा	6,047	198
उत्तर प्रदेश	2,79,232	207
पश्चिम बंगाल	1,59,223	244

विवरण-II

मार्च, 1989, 1990 और 1991 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात को राज्य-वार स्थिति दिखाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च, 1989 सी० डी० आर०	मार्च, 1990 सी० डी० आर०	मार्च, 1991 सी० डी० आर०
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र	54.2	51.8	63.3
हरियाणा	63.2	61.2	60.3
हिमाचल प्रदेश	34.8	38.6	37.4
जम्मू व कश्मीर	47.4	31.8	48.7
पंजाब	43.4	45.5	44.8
राजस्थान	62.9	62.2	56.5
चण्डीगढ़	59.3	65.5	82.2
दिल्ली	57.2	58.6	78.6
पूर्वोत्तर क्षेत्र	50.7	51.7	45.6
अरुणाचल प्रदेश	20.9	20.1	16.4
असम	57.0	55.5	51.2
मणिपुर	50.3	69 9	65.4
मेघालय	22.8	24 6	19.3
मिजोरम	29.1	4 2	22.1
नागालैंड	42.4	2.6	38.5
त्रिपुरा	58.1	2.2	58.4
पूर्वी क्षेत्र	53.0	52.6	51.8
बिहार	39.6	40.0	39.6
उड़ीसा	87.7	81.3	76.5
सिक्किम	30.6	28.3	18.3

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	55.1	54.9	54.5
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	36.5	35.1	34.3
मध्य क्षेत्र	52.5	52.8	51.6
मध्य प्रदेश	67.0	68.6	67.1
उत्तर प्रदेश	47.0	47.0	45.8
पश्चिमी क्षेत्र	72.0	74.0	71.4
गोवा	33.6	31.9	33.2
गुजरात	60.2	61.3	59.7
महाराष्ट्र	77.5	79.7	76.3
दादरा व नागर हवेली	59.5	55.5	51.6
दमन और दीव	23.1	22.4	23.4
दक्षिणी क्षेत्र	89.1	97.4	84.5
अरुणाचल प्रदेश	86.0	87.1	82.6
कर्नाटक	97.1	91.0	85.7
केरल	65.2	64.0	59.1
तमिलनाडु	101.2	90.4	100.1
लक्षद्वीप	18.2	16.2	16.9
पाण्डिचेरी	55.8	57.4	55.1
अखिल भारत	65.4	65.8	66.2

विवरण-III

दिसम्बर, 1988, सितम्बर, 1989 और मार्च, 1990 के अन्त की स्थिति के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए राज्य-वार बकाया अग्रिमों को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य	लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए बकाया अग्रिम		
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
हरियाणा	396	435	460

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	62	74	81
जम्मू व कश्मीर	58	58	60
पंजाब	836	821	938
राजस्थान	292	339	381
चंडीगढ़	71	82	83
दिल्ली	928	1053	1201
पूर्वोत्तर क्षेत्र			
अरुणाचल प्रदेश	5	3	3
असम	118	134	145
मणिपुर	11	14	14
मेघालय	2	5	6
मिजोरम	3	3	3
नागालैण्ड	11	13	15
त्रिपुरा	9	11	12
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	379	442	495
उड़ीसा	188	224	236
सिक्किम	2	2	6
पश्चिम बंगाल	845	964	1053
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	2	2
मध्य क्षेत्र			
मध्य प्रदेश	526	577	629
उत्तर प्रदेश	1106	1202	1360
पश्चिमी क्षेत्र			
गोवा	56	56	58
गुजरात	926	1039	1169

1	2	3	4
महाराष्ट्र	2164	2449	2694
दादरा और नागर हवेली	2	3	2
दमन और दीव	*	7	7
दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	771	854	911
कर्नाटक	787	861	924
केरल	464	502	463
तमिलनाडु	1192	1537	1689
लक्षद्वीप	—	—	—
पाण्डिचेरी	16	18	19

(*गोवा में आंकड़े शामिल किए गए है)

—नगण्य

ग्रामीण सहायक बैंक शाखाओं की स्थापना

[अनुवाद]

1830. श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

श्री विजय नवल पाटील :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहायक ग्रामीण बैंकिंग शाखाओं की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) वित्तीय प्रणाली के संबंध में श्री एम० नरसिंहम की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि अपनी सभी ग्रामीण शाखाओं का अधिग्रहण करने और जहां उचित हो वहां अपनी ग्रामीण शाखाओं को दूसरे बैंकों के साथ अदला-बदली करने के लिए सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक को एक या अधिक ग्रामीण बैंकिंग अनुषंगी कम्पनियां स्थापित करनी चाहिए जो प्रत्येक प्रायोजक बैंक के आकार और प्रशासनिक सुविधा पर निर्भर करेगा। अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत ऋण राहत

1831. श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बनाई गई ऋण माफी योजना समाप्त हो गई है;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत पूरा ऋण माफ करने या आंशिक रूप में ऋण माफ करने का लाभ दिया गया था;

(ग) क्या इस योजना की समाप्ति के पश्चात कुछ राज्य सरकारों ने पुन: ऋण वसूलना शुरू कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हसबीर सिंह) : (क) जी, हां। कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 असम और जम्मू व कश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हो गई थीं। इन दो राज्यों में यह योजना 30 जून, 1991 को समाप्त हुई।

(ख) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना में 10,000 रुपये तक या प्रभावी तारीख अर्थात 2 अक्तूबर, 1989 तक मात्र बकाया ऋण (अतिदेय राशियां), जो भी योजना के अन्तर्गत परिभाषित मात्र हिताधिकारियों के लिए कम हो, ऋण राहत प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी।

(ग) और (घ) वित्तीय संस्थाओं द्वारा उधारकर्ताओं से देयराशियों की वसूली करना एक सामान्य प्रक्रिया है और भारत सरकार द्वारा घोषित ऋण राहत उपाय उसमें रुकावट नहीं डालते हैं। ऐसे ऋण, जो कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं उनकी वसूली को बैंकों ने नहीं रोका है और इसलिए पुन: वसूली प्रक्रिया प्रारम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में संशोधन

1832. श्रीमती वासव राजेश्वरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) इस अधिनियम में कब तक संशोधन किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यह संशोधन देश के अन्दर किस हद तक विदेशी पूँजी निवेश के लिए सुविधा प्रदान कर सकेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित संशोधनों का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ताकि उन कुछ प्रतिबन्धात्मक

उपबन्धों को हटाया जा सके जो सरकार द्वारा घोषित उदारीकृत व्यापार एवं औद्योगिक नीतियों के संदर्भ में असंगत हो गए हैं।

(ग) इस प्रयोजन के लिए शीघ्र ही एक विधेयक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है।

(घ) "फेरा" कम्पनियों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 26 (7), 28, 29 और 31 के तहत प्रदान की गई सामान्य छूटों के परिणामस्वरूप देश में विदेशी निवेशों को बहुत-ही सुकर बना दिया गया है।

पटसन का उत्पादन

1833. श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान पटसन का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पटसन के उत्पादन में कमी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान 91.00 लाख गांठ कच्चे पटसन तथा मेस्टा का उत्पादन लक्ष्य सम्भवत: प्राप्त कर लिया जाएगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रक्षा के क्षेत्र में इस्रायल के साथ सहयोग

1834. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

कुमारी उमाभारती :

श्री शरत् चन्द्र पटनायक :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रक्षा के क्षेत्र में भारत और इस्रायल के बीच सहयोग की सम्भावना पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सहयोग के क्षेत्रों का चयन कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी भी स्तर पर दोनों देशों के बीच इस संबंध में कोई प्रारम्भिक विचार-विमिमय हुआ है;

(ङ) क्या निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों तथा सैनिक प्रशिक्षण मिशन के

आदान-प्रदान की कोई सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग का कोई विशेष प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(घ) से (च) इजराइल के साथ सामान्य संबंध स्थापित होने के बाद उनके साथ किसी विशेष क्षेत्र में भावी सहयोग को नकारा नहीं जा सकता।

दूसरे हुगली पुल के लिए धन मंजूर किया जाना

1835. श्री चित्त बसु :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से दूसरे हुगली पुल के निर्माण के लिए और अधिक वित्तीय सहायता मंजूर करने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा पूंजी निवेश

[हिन्दी]

1836. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में अब तक कितनी पूंजी का निवेश किया है;

(ख) सरकारी क्षेत्र की उन बीस कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनमें साठ प्रतिशत से अधिक पूंजी निवेश इस निगम द्वारा किया गया है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने सरकार से भारत में उसकी गतिविधियों के बढ़ाने को लिए कोई अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का अपनी उदार आर्थिक नीति के अन्तर्गत इस देश में उसे और अधिक पूंजी निवेश करने की अनुमति देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 31 दिसम्बर 1991 की स्थिति के अनुसार भारत में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का कुल निवेश 10 [illegible] अमरीकी डालर है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसी सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में निवेश नहीं किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) सरकार अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारत में अधिक निवेशों का स्वागत करेगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के निकट बाइपास का निर्माण

1837. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

श्री विनय कटियार :

श्री राजवीर सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या : 24 के निकट बनाए गए बाईपासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उसे चौड़ा करने तथा उक्त राजमार्ग के निकट और बाइपासों का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अवधेश दाईटलर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 के निकट किसी बाईपास का निर्माण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद, हापुड़ तथा सीतापुर के बाहर बाइपासों के निर्माण का प्रस्ताव है। सीतापुर बाइपास का निर्माण कार्य प्रगति पर है जबकि मुरादाबाद और हापुड़ बाईपासों के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है।

उत्तर प्रदेश के बुनकरों के लिए कल्याण योजनाएं

1838. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनकरों के लिए कल्याण योजनाएं कार्यान्वित करने के संबंध में सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में हथकरघा क्षेत्र में दो केन्द्रीय प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राशि मांगी

थी। इस योजनाओं का नाम कार्यशाला-सह-आवास योजना और थ्रिफ्ट फंड योजना है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त विशेष प्रस्ताव के अनुसार इन दो योजनाओं के अन्तर्गत राज्य को कार्यशाला-सह-आवास का निर्माण करने और थ्रिफ्ट फंड योजना के अन्तर्गत बुनकरों को शामिल करने के लिए राशि मंजूर की गई थी। सातवीं योजना के दौरान बुनकरों के लिए कार्यशाला-सह-आवास के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य को 131.125 लाख रुपये की राशि केन्द्रीय अंश के रूप में मंजूर की गई थी। इसके अतिरिक्त 1991-92 में इस शीर्ष के अन्तर्गत 28.75 लाख रुपये मंजूर किए गए। थ्रिफ्ट फंड योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 18.90 लाख रुपये की राशि केन्द्रीय अंश के रूप में जारी की गई थी।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में लंबित मुकदमें

†1839. श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री सुमान मल लोढा :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मुकदमों की अद्यतन न्यायालय-वार संख्या क्या है;

(ख) उसमें से उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में क्रमशः 40, 30, 20, 15, 10 और 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की न्यायालय-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या कोई मुकदमें ऐसे भी हैं जो निचली अदालत में दायर किए जाने की तिथि से 50 वर्षों से भी अधिक समय से लंबित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त न्यायालयों में लंबित पड़े बकाया मुकदमों के निपटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) न्यायाधीशों की संख्या समय-समय पर बढ़ाई गई है। मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए प्रक्रियात्मक सुधार और उपांतरण किए गए हैं। विभिन्न न्यायालयों ने उपयुक्त उपाय किए है, जैसेकि विधि के सामान्य प्रश्न वाले मामलों को एक समूह में रखना, विशेषज्ञ न्यायपीठों का गठन, आदि। बकाया मामला विषयक समिति की जिसने उच्च न्यायालय में बकाया मामलों की समस्या का अध्ययन किया, रिपोर्ट सभी संबंधित प्राधिकारियों, जैसे, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मन्त्रालयों और सभी उच्च न्यायालयों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

उच्चतम न्यायालय में न्यायपीठें इस प्रकार गठित की गई है कि वे दीर्घतर अवधि के लिए कार्य करें और उनको कार्य इस प्रकार आबंटित किया जाता है कि एक ही प्रकार के मामले उसी न्यायपीठ के सामने रखे जाएं।

भारत विकास बाण्ड

[अनुवाद]

1840. श्री विजय नवल पाटील :

श्री भाग्ये गोवर्धन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 जनवरी, 1992 तक कितने भारत विकास बाण्ड बेचे गए;

(ख) भारतीय और विदेशी बैंकों द्वारा देश केन्द्र-वार बिक्री का अलग-अलग ब्योरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में क्या आशाएं हैं;

(घ) भारत विकास बाण्ड द्वारा विदेशी मुद्रा कोष में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ङ) भारत विकास बाण्ड में पूंजी निवेश को अधिक आकर्षित बनाने हेतु, यदि कोई कदम उठाने का विचार है, तो वे क्या कदम हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 4 मार्च, 1992 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार भारत विकास बाण्ड योजना, 1991 के अन्तर्गत 16251.20 लाख डालर की राशि एकत्रित की गई थी।

(ख) भारत विकास बाण्ड योजना, 1991 के कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा ऐसे आंकड़े संकलित नहीं किए जाते।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(घ) विदेशी मुद्रा भण्डारों के स्रोतवार अंशदान को संगणित करना सम्भव नहीं है क्योंकि ये विदेशी क्षेत्र में अनेक लेन-देनों का निवल परिणाम हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि 31 जनवरी, 1992 को यह योजना पहले ही बन्द हो चुकी है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 के जरप-पत्र देवी भाग का निर्माण

1841. श्री सुधीर सावन्त :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 के जरप-पत्र देवी भाग के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सड़क के निर्माण का कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) रा० रा० 17 पर जरप से पत्र देवी तक की मिसिंग लिंक के लिए भू-अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है तथा इसे 1993-94 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसलिए इस कार्य के शुरू होने की तारीख के बारे में अभी से बता पाना सम्भव नहीं है।

महाराष्ट्र में रेडी पत्तन का विकास

1842. श्री सुधीर सावंत :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के रेड़ी पत्तन के विकास कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) सातवीं योजना के दौरान इस पत्तन के विकास हेतु संघ सरकार ने कुल कितनी धनराशि प्रदान की ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) महाराष्ट्र स्थित रेडो के लघु पत्तन का विकास और उसकी व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है।

(ख) इस पत्तन के विकास के प्रयोजन से सातवीं योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई धन उपलब्ध नहीं कराया गया।

हरियाणा में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

1843. श्री नारायण सिंह चौधरी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है और उनके पुनर्वास तथा कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या भूतपूर्व सैनिकों से पेंशन आदि के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

हरियाणा सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार हरियाणा राज्य में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या लगभग 2.61 लाख है।

2. भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण सम्बन्धी उपाय करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए केन्द्रीय सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के पदों में समूह "ग" और समूह "घ" के पदों पर आरक्षण की व्यवस्था की है। युद्ध अथवा शांति के समय नियुक्त हुए सेना कार्मिकों को, जिनकी नियुक्तता सैनिक सेवा के कारण हुई हो, नौकरी में पहली प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने

श्रेणी-I और श्रेणी-II के पदों पर 5% श्रेणी-III तथा श्रेणी-IV के पदों पर 17% पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए अपने सभी सरकारी विभागों, अर्द्ध सरकारी ऐजेंसियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षित किए हुए है।

3 केन्द्र द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं में भूतपूर्व सैनिकों को अपना रोजगार चलाने के अवसर दिए गए हैं। इनमें सेमफेक्स-I योजना शामिल है, जिसके अन्तर्गत छोटी-छोटी औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। सेमफेक्स-II योजना के अन्तर्गत देहातों में कृषि तथा कृषि भिन्न उद्यम खोले जा सकते हैं, सेमफेक्स-III योजना में देहातों में खादी तथा ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के माध्यम से स्व-रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करने की व्यवस्था है। पेट्रोलियम उत्पादन की ऐजेंसियों का आबंटन किया जाता है, भारत के यूनिट ट्रस्ट की ऐजेंसियां दी जाती हैं आदि। भूतपूर्व सैनिकों को सैनिक अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा और सी०एस०डी० कैंटीनों में कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। रेल के भाड़े में, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को द्वितीय श्रेणी में 75% की रियायत दी जाती है। शौर्य पुरस्कार पाने वालों को देश के भीतर हवाई यात्रा में 50% की रियायत और रेल के दूसरी श्रेणी के टिकट में रियायत दी जाती है। युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियां, युद्ध में निष्क्त हुए कार्मिकों तथा शांति के समय निशक्त हुए कार्मिकों को, निशक्तता सैनिक सेवा के कारण होने पर राज्य सरकार और केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा मकान बनाने तथा पुत्रियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को, जिनकी वित्तीय स्थिति दयनीय हो, रक्षा मंत्रालय और राज्य सैनिक बोर्डों की कल्याण निधियों से वित्तीय सहायता दी जाती है। विशेष इलाज के लिए अनुदान भी दिए जाते हैं।

4. भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन तथा अन्य संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार की शिकायत पर विचार करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक विशेष पेंशन शिकायत निवारण कार्यालय खोला हुआ है। कार्यालय ऐसी शिकायतों पर तुरन्त कार्रवाई करता है और शिकायतकर्ताओं को उनका उत्तर भेजता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान की प्रतिपूर्ति

1854. श्री प्रताप राव जी० भोंसले :

प्रो० के० वी० थामस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक फार इकानोमिक एफेयर्स मास्को की सलाह के विरुद्ध निर्यातकों को भुगतान की प्रतिपूर्ति रोक दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ? और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सोवियत संघ के विघटन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक को सोवियत संघ के बैंक फार फारेन इकानोमिक अफेयर्स के भारत में खातों के प्रचालन को प्रास्थगित करने पर बाध्य होना पड़ा। फलस्वरूप, निर्यातकों की भुगतान की प्रतिपूर्ति 27.12.1991 को रोक दी गई। बाद में, भारतीय निर्यातकों द्वारा पहले से

की गई व्यापारिक वचनबद्धताओं के संबंध में भुगतानों की सुविधा के लिए निम्नलिखित प्रबन्ध किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत में प्राधिकृत व्यापारियों के प्रतिपूर्ति दावों को निपटाने और निम्नलिखित के लिए सोवियत संघ के बैंक फार फारेन इकानोमिक अफेयर्स के खातों में हिसाब-किताब रखने के लिए सहमत हो गया —(i) 31 दिसम्बर, 1991 तक पोत पर लादे गए माल, (ii) 31 दिसम्बर, 1991 के पश्चात लेकिन 31 मार्च, 1992 के बाद नहीं, पोत पर लादे गए माल के लिए जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ में बैंकों द्वारा पहले से खोले गए साख पत्रों पर थे और भारतीय निर्यातकों को 31 दिसम्बर, 1991 तक विवेचित थे, और (iii) 31 दिसम्बर, 1991 तक भारतीय परियोजना निर्यातकों को देय भुगतान और जो नियोक्ताओं द्वारा भुगतान के लिए पूर्व प्रमाणित थे।

परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकों की स्मृति में आयुध कारखाने और सैनिक स्कूल

[हिन्दी]

1845. श्री शिव शरण वर्मा :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकों की स्मृति में आयुध कारखाने और सैनिक स्कूल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आयुध कारखानों तथा सिविल क्षेत्रों की उपलब्ध उत्पादन क्षमता और सामान की मांग को ध्यान में रखते हुए नए आयुध कारखाने लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सैनिक स्कूल राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के विशिष्ट अनुरोध पर खोला जाता है जिसके लिए संपूर्ण पूंजीगत व्यय और आवर्ती व्यय का काफी बड़ा हिस्सा उनके द्वारा वहन किया जाता है। किसी भी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र का कोई ठोस प्रस्ताव फिलहाल सक्रिय रूप से विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को चौड़ा करना

[अनुवाद]

1846. श्री जी० माडे गौडा :

क्या जल-चुतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के बंगलौर होसुर-होसकाइट डेवन चल्ली खण्ड को चौड़ा करके चार लेन वाला बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

अल-भूत लपरिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) बंगलौर-होसुर-होसकाउट-डेवनचल्ली खंड में रा० रा० 4 और 7 के निम्नलिखित तीन खंड शामिल हैं :—

(I) रा० रा० 7 का बंगलौर-होसुर खंड।

(II) रा० रा० 4 का बंगलौर-होसकाइट खंड।

(III) रा० रा० 7 का बंगलौर-डेवनचल्ली खंड।

एशियाई विकास बैंक सहायता (पैकेज-II) के तहत बंगलौर-होसुर खंड को चार लेन का बनाने के कार्य का अनुमोदन दिया गया है। अन्य दो खंडों को चार लेन का बनाना आठवीं योजना में किए गए प्रावधानों पर निर्भर करेगा, जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

रद्दी रुई और मोटे रेशे से धागा

[हिन्दी]

1847. डा० लाल बहादुर रावल :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष बुनाई उद्योग के लिए रद्दी रुई और मोटे रेशे से कितनी मात्रा में धागा निर्मित किया गया;

(ख) क्या सरकार ने इसका अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) चूंकि रद्दी रुई से यार्न का विनिर्माण करने वाले एकक लघु उद्योग/असंगठित क्षेत्र में है, रद्दी रुई से उत्पादित यार्न की मात्रा के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक घरानों का निर्यात कार्य

[अनुवाद]

1848. श्री मोहन रावले :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 में बीस शीर्षस्थ औद्योगिक घरानों

के अलग-अलग कुल कितना आयात-निर्यात किया;

(ख) क्या सरकार ने बड़े औद्योगिक घरानों के निर्यात की समीक्षा और ऐसे निर्यातों में वृद्धि के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए कोई पैनल गठित किया था;

(ग) यदि हां, तो पैनल द्वारा दिए गए सुझावों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) यह पैनल कब गठित किया गया था और इसके सदस्य कौन-कौन थे;

(ङ) क्या पैनल द्वारा दिए गए सुझावों को लागू कर दिया गया है;

(च) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप निर्यात में कितनी वृद्धि हुई; और

(छ) बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए अन्य कौन से कदम उठाये गए हैं या उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1986-87 से वर्ष 1989-90 के लिए चुने हुए शीर्षस्थ औद्योगिक घरानों के कुल आयात-निर्यात के उपलब्ध आंकड़े अलग से विवरण-I में देखें जा सकते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) पैनल द्वारा दिए गए सुझावों की मुख्य-मुख्य बातें विवरण-II में संलग्न हैं।

(घ) पैनल दिसम्बर, 1988 में गठित किया गया था और पैनल के सदस्यों के नाम विवरण-III में संलग्न हैं।

(ङ) से (छ) पैनल द्वारा दिए गए सुझावों की जांच की गई। सरकार द्वारा हाल ही में घोषित उदारीकृत नई व्यापार नीति से समूची व्यापार स्थिति में परिवर्तन आया है। यद्यपि विगत में शीर्षस्थ घरानों ने औद्योगिक प्रगति में योगदान दिया है लेकिन उनकी निर्यात से प्राप्त आय उनके द्वारा किए गए विदेशी मुद्रा के उपयोग की बराबरी नहीं कर सकी। इस स्थिति में अब इस तरह बदलाव आ रहा है कि निर्यात और आयात का अनुपात 1986-87 में 1:1.69 से घटकर 1989-90 में 1:1.42 हो गया है। निर्यात के क्षेत्र में उनकी भूमिका पर, नई औद्योगिक और व्यापार नीतियों में हाल ही में उद्घोषित नीति के सन्दर्भ में विशेषरूप से बल दिए जाने की आवश्यकता है ताकि वे देश की विदेशी मुद्रा आय में उल्लेखनीय योगदान दे सकें।

विवरण-I

20 चयनित बड़े औद्योगिक घरानों का निर्यात निष्पादन

(करोड़ रुपये में)

घराने	निर्यात			आयात		
	1987-88	1988-89	1989-90	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7
ए०सी०सी०	15.56	13.46	24.23	17.71	15.90	23.19
बिड़ला	180.80	152.49	270.90	167.10	415.03	478.24

1	2	3	4	5	6	7
टाटा	151.31	321 56	304.66	126 63	187.40	110 57
हिन्दुस्तान लीवर	104.13	128.01	146 20	59.20	95.04	69.90
आई०टी०सी०	54.62	59.05	150.09	11.06	11.40	18.34
मैकनील और मेगर	69.91	118.25	127.86	18.42	26.67	32.68
रोनक ग्रुप	5.42	19.15	9.24	12.59	12.85	6.31
डी०सी०एम०	14.20	11.80	15 30	8.80	11.50	17.50
यू० बी० ग्रुप	1.59	32.33	48.38	17.51	51.77	82.72
एम०आर०एफ०	19.70	64.33	66.33	19.12	62 05	50.05
एस्कोर्टस	6.87	10.47	23.22	34.30	57.07	50.97
टी०वी०एस०	0.82	1.20	3.25	4.04	26.92	16.28
किर्लोस्कर	5.85	18.37	35.62	5.68	41.33	44 78
रिलायन्स	21.13	26.14	72.75	2887.75	207.80	303.38
ईचर	4.22	3.56	6.13	33.78	45.17	35-32
ई०आई०डी० पैरी	0.44	0.53	—	4.48	2.85	—
आई०सी०आई	8 24	7.12	6.24	22.79	52.17	34.00
निप्पन डेन्प्रो	—	—	0·07	24.84	89.49	37.91
बजाज	3.99	58.50	83.65	81.60	146.77	230.15
जे० के० सिंघानिया	11.38	37.58	43.74	98.14	56.88	169.37

विवरण-II

सिफारिशों का सार

1. दीर्घावधि की सामूहिक निर्यात योजनाएं तैयार करने और आवश्यक संगठनात्मक वित्तीय और विपणन समर्थन प्रदान करने के लिए लोचस्थ घरानों को नीचे दिए गए उपायों के अकेले अथवा संयुक्त रूप से अंगीकृत करना चाहिए :—

(क) सम्पूर्ण ग्रुप के लिए सामूहिक निर्यात योजना ग्रुप स्थापित करना।

(ख) अगले तीन वर्षों में प्रत्येक ग्रुप के लिए कम-से-कम एक अथवा दो व्यापार गृहों को विकसित करना।

(ग) प्रत्येक ग्रुप के लिए विशिष्ट रूप से सहायक कम्पनी स्थापित करना ताकि निर्यात पर पूरी तरह से ध्यान केन्द्रित किया जा सके जिसमे कंसोर्टियम दृष्टिकोण पर आधारित परियोजना निर्यात भी शामिल हैं (पैरा 3.3)।

2. शीर्षस्थ घरानों की यूनिटों को अपने विदेशी मुद्रा बजट को 1990-91 से तीन वर्षों की अवधि के भीतर या तो निर्यात में वृद्धि करके अथवा निर्यात में विविधता लाकर संतुलित करना चाहिए, यदि अलग-अलग यूनिटें इस संतुलन को प्राप्त करने की स्थिति में न हों तो इस संतुलन को सम्पूर्ण ग्रुप के स्तर पर प्राप्त किए जाने के प्रयास किए जाएं (पैरा 3.5)

3. यदि शीर्षस्थ औद्योगिक घरानों का निर्यात निष्पादन निर्यात में किसी महत्वपूर्ण वृद्धि को इंगित नहीं करता है तो सरकार को दो वर्ष के बाद की समीक्षा करनी चाहिए तथा जो यूनिट/ ग्रुप विदेशी मुद्रा खर्च और आय में संतुलन प्राप्त नहीं कर रहे है उन पर नीचे निर्दिष्ट अनुसार निर्यात दायित्व अथवा हतोत्साहन लागू करने पर विचार करना चाहिए।

(क) ऐसे नए लाइसेंस, जिनमें विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन निहित हो, नहीं देने चाहिए।

(ख) 1993-94 से आयात हकदारी प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत कम कर दी जाए जिससे वे बाजार में उपलब्ध प्रतिपूर्ति लाइसेंसों का उपयोग करने का रास्ता अपना सकें। (पैरा 3.6 और 3.7)

4. ऐसे मामलों में भी जहां विदेशी मुद्रा का बजट संतुलित हो, वहां ग्रुप वास्तविक वृद्धि से निर्यात में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि करने के प्रयास करें, नई यूनिटों के लिए ऐसे घरानों के प्रस्तावों को केवल निर्यात आभार के साथ अनुमोदित किया जाना चाहिए ताकि कच्चे माल और पूंजीगत माल की आयात आवश्यकता पूरा किया जा सकें, यदि मौजूदा यूनिटें पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदन करती हैं, तो तीन गुना मूल्य का निर्यात आभार लगाया जाए (पैरा 3.8)।

5. शीर्षस्थ औद्योगिक घरानों की यूनिटों को विदेशी मुद्रा बजट व्यवस्था की स्वीकृति के लिए तथा सभी प्रकार के निर्यात आभारों का अनुश्रवण करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक बोर्ड गठित किया जाए (पैरा 3.9)

6. शीर्षस्थ घरानों का उद्देश्य देश के बाहर की कम्पनियों के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाते हुए विनिर्माण, विपणन तथा वित्तीय व्यवस्था को सार्वभौमिक बनाना होना चाहिए। तीसरी दुनिया के देशों में निर्यात हेतु भारत में अपनी कतिपय उत्पादन सुविधाएं बढ़ाने के लिए समुद्रपारीय उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए (पैरा 3.10)।

7. समुद्रपारीय संयुक्त उद्यमों या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों के मामले में अपने मौजूदा क्रियाकलापों को बढ़ाने या विविध रूप देने के लिए निवेश हेतु केवल कार्योत्तर अनुमोदन ही आवश्यक होना चाहिए। कम्पनी कार्य विभाग तथा तकनीकी विकास महानिदेशालय को अलग-अलग अनुमोदन देने के बजाय अन्तमंत्रालयीन सामंत की बैठक में स्वयं अपनी स्वीकृतियां देनी चाहिए (पैरा 3.11)।

8. 100% निर्यात अभिमुख यूनिटें तथा मुक्त व्यापार क्षेत्रों की यूनिटों को लाइसेंस मुक्त कर देना चाहिए लेकिन घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उत्पादन के .२% की बिक्री के सम्बन्ध में एक निषेधात्मक सूची होनी चाहिए (पैरा 3.12)।

9. एम० आर० टी० पी० की धाराएं 21 और 22, जिनमें 25% से अधिक क्षमता के विस्तार के लिए या नई यूनिटें स्थापित करने के लिए एम० आर० टी० पी० की दृष्टि से स्वीकृति लेनी जरूरी है, हटायी जा सकती हैं । इनसे केवल कार्यवाहियों की पुनरावृत्ति ही होती है क्योंकि औद्योगिक लाइसेंसिंग विनियम इसकी पहले से ही देखभाल करते हैं (पैरा 3.12) ।

10 निर्यात उत्पादन के लिए एम० आर० टी० पी०/एफ० ई० आर० ए० (फेरा) कम्पनियों द्वारा निष्क्रिय क्षमता को बीच करने की अनुमति होनी चाहिए (पैरा 3.12) ।

11. निर्यात आधारों की पूर्ति के लिए तीसरी पार्टी के निर्यातों को हिसाब में लेने की अनुमति न दी जाए (पैरा 3.13) ।

12. पता लगाए गए निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्रों के लिए पूंजीगत माल बिना शुल्क या रियायती शुल्क दर पर आयात करने के लिए (देशी दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त होने के अध्यधीन) बैंक गारन्टी की इस शर्त पर एक पैकेज तैयार किया जाए कि बचाए गए इस शुल्क के मूल्य का निगुना 5 वर्ष की अवधि के भीतर अतिरिक्त रूप से निर्यात किया जाएगा। (पैरा 3.14)

13. नमूनों के रूप में आयात किए गए पूंजीगत माल को शुल्क मुक्त रहने की अनुमति दी जाए। (पैरा 3.15)

14. 100% निर्यात अभिमुख यूनिटों को मिलने वाली रियायतें यथानुपात में घरेलू टैरिफ क्षेत्र की उन यूनिटों को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो अपने उत्पादन का कम से कम 33% से अधिक निर्यात कर रही हैं। अपने उत्पादन का 33 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के बीच या 50 प्रतिशत से अधिक निर्यात करने वाली यूनिटों के लिए प्रोत्साहनों की अलग-अलग योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। (पैरा 3.16)

15. वारंटी प्रतिवस्तुओं की पूर्ति के लिए अलग-अलग खेप आधार के बजाय ब्लैंकेट आधार पर निर्यात के। प्रतिशत मूल्य की मशीनें/अतिरिक्त पुर्जे भेजने की अनुमति दी जा सकती है। (3.17)

16. निर्धारित समय सीमा से अधिक की बीमा किस्त के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की प्रस्तावित योजना को निर्यात के कुल मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक, जल्दी स्वीकृति दी जा सकती है और कार्यान्वित किया जा सकता है। (3.18)

17. परियोजना निर्यात के लिए एक परियोजना पूरी होने पर दूसरी परियोजना के लिए विदेश में निधि को हस्तांतरित करने की अनुमति दी जाए। परियोजनाओं के पूरा होने पर पूंजीगत उपस्कर को बिना शुल्क के वापस लाने की अनुमति दी जाए परियोजना निर्यात के लिए अनुमेय प्रोत्साहन परियोजना पूरी होने की प्रतीक्षा करने के बजाय कार्य की प्रगति के साथ ही साथ दे दिए जाए। (पैरा 3.19)

18 उपयुक्त निधि-व्यवस्था करके आई० पी० आर० एस० योजना का विस्तार अन्य वस्तुओं तक किया जाना चाहिए। (3.20)

19. प्रचार विज्ञापन, ब्राण्ड उत्पादों के संवर्द्धन, प्रदर्शन के लिए वाणिज्यिक वाहनों को लौटाए जाने के आधार पर निर्यात पर होने वाले खर्चे को शामिल करने के लिए ब्लैंकेट परमिट योजना के क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए। (पैरा 321)

20. नए और विकसित बाजारों में प्रवेश कर रहे नए उत्पादों के लिए चयनात्मक आधार पर प्रवेश शुल्क समर्थन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए। (3.22)

21. भिन्न-भिन्न संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न अनुमोदनों, स्वीकृतियों, भुगतानों आदि के लिए समय-सीमा नियत की जानी चाहिए। (3.24)

22. यदि प्रोत्साहन की अदायगी में छः माह से अधिक की देरी हो तो ब्याज का भुगतान किया जाए। (पैरा 3.24)

23. 5 करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात का ट्रेक रिकार्ड रखने वाले निर्यातकों की पूर्व-स्वीकृति लेने से मुक्त रखा जाए बशर्ते कि उसकी बाद में लेखा-परीक्षा हो; उनके लिए लाइसेंस दिए जाने तथा प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए लेने देन पर भी विचार किया जाना चाहिए। (3.24)

24. सभी निर्यात संव्यवहारों वाले अकेले दस्तावेज को तैयार करने तथा उसे अंगीकृत करने का कार्य मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा तत्परता से किया जाना चाहिए। (पैरा 3.24)

25. अनुसंधान संस्थानों को शीर्षस्थ घरानों के निर्यात निष्पादन के संबंध में समय-समय पर अध्ययन करने के लिए सहायता दी जानी चाहिए। (पैरा 3.26)

विवरण-III

(1)	श्री सुरेन्द्र सिंह विशेष सचिव वाणिज्य मंत्रालय	अध्यक्ष
(2)	डा० जयन्त राय आर्थिक सलाहकार वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
(3)	श्री जे० एन० रंजन संयुक्त सचिव वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
(4)	श्री जी० पी० राव संयुक्त सचिव वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
(5)	श्री बी० बी० ठंडन संयुक्त सचिव उद्योग मंत्रालय	सदस्य
(6)	श्री तेजेन्द्र खन्ना मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात	सदस्य
(7)	श्री एच० सी० गांधी महानिदेशक तकनीकी विकास	सदस्य
(8)	श्री एम० सी० अबरमन संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य सचिव

कोचीन पत्तन के लिए नया डोल जाल

1949. प्रो० के० वी० थामस :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन को एक नया डोल जाल मिलने वाला है;

(ख) यदि हां, तो इस डोल जाल की लागत कितनी है; और

(ग) यह डोल जाल कोचीन पत्तन को कब तक मिलने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयदीश टाईटलर)। (क) जी, हां।

(ख) इस निकर्षक की स्वीकृत अनुमानित लागत 21.29 करोड़ रु० है।

(ग) इस जहाज के अगस्त, 1992 तक जलावतरण होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

[हिन्दी]

1950. श्रीमती शीला गौतम :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक की सहायता के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में चलाई जा रही विकास योजनाओं अथवा परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : उत्तर प्रदेश में, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता प्राप्त परियोजनाओं की एक सूची विवरण में संलग्न है।

विवरण

विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1. उत्तर प्रदेश नल-कूप-द्वितीय
2. ऊपरी गंगा
3. हिमालय जल-विभाजक
4. राष्ट्रीय कृषि विस्तार-प्रथम
5. राष्ट्रीय कृषि विस्तार-द्वितीय
6. राष्ट्रीय कृषि विस्तार-तृतीय
7. राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी
8. सिंगरौली-द्वितीय

9. केन्द्रीय विद्युत पारेषण
10. रिहन्द विद्युत पारेषण
11. संयुक्त विद्युत चक्र
12. राष्ट्रीय राजधानी विद्युत आपूर्ति
13. उत्तर प्रदेश विद्युत
14. दुधिचुआ कोयला
15. राष्ट्रीय राजमार्ग
16. राज्य सड़क
17. सहकारी उर्वरक
18. औद्योगिक प्रदूषण
19. उत्तर प्रदेश शहरी
20. व्यावसायिक प्रशिक्षण
21. जनसंख्या-VI
22. तकनीकी-I

भ० प्र० में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं की सूची

क्र०सं०	परियोजना का नाम
	तकनीकी
1	2
1.	कम्प्यूटर की सहायता से डिजाइन कार्यक्रम, कानपुर (मुख्यालय नयी दिल्ली)
2.	प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, बी०एच०ई०एल०, हरिद्वार
3.	त्वरित कृषि विकास संबंधी कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, पन्तनगर (परियोजना मुख्यालय—नई दिल्ली)
4.	खेल-कूद की वस्तुओं के लिए संसाधन एवं उत्पाद विकास केन्द्र मेरठ
5.	स्नातकोत्तर कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए उन्नत केन्द्र देहरादून (मुख्यालय—नई दिल्ली)
6.	धातु हस्तशिल्प सेवा केन्द्र की स्थापना, मुरादाबाद

1	2

7. आधुनिक मानचित्रकारी केन्द्र, देहरादून

8. धातु विकृति एवं धातु संरक्षण संबंधी अध्ययन, लखनऊ

9. इलेक्ट्रोनिक सेवा केन्द्र की स्थापना, रामनगर

10. आ०डी०एस०ओ० की अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का उन्नयन, लखनऊ

11. कम्प्यूटर नेटवर्क में शिक्षा एवं अनुसंधान, कानपुर (परियोजना मुख्यालय नई दिल्ली)

12. खाद्य एवं पोषण तथा बाल विकास में स्नातकोत्तर शिक्षा को सुदृढ़ बनाना, पन्तनगर (परियोजना मुख्यालय नई दिल्ली)

13. पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी में कार्मिकों का प्रशिक्षण, देहरादून

14. भारतीय वन्य जीवन संस्थान चरण द्वितीय, देहरादून

15. नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद

16. बम्बई और कानपुर में उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों में संगणकीकृत संख्यात्मक नियंत्रण (एन०सी०/सी० एन०सी०) प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना।

17. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी का विकास, फुरसतगंज (बरेली)

18. गैर-लकड़ी आधारित लुगदी एवं कागज उद्योग को सहायता, सहारनपुर

19. वाष्पी तेलों के लिए पी०पी० डी०सी०, कन्नौज

20. जल विज्ञान अध्ययन के लिए विकास क्षमताएं, रुड़की

21. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी को प्रोन्नत करने संबंधी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण क्षमता, मसूरी

22. कांच उद्योग का सुधार कार्यक्रम, फिरोजाबाद।

अफ्रीकी देशों के साथ संयुक्त उद्यम/परियोजनाएं

1851. श्री विलासराव नागनाथ राव गुन्देवार :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अफ्रीकी देशों के सहयोग से कुछ संयुक्त उद्यम/परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये परियोजनाएं कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) सरकारी क्षेत्र में किसी संयुक्त उद्यम को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस समय 29 संयुक्त उद्यम विद्यमान हैं तथा 8 संयुक्त उद्यम उद्यम कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों के साथ व्यापार संबंध

1852. श्री विलासराव नामनावराव मुन्डेवार :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का किन-किन देशों के साथ नये सिरे से व्यापार संबंध स्थापित करने का विचार है;

(ख) वे कौन-कौन से देश हैं जिनके साथ सरकार का व्यापार बढ़ाने का विचार है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) हमारी कोशिश है कि सभी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाया जाए। व्यापार संबंध स्थापित करना और उनका विस्तार करना एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) (i) व्यवसाय एवं व्यापार प्रतिनिधि मंडलों का आवागमन।

(ii) व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(iii) भारत और उन देशों के व्यापारिक समुदायों के बीच सम्पर्क संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करना।

(iv) मंत्री/सरकारी स्तर पर द्विपक्षीय व्यापार वार्तालाप करना।

(v) अच्छे वस्तुओं का पता लगाना और निर्यात के लिए उनका संवर्धन करना।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

1853. श्री नवल किशोर राय :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार द्वारा 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए केन्द्र सरकार को भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों के लिए कितनी-कितनी धनराशि दी गयी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/सुधार के लिए 1991-92 के दौरान बिहार सरकार से 37

प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1279.73 लाख रु० की राशि के 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। शेष 17 प्रस्तावों में से 7 प्रस्ताव अनुमानों में संशोधन के प्रयोजन से बिहार सरकार को लौटा दिए गए थे और 10 प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ग) वर्ष के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं सहित विभिन्न चालू राष्ट्रीय राजमार्ग सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिए बिहार को 1991-92 के लिए 12 करोड़ रु० दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भत्ता देना

1854. श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष क्षतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ता और आवास किराया भत्ता दिया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो कर्मचारियों को इन जिलों में किन स्थानों पर उक्त भत्ता दिया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को उक्त जिलों में तैनात केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जहां पर यह भत्ता नहीं दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) और (ख) उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ जिलों में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ता तथा मकान किराया भत्ता अवर्गीकृत नगरों की दरों पर स्वीकार्य है केवल पिथौरागढ़ कस्बे में मकान किराया भत्ता 'ग' श्रेणी के शहर की दरों पर स्वीकार्य है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ता मंजूर किए जाने के बारे में प्राप्त हुए अभ्यावेदन विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4 का विकास

[अनुवाद]

1855. श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार यातायात की भीड़ की समस्या को सुलझाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग सं 4 पर पुणे-कोल्हापुर खण्ड को चौड़ा करने तथा इसका विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत टाईटलर): (क) और (ख) इस खंड को 4 लेन का बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों को स्वीकृति

[हिन्दी]

1856. श्री अहमद मण्डल :

श्रीमती विमल कुमारी भंडारी :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों को स्वीकृति देने की मौजूदा प्रक्रिया को इस बीच और सुचारु बना दिया गया है;

(ख) क्या नयी सुचारु प्रक्रिया उन कम्पनियों पर भी लागू होगी जो व्यापक विस्तार करने तथा नये उपक्रम स्थापित करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार मौजूदा प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) से (ङ) दिनांक 27-9-91 के एम० आर० टी० पी० (संशोधन) अध्यादेश तथा तत्पश्चात एम०आर०टी०पी० (संशोधन) अधिनियम, 1992 की शर्तों के तहत अधिनियम की वर्तमान धारा 21 और 22 के उपबन्धों को हटा दिया गया है। इसलिए वर्तमान में किसी उपक्रम के विस्तार या नये उपक्रम की स्थापना के लिए अब एम०आर०टी०पी० अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार धारा 21 और 22 के अन्तर्गत आवेदनों के निपटान के लिए संशोधन से पूर्व की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है।

स्वापक औषधों का अवैध व्यापार

[अनुवाद]

1857. श्री छोटू भाई वासवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष स्वापक औषधों की तस्करी के कितने मामलों का पता चला है और जब्त की गई स्वापक औषधों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे मामलों में कितने मुकदमे शुरू किए गए और उनके क्या निष्कर्ष निकले है; और

(ग) स्वापक औषधों का निपटान कैसे किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वर्ष 1990 तथा 1991 के दौरान पता लगे नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के मामलों की संख्या तथा पकड़े गए नशीले पदार्थों की मात्रा निम्न प्रकार है :-

नशीले पदार्थ का विवरण	1990 मामलों की संख्या	1990 पकड़ी गई मात्रा (कि०ग्रा० में	1991 मामलों की सं०	1991 पकड़ी गई मात्रा (कि०ग्रा० में)
अफीम	506	2114	526	1997
मारफीन	27	6	20	5
हेरोइन	764	2193	1156	621
गांजा	1782	89090	3129	48210
हशीश	753	6388	326	4897
कोकीन	2	1	—	—
मैथाक्वालोन	60	2141	78	4415

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) पकड़े गए नशीले पदार्थों की वह मात्रा जिसकी निपटान नष्ट करके वर्ष 1990 तथा 1991 के दौरान किया गया है, निम्न प्रकार है :—

नशीले पदार्थ का विवरण	निपटाई गई मात्रा कि०ग्रा० में 1990	1991
अफीम	43	101
हेरोइन	1708	1578
गांजा	4780	4056
हशीश	1810	2386
मैथाक्वालोन	724	1615

पूर्ववर्ती सोवियत संघ को और भारतीय ऋणता

1858. श्री अरुण सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर पूर्ववर्ती सोवियत संघ का कितना ऋण जमा हो गया था;

(ख) क्या सरकार का विचार इस ऋण को वहां के वर्तमान गणराज्यों में बांटने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार नवम्बर, 1978 में किए गए भारत सोवियत समझौते (प्रोटोकोल) को रद्द करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या पूर्ववर्ती सोवियत संघ द्वारा भारतीय बैंकों में रखे जा रहे रुपये-खाते के बारे में कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 31-1-1992 को पूर्ववर्ती सोवियत संघ का सरकारी लेखे पर कुल बकाया ऋण 9705.8 लाख रबल लगभग 3085.22 करोड़ रुपये के बराबर था जो 1 रबल=31.7874 रुपये की विनिमय दर पर परिवर्तित किया गया था।

(ख) और (ग) भारत सरकार का काम इस ऋण को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच विभाजित करना नहीं है। पूर्ववर्ती सोवियत संघ की परिसम्पत्तियों और देयताओं का बंटवारा उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा स्वयं ही किया जाना है।

(घ) और (ङ) नवम्बर, 1978 में हस्ताक्षरित भारत-सोवियत नयाचार के संशोधन के लिए पूर्ववर्ती सोवियत संघ के साथ वार्ताओं के दो दौर हुए थे। ये वार्ताएं अनिर्णीत रही हैं।

(च) और (छ) भारत सरकार और रूस संघ की सरकार के बीच 1992 में व्यापारिक कारोबार और भुगतानों पर 22-2-92 को एक नयाचार पर हस्ताक्षर किए गए। उस नयाचार में भारतीय बैंकों में रखे जा रहे रूसी रुपया खातों की व्यवस्था है।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में सदस्य के रिक्त पद

[हिन्दी]

†1859. श्री राम विलास पासवान :

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में इस समय रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ख) ये पद कब से रिक्त पड़े हुए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे सदस्यों की संख्या कितनी है जो आरक्षित श्रेणियों के हैं; और

(घ) यदि आरक्षित श्रेणी का कोई सदस्य नहीं है तो इन पदों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) इस समय, वेतन सदस्यों के दस पद रिक्त हैं जिनमें से सात आरक्षित प्रवर्ग के हैं (चार अनुसूचित जाति के और दो

अनुसूचित जनजाति के)।

(ख) ये रिक्तियां वर्ष 1990, 1991 और 1992 की हैं। 1990 में गठित चयन बोर्ड को भी आरक्षित पदों को भरने के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिले। रिक्तियों को पुनः विज्ञापित कर दिया गया है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यार्थियों का चयन करने के लिए एक नया चयन बोर्ड गठित कर दिया गया है। चयन की प्रक्रिया चल रही है। अनारक्षित प्रवर्ग के पदों को भरने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) आरक्षित प्रवर्ग के छह लेखा सदस्य हैं, इनमें से तीन अनुसूचित जाति के और तीन अनुसूचित जनजाति के हैं।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

[अनुवाद]

1860. श्री वसुदेव आचार्य :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को अपने दो जहाज वर्तमान बाजार मूल्यों पर बेचने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सरकार के पास शिपयार्ड की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) यार्ड अत्यन्त गम्भीर संकट से गुजर रहा है। और 31-3-91 तक का संचित घाटा 351.56 करोड़ रु० है। कम्पनी को लगातार भारी घाटा हो रहा है। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० में 3 जहाजों का निर्माण किया जा रहा है। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० को इन जहाजों को मौजूदा बाजार मूल्यों पर बेचने की अनुमति देने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ताकि शिपयार्ड नकद प्रवाह संबंधी तत्काल समस्याओं का निपटान कर सकें।

(ग) और (घ) शिपयार्ड को पुनः सक्रिय करने के लिए सरकार अनेक कदमों पर विचार कर रही है। उन तीन जहाजों का जिनका भारतीय नौवहन निगम ने आदेश दिया था, को खुले बाजार में बिक्री करने के प्रस्ताव के अतिरिक्त कुछ अन्य कदम जैसे पूंजी का पुनर्गठन केन्द्रीय शुल्कों से छूट आदि पर भी विचार किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के पास इस समय निम्नलिखित आर्डर है :—

27,000 डी डब्ल्यू टी का 1 बल्क कैरियर,

42,750 की डब्ल्यू टी के 2 बल्क कैरियर

2 आफशोर पैट्रोल वैसल्स

7 टाप साइड डैक।

उम्मीद है कि उपर्युक्त प्रस्तावित राहत उपायों द्वारा बार्डर उक्त बार्डरों को पूरा कर सकेगा।

सिले सिलाये कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों की समीक्षा

1861. श्री एन० डेनिस :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सिले-सिलाए कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों की समीक्षा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) परिधान निर्यातकों ने अनौपचारिक रूप से अभ्यावेदन किया है कि निर्यातकों को पेश आ रही विशेष समस्याओं को ध्यान में रखकर निर्यात एककों में कार्यरत कामगारों के बारे में अलग कानून होने चाहिए। तथापि, इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं बनाया गया है।

मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन

1862. श्री जीवन शर्मा :

श्री अरविंद त्रिवेदी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मोटर यान अधिनियम 1988 में संशोधन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संशोधनों को कब तक पेश किये जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) समीक्षा समिति की सिफारिशों को परिवहन विकास परिषद द्वारा 14 जनवरी, 1992 को हुई अपनी बैठक में स्वीकार कर लिया गया है। सरकार ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की है। इस स्तर पर कोई निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती कि संशोधन कब तक हो सकेंगे।

विवरण

मोटर वाहन अधिनियम के उपबन्धों में किए जाने वाले प्रस्तावित महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं :—

—आवेदकों से गैर-परिवहन वाहन चलाने के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र पर जोर दिए जाने की आवश्यता नहीं है यदि उसने 50 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

— जहां आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वाहन चलाने की सक्षमता परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसे-7 दिन बीत जाने के बाद पुन: परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए;

—अन्य देशों द्वारा जारी किए गए वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारकों की परीक्षा आदि की अपेक्षाओं से छूट दी जाएगी और अन्य देशों द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों के आधार पर भारत में लाइसेंस दे दिया जाएगा;

—मोटर वाहनों की आयु निर्धारित करने से संबंधित उपबन्धों को हटाना;

—धारा 64 के खंड (ख) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा शुल्क निर्धारित किये जाने की शक्ति को राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्तियों में अन्तरित किया जाना;

—एक "आर्टिकुलेटेड" वाहन का परमिट धारक उसके स्वामित्व में सेमी ट्रेलर के साथ किसी आर्टिकुलेटेड वाहन या उसके स्वामित्व वाले किसी आर्टिकुलेटेड वाहन के प्राइम मूवर के लिए सेमी ट्रेलर हेतु प्राइम मूवर का प्रयोग कर सकता है;

—किसी व्यक्ति/कम्पनी (जो परिवहन उपक्रम न हो) को दिए जा सकने वाले स्टेज कैरिज परमिटों की अधिकतम संख्या से संबंधित उपबन्ध को हटाना;

—राज्य सरकारों को यह अधिकार देना कि वे सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/राज्य परिवहन प्राधिकरण को किसी रूट पर सड़क की दशा और अतिरिक्त यातायात वहन करने के लिए सड़क की क्षमता को ध्यान में रखते हुए परमिटों की अधिकतम संख्या निर्धारित करने के लिए निर्देश दे सकें;

— स्टेज कैरिज चलाने और परमिट प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु नियम बनाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को अधिकार देना;

—ड्राइवर या वाहन के प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति को यह कर्तव्य निर्धारित करना कि वे घायल व्यक्ति को नजदीकी चिकित्सा के पास अथवा अस्पताल में पहुंचाएं और चिकित्सक के लिए यह अनिवार्य करना कि वह घायल व्यक्ति का इलाज करें और पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही घायल का इलाज करने की प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की प्रतीक्षा किए बगैर उसे सभी तरह की चिकित्सा सुविधा प्रदान करे;

—मृत्यु के मामले में मुआवजे की राशि को 25,000 रु० से बढ़ाकर 50,000 रु० करना और स्थायी रूप से अपंगता के मामले में मुआवजे की राशि को 12,000 रु० से बढ़ाकर 25,000 रु० करना;

—टक्कर मार कर भाग जाने की दुर्घटना में मृत्यु के मामले में मुआवजे की राशि को 8,500 रु० से बढ़ाकर 25,000 रु० करना और गम्भीर रूप से घायल के मामले में मुआवजे की राशि को 2,000 रु० से बढ़ाकर 12,500 रु० करना;

—निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य किया जाना कि वह इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी करें कि बिक्री के लिए निकाले गए प्रत्येक वाहन के साथ निर्माता द्वारा जारी किया गया

वारंटी प्रमाणपत्र रहेगा कि वाहन 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रदूषण मानकों के अनुरूप रहेगा बशर्ते कि मालिक द्वारा उसका सही रख-रखाव किया जाए और यदि वारंटी-अवधि के दौरान वाहन धुआं उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करता पाया जाए तो वह वाहन निर्माता को वापस किया जा सकेगा और वह मालिक को उपयुक्त रिप्लेसमेंट/मुआवजा देगा।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र द्वारा लघु और मध्यम औद्योगिक एककों को सहायता

1863. **श्री परशराम भारद्वाज :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा की एक वित्तीय एजेंसी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र ने भारत में लघु और मध्यम औद्योगिक एककों को सहायता देने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए; प्रश्न ही नहीं उठता।

गरीब ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास संबंधी सम्मेलन

1864. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, का जेनेवा में गरीब ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास पर एक सम्मेलन आयोजित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत का इस सम्मेलन में भाग लेने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो सम्मेलन में किन मामलों को उठाए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के तत्वावधान में 25-26 फरवरी, 1992 को एक शिखर सम्मेलन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था।

(ग) शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व श्रीमती महाश्वेता देवी द्वारा, राष्ट्रपति श्री वेंकटरामन की पत्नी श्रीमती जानकी वेंकटरामन के विशेष प्रतिनिधि के रूप में किया गया था।

(घ) शिखर सम्मेलन का उद्देश्य निर्धन ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक दबावों, योगदान एवं सम्भावना के प्रति व्यापक जागरूकता पैदा करना और सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली द्वारा विश्व में ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कार्य और संसाधन जुटाना था।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक अति गंभीर विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विषय यह है कि विश्वस्त सूत्रों से यह पता चला है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में आयोजित अति गोपनीय बैठकों में, विदेशी नागरिकों को भी भाग लेने की अनुमति दी जा रही है।

जैसा कि आप जानते हैं अभी कुछ समय पहले से ही विदेशी नागरिकों को, हमारे देश के वार्षिक-प्रशासन पर निगरानी रखने की इजाजत दी जा रही है; फंड-बैंक के भूतपूर्व नौकरशाहों ने हमारा अर्थ-प्रशासन अपने हाथों ले लिया है और अब समाचार यह मिला है कि अनुसंधान के नाम पर किसी अंग्रेज प्रोफेसर को सभी गोपनीय बैठकों में भाग लेने दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने प्रधान मंत्री जी को इस आशय की सूचना दी है।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, लोगों के मन में पनपे संदेह को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप किसी सदस्य अथवा मंत्री के खिलाफ कोई आरोप लगाना चाहते हैं तो आपको इस आशय की सूचना उन्हें देनी चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, यह कोई गैर-सरकारी मामला नहीं है। यह सरकार के विरुद्ध आरोप है। (व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : क्या ऐसी अत्यन्त गोपनीय बैठकों में भाग लेने की किसी भारतीय को भी अनुमति दी गई है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में कम से कम इतने शिष्टाचार की तो अपेक्षा की ही जाती है कि आपको प्रधानमंत्री जी को सूचना देनी चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, आपके माध्यम से मैं उन्हें सूचित कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पहले यह पता होना चाहिए कि आप यहां किस तरह का मामला उठाना चाहते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह प्रधानमंत्री जी तथा किसी सदस्य के बीच का कोई गैर-सरकारी मामला नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह किसी तरह से भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। सरकार के कार्यकरण के बारे में कुछ चिन्ता जनक रिपोर्ट मिली हैं और उन्हें ही यहां उठाया जा रहा है ताकि वे लोगों के मन में पनपे संदेह को दूर कर सकें। लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि 'ऐसा कुछ नहीं है' ? (व्यवधान)

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, यह एक निराधार आरोप है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसी बात नहीं है । यदि आप यह सोचते हैं कि हर बात पक्षपातपूर्ण है, तब हम इसे अवश्य उठाएंगे । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए । मैं इस मामले पर कार्यवाही कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मन्त्री जी से बात नहीं कर रहे हैं, आप अध्यक्षपीठ से बात कर रहें हैं । यदि आप चाहते हैं तो मैं उन्हें इसका उत्तर देने के लिए कह सकता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कई मामले अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं और हम यह मानते हैं कि आप तथ्यों की जानकारी के लिए बेहद तत्पर रहते हैं । लेकिन ऐसा करने से पूर्व, कम से कम इतने शिष्टाचार की तो अपेक्षा की ही जाती है कि आपको इस आशय की सूचना उन्हें देनी चाहिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : हम आपके माध्यम से उठाना चाहते हैं । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है । यह आरोप आप पर भी लगाया जा सकता है । मैं इस तरह से इसे आपके विरुद्ध आरोप नहीं लगाने दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम भी प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं । माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया है । एक पत्र के माध्यम से, उन्होंने इस मामले को उठाने के बारे में आप से अनुमति मांगी है । और इस मामले में आपने उन्हें बुलाने की कृपा की है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । कृपया आप यह समझिए कि यह हमारा सदन है । हम ऐसे मामलों को सभा में उठा रहे हैं जो कार्यसूची में सम्मिलित नहीं है । यही मेरे लिए कठिनाई है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इन्होंने सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन में आने से ३० मिनट पूर्व कई पूर्व-सूचनाएं मिली हैं । इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि सभी पूर्व-सूचनाओं को पढ़ सकने कि मेरी अक्षमता के कारण मुझे क्षमा करें ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम आपको क्षमा कर सकते है, किन्तु उन्हें नहीं ।

श्री रूपचन्द पाल : आप उन्हें वक्तव्य देने के लिए तो कह सकते है । (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम आपकी कठिनाई को समझते हैं । मुझे यह भी विश्वास है कि आप

इस मामले की गंभीरता को भी समझते हैं। इसलिए इस सरकार को अपनी तन्द्रा भंग कर उत्तर देना चाहिए। कृपया उन्हें जगाएं।

प्रत्येक बात को पर्दे के पीछे मत रखिए। उन्हें उत्तर देने के लिए कुछ कहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे इससे इन्कार भी कर सकते हैं। इसकी उचित जांच पड़ताल की जा सकती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दूसरे छोर की बात न कीजिए।

श्री वत्तारेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : आंध्र प्रदेश में जैसा कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पास सूचना उपलब्ध है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गोदावरी बेसिन में लगभग 33700 करोड़ क्यूबिक मीटर के लगभग प्रचुर मात्रा में गैस के भण्डार हैं और हाल ही में किए गए सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार भी आंध्र प्रदेश के करीम नगर जिले के गांव पेड्डापल्ली में भी गैस के भण्डार मोजूद हैं। आंध्र प्रदेश के औद्योगिक विकास की संभावनाओं का पता लगाकर इन गैस भण्डारों को तत्काल ही उपयोग मे लाया जाना चाहिए। लगातार वर्षा न होने और कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण आंध्र प्रदेश बिजली के अभाव का सामना कर रहा है। इसलिए, गैस भण्डारों के उपयोग से रामगुन्डम औद्योगिक क्षेत्र जोकि "मानचेस्टर आफ इण्डिया" के नाम से सर्वविख्यात है, के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। सभी प्राकृतिक संसाधन इस क्षेत्र में, विशेषकर उपलब्ध हैं।

गैस पर आधारित बिजली केन्द्रों की स्थापना से और भी बहुत से उद्योग पनप सकते हैं। कृष्णा-गोदावरी कुहु, पेड्डापल्ली तथा झटारगांव में गैस उत्पादन केन्द्रों की स्थापना से कृषि क्षेत्र को भी लाभ पहुंचेगा। गैस पर आधारित बिजली केन्द्रों को उनकी स्थापना अवस्था में ही बिजली की मांग और पूर्ति के भारी अन्तर को कम करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।

इसलिए, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री जी से मैं यह अनुरोध करता हूं कि नैशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन को पहले से ही 1.0 एम० सी० एम० डी० आबंटन करने की व्यवस्था करें। इसके साथ-साथ काकीनाडा (300 मे०वा०), राजामुन्द्री (वीमागिरि—300 मे० वा०), विजेश्वरम—स्टेज-II (300 मे०वा०), अमालपुरम (375 मे०वा०) गैस पर आधारित बिजली संयंत्रों को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को ई० ई० एम० सी० एम० डी० गैस आबंटित की जानी चाहिए। यदि ये परियोजनाएं पूरी हो जाती हैं और सब गैस के भण्डारों का भी उपयोग में लाया जाता है तो आंध्र प्रदेश का वर्तमान विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगा जिससे विशाखा-पट्टनम, हैदराबाद, कोटागुडम, रामागुन्डम के तनावग्रस्त उपभोक्ता तथा आंध्र प्रदेश के उद्योग पति राहत की सांस ले सकेंगे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा।

श्री हाराधन राय (आसन सोल) : महोदय, एक पखवाड़े में ही ईस्टर्न कोल फील्ड लि० में तीन गम्भीर और घातक दुर्घटनाएं घटी हैं जोकि कोयला खानों मे सुरक्षा उपायों की पूर्ण उपेक्षा के कारण हुई हैं।

11 फरवरी, 1992 को प्रातः 11-30 बजे ईस्टर्न कोलफील्ड लि०, पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत लोअर काजोरा सीम, नाबा काजोरा कोलरी में कोलरी का एजन्ट सहित नौ लोग वायु-विस्फोट के कारण दुर्घटना ग्रस्त हुए। इन सभी को गंभीर चोटें आयीं और कोलरी के एजेन्ट की आखिरकार

18.2.1992 को मृत्यु हो गई। रिपोर्ट यह मिली है कि प्रबंध मंडल इस संभावित वायु विस्फोट से बचाव के उचित उपाय नहीं कर सका।

दूसरी घातक दुर्घटना 24 फरवरी, 1992 को सायं 6-30 बजे हुई जोकि ई० सी० एल० के काजोरा क्षेत्र के अन्तर्गत खास काजोरा कोलरी की पी० सी० काजोरा यूनिट में घटित हुई जोकि कोयले से भरे 12 टबों के चल पड़ने के कारण हुई। 21 वर्षीय यू० जी० लोडर, श्री राम प्यारी राजभार इसमें दुर्घटना ग्रस्त हुए। यह दुर्घटना भी प्रबन्धन की अपने कार्यों के प्रति अवहेलना के कारण हुई।

तीसरी घटना 28 फरवरी, 1992 को सायं 10-00 बजे घटित हुई जोकि झाम्बरा परियोजना के अन्तर्गत नाकरा कोल पिट माइन में हुई। इस दुर्घटना में यू० जी० लोडर श्री नैका मजही कार्य पर ही दम तोड़ गए। मृत्यु के कारणों का पता लगाने हेतु कोई पोस्ट-मारट्म जांच भी नहीं कराई गई।

इसलिए, मैं यह अनुरोध करता हूं कि दुर्घटनाओं के कारणों, परिस्थितियों व तथ्यों का पता लगाने के लिए तत्काल ही जांच के आदेश दिए जाएं और इसके लिए उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाए।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, केरल में बहुत से किसान भूमि के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

केरल सरकार में एक योजना प्रस्तुत की है जोकि पर्यावरण मंत्रालय के अनुमोदनाधीन है।

वास्तव में, मंत्रालय से हुई बातचीत से यह पता चला है कि सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। लेकिन मैंने जो प्रश्न कल पूछा था, उसके उत्तर में यह कहा गया है कि केरल सरकार से पुनः कुछ पूछताछ की गई है। लेकिन यह सही नहीं है।

मैं, माननीय मंत्री जी व माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इन भूमिहीन किसानों को, जोकि काफी लम्बे समय से पट्टे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें भूमि का पंजीकरण प्रमाणपत्र तुरन्त जारी किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शिव शरण सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, 1991 में सारे देश में जनगणना का काम किया गया है। लेकिन बिहार के कई भागों में बिहार जनगणना निदेशालय की लापरवाही के कारण यह कार्य अधूरा रह गया है। बिहार की राजधानी पटना का विगत दस वर्षों में क्षेत्रफल का काफी विस्तार हुआ है, परन्तु जनसंख्या में (1991 की जनगणना के अनुसार) अनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है। पटना नगर निगम के कुछ भागों में जनगणना करना छूट गया है। ऐसे इलाकों की अनुमानित जनसंख्या करीब पचास हजार है। गोड्डा जिला में अनुसूचित जनजाति की संख्या में मात्र 9.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गोड्डा जिला के पचरागामा एवम् गोड्डा प्रखंडों में क्रमशः 0.94 प्रतिशत वृद्धि एवम् है 12 प्रतिशत का ह्रास हुआ है। जबकि सामान्यतः 18 से 20 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए थी। वैशाली जिला के राघोपुर प्रखंड के कई गांवों की जनसंख्या प्राप्त नहीं होने की सूचना है और कई गांवों की आबादी 198 से भी कम अंकित की गई है। पूरे बिहार में इस तरह की और भी गड़बड़ियां हैं। बिहार जनगणना निदेशालय का कार्यकलाप काफी असंतोषप्रद है। 1991 में इस निदेशालय द्वारा की गई नियुक्तियों में काफी अनियमितता बरती गई है; हेराफेरी की गई है तथा पक्षपातपूर्ण

रवैया अपनाया गया है। अतः इन तथ्यों की ओर मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि इसकी शीघ्र जांच करके सुधार हेतु उचित कार्यवाही की जाये।

[अनुवाद]

डा० वंसत पवार (नासिक) : महोदय, जैसा कि आपको विदित ही है, नासिक और पुणे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में, प्याज की पी० ओ० एल० किस्म की बहुत भरी फसल हुई है। बाजार में इसकी कीमतें गिर गई है और प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों में एक रोष व्याप्त है।

एक दिन इनमें से कुछ उत्तेजित किसान मेरे घर आये और उन्होंने प्याजों का एक थैला प्रतिवाद स्वरूप मेरे दरवाजे की सीढ़ियों पर उड़ेल दिया।

जैसा कि आप जानते हैं कि प्याज की उत्पादन लागत बढ़ गई है और यह 100 रुपये से 110 रुपये प्रति क्विंटल के लगभग आती है। इसलिए यदि बाजार-मूल्य कम होते गए, तो किसान समुदाय को इससे बहुत नुकसान होगा।

अतः मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि 110/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्याज का औसत मूल्य नियत करने के साथ, विपणन मध्यक्षेप योजना लागू की जाए। इस योजना को लागू करने पर होने वाला खर्च केन्द्र और महाराष्ट्र की राज्य सरकार द्वारा समानरूप से वहन किया जाना चाहिए। जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने सुझाव दिया है यह योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा नैफेड के माध्यम से लागू की जानी चाहिए।

दूसरे, नैफेड को बाजार में प्याज की अधिकतम मात्रा खरीदने के निर्देश भी दिये जाने चाहिए। फिलहाल, यह खरीद बाजार में कुल लागत का केवल 20 प्रतिशत है।

तीसरे, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र में कार्यरत सभी सहकारी इकाइयों को निर्यात करने की अनमति प्रदान करे।

इसके साथ ही, मैं कृषि मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में आगे आएं और प्याज का एक समर्थन-मूल्य निर्धारित करें तथा प्याज-उत्पादकों को बचायें।

श्री हारका नाथ दास (करीमगंज) : महोदय, पंचायत कार्यालयों और स्थानीय डाकघरों में दूरभाष उपकरण लगाए जाते हैं। परन्तु उनमें से अधिकतर उपकरण उचित देख-भाल की कमी के कारण महीनों खराब पड़े रहते हैं, विशेषरूप से असम में जहां सार्वजनिक दूरभाष प्रणाली अति शोचनीय है और ऐसी ही स्थिति वहां तार प्रणाली की भी है, ग्रामीण क्षेत्रों की इस संबंध में अनदेखी की जा रही है। वहां छोटे इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थित है जिनके माध्यम से ट्रंकडायलिंग की जाती है, जोकि लगभग असम्भव है। ऐसी स्थिति में वहां दूरभाष रखना अनुपयोगी ही है। अतः, मैं आशा करता हूं कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को, उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग (एस० टी० डी०) अथवा राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग (एन० एस० डी०) प्रणाली, के अन्तर्गत लाने के लिए तुरन्त उचित कदम उठायेगी, ताकि दूरभाष उपभोक्ता दूरभाष रखने का वास्तविक लाभ उठा सकें।

[हिन्दी]

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, कानपुर नगर के कोहना थाना अन्तर्गत

15 फरवरी को दैनिक जागरण के पत्रकार श्री अधीर सिंह लल्ला पर रात के दस बजे पुलिस वालों ने जान-लेवा हमला किया था जिसमें दो कांस्टेबिल पकड़े गये। एक स्कूटर भी मौके पर बरामद हुआ। मान्यवर, कोहना थाना के इन्चार्ज इस सारी घटना के कर्णधार हैं। उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। पत्रकार अनशन पर बैठे हुए हैं, । पूरी तरह से आन्दोलित हैं। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरी कांस्टीट्वन्सी से सम्बन्धित है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ था और उसमें जो सूत्र मिले, उसमें एक-दो कांस्टेबिल के खिलाफ बातें आयीं। वर्तमान में चार लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं । उनकी जमानत नहीं हुई हैं। जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया कि कोहना थाना इन्चार्ज को गिरफ्तार नहीं किया गया है लेकिन उनकी तलाश जारी है, उनके घर की कुड़की हो चुकी है, प्रशासन सतर्क है और पूरी न्याय के पक्ष में कार्रवाई हो रही है।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में पूरे देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनकी 14 हजार 500 शाखायें हैं, कार्यरत हैं। सरकार की दूषित नीति के कारण ये बैंक 300 करोड़ रुपये से अधिक घाटे में चल रहे हैं। इन बैंकों को लाभ में लाने के लिए आल इण्डिया ग्रामीण बैंक वरकर्स आर्गनाईजेशन ने माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक योजना पेश की थी जिसके अन्तर्गत 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्थान पर भारतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की मांग की गयी थी । इस संबंध में 31 जुलाई, 1991 को पांच सांसदों का एक प्रतिनिधि मण्डल माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिला था। उस ज्ञापन में 60 संसद सदस्यों के हस्ताक्षर थे। देश के ट्रेड यूनियन इतिहास में पहली बार संस्थाहित मे राज्य एवं समाज सर्वोपरि समझकर ऑल इण्डिया ग्रामीण बैंक वरकर्स आर्गनाईजेशन पिछले लम्बे समय से ग्रामीण बैंकों के लाभ बढ़ाने के लिए एवं भारतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए संघर्षरत है। 2 एवं 3 मार्च, 1992 से केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग के समक्ष अनिश्चितकाल धरना भी दिया जा रहा है। 31 मार्च, 1992 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी प्रस्तावित है। यह आश्चर्य की बात है कि देश की आर्थिक दशा सुधारने का ढोंग रचने वाली सरकार इस ओर ध्यान न देकर राष्ट्र और समाज की अनदेखी कर रही है। इस संबंध में वे अपना स्पष्ट वक्तव्य दें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, कल गेहूं के आयात और निर्यात के बारे में कुछ गम्भीर मुद्दे उठाये गये थे। संसदीय कार्य मंत्री ने वाणिज्य मंत्री से आज वक्तव्य दिलाने का वायदा किया था। मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कल यह औपचारिक घोषणा की गई थी। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : उन्होंने कहा है कि उनके पास कोई सूचना नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए मैंने कहा है कि वे अपनी मर्जी से कार्य कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है। यहां तक कि श्री एम० एम० जैकब भी नहीं जानते कि वहां क्या हो रहा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : यह मामला सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री से सबंधावा है। वह जिम्मेदार है। वह इसका जवाब दे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से हमने कहा है कि जवाब दें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : विधि मंत्री और वित्त मंत्री को पता नहीं हैं कि क्या हो रहा है। यह किस प्रकार की सरकार है। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : कल संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि इस का वाणिज्य मंत्री द्वारा उत्तर दिया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या उन्हें कुछ पता है ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : इस संबंध में पार्लियामेंटरी मिनिस्टर जब कहते हैं इस सदन में तो यह मानकर चलते हैं कि सरकार ने इसकी जानकारी दी है। सरकार की कलेक्टिव रेस्पांसिब्लटी है आपने गंभीरता को समझा। आपने भी सरकार को संकेत दिया। कल कहा गया था कि कॉमर्स मिनिस्ट्री का मामला है। अब कामर्स मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं और उसके बाद पार्लियामेंटरी मिनिस्टर कहते हैं कि हमको जानकारी नहीं दी। इससे ज्यादा इस हाऊस की अवमानना क्या हो सकती है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वहा इश्यूज भी गिनवाये थे। उन्होंने इश्यूज फ्रेम किये कि इसका जवाब फलां देंगे, इसका जवाब फलां देंगे इन्क्लूडिंग दा रिपोर्ट एबाऊट स्यूवा··· और उसकी कीमत क्या थी। किस कीमत पर हमने खरीदा और किस कीमत पर बेचा। सारा उन्होंने गिनती करके कहा कि इसके बारे में हम सदन में स्टेटमेंट करायेंगे लेकिन आज भी लगता है कि सरकार में कोई तैयार नहीं है।

श्री मदन लाल खुराना : मैंने इस बारे में आज ही प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। वह बहुत ही सीरियस मामला है। अभी स्टेटमैंट कराया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मामला बहुत गम्भीर है। क्या वाणिज्य मंत्री को पता है कि सरकार की ओर से इस प्रकार का वक्तव्य दिया गया है और क्या वाणिज्य मंत्री एक वक्तव्य देंगे ? (व्यवधान) महोदय, वे यहां बैठे हैं और उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री बसु देव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, वाणिज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं और उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सरकार इतना ही बता दे कि कितने अमेरिकी डालर में आपने गेहूं

बाहर भेजा और कितने अमेरिकी डालर की दर से गेहूं को मंगवा रहे हैं। खरीदने और बेचने के रेटस ही सरकार बता दे। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, 15 मिनट से ज्यादा समय तक इस सदन में कल इसी ईस्यू को लेकर चर्चा हुई। सदन के दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने इस पर चिन्ता जाहिर की, आपने भी चिन्ता जाहिर की। हम लोगों का चार्ज है, सरकार स्टेटमेंट क्यों नहीं करना चाहती। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : यदि सरकार नहीं बताना चाहती तो हम बताए देते हैं कि कितने अमेरिकी डालर की दर से आपने गेहूं बाहर के देशों में भेजा और कितने अमेरिकी डालर की दर से आप गेहूं का आयात कर रहे हैं। छः लाख टन गेहूं अभी तक आप बाहर भेज चुके हैं, जिसमें कुछ गेहूं जोर्डन भेजा गया, कुछ अफ्रीकी देशों को भेजा गया। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : सरकार को इतनी जानकारी देने में क्या है, उसे जानकारी देनी चाहिये, जब सब लोगों की तरफ से चिन्ता प्रकट की जा रही है।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, एक ही साल की यह स्थिति है और जब देश में अनाज की कमी है, आप अनाज इम्पोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यह समझ में नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये और सुनिये, ये क्या बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम उनकी बात सुन लें। वह भी सूचना दे सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है अब हम उनका उत्तर सुन लें।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : महोदय, मुझे एक बात बड़े स्पष्ट तौर पर कहनी है। मैंने कल ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि वाणिज्य मंत्री एक वक्तव्य देंगे कल के वाद-विवाद की एक प्रति मेरे सामने रखी है। मैंने तो बस यही कहा था कि चूंकि इस मामले को कल उठाया गया था और इसे वाणिज्य मंत्री के ध्यान में लाया जाना है, मैं इसे वाणिज्य मंत्री के ध्यान में ला दूंगा। मैंने स्पष्टतः यह कहा था कि हमें कोई समस्या नहीं है और हम निश्चय ही सभा के सामने फिर उपस्थित होंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा के समक्ष फिर उपस्थित होंगे।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : जी हां, महोदय। हमने यही कहा था। मैंने यही कहा था कि हम सभा के सामने फिर उपस्थित होंगे। मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा था कि किसी मंत्री विशेष द्वारा वक्तव्य दिया जायेगा। (व्यवधान) इसमें कोई समस्या नहीं है। हम सभा के समक्ष फिर उपस्थित होंगे। मैं वाद-विवाद भी पढ़कर सुना सकता हूं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें इन वाक्यों का अर्थ समझने दें।

श्री राम विलास पासवान : वह क्या कहना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वाणिज्य मंत्री महोदय क्या आप इसका उत्तर देना चाहेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, सविनय मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे खेद है, मैं कल यहां नहीं था। अतः, मुझे ज्ञात नहीं था कि कल क्या कहा गया था। (व्यवधान) मुझे पता नहीं है कि कल क्या हुआ था। मैंने समाचार पत्र पढ़ा है और समाचार-पत्र में एक बयान है कि सभा में एक वक्तव्य दिया जायेगा। मुझे कोई हिचक नहीं है··· (व्यवधान) महोदय; पहले उन्हें व्यवधान समाप्त कर लेने दें। (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, वे सुनना नहीं चाहते हैं। वे सरकार पर बुराई थोपना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम् : यदि माननीय अध्यक्ष महोदय निर्देश देते हैं और यदि सभा चाहती है; तो सरकार अवश्य ही एक वक्तव्य देगी। क्योंकि मुझे इस बारे में आज ही अवगत कराया गया है; मैं संसदीय कार्य मंत्री से परामर्श करूंगा और जैसा कि श्री आडवाणी के कथन से मैं समझ पाया हूं; गेहूं के निर्यात करने के निर्णय पर और गेहूं के आयात करने के निर्णय पर, एक वक्तव्य दिया जायेगा। गेहूं और चावल की बिक्री के सम्बन्ध में क्यूबा के अनुरोध का जिक्र किया गया था। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : संयुक्त राज्य अमेरिका ने गेहूं बेचने से इन्कार कर दिया है क्योंकि भारत क्यूबा को गेहूं भेज रहा है।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं भी यही कह रहा हूं क्यूबा के गेहूं और चावल की बिक्री के अनुरोध पर और संयुक्त राज्य के कथित वक्तव्य कि वह हमें गेहूं नहीं बेचेगा क्योंकि हम क्यूबा को चावल बेचने के लिए सहमत हो गये हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़ा समय इन्तजार क्यों नहीं करते ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : श्री चिदम्बरम ने इसे घुमा दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम उन्हें अपना वक्तव्य तो पूरा करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए और कृपया बैठ जाईये।

श्री पी० चिदम्बरम : की गई टिप्पणियों से जो मुझे समझ आया, मैंने उन मुद्दों को लिया है। यदि किन्हीं अन्य मुद्दों पर अध्यक्ष महोदय चाहते हैं कि हम वक्तव्य दें। तो हम बड़ी खुशी के साथ उस पर वक्तव्य देंगे। वक्तव्य किस मंत्री ने देना है, यह बात संसदीय कार्य मंत्री संबंधित मंत्री से परामर्श करने के बाद तय करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : जो भी सम्बद्ध मंत्री होगा वक्तव्य दे देगा।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से ? आपको जवाब मिल जाएगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : कल माननीय कृषि मंत्री द्वारा हमें बताया गया था कि वास्तव में वाणिज्य मंत्री सम्बद्ध मंत्री हैं। परन्तु आज हमें पता चला कि वाणिज्य मंत्री सम्बन्धित नहीं है तथा कोई अन्य मंत्री सम्बन्धित है। क्या आपने इस पर विचार किया है? अब तक क्या आपने निर्णय ले लिया है कि सम्बन्धित मंत्री कौन है?

श्री पी० चिदम्बरम : हमने कह दिया है कि वक्तव्य दे दिया जायेगा।

श्री गुलाम नबी आजाद : अब सरकार को उत्तर देना है। हम कभी भी उत्तर दे देंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित मंत्री ही उत्तर दें··· (व्यवधान)···मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि मंत्री जी में है अथवा उनके वक्तव्य को जानने के प्रति है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कौन संबंधित मंत्री हैं?

श्री गुलाम नबी आजाद : इसका निर्णय करने का अधिकार सरकार का है।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : कृषि मंत्री जी ने कल कहा था कि इस मामले में वाणिज्य मंत्री जी भी शामिल हैं। अतएव उन्हें ही वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप प्रत्यक्षत: परस्पर बात मत कीजिए। आप पीठासीन अधिकारी के माध्यम से बात कीजिये।

श्री विलास मुत्तेमवार : वे आपकी उपेक्षा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मुझे उनका यह व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है।

बहरहाल, कल हम तीन मामलों पर चर्चा कर रहे थे और सभा के सभी माननीय सदस्यों ने इन तीनों मामलों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया था। पहला मामला यह था कि सदस्यगण जानना चाहते थे कि गेहूं के आयात करने का निर्णय कब किस तिथि को लिया गया था। दूसरा मामला यह था कि आयात और निर्यात मूल्य कितना था और उनमें कितना अन्तर था। तीसरा मुद्दा यह था कि क्या संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने इस आधार पर भारत को गेहूं देने से इन्कार कर दिया था कि भारत क्यूबा को चावल निर्यात कर रहा है। इन तीनो मुद्दों पर सदस्य काफी उत्तेजित हो रहे थे।

अध्यक्ष अथवा सदस्यों को यह नहीं कहना चाहिए कि इसका उत्तर मंत्री द्वारा ही दिया जाना चाहिए। कोई भी मंत्री जिसे उचित रूप से संक्षेप में उस विषय के बारे में जानकारी दी गई हो वह सभा में आकर उत्तर दे सकता है। उस माननीय मंत्री को यह नहीं कहना चाहिए कि उसके पास जानकारी उपलब्ध नहीं है केवल यही एक तथ्य है।

निश्चित रूप से सदस्य अत्यधिक उत्तेजित थे और मेरे विचार से यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर सरकार भी ठीक प्रकार से देना चाहेगी। यह सरकार संसद और जनता के हित में है कि इस विषय के बारे में जनता को जानकारी हासिल हो सके। मैं आशा करता हूं कि सम्भवत आप शाम तक इस सम्बन्ध मे जानकारी दी जा सकेगी अथवा सोमवार को एक बजे से पहले तक बता दिया जायेगा।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : चूंकि आपने व्यवस्था दे दी अत. मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह कोई व्यवस्था नहीं दी गई है।

श्री राम नाईक : चूंकि कल मंत्री जी उचित रूप से उत्तर नहीं दे पाए थे अत: हमें उस वक्तव्य के बारे में इसे एक अत्यन्त विशेष मामला समझकर प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये। आप अपने विवेकाधिकार के अन्तर्गत ऐसा कर सकते हैं ताकि अधिक जानकारी उपलब्ध हो सके।

अध्यक्ष महोदय : कृपया रहने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, सैकिंड अक्तूबर को राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई थी और उस बैठक में यह तय हुआ था कि अयोध्या विवाद के सम्बन्ध में निगोशियेसन्स के माध्यम से कानूनी राज के जरिए से समाधान होगा।

हम लोगों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसके ऊपर दीवार खड़ी की जा रही है। इससे जो कम्युनल हारमनी है, जो सद्भावना थोड़ी-बहुत देखने को मिली है उससे खतरा उत्पन्न हो गया है। हम जानना चाहते हैं कि जो नक्शा पास किया गया है, हमें नहीं मालूम कि नक्शा क्या है, देश को नहीं मालूम कि नक्शा क्या है, वह नक्शा क्या है ? क्या वह डिस्प्यूटेड लैंड में है, क्या वह ऐसा है जिससे वह कोर्ट के दायरे में आता है ? मैं इतनी ही जानकारी सरकार से चाहता हूं। मैं नहीं कह सकता कि लीडर आफ दी ओपोजीशन को जानकारी है या नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय एकता परिषद की जो बैठक हुई थी, उससे बहुत बड़ी जो चीज निकली थी उसमें किसी तरह का कुठाराघात न हो। (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, क्या ये वहां पर देखकर आए हैं या सुनी-सुनाई बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : अयोध्या की दीवार आज चिन्ता का विषय बन गई है और देश में फिर तनाव बढ़ रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बाहर तनाव हो रहा है या नहीं लेकिन यहां पर हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : वह दीवार कहां बन रही है, किधर जाएगी, कितनी लम्बी होगी, किस जमीन से गुजरेगी इसके बारे में बहुत-सी आशंकाएं हैं। नैशनल इनटैगरेशन काऊंसिल में कुछ ऐश्योरैंस दी गई थी कि कानून का पालन किया जाएगा, जिसमें एक मत यह भी है कि वहां कोई परमानेंट निर्माण नहीं होगा जब तक अदालत का फैसला नहीं होगा। इसलिए मैंने गृह मंत्री से कहा, क्योंकि यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है, वह उत्तर प्रदेश सरकार से कहे कि पहले यह बताएं कि नक्शा पास हुआ है या बगैर नक्शे के काम हो हा है ? यदि नक्शा पास हुआ है तो वह नक्शा क्या है, कहां से किधर जाता है ? क्या वह नक्शा पुराने मन्दिर का जो नक्शा था उसी का एक हिस्सा है।

विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के नेता ने कहा है कि यह मन्दिर का निर्माण हो रहा है। इसलिए देश में तनाव फैल रहा है।...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में नाम सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : जो जो बात अखबार में छपी है वह मैं दोहरा रहा हूं कि विश्व हिन्दू परिषद ने कहा है कि मन्दिर का निर्माण शुरू हो गया है। मैं केन्द्र सरकार से अर्ज करता हूं कि गृह मंत्री से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार से पूरी सूचना लेकर देश के सामने रखें। देश के सामने नक्शा रखें ताकि बात साफ हो जाए और यह मालूम हो जाए कि किसी किस्म की कार्यवाही डिस्प्यूटेड जमीन पर नहीं होने वाली है।

आज कहीं पर भी दीवार का टुकड़ा बन रहा है यदि वह दीवार डिस्प्यूटेड लैंड से गुजरने वाली है, यदि वह मंदिर के नक्शे का हिस्सा है तो फिर आज जो भी काम हो रहा है वह गैर-कानूनी है और जो ऐश्योरैंस दी गई थी उसका वायलेशन है। मैं चाहता हूं कि बात साफ कर दी जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : महोदय, आज के इकोनामिक टाइम्स में एक समाचार प्रकाशित हुआ है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, आप हमें भी बोलने की अनुमति दीजिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां भूमि का अधिग्रहण किया है और विवादास्पद स्थान का अधिग्रहण नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, रिकार्ड में आ गया है।

श्री राजवीर सिंह : हमारी सरकार पर बार-बार इस तरह के लांछन लगाए जाते हैं, हमें सफाई का मौका दिया जाना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी से गलत सिगनल बाहर जाते हैं। ये लोग सभा में बोलकर बाहर तनाव बढ़ाना चाहते हैं। ये बात सत्य है कि वहां पर इनकी नेतागिरी खत्म हो गई है। वहां का मुस्लिम समुदाय इनके पीछे नहीं है।...(व्यवधान)...वहां पर सब धर्मों के लोग विचार-विमर्श करें। इस आधार पर राय बन रही है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इस समय सभा में महिला सदस्य अत्यन्त अनुशासित ढंग से व्यवहार कर रही हैं। यदि हमने अपने किसी एक महिला सदस्य को बोलने की अनुमति दे दी है तो हमें उनके प्रति शिष्टाचार बरतना चाहिए और उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, मैं यह अवश्य कहूंगी कि हमारे कायदे में बड़े शालीन तरीके से ऐसा कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यदि आप ऐसा समझती हैं तो इसका अभिप्राय है कि आप बहुत ठीक कह रही हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, मेरे विचार से आज प्रात: के "इकोनामिक टाइम्स" में क्लेरियन, एक अग्रणी विज्ञापन एजेंसी के कार्यालयों में छापा पड़ने से सम्बन्धित एक समाचार प्रकाशित हुआ है। कलकत्ता इसका मुख्यालय है। वहां पर उसके सभी केन्द्रों में तथा दिल्ली और बम्बई में स्थित शाखा कार्यालयों में भी छापा पड़ा था। हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार कराधिकारियों ने इस कम्पनी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के निवास स्थानों पर भी छापे मारे थे। कल प्रात: क्लेरियन के कार्यालय पर छापा डाला गया था और फिर उसके बाद सारे दिन कार्यालय बन्द पड़ा रहा। छापा पड़ने का कारण कम्पनी लेखाओं में अनियमितताएं बरतने सम्बन्धी आरोप था।

इस घटना का एक रोचक पहलू यह था कि क्लेरियन के सर्वोच्च स्तरीय अधिकारियों ने इस घटना के तुरन्त बाद कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए कलकत्ता में एक बैठक बुलाई थी। इस सम्पूर्ण घटना का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि क्लेरियन कम्पनी पहले कुछ वर्षों से काफी खराब दौर से गुजरी है वर्ष 1991 के चुनावों में कांग्रेस (आई) का प्रचार इत्यादि करने में इसने बड़े पैमाने पर कार्य किया था। सम्भवत: यह भी एक कारण हो सकता है कि इस छापे के समाचार को दबाया जा रहा है तथा वहां गए सम्बन्धित अधिकारियों पर राजनैतिक दबाव डाला जा रहा है क्योंकि वहां पर कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए हैं। तथ्यों को छिपाया जा रहा है। लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है और इस मामले के तथ्यों को बताने वाला वहां कोई नहीं है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इससे सम्बन्धित सभी तथ्यों का खुलासा करें। इस मामले में किसी भी प्रकार राजनैतिक हस्तक्षेप अथवा दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। यदि क्लेरियन जैसी कम्पनी के कार्यालय पर ऐसा छापा डाला गया है तो मेरे विचार से इस मामले को निश्चित रूप से प्रकाश में लाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक तथ्य की ओर मंत्री परिषद का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। यह तथ्य मोदी कारपेट्स लिमिटेड और रायबरेली, उत्तर प्रदेश में मोदी रबड लिमिटेड के प्रस्तावित विलय से सम्बन्धित हैं। इसमें सात सौ कर्मचारी नियुक्त हैं। वास्तव में स्वयं बी० आई० एफ० आर० ने पहले ही इसके विलय के लिए अपनी सहमति दे दी थी और उन्होंने स्वयं कल एक बैठक बुलाई थी। दुर्भाग्य से, वित्तीय संस्थाओं ने इसमें हस्तक्षेप किया और बताया कि कुछ भी नहीं किया जा सकता है। यह एक अत्यन्त रोचक स्थिति है।

अत: ए० आई० टी० यू० सी० यूनियन ने विशेषरूप से सरकार से पूछा है। वित्तीय संस्थाओं ने यह भी कहा है कि यदि कर्मचारी सहकारी समिति का गठन होता है, तो उस पर भी विचार किया जा सकता है, यदि उत्तर प्रदेश सरकार भारी ऋण राशि देती है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति से ऐसी कोई सम्भावना नहीं होगी। अत: वे चाहते हैं कि सरकार को इस मामले में अनिवार्यत: हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि बी० आई० एफ० आर० द्वारा साझेदारों में प्रचारित विलय योजना के मसौदे को स्वीकृति दी जाए और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो बधाएं उत्पन्न की जा रही हैं उनकी तुरन्त जांच की की जाये।

उन्होंने यह भी कहा है कि मोदी कारपेट्स लिमिटेड की स्थिति देश में तथा निर्यात बाजार में व्यवसायिक दृष्टि से अच्छी है और कर्मचारी कम्पनी के साथ सहयोग करेंगे। अतएव इन कर्मचारियों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

श्री जी० एम० सी० बालयोगी (अमलापुरम) : महोदय, राष्ट्रीय विद्युत ताप निगम के प्राधिकारियों ने आन्ध्र प्रदेश में काकीनाद कस्बे मे गैस पर आधारित एक परियोजना को स्थापना करने के लिए छोटे किसानों से लगभग 600 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की है। वे भूमि विकास और दूसरे बुनियादी क्रियाकलापों पर लगभग 6 करोड़ रुपये व्यय कर चुके है। वहां पर एन० टी० पी० सी० के कार्यालय के कार्मिक काम कर रहे हैं।

अब मुझे पता चला है कि एन० टी० पी० सी० कुछ नगण्य आधारों पर इस परियोजना स्थल को काकीनाद से किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के बारे में विचार कर रहा है। एक कारण यह है कि इस स्थल से लगभग 25 कि० मी० दूर कोरिंगा ग्राम में 15 वर्ष पूर्व एक मगरमच्छ अभयारण्य की स्थापना की गई थी जहां पर आजकल या तो मगरमच्छ अथवा अभयारण्य मौजूद है। भारत सरकार के पर्यावरण विभाग का यह मत है कि काकीनाद में परियोजना स्थापित करने से कोरिंग गांव में स्थित मगरमच्छ अभयारण्य को नुकसान पहुंचेगा।

महोदय, हमारा आपसे अनुरोध है कि इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि एन०टी०पी०सी० इस चरण पर इस परियोजना को काकीनाद से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर स्थापित करे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप पर्यावरण विभाग को परामर्श दें कि वह पर्यावरणीय स्वीकृति जैसे छोटे-मोटे कारण के लिए आपत्ति नहीं उठाएं। अन्यथा कुछ स्वैच्छिक संगठन और पूर्वी गोदावरी जिले की जनता आन्दोलन शुरू कर देगी।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि दिल्ली में उचित सैट-अप न होने के कारण एक के बाद एक स्टैप-मदरली ट्रीटमैंट दिल्ली के साथ हो रहा है। इसका उदाहरण दिल्ली का बजट है, जिसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा, क्योंकि यह एक उदाहरण है। इस सम्बन्ध में मैं आपको तीन उदाहरण देना चाहता हूं। एक तो यह कि दिल्ली की आज जनसंख्या 94 लाख है और 24 लाख राशन कार्ड हैं। इस हिसाब से दिल्ली को दो लाख टन मासिक गेहूं चाहिए; लेकिन उसके बदले उसको केवल 72 हजार टन ही दिया जा रहा है। दूसरे यह कि आज धर्मयुग में एलची साहब का स्टेटमेंट छपा है कि दिल्ली के अन्दर पानी का बहुत बड़ा संकट होने वाला है। यमुना नदी के दोनों किनारों पर दिल्ली बसी है। यह नियम है कि जिस प्रदेश से जो नदी आएगी, वह उसकी हिस्सेदार होगी, लेकिन दिल्ली के अन्दर कोई यमुना रिवर-अथारिटी नहीं है और उसका पानी पहले ही रोककर यू० पी० और हरियाणा को दिया जाता है तथा उसमें दिल्ली का कोई हिस्सा नहीं है। तीसरा उदाहरण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिल्ली आज अनुदान के मामले में सफर कर रहा है। दिल्ली में कारपोरेशन को 27 करोड़ रुपया होम मिनिस्ट्री ने अनुदान देना था, इस निमाही के अन्दर इस मार्च के महीने में कुछ ही दिन रह गए हैं, यह साल खत्म होने को है, लेकिन दो दिन पहले केवल नौ करोड़ रुपया दिया गया है और कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है। आज दिल्ली की हालत यह है कि दो लाख सीमेंट बैग चाहिए कारपोरेशन के पास, लेकिन कल सुबह उसके पास केवल 304 बोरी था। चूंकि यह महीना फाइनेंशियल ईअर का आखिरी महीना है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर निगम को और धन नहीं दिया जाए तो विकास के सारे काम रुक जाएंगे तथा पैसा लैप्स हो जाएगा। इसके साथ ही विकास के काम भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरा होम मिनिस्टर साहब से निवेदन है चूंकि ये सारे महकमें उन्हीं के विभाग के तहत हैं, मैंने जो चीजें कही है, उनके बारे में टाप-प्रायोरिटी देकर काम को करवायें, ताकि बजट का पैसा लैप्स न हो। जो दिल्ली के काम रुके हुए हैं; वे पूरे हो जाएंगे। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली के चुनाव जल्दी हों, ताकि दिल्ली

का कोई सैट-अप हो और दिल्ली के प्रति कोई एकाउन्टेबिल हो ।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : सारे दिल्ली के लोग बोलेंगे, आप भी वहीं फीलिंग्स एन्डोर्स करेंगे। आप एक-एक मिनट में अपनी बात कहिए।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रश्न उठाया गया है, वह बहुत ही गम्भीर है। पिछले दो सालों से दिल्ली का विकास रुका पड़ा है। हम दिल्ली के संसद सदस्य जिस डिपार्टमेंट से भी बात करते हैं, वे हमसे कहते हैं कि हमारे पास फण्ड नहीं है, सीमेंट नहीं है और बहुत सारी चीजें उपलब्ध नहीं हैं। दिल्ली केवल दिल्ली वासियों की नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है। यहां लगभग तीन लाख आदमी प्रति दिन दिल्ली में आता है और तीन लाख प्रतिवर्ष दिल्ली की आबादी बढ़ती है। पिछले साल जो एलोकेशन दिल्ली के लिए किया गया था, मंहगाई को देखते हुए और बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए, हम चाहते हैं कि यह एलोकेशन डयोढ़ा हो जाना चाहिए। मैं केन्द्रीय सरकार से भी कहूंगा, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में अगर अव्यवस्था होती है और विकास नहीं होता है तो उसमें केन्द्रीय सरकार की खुद की बदनामी है। यह केन्द्रीय सरकार के हित में है कि दिल्ली के विकास को बढ़ाया जाए। बाहर से लोग जो आते हैं, उनके मन में दिल्ली की छवि खराब होती है और उसकी चर्चा सारे देश में होती है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि दिल्ली की छवि को सुधारने के लिए अधिक एलोकेशन दिल्ली को दे।

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की जिस तरह से अवहेलना हो रही है, यह इसी से स्पष्ट है कि एक साल पहले जो दिल्ली का बजट पास किया गया था, उसका···

अध्यक्ष महोदय : बजट पर चर्चा तो आने वाली है।

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं···

अध्यक्ष महोदय : आप उस समय बोलेंगे, तो ज्यादा समय दे देंगे।

श्री कालका दास : जो दिल्ली का बजट पहले था, आज भी वही 920 करोड़ रुपये का है। जैसा कि बताया गया है, दिल्ली में तीन लाख लोग प्रतिवर्ष बढ़ते हैं और 12 5 प्रतिशत मंहगाई बढ़ी है, यह सरकार ने माना है। कीमतें बढ़ी हैं यह सरकार ने माना है, बजट तो उतना ही रखा गया है जिसके कारण से जो सोशल वेलफेयर हैं जिसके आधार पर दिल्ली के अनुसूचित जाति एवं जनजाति और पिछड़े लोगों के विकास के काम होते हैं उसको बढ़ाने की बजाए घटा दिया गया है। समस्याएं बढ़ रही हैं लेकिन समस्याओं का समाधान करने के लिए राशि घट रही है इसलिए दिल्ली के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है उसका विशेष कारण यह है कि पहले जब मेट्रोपोलिटन काउंसिल और कारपोरेशन थी तो वहां पर दिल्ली की समस्याओं के विषय में विचार-विमर्श किया जाता था; सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता था लेकिन अब वह तो नहीं हैं। दोनों इदारे नहीं हैं, दोनों सदन नहीं हैं, तो सारी की सारी दिल्ली का विकास सरकारी अधिकारियों के ऊपर है, सरकारी अधिकारियों की लगाम पकड़ने वाला कोई नहीं है और इस कारण से दिल्ली की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, दिल्ली का विकास रुक गया है और विशेषतया जो समाज कल्याण के काम हैं वे सारे रुके पड़े हैं।

पहले लोगों को विकास के कार्यों के लिए मशीनें दी जाती थीं लेकिन जब से मेट्रोपोलिटन काउंसिल टूटी है, भंग हुई है तब से किसी को भी एक मशीन नहीं मिली है, कोई विकास के

कार्य नहीं, अनुसूचित जाति को और ऊपर उठाने के लिए कोई योजना नहीं, तो यह जो राशि दिल्ली को कम की गई है यह दिल्ली वालों के साथ अन्याय है। जब तक दिल्ली को अधिक राशि नहीं दी जाएगी और जो राशि रोक ली गई है, जो 27 करोड़ में से केवल 9 करोड़ दी गई है, जो 27 करोड़ त्रिमासिक दी जानी थी वह केवल 9 करोड़ दी गई है। पहले ही राशि कम स्वीकार की गई फिर उसमें से भी कम दिया गया तो इस कारण से विकास रुक गया है। मेरा निवेदन है कि आपके माध्यम से सरकार वह राशि जल्दी से जल्दी दे ताकि दिल्ली के विकास के कार्य हो सकें।

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम (पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मेरा इतना ही निवेदन है कि आज तक दिल्ली के लगभग 25,000 बिडोस के लिए हम लोगों ने फार्म भेजे हैं लेकिन एक भी बिडो को एक भी रुपया नहीं दिया गया। जब बिडोस माताएं और बहनें वहां जाती हैं तो कारपोरेशन के लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसके अतिरिक्त बहुत से ठेकेदारों जिनके काम चल रहे थे क्योंकि यह सरकार इस प्रकार की है कि उनके पास कोई पैसा नहीं है तो वह बीच में ही अधूरे काम छोड़कर चले गये हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है कि दिल्ली के विकास के लिए जो राशि दी गई है वह बहुत कम है इसके अन्दर और बढ़ोतरी की जाए।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं जूट मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल से सम्बन्धित एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। एक महीने से भी अधिक समय से दो लाख से अधिक मजदूर हड़ताल पर हैं और उत्पादन की दृष्टि से हमें छः करोड़ रु० प्रतिदिन का घाटा हो रहा है। समझौता-वार्ता पिछले वर्ष समाप्त हो गई थी और कर्मचारियों की केन्द्रीय यूनियनें एक नये समझौते की मांग कर रही हैं। इस समय, जूट के निर्यात की स्थिति काफी मजबूत है और इसके मालिक काफी समृद्ध हो रहे हैं। निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। इस स्थिति में मालिकों को काफी लाभ हो रहा है परन्तु वे मजदूरों को 2200/- रु० न्यूनतम मजदूरी के रूप में देने से इन्कार कर रहे हैं जो कि कर्मचारियों की मांग है। पश्चिम बंगाल की सरकार मालिकों को समझौते के लिए कह रही है, परन्तु प्रबन्धन का अड़ियल रुख कर्मचारियों को हड़ताल जारी रखने को विवश कर रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय प्रधान मंत्री को लिखा था और उन्होंने मुझे बताया है कि वह कपड़ा मंत्री और श्रम मंत्री को आदेश दे रहे है कि वे इस मामले को अपने हाथों में लें और जूट मालिकों को अपना अड़ियल रवैया त्यागने के लिए कहें तथा समझौते के लिए उन पर जोर डालें ताकि हम भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें और कर्मचारियों के कष्ट भी कम हो सकें। मेरा प्रधान मंत्री, कपड़ा मंत्री और श्रम मंत्री से अनुरोध है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करके पश्चिम बंगाल सरकार की सहायता करें, ताकि कर्मचारियों और प्रबन्धन के मध्य सम्मानजनक समझौता किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सर्वविदित है कि अप्रत्यक्ष करों में आबकारी कर (एक्साइज ड्यूटी) अत्यन्त महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है। प्रायः इसके लागू करने की प्रणाली में कुछ सुधार करवाना व्यापक जनहित में अत्यावश्यक बन गया है। कपड़ों पर लागू किए जाने वाली एक्साइज ड्यूटी भी पुनरीक्षण की पात्र बन गई है।

एक तथ्य जो बार-बार प्रकाश में आया है, वह है कि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में देश के कुछ राज्यों

में अपेक्षाकृत एक्साइज ड्यूटी (कपड़ा कर) जमा होना तो दूर अपितु निर्धारित जमा धनराशि जमा होना भी असम्भव होता है। इन क्षेत्रों में कपड़े की निर्मित दरें दिन-प्रति-दिन बढ़ती हुई नजर आती हैं, लेकिन उत्पादन बनाम एक्साइज ड्यूटी की जमा राशि का मामला बिल्कुल उलझा हुआ और विपरीत नजर आता है। करों की बड़े पैमाने पर चोरी से सरकार को काफी नुक्सान पहुंचता है।

बात इतनी ही नहीं, एक्साइज न लगने के कारण वहां कर उत्पादित कपड़ा सस्ती दरों में उपलब्ध रहता है, जिसके जरिए मांग बढ़ती है। इसके विपरीत गुजरात जैसे राज्यों की स्थिति खराब है। गुजरात में कपड़े पर एक्साइज का पूरी तरह से पालन होता है। जो बात अपेक्षाकृत जमा के करीब-करीब एक्साइज ड्यूटी वसूल होने जैसा है, सिद्धा हो जाता है, किन्तु ईमानदारी से एक्साइज ड्यूटी का भुगतान करने वाले कपड़े का मूल्य अधिक होता है और बाजार में स्पर्धात्मक कीमतों से मुकाबला करना असम्भव होता है। यह स्थिति कई सालों से बनी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप गुजरात का कपड़ा उद्योग संकट में है। (व्यवधान) गुजरात के बाजार में कपड़ों के थान के थान पड़े हुए हैं। व्यापारी इतने परेशान हैं कि नया व्यापार करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका असर मिलों पर भी पड़ेगा और दिन-प्रतिदिन कपड़ा मिलें बन्द होती जाएंगी।

इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि कपड़े पर एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल समाप्त की जाए और इसके बदले रेयान पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाए। इससे गुजरात में कपड़ा उद्योग को काफी राहत मिलेगी। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस तरह के निर्देश शीघ्र जारी करे।

अध्यक्ष महोदय : अभी बजट आने वाला है उसमें इसकी चर्चा कर सकते हैं। बैठिए।

श्री रामनगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय आजकल अनुशासन की बहुत दिक्कत है, इसी संदर्भ में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं : संयोग से कपड़ा मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं, उनका ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं जहां से आता हूं, वहां पर 3 चीनी मिलें हैं जो कानपुर शुगर वर्क्स के नाम से जानी जाती हैं। इनका गाइडेंस ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन और कपड़ा मंत्रालय द्वारा होता है। कुछ दिन पहले ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के नये चेयरमैन** * का चुनाव हुआ, जो अवैधानिक था। उसकी रिपोर्ट हुई और मंत्रालय के विचाराधीन वह मामला है। इसी संदर्भ में तमाम कपड़ा मिलों में चोरियां हुईं, उनकी भी रिपोर्ट हुई है और इन्क्वायरी हो रही है। उसके बाद उन्होंने कानपुर शुगर वर्क्स पर कब्जा करने की कोशिश की और संचालक मण्डल के सदस्यों ने कपड़ा मंत्री जी को लिखकर भेजा कि उनसे मिलकर बात करना चाहते हैं, आप कानपुर शुगर वर्क्स को बचा लीजिए। मंत्री जी ने मिलने से इन्कार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि जबरदस्ती कब्जा करना चाहा, मजबूर होकर अदालत की शरण में गए। अदालत ने उनके खिलाफ फैसला किया, जिसे मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप समाचारपत्रों से उद्धृत नहीं कर सकते। इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी। आप समाचार पत्रों से उद्धृत नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामनगीना मिश्र : अदालत ने स्टे आर्डर दे दिया, लेकिन वे प्रभावशाली आई० पी० एस० आफिसर हैं और मंत्रालय में भी उनकी पहुंच है, वे पुलिस फोर्स लेकर ताला तोड़ कर अन्दर घुस गए।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमें कल तार से सूचना मिली है कि वहां के वरिष्ठ अधिकारियों को भी जबरदस्ती निकाल दिया गया है। इसके फलस्वरूप वहां के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। इसका परिणाम यह है कि चैक पर दस्तखत करने वाला कोई नहीं है। गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हो रहा है। चारों तरफ आक्रोश है। मंत्री जी वहां पर मौजूद हैं। मैंने पत्र लिखकर मंत्री जी को सूचित किया था। इस पर सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। यदि सरकार कानून का पालन नहीं करेगी तो आम लोगों पर इसका क्या असर होगा। कानपुर शुगर वर्क्स को बचा लीजिए।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में नाम सम्मिलित नहीं किये जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री रामलोना मिश्र : अगर सरकार कानून का पालन नहीं करेगी तो आम लोगों पर इसका क्या असर होगा। अगर गलत काम नहीं हो रहा है तो मंत्री महोदय कह दें, लेकिन यदि गलत काम हो रहा है तो शीघ्र कार्यवाही की जाए, यही मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, परसों इस सदन में श्री लाल कृष्ण आडवाणी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने जिनीवा में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकार समिति की बैठक होनी थी, उसमें भारत सरकार की क्या भूमिका रहेगी, तिब्बत के मानव-अधिकार मामले पर, यह सवाल छेड़ा था। मुझे यह बात सुनकर अध्यक्ष जी, बहुत परेशानी है कि कल भारत सरकार ने चीन और पाकिस्तान के प्रस्ताव पर उनके पक्ष में वोट दे दिया और मानव अधिकार के मामले पर इस देश को आज समूचे विश्व के सामने अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर किया। मुझे बहुत शर्म लग रही है अध्यक्ष जी, कि मानवाधिकार के प्रश्न पर भी अगर यह सरकार अपना सिर झुकाने के लिए इस देश को मजबूर करती है तो इससे बढ़कर शर्म की बात इस सरकार के लिए और दूसरी कोई नहीं हो सकती।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, मैंने उस दिन भी कहा था। मेरे मन में आशंका थी। यद्यपि मैं नहीं समझता था कि भारत सरकार इस सीमा तक जायेगी। इसलिए मैंने यह सुझाव दिया था कि अगर किसी कारण से, क्योंकि यहां पर हमको मानवाधिकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और राष्ट्र का हित इन दोनों को जोड़ने की जरूरत है, मैंने कहा किसी कारण से उनको लगता हो, उनको ऐडजस्टमेंट हो कि हमको राष्ट्र हित की दृष्टि से इस मामले में उधर साथ नहीं देना चाहिए। तो अधिक से अधिक मैंने कहा कि कम से कम इसमें तटस्थ रहना चाहिए। इससे आगे कुछ करना बहुत गलत होगा। अगर हमने इस प्रकार से तिब्बतियन कम्युनिटी, छोटी कम्युनिटी, भारत में जिनका हमने स्वागत किया, जब वे निर्वासित हो गए, आज उनके पक्ष में आज दुनिया के सारे लोकतंत्री राष्ट्र उसके समर्थन में मानवाधिकार के विषय को लेकर चीन से इतना अनुरोध कर रहे हैं कि आप मानवाधिकारों का सम्मान कीजिए और हम उसका समर्थन करने की बजाय तटस्थ भी नहीं रह सकते, उसका विरोध करते हैं, मैं समझता हूं कि वास्तव में यह शर्मनाक बात है। किसी भी राष्ट्र के न मानवाधिकार के हित में और न ही मैं यह मानता हूं कि यह राष्ट्र हित में है। हमारे राष्ट्र का भी इससे पोषण नहीं होता। हम चीन से अपने सम्बन्ध सुधारना चाहते हैं, लेकिन चीन से सम्बन्ध सुधारने के लिए पीछे झुककर और मानवाधिकारों के प्रस्ताव का विरोध करके मैं नहीं समझता कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह प्रश्न एक बार पहले भी उठाया गया था। हमें इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहिए। हम भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम हेतु उसे बधाई देते हैं। उस ओर के मेरे मित्रों को समझने में दो कठिनाइयां हैं; और वे इस बारे में भारत सरकार से भी सहमत हैं कि समूचे विश्व में साम्राज्यवाद समाप्त हो चुका है। यह एक बात है।

सोवियत संघ के विघटन के बाद, ऐसा सोचा जा रहा है कि साम्राज्यवादी नव-उपनिवेशवाद द्वारा विकासाधीन और विकासशील देशों का शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं। यह हमारे आज के परिदृश्य का हिस्सा नहीं है। एक समस्या यह है। जहां तक विशिष्ट तिब्बतियों का मामला है, जो कोई भी व्यक्ति तिब्बत के इतिहास को जानता है, वह यह जानता है कि तिब्बत में यदि कुछ हुआ है, तो वह है—वहां के धार्मिक कट्टर-पंथियों के शिकंजों से तिब्बत की जनता को स्वतंत्रता मिल गई। तिब्बत में ऐसा ही हुआ है।

जहां तक चीन की सरकार के वक्तव्य के बारे में हमें जानकारी है, वे कहते हैं कि सत्तान्तरण को छोड़कर वे कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। चीनी सरकार की ऐसी स्थिति है।

किसी देश में मानवीय अधिकारों के प्रश्न पर सही रुख क्या होना चाहिए? हमने आपके सम्मुख अपने इससे पहले के प्रस्तुतीकरण में बताया था कि इस देश के प्रधानमंत्री को भी यह कहना पड़ा था कि मानवीय अधिकारों और विकास-प्रक्रिया के प्रश्न को किसी देश के भीतर किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा सम्बद्ध नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में, यह एक कठोर चेतावनी है कि उत्तर-दक्षिणी का विभाजन बना हुआ है और किसी को भी इसे भूलना नहीं चाहिए।

मानवीय अधिकारों के नाम पर, हमें ज्ञात है कि कल ऐमिनिस्टि इंटरनेशनल है। कश्मीर में, पंजाब में, असम में मानव अधिकारों के बारे में हमारे विरोधी देशों द्वारा प्रश्न उठाया जा रहा है; और हमें डर है कि हमारी सरकार विदेशों से ऋण की आवश्यकता के दबाव के कारण किसी समय इन साम्राज्यवादियों के आगे झुक जायेगी। इसलिए, यह अच्छा होगा यदि थोड़े-से सही कदम उठा लिए जायें।

1.00 म० प०

हम भारत सरकार द्वारा उठाये गये ऐसे कदमों का केवल स्वागत करते हैं। और चौथे—हम विदेश मंत्रालय पर, यदि यह सरकार उस समय तक बनी रहती है, तो एक चर्चा करवाना चाहेंगे—हम जानते हैं कि विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि सोवियत संघ के विघटन से विकासाधीन राष्ट्र यदि भारत और चीन की नेतृत्व में अपनी स्थिति को मजबूत नहीं करते तो वे पश्चिम अथवा उत्तर, आप कुछ भी कह सकते हैं, के शोषण का शिकार होकर शक्तिहीन हो जाएंगे।

अतः, हम पुनः इस सभा में इस देश की जनता के सम्मुख यह घोषणा करते हैं कि हम भारत सरकार द्वारा चीन की स्थिति का समर्थन करने और न कि साम्राज्यवादी स्थिति का समर्थन करने के लिए उठाए गए कम-से-कम एक कठोर पत्र का स्वागत करते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, यह सरकार शायद ही कोई कदम उठाती है जिसमें हमें समर्थन करना सम्भव हो पाता है, उसमें से यह एक कदम है। मैं, यह कहना चाह रहा हूं कि हम कभी-कभी ऐसी गेंद मारते हैं जो उलटकर इस दीवार पर लग जाए। यह भी ऐसी एक गेंद है। हम ही

तिब्बत के नाम पर साम्राज्यवादियों को निमंत्रण दे रहे हैं ताकि हमारे देश को खंडित करने के लिए उनको मौका मिले जैसे—काश्मीर, पंजाब और नागालैंड के नाम पर·····(व्यवधान) मैं समझ रहा हूं कि जो साम्राज्यवादियों की जो चाल है उसमें हम न पड़े। भारत देश सन् 47 में खण्डित हो चुका है·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया है, खत्म कीजिए।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं खत्म कर रहा हूं। हम ऐसा मौका न दें। मैं समझता हूं कि समस्त देश और यह सदन इस काम के लिए इस सरकार का समर्थन करे। भारत और चीन मिलकर 125 विकासशील देशों को लेकर आगे बढ़ेंगे और बढ़ायेंगे और साम्राज्यवाद को दबने नहीं देंगे।·····(व्यवधान) अपनी ओर से·····(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे गये पत्रों को लेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हरेक को इस मुद्दे पर बोलने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बसुजी, अब आप मुझे अपना सहयोग दें।

1.02 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को अधिक कारगर बनाने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के दिनांक 20 नवम्बर, 1991 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(एक) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को अधिक कारगर बनाने के बारे, में श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के 20 नवम्बर, 1991 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1438/92]

चमड़ा निर्यात परिषद्, मद्रास का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा और भारतीय खनिज और धातु व्यापार लिमिटेड तथा वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) (एक) चमड़ा निर्यात परिषद्, मद्रास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चमड़ा निर्यात परिषद्, मद्रास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1439/92]

(3) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड तथा वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के बीच वर्ष 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1440/92]

बर्डस जूट एण्ड एक्सपोर्टस लिमिटेड, कलकत्ता तथा भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षाएं

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) बर्डस जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्डस जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1441/92]

(क) (एक) भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1442/92]

(ग) (एक) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1443/92]

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा मद्रास डॉक श्रम बोर्ड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (मत्स्य जलयानों के इंजीनियरों तथा इंजन ड्राइवरों की परीक्षा) संशोधन नियम, 1991 जो 24 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 481 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्य नौसेना में बावर्ची के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र) नियम, 1991 जो 28 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 709 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) वाणिज्य पोत परिवहन (अनाज ढुलाई) नियम, 1991 जो 5 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 714(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1444/92]

(2) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत जारी जल भूतल परिवहन मंत्रालय, लेखाकार (श्रेणी ख-अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1992 जो 8 फरवरी, 1992 के

[श्री जगदीश टाईटलर]

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 44 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1445/92]

(3) (एक) मद्रास डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) अउपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1446/92]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 711(अ) तथा सा० का० नि० 712(अ), जो 2 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बायो-कैमिकल्ज के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केन्द्र परिषद द्वारा आयातित उपभोज्य माल को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त तथा उपबंगी सीमा-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 715(अ) जो 3 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय की दर के बारे में तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 720(अ) तथा सा० का० नि० 721(अ), जो 5 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अधिसूचना में संलग्न सारिणी में विनिर्दिष्ट माल पर 10 प्रतिशत मूल सीमा-शुल्क तथा शून्य अतिरिक्त सीमा-शुल्क तथा 15 प्रतिशत अनुषंगी सीमा-शुल्क की दर विनिर्दिष्ट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 740(अ), जो 16 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कम्प्यूटर के छह विनिर्दिष्ट सहायक यंत्रों पर 100 प्रतिशत के हिसाब से और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975

की प्रथम अनुसूची के शीर्ष संख्या 84.71 के अन्तर्गत आने वाले सेवा माल के लिए 35 प्रतिशत के हिसाब से मूल सीमा-शुल्क निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा०का०नि० 741(अ), जो 16 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 30/88-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा०का०नि० 742(अ), जो 16 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय शर्तों के अधीन, मिट्टी हटाने की मशीन, फोर्क लिफ्ट ट्रकों और लोकोमोटिवों के लिए विद्युत पारेषण के लिए संघटकों पर 15 प्रतिशत के हिसाब से मूल सीमा-शुल्क निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा०का०नि० 743(अ), जो 16 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आयातित कोको बीन, साबुत या टूटी हुई, कच्ची या भंजित पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत के हिसाब से मूल सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा०का०नि० 744(अ), जो 16 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 नवम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या 278/82-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा०का०नि० 745(अ), जो 16 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अल्ट्रामरीन ब्लू को उस पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा०का०नि० 746(अ), जो 16 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय घास, पुआल, सरपत और नरकट से बनी चटाईयों को उन पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा०का०नि० 747(अ), जो 16 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 177/86-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा० का० नि० 756(अ) से सा० का० नि० 758(अ), जो 27 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय औद्योगिक फैट्टी अल्कोहल्स, शोधन से प्राप्त एसिड ऑयल तथा थर्मामीटर और पायरोमीटर, जो अन्य उपकरणों से न जुड़े हों पर मूल सीमा-शुल्क की प्रभावी दर

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

को उन्हीं दरों तक कायम रखना है जो 1 जनवरी, 1992 से पहले विद्यमान थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा०का०नि० 761(अ), जो 30 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 514/86-सी०शु० की वैधता अवधि 30 जून, 1992 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा०का०नि० 829(अ), जो 6 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 1 जनवरी, 1992 को वह दिन नियत किया गया है जिससे सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 में संशोधन को लागू किया जायेगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा०का०नि० 3(अ) तथा सा०का०नि० 4(अ), जो 2 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रक्षा मन्त्रालय के इंटीग्रेटेड गाइडिड मिसाइल विकास कार्यक्रम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित मशीनरी, उपस्करों, उपकरणों, संघटकों इत्यादि पर उस दशा में उन पर उद्ग्रहणीय मूल सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा-शुल्क की शून्य दर निर्धारित करना है जब उनका आयात उन इकाइयों द्वारा किया जाता हो जिन्हें किसी अधिकारी द्वारा अभिहित किया गया हो, जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय में कम से कम उप-सचिव के स्तर का अधिकारी हो, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा०का०नि० 5(अ), जो 2 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा क्रमश: 1 मार्च, 1979 तथा 30 जून, 1988 की अधिसूचना संख्या 45/79-सी०शु० तथा 213/88-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा०का०नि० 6(अ), जो 2 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 110/86-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा०का०नि० 7(अ), जो 2 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अगस्त, 1988 की अधिसूचना संख्या 228/88-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा०का०नि० 8 तथा सा०का०नि० 9(अ), जो 2 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय प्रशिक्षण प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले वायुयानों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्रियों और

संघटकों पर 10 प्रतिशत मूल सीमा-शुल्क की दर, शून्य अतिरिक्त सीमा शुल्क की दर तथा 15 प्रतिशत आनुषंगिक सीमाशुल्क की दर निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) सा० का० नि० 10(अ), जो 2 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 16/90-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस) सा० का० नि० 11(अ), जो 2 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या 24/91-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस) सा० का० नि० 12(अ), जो 2 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मई, 1990 की अधिसूचना संख्या 103/90 के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेईस) परियोजना आयात (संशोधन) विनियम, 1992, जो 7 जनवरी, 1992 को अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 33(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौबीस) सा० का० नि० 44(अ), जो 16 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 सितम्बर, 1984 की अधिसूचना संख्या 247/84-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पच्चीस) सा० का० नि० 48(अ), जो 16 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीस) सा० का० नि० 9(अ), जो 16 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किय गय है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्ताइस) सा० का० नि० 77(अ), जो 3 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा 21 जून, 1990 की अधिसूचना संख्या 203/90-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गय है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठाइस) सा० का० नि० 83(अ), जो 28 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में

[श्री राजेश्वर ठाकुर]

प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) सा० का० नि० 86(अ), जो 5 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जून, 1990 की अधिसूचना संख्या 203/90-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा० का० नि० 89 (अ), जो 7 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 4·/79-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1474/92]

भारतीय रिजर्व बैंक (नोट निर्गम) विनियम में संशोधन, 1935; जीवन बीमा निगम के कार्यकरण का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं समीक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन, और चंतन्य ग्रामीण बैंक, तेनाली और समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : मैं सभा निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक (नोट निर्गम) विनियम में संशोधन, 1935 जो 28 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1448/92]

(2) (एक) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1449/92]

(3) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यक्रम के बारे में

समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1450/92]

(4) निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) चैतन्य ग्रामीण बैंक, तेनाली का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1451/92]

(दो) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1452/92]

(तीन) फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक फर्रुखाबाद का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1453/92]

(चार) ब्रह्मज्योतिष गांधलिया बैंक, नलबाड़ी का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1454/92]

(पांच) रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रांची का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1455/92]

(छह) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1456/92]

(सात) सागर ग्रामीण बैंक, कलकत्ता का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1457/92]

(आठ) कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कानपुर का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1458/92]

(नौ) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पासीघाट का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1459/92]

[श्री बलबीर सिंह]

(दस) जयपुर नगर आंचलिक ग्रामीण बैंक जयपुर का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1460/92]

(ग्यारह) रूशिकुलया ग्राम्य बैंक, बेरहमपुर का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1461/92]

(बारह) सुबानसिरी गांवलिया बैंक, बेरहमपुर का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1462/92]

(तेरह) बालासोर ग्राम्य बैंक, बालासोर का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1463/92]

(चौदह) कटक ग्राम्य बैंक, कटक का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1464/92]

(पन्द्रह) बर्दमान ग्रामीण बैंक, बर्दमान का वर्ष 1990-01 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1465/92]

(सोलह) मगध ग्रामीण बैंक, गया का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1466/92]

(सत्रह) जम्मू ग्रामीण बैंक, जम्मू का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० —1467/92]

(अठारह) कछार ग्रामीण बैंक, सिल्चर का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1468/92]

(उन्नीस) काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1469/92]

(बीस) कामराज ग्रामीण बैंक, सोपोर का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एस० टी०—1470/92]

सिंगरेनी कोलीरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडेम और कोल इण्डिया लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा और उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) सिंगरेनी कोलीरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडेम के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलीरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडेम का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एस० टी०—1471/92]

(ख) (एक) कोल इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता तथा इसकी सहायक कम्पनियों के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता तथा इसकी सहायक कम्पनियों का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एस० टी०—1472/92]

1.03½ म० प०

प्राक्कलन समिति

छठा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : मैं वित्त मन्त्रालय राजस्व विभाग प्रवर्तन निदेशालय सम्बन्धी प्राक्कलन समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे संबंधित समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

1.04 प्र० प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि 9 मार्च, 1992 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा :

(i) आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार ।

(ii) 1992-93 के लिए सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा ।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, एक समाचार अखबारों में आया है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको विषय के नाम बताने हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा : भारत और नेपाल के विषय में बता रहा हूं । हिमालय से बहने वाली नदियां-कोसी, कमला, बागमती, गण्डक और करनाली पंचेश्वर की बहुद्देशीय परियोजनाओं का मामला इस सरकार की नासमझी के कारण लटका हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको विषय के टाइटल पर बोलना है नहीं तो हमको मुश्किल हो जाती है ।

श्री भोगेन्द्र झा : पश्चिम कोसी नहर का 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है और थोड़ा बाकी है और कोसी बोर्ड कायम किया जाए··· (व्यवधान) मेरा आग्रह है कि इसको अगले सप्ताह के लिए रखा जाए ।

अध्यक्ष महोदय : आपको विषय के टाइटल पर बोलना है ।

[अनुवाद]

श्री जीवराजम पाणिग्रही (देवगढ़) : मैं निवेदन करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित को सम्मिलित कर लिया जाये ।

उड़ीसा में उत्पादित कोयले का स्तर निर्धारित करने के मामले पर पुन: विचार करने और इसके अनुरूप रायल्टी की दर संशोधित करने तथा राज्य के कोयला क्षेत्र के विकास के लिए कोयला रायल्टी का एक बड़ा हिस्सा —25% से कम नहीं—अलग रखने की आवश्यकता ।

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि निम्नलिखित को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये :

जबलपुर में भूमिगत जलनिकासी निर्माण के बारे में जिसके लिए केन्द्र सरकार के पास 77 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

[हिन्दी]

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : कृपया निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाये :—

1. उत्तर प्रदेश के पिछड़े पर्वतीय जनपद पौड़ी एवम् चमोली की दो "विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना" एवम् "धौलगंगा (गढ़वाल) जल विद्युत परियोजना" के लिए शीघ्र अपेक्षित धनराशि का आवंटन करें एवम् इन परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ करें।

2. पूरे देश में, विशेषत: उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ई० डी० कर्मचारियों की समस्याओं की ओर ध्यान देकर उन्हें उचित वेतनमान व सुविधायें दी जावें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करने का कष्ट करें :—

1. उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर के चांदपुर, जहाजपुर क्षेत्र के के करीब 10 प्राचीन ऐतिहासिक मन्दिरों की जीर्णशीर्ण स्थिति को देखते हुए भारत सरकार के पुरातत्व विभाग को इस राष्ट्रीय धरोहर की उचित देखभाल के लिए एक व्यापक समयबद्ध कार्यनीति शीघ्र से शीघ्र तय करना चाहिए।

2. उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर के देवगढ़ आरक्षित जंगल जो कि 10 किलो मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाये और उसके पर्यटन की दृष्टि से विकास के लिए एक समग्र योजना बनाई जानी चाहिए।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करने के आदेश प्रदान कर कृतार्थ करें।

1. अजमेर जैसे बड़े नगर के दूरभाष की क्रोसबार प्रणाली को अविलंब इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज प्रणाली मे बदलने की आवश्यकता।

2. अजमेर में कार्यरत तीस हजार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विवाद निपटाने हेतु केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सी० ए० टी०) की स्थापना की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : मैं निवेदन करता हूं कि निम्नलिखित को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित कर लिया जाये :—

(i) महाराष्ट्र राज्य में अभाव की परिस्थितियां एवं जून, 1992 तक के व्यय के लिए 210 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त सहायता।

(ii) मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि केन्द्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान को नागपुर से स्थानांतरित न किया जाये।

[हिन्दी]

श्री सन्तोष गंगवार (बरेली) : कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न प्रस्ताव जोड़े जाने हेतु कृपा करें :—

1. बरेली में दस हजार लाइन का टेलीफोन एक्सचेंज लगाये जाने हेतु मा० संचार मंत्री द्वारा घोषणा की जाये।

[श्री सन्तोष गंगवार]

2. बरेली को वायुदूत सेवा से जोड़े जाने हेतु आवश्यक निर्देश किये जायें।

[अनुवाद]

श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

1. आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान उड़ीसा में दूरदर्शन के द्वितीय केन्द्र लगाने की आवश्यकता।

2. उड़ीसा में तलचर में कोयला खान के उर्वरक संयंत्र के नवीनीकरण के लिए राशि देने की आवश्यकता।

1.08 म० प०

नागरिकता (संशोधन) विधेयक*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : मैं श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से, प्रस्ताव करता हूं कि नागरिकता अधिनियम 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम० एम० जैकब : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : 2.10 म० प० पर पुन: समवेत होने के लिए सभा स्थगित होती है।

1.09 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

---

*दिनांक 6-3-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

2.16 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.16 म० प० पर पुनः समवेत हुई।
[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुई]

[हिन्दी]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आये धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा के लिये, प्रो० प्रेम धूमल अपना भाषण जारी रखेंगे।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने अपनी चर्चा के दौरान कहा था कि राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जो इस देश में राष्ट्रीय सहमति की बात तो करते हैं परन्तु राष्ट्रीय सहमति के लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये। आज हमारे राष्ट्र के सामने एक ज्वलंत समस्या बेरोजगारी की है, अनएम्पलायमेंट की है। इस पर हर दल सहमत है। बड़े अजीब आंकड़े सामने आते हैं, जब हम देखते हैं कि हर पंच वर्षीय योजना के बाद इस देश में बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होती गई। पहली योजना के अन्त में 7 लाख 50 हजार लोग बेरोजगार थे। दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त में यह संख्या बढ़ कर 10 लाख 56 हजार हो गई। तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त में 20 लाख 47 हजार लोग बेरोजगार हो गये। चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त में उनकी संख्या बढ़कर 80 लाख 15 हजार हो गयी। पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त में वह संख्या बढ़कर एक करोड़ 30 लाख 4 हजार हो गई। छठी पंच वर्षीय योजना के अन्त में यह आंकड़ा 2 करोड़ की फीगर को भी क्रास कर गया और 2 करोड़ 30 लाख 91 हजार लोग बेरोजगारों की श्रेणी में आ गये। सातवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त में, इस देश में 3 करोड़ 40 लाख 63 हजार लोग बेरोजगार हो गये।

इस तरह आप देखें कि हर पंच वर्षीय योजना के अन्त में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती गई और इसने एक ज्वलंत समस्या का रूप धारण कर लिया। आप राष्ट्रीय सहमति चाहते हो, राष्ट्रीय सहमति से सरकार चलाना चाहते हो तो हर दल आपसे मांग करता है कि रोजगार के अधिकार को आप मौलिक अधिकार बनाईये। क्या सरकारी पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी ऐसा प्रावधान करने के लिये तैयार है। आपने तो रोजगार के लिये जो प्रावधान करने थे, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में उनका कोई जिक्र नहीं है।

इसके अलावा वित्त मंत्री जो ने सदन में जो इस वर्ष का बजट रखा है, उसमे बाहर से आने वाले माल पर तो आयात-कर कम कर दिया है, शुल्क कम कर दिया है लेकिन इस देश मे जो छोटे उद्योगों में माल बनता है, उस पर बेसिक सैन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी पर सरचार्ज का प्रतिशत बढ़ा दिया। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि विश्व बैंक और इंटरनेशनल मौनेटरी फण्ड पर इतने ज्यादा निर्भर मत होईये बल्कि स्वदेशी और स्वावलम्बन की ओर ज्यादा ध्यान दीजिये। जब तक देश के लोग उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे, जब तक देश के लोग स्वयं देश पर आयी मुसीबत और समस्याओं का हल स्वयं नहीं निकालेंगे, तब तक कुछ नही होगा, बाहर से कुछ नहीं हो पायेगा। सहायता लेने से कर्जा बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा तो उसका ब्याज देने के लिये, आपको फिर कर्जा लेना पड़ेगा। इसलिये इस देश की मिट्टी में से, धरती में से, इस देश में से ही इस समस्या का हल आपको निकालना पड़ेगा जैसा एक शायर ने कहा है :

[प्रो० प्रेम चुमल]

मिट्टी जब तक अपना हक अदा न करे,
हवाओं की सिफारिशों से गुलाब खिलते नहीं।

इस देश में अगर कुछ करना चाहते हो, तो "स्वदेशी" और "स्वावलम्बन" की भावना को जगाओ और विदेशी ऋणों पर जो आप बहुत ज्यादा निर्भर करते जा रहे हो, उस पर निर्भरता को कम करिए। यदि आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय के इस अभिभाषण का सभी सदस्य समर्थन करें, तो मैंने जो संशोधन रोजगार के बारे में रखा है, उसको स्वीकार करिए। सहमति का अर्थ केवल मात्र यह नहीं है कि जो आप कहें, उसको दूसरे मान लें और जो दूसरे कहें और अच्छा सुझाव भी दें, उसको आप न मानें तो यह सहमति की बात हो नहीं सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई का दूसरा मुद्दा है जो भारत के जनमानस को साधारण नागरिक को बहुत पीड़ित कर रहा है। सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ समय में जब से यह सरकार यह आश्वासन देकर सत्ता में आई है कि हम 100 दिन के अन्दर महंगाई कम कर देंगे, तब से महंगाई कई गुना बढ़ गई है। सरकार के अपने आंकड़े है जिनके अनुसार फूड आर्टिकल्स में 42.9 प्रतिशत, खाद्यान्न में 38.6 प्रतिशत, वेजीटेबल्स में 57.8 प्रतिशत और आलू जैसी चीज, जो हर गरीब के काम आती है, उसमें 156.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिस प्याज पर आपने एक बार चुनाव जीता, वह प्याज भी अब 11.4 प्रतिशत महंगा हो गया है। आज गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है और वित्त मंत्री महोदय आई० एम० एफ० और वर्ल्ड बैंक का नाम लेकर, बाहर से सहायता का नाम लेकर, जो ख्वाब दिखा रहे हैं, उसके बारे में भी कहना चाहूंगा कि—

"दिखा रहा है वह ख्वाब महलों के
खरीदकर जो खिलौना भी दे नहीं सकता"

उपाध्यक्ष महोदय, आज साधारण नागरिक की जिंदगी के लिए जो जरूरी चीजें है-गेहूं, चावल और चीनी, वह तो आप, कम से कम, कम कीमत पर उपलब्ध करवाइए लेकिन आपने क्या किया, कीमतें कम करना तो एक तरफ रहा, आपने तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीजें मिलती थी, उनके रेट भी बढ़ा दिए। वे चीजें भी महंगी हो गई और कितने लोगों का इस प्रणाली के माध्यम से चीजें मिल पाती है, वह भी आपके आंकड़े भलीभांति बताते है और आपकी इस प्रणाली की पोल खोलते हैं। इसलिए मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि कृपया नीतियों में परिवर्तन लाइए और आम आदमी को राहत देने के लिए जरूरी चीजों के भाव कम कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा न हो कि जब घर में खाना नहीं होता है, तो कहावत है कि बच्चों की तसल्ली देने के लिए बच्चों की मां पतीला आग पर रखकर पानी को हिलाती है जिससे बच्चों को यह आभास मिले कि कुछ पक रहा है और भूख बच्चों का इससे तसल्ली मिलती रहती है। आज वही स्थिति आ गई है, हमारे देश में अन्न की कमी है और आप अन्न बाहर निर्यात कर रहे हैं। इसमें पार्टी की बात नहीं है, आपने विदेशों को सस्ता गेहूं निर्यात किया और आप महंगा गेहूं आयात कर रहे हैं। जब ऐसा होगा, तो फिर कीमतें कैसे नीचे आएंगी ? इस पर विचार करिए। (व्यवधान) आपको भी मौका मिलेगा। जब आप बोलें, तब आप अपनी बात कहिए।

श्री अयूब खां (झुंझुनू) : एकता यात्रा के लिए पैसे कहां से आया ?

प्रो० प्रेम चुमल : मैं एकता यात्रा पर ही आ रहा हूं। आपने बीच में बोलकर मुझे पहले

एकता यात्रा पर बोलने के लिए प्रेरित किया है।

"एकता यात्रा" से हमारे सैकुलर भाइयों को बड़ी तकलीफ हो रही है। इन भाइयों को तब कोई कष्ट नहीं होता था जब 14 अगस्त को श्रीनगर में लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था? यदि 26 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहां झंडा लहरा दिया; तो आपको कष्ट हो रहा है और कह रहे हैं कि क्यों झंडा लहराया? हमने गुनाह कर दिया? हिन्दुस्तान के एक भाग में हिन्दुस्तान का ही झंडा लहराकर हमने क्या गुनाह कर दिया? अरे जब 14 अगस्त को वहां पर पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था और तिरंगा झंडा जलाया जाता था, फाड़ा जाता था, तब आपको जरा सी तकलीफ नहीं हुई?

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने की बात आई, तो हमारे मित्र ने उस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया और कोई बात नहीं कही, सिर्फ एक ही बात कही कि राष्ट्रीय तिरंगा लहराने चले गए। जैसे जम्मू-कश्मीर समस्या जोशी जी की एकता यात्रा के साथ शुरू हुई हो और आज भी हमारे ये मित्र यही बात करते हैं जब कि एकता-यात्रा सफलता पूर्वक समाप्त हो चुकी है और जम्मू-कश्मीर की समस्या अभी तक बनी हुई है।

श्री अयूब खां : खर्चा कितना हुआ और आया कहां से?

प्रो० प्रेम चूमल : खर्चा जितना भी हुआ वह हमने अपनी जेब से किया है, आपसे कुछ नहीं लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लोगों को तो तकलीफ थी, देशद्रोहियों को, अलगाववादी ताकतों को तो तकलीफ थी और ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहा भी इस प्रकार है; ···(व्यवधान)

श्री अयूब खां : हवाई जहाज का पैसा भी नहीं मिला है।

प्रो० प्रेम चूमल : खां साहब, जब आपको बोलने का मौका मिले, तब आप अपनी बात कहिए। वैसे मैं आपको सुना दूं —

"माना कि तबाही में कुछ हाथ है दुश्मन का
कुछ चाल कयामत की आप भी तो चलते हैं।"

आपने भी मुक्ताचीनी की।···(व्यवधान) जो बात पाकिस्तान वाले कह रहे थे वह आप कह रहे हैं। बड़ी अजीब बात लगती है। सैकुलरिज्म की दुहाई देने वाले मित्र, चाहे इधर हों या उधर हों; शाही इमाम के पास तो जाकर सुबह-शाम हाजिरी लगवाते रहे तब कोई बुराई नहीं है, धर्म-निरपेक्ष हो।

जाम को पी ली सुबह तो तौबा कर ली
रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत भी न गई।

···(व्यवधान) सामाजिक न्याय के स्वयंभू नेता जो कल यहां पर भाषण करते रहे, सामाजिक न्याय की बात करने वाले चाहते हैं अस्पृश्यता खत्म हो, छुआछूत खत्म हो, समाज में खत्म हो पर राजनीति में चले। कल यहां भाषण किया कि हम इस सरकार को चलने नहीं देंगे, गिरा देंगे, सरकार को बदल डालेंगे। रात को ब्यान दिया कि हम बी० जे० पी० के साथ सरकार के खिलाफ वोट नहीं

[प्रो० प्रेम कुमल]

देंगे। यह कौन सी नीति है, इससे कैसे सरकार गिरती है? लोक सभा में सरकार के खिलाफ वोट देंगे तो सरकार गिरेगी। आप भाषण देंगे, हमें पता है उस समय वाक आउट करेंगे।...(व्यवधान)

एक बात स्पष्ट है कि जो बात नीतियों पर आधारित है उसपर आलोचना होती है। केवल मात्र कभी दो गालियां देने से बात नहीं बनेगी। राष्ट्र हित में हमारी पार्टी ने कुछ अमैंडमैंटस रखे हैं। उनको आप स्वीकार कीजिए। इधर-उधर की बात करके टालने की कोशिश मत कीजिए।

मैं कहना चाहूंगा कई बार हम दोहरा मापदंड अपनाते हैं। आज ही कुछ आंकड़े आए हैं। हमारे मंत्री महोदय घोषणा कर रहे थे, जब राष्ट्रीय पर्व चला कि कुछ कटौती करो, बचत करो। रोज एक-आध मंत्री का फोटो दूरदर्शन पर आता था। साथ में दस प्रतिशत तनख्वाह कटवा दी, किसी ने बेसिक में से दस प्रतिशत कटवा दी, किसी ने टोटल इमोलूमैंटस में से कटवा दी। वेतन के आधार पर जिन मंत्रियों ने दस प्रतिशत कटवा दी थी, आज मैं पढ़कर हैरान हो गया, उनके दौरे पर पचपन प्रतिशत खर्चा ज्यादा हो गया। दस प्रतिशत तनख्वाह कटवाई और पचपन प्रतिशत दौरे पर ज्यादा खर्च कर दिया। आप किसे धोखा देना चाहते हैं। क्या भारत की साधारण जनता यह नहीं समझती? उसके पास हम ये आंकड़े पहुंचाएंगे। साढ़े पांच करोड़ रुपये के लगभग जो रखा गया था कि इतना खर्चा दौरे पर होगा, उसकी साढ़े सात करोड़ होने की संभावना है।

राष्ट्रपति महोदय के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन उनकी ओर से अभिभाषण है, उनके सचिवालय का खर्चा भी बढ़ गया है। इसके विपरीत देखें, विरोधी दल के नेता जब कांग्रेस के थे तब 1990-91 में जो अनुमानित खर्चा था उससे 23 लाख रुपये ज्यादा खर्च हुए और जब विरोधी पक्ष के नेता हमारी पार्टी के बने तो अनुमानित खर्चे से 15 लाख रुपये कम खर्च हुए। ...(व्यवधान) जो ईंट और पत्थर की बात करते हैं वह जानते हैं कि उनके साथ क्या व्यवहार होता है। बात का यदि आप तर्क के आधार पर कोई जवाब दे सकते हैं तो दीजिए लेकिन इस सरकार की कथनी और करनी में जो अन्तर रहा है उसके आधार पर हम यह आशा नहीं करते कि आगे कुछ सुधार होगा। ...(व्यवधान) हमारे मित्र भाषण में कह रहे थे कि हमारी नीतियों को समर्थन मिला है। उन्होंने हाउस में क्लेम किया है। पंजाब के चुनाव में, बम्बई के चुनाव में बड़ा समर्थन मिला है। जो मिला है मैं उसपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। पंजाब में एक अच्छी प्रक्रिया शुरू हुई है लेकिन मतदाताओं से अपील करेंगे कि यदि गलत नीतियों के बावजूद वोट देते रहे तो फिर वह बात होगी:

सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा
इतना मत चाहो इसे वो बेवफा हो जाएगा।

यह कांग्रेस बेवफा हो जाएगी, इसे जरा कसकर रखिए: इस गलतफहमी में न रहें कि म्युनीसीपैलिटी के चुनाव जीत लिए तो लोगों का फतवा हाथ में आ गया। ऐसी स्थिति नहीं है।

इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी विरोधी पक्ष के मेरे मित्र और कांग्रेस के भी मित्र जो ठीक महसूस करते हैं, हमने जो संशोधन रखे हैं उसे स्वीकार करें अन्यथा हम धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करेंगे, उसके विरोध में मत देंगे।

[अनुवाद]

श्री आर० जोवरत्नम (अर्कोनिम)* : महोदय, संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

राष्ट्रपति के अभिभाषण का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सदन में प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा कि देश के सर्वोच्च पद के वर्तमान अधिष्ठाता एक स्वतन्त्रता सेनानी हैं जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ गिरफ्तारी दी थी। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान उन्होंने कई वर्ष जेल में बिताए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भी वह सार्वजनिक मुख्य धारा में रहे। उनकी दृढ़ धारणा है कि हमारे देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप बना रहना चाहिए। हाल के कुछ वर्षों में उन्होंने कतिपय संवैधानिक और राजनैतिक संकटों का लोकतांत्रिक समाधान किया है। हमें स्वतंत्र हुए 5 वर्ष हो गए। किन्तु अभी तक हमारा व्यवहार्य आर्थिक विकास नहीं हुआ है। जहां तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है काफी कुछ करने की आवश्यकता है।

हमारे महान नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने पंचायती राज कायम करने का प्रयत्न किया। जो कार्य अधूरा रह गया। उस पर पुनः विचार होना चाहिए और विधेयक पारित करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन पंचायती संस्थाओं के चुनाव शीघ्र हों। सिर्फ तभी हम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित कर पाएंगे।

बहुत से युवक बेरोजगार हैं। हमारे देश में बेरोजगारी एक विकट समस्या है, रोजगार सृजित करने के लिए आपको योजनाएं बनानी होंगी।

अनेक गांवों में अनेकानेक लोग निर्धनता में बिना मकान रह रहे हैं। ग्रामीण आवास योजनाएं बनानी चाहिए। ग्रामीण निर्धनों को समुचित आवास सुविधाएं मिलनी चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र आर्कोनिम में पेय जल समस्या स्थायी है। जहां तक पेय जल योजनाओं का सम्बन्ध है केन्द्र को राज्य सरकार की आवश्यकतानुसार पर्याप्त राशि आवंटित करनी चाहिए।

जैसे कि आजकल पंचायतें जवाहर रोजगार योजना पर निर्भर हैं। मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु को अधिक राशि दे ताकि जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से अधिक रोजगार उत्पन्न किए जा सकें। जिलाधीश की अध्यक्षता में नियंत्रण व्यवस्था के रूप में समितियां गठित की जानी चाहिए। संसद सदस्य और विधायकों को ऐसी समितियों में सम्मिलित करना चाहिए। तमिलनाडु में ऐसी समितियां नहीं हैं। वास्तव में अब सिर्फ उन्हीं लोगों को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार दिया जाता है जिनकी सिफारिश विधायक करते हैं। इस व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए।

हमारी भूमि पर एक नृशंस कार्य किया गया और श्री राजीव गांधी की हत्या की गई। इस हत्या में जो अपराधी शामिल थे उन्हें दण्ड देना चाहिए। हमें सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी आतंकवादी गतिविधियां समाप्त हों। हमें आतंकवाद को देश से समाप्त करना होगा।

जिस स्थान पर श्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी उस स्थान को एक स्मारक बना देना चाहिए। केन्द्र को राज्य सरकार से विचार-विमर्श करके वहां श्री पेरम्बदूर में एक उचित स्मारक बनाना चाहिए।

भारत को श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की समस्या पर श्रीलंका सरकार से वार्ता करनी चाहिए। शरणार्थियों को शीघ्र वापस भेजना होगा। हमें उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी।

[श्री आर० जोवरत्नम]

अतः उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अपनी मातृभूमि पर पहुंचकर उनकी रक्षा के लिए हमें श्रीलंका सरकार से वार्ता करनी होगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं के सहयोग से मलेरिया के खतरे का सामना करना होगा। इस महामारी से युद्ध-स्तर पर निपटना होगा।

कई गांवों में स्वास्थ्य-चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं। प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण करना होगा और 5000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए। आर्थिक समस्या का समाधान करने के लिए खाद्य उत्पादन बढ़ाना होगा। (व्यवधान)

खाद्यान्नों के मूल्य कम करने के लिए यदि आवश्यकता हो तो खाद्यान्नों का आयात किया जा सकता है। अपने किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण देकर हम खाद्य उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ये उपकरण किसानों को मुफ्त देना चाहिए। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए पिछले वर्ष प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 15 सूत्री कार्यक्रम को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। अब यह कहा गया है कि जल्दी ही यह कार्यक्रम पुनः बनाया जाएगा। अल्पसंख्यकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार को इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रत्येक सदस्य को अपनी भाषा में बोलने का अधिकार है। वह तमिल में बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : यदि वह सिर्फ तमिल में ही बोल सकते हैं तो उन्हें किसी अन्य भाषा में बोलने के लिए किस प्रकार मजबूर किया जा सकता है। इस प्रकार के दृष्टिकोण से प्रांतीयता पैदा होगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपनी भाषा में बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दिलीप भाई संघानी (अमरेली) : उपाध्यक्ष महोदय,...** (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल एक मिनट लूंगा। वह एक वरिष्ठ मित्र हैं। हमें उन्हें कुछ समय देना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दिलीप भाई संघानी : ...**...

[अनुवाद]

श्री एम० आर० सावनूर अमावंनन (तिरुनेलवेली) : अगर आप समझने में असमर्थ हैं तो

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

कृपया शान्त रहिए। आपको उनके बोलने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री आर० जोवरत्नम : अगर, माननीय सदस्य को मेरे तमिल में बोलने पर आपत्ति है, तो मुझे भी उनके हिन्दी में बोलने पर आपत्ति हो सकती है। हम तमिल हैं। हम अपनी पार्टी के निर्वाचित सदस्य हैं। आपने मुझे तमिल में बोलने की अनुमति प्रदान की है। हमारा संविधान हमें तमिल में बोलने की अनुमति देता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि संसद सदस्य बनने के बाद हमें अपना भाषण पढ़कर नहीं देना चाहिए। हम उस भाग को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे उस भाषा में बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, जो भाषा वे जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हमें अपनी भाषा में बोलने की स्वतंत्रता है। मैं मलयालम में बोलूंगा। ऐसा करने का मुझे अधिकार है। हमें अपनी भाषा में बोलने का अधिकार है। उन्हें इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : वह इस प्रकार किसी को रोक नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री पीयूष तिरकी (अमरकंटकारस) : महोदय, मैं एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर० जोवरत्नम जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहते हैं। आप सब लोग कृपया अपने स्थान पर बैठिए। आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है ?

श्री पीयूष तिरकी : इस पक्ष के एक माननीय सदस्य ने दूसरे पक्ष के सदस्य के विरुद्ध कुछ टिप्पणी की है। उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। वे अध्यक्षपीठ पर आसीन नहीं हैं। संसद की कार्यवाही का संचालन आप कर रहे हैं। इसलिए किसी पक्ष के किसी सदस्य को भी दूसरे सदस्य का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। यही मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पहले ही कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है। इस सारे वृत्तांत को कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जा रहा है। दूसरे, संसद सदस्यों को उस भाषा में बोलने की स्वतंत्रता है, जो भाषा वे जानते हैं। भाषांतरण की व्यवस्था यहां उपलब्ध है। शायद उन्हें इस बात पर आपत्ति है कि हमें इस प्रकार भाषण को बीच-बीच में रुककर पढ़ना नहीं चाहिए। यही उनकी आपत्ति है।

श्री आर० जोवरत्नम : सभी सदस्य पढ़ते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया अपनी बात जारी रखिए। साथ-

साथ भाषांतरण की व्यवस्था यहां उपलब्ध है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जीवरत्नम कृपया एक मिनट दीजिए। हां, तो श्री धूमल जी।

प्रो० प्रेम धूमल : महोदय, मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहूंगा। आपत्ति उनके भाषण की भाषा पर नहीं थी, बल्कि उनके सारा भाषण पढ़ने पर थी। अगर आप समझते हैं कि यह उचित है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। किसी भाषा का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया, मुद्दे दूसरी ओर मत मोड़िए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अनावश्यक ही धैर्य मत खोइए। आखिर हममें दूसरों की बात सुनने का संयम होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री आर० जीवरत्नम : महोदय, मैं जानता हूं कि भा० ज० पा० ने आन्दोलन के दौरान कोई संघर्ष नहीं किया था। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, अपने भाषा के विषय से हटिए नहीं।

(व्यवधान)

श्री आर० जीवरत्नम : मैं जानता हूं कि आप लोग स्वतंत्रता नहीं देते। मैं डा० एम० पी० खारी को जानता हूं जो कि उस समय हिन्दू महासभा के नेता थे। (व्यवधान)

जहां तक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋण की अदायगी का सम्बन्ध है वर्तमान प्रणाली में बहुत-सी खामियां हैं। जो आई० आर० डी० पी० के ऋण के वितरण का तरीका आजकल अपनाया जा रहा है, उसे अब बदलने की आवश्यकता है। (व्यवधान) ऋण वितरण के इस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। लोक सभा के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जानी चाहिए। समिति में सांसदों और विधान सभा सदस्यों को भी शामिल करना चाहिए। इन चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके ही जरूरतमंद लोगों को ऋण दिया जाना चाहिए। जब स्व० एम० जी० रामचन्द्रन तमिलनाडु के मुख्य मंत्री थे तो उस समय यह प्रथा वहां चल रही थी। ऐसी प्रथा सभी राज्यों में अपनाई जानी चाहिए और उसी के अनुरूप केन्द्र को राज्यों की स्थिति में सुधार करना चाहिए।

*अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे प्रधान मंत्री महोदय श्री नरसिंह राव को कई देशों के नेताओं ने बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा है। वह आज एक जाने-माने नेता हैं। उनके साहस तथा उनकी सरकार को हृदय से समर्थन देना हमारा कर्तव्य है। श्री नरसिंह राव के नेतृत्व में हमें सुयोग्य प्रशासन व्यवस्था मिलेगी। पूरे विश्व के नेताओं की विशिष्ट मंडली में उनकी अनुभवी राजनेता के रूप में पहचान है। वर्तमान आर्थिक संकट से उबारने में वह हमें दिशा-निर्देश देने में समर्थ होंगे।

भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मेरे भाषण का विरोध कर रहे थे। वे कीमतों तथा अन्य मुद्दों पर इस सरकार को दोषी ठहराते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को यह स्पष्ट करना

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

चाहूंगा कि राष्ट्रीय हित की चिंता और राष्ट्रीय भावना केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है। राष्ट्रवादी तथा स्वतंत्रता सेनानी सभी दलों में हैं। वे केवल कांग्रेस में ही नहीं हैं। वे कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक तथा अन्य पार्टियों में है। जब राष्ट्र-हित में सरकार को धमकी मिले तो वे हमारे साथ हो सकते हैं। देशभक्ति किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं है। मैं यह भी कहूंगा कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्व स्थिति में स्वतंत्रता आंदोलन की विरोधी थी। मैं यह बात जोर देकर कहना चाहूंगा कि राष्ट्रवादी सभी पार्टियों में है। अब वे मूल्य-स्थिति पर बोल रहे हैं तो उन्होंने मांग की कि कीमतें कम होनी चाहिए। मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि सही दिशा में सही कदम उठा रहे है, नई आर्थिक नीति से कीमतों में कमी आई है। इसके अच्छे नतीजे हमारे सामने आने लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने और पुनर्निर्माण करने के लिए समर्पित हैं, हम कीमतों को भी नियंत्रित करने में समर्थ होंगे।

अत: मैं इस सम्माननीय सभा के सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि आज हमारे बीच दो महान वयोवृद्ध राजनेता विद्यमान हैं। एक हमारे राष्ट्रपति श्री आर० वेंकटरमन हैं और दूसरे हमारे प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव हैं। हमें आने वाले अनेक वर्षों में उनकी सेवाओं की जरूरत होगी। उनकी बुद्धिमत्ता को ध्यान में रखते हुए हमें समवेत रूप से विचार करना चाहिए। आने वाले और अनेक वर्षों के लिए हमें उनका दिशा-निर्देश मिलता रहना चाहिए। अत: मेरा सरकार एवं अपने महान् नेताओं से अनुरोध है कि वे एकजुट भारत के लिए एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था लाने हेतु अपनी वर्तमान नीतियों को बनाये रखें। देश की एकता और अखंडता उनकी सेवाएं लेने की हमारी आम सहमति पर निर्भर है। सरकार को जम्मू और कश्मीर में शीघ्र चुनाव करवाने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने हेतु आगे आना चाहिए।

इसके साथ ही, मैं राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्तावों का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्धनन (तिरुनेलवेली) : उपाध्यक्ष महोदय, अपनी पार्टी अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की ओर से मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने पर मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हम राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करते है। सारे देश ने राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अभिभाषण को समझा है। आखिरकार प्रत्येक भारतीय चाहे वह तमिलनाडु में रहता हो या कश्मीर में अथवा पश्चिम बंगाल में पंजाब के बारे में जानना चाहता है। एक प्रश्न पूछा जा रहा था कि क्या पंजाब में चुनाव होंगे या नहीं। यही बात प्रत्येक व्यक्ति, गांव अथवा शहर की चर्चा थी। आखिरकार पंजाब में चुनाव हुए।

श्री राजीव गांधी के निधन के पश्चात् राजनीतिक क्षेत्र में एकता-यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पार्टी कार्यक्रम बन गया है। लेकिन हर व्यक्ति दंग रह गया था कि एक रथ यात्रा एक सरकार के गिरने का कारण हो सकती है तो प्रधान मंत्री महोदय इस एकता-यात्रा से क्या लेना-देना। लेकिन यह प्रधान मंत्री महोदय की बुद्धिमत्ता थी कि उन्होंने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारतीय जनता पार्टी को जाने की अनुमति प्रदान की। अब लोग माननीय प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव के विवेक की प्रशंसा कर रहे हैं। एक यात्रा उनकी अपनी मित्र सरकार के गिरने का कारण बनी तो दूसरी यात्रा से पंजाब और मुम्बई नगरपालिका चुनाव में विजय दिलाकर सरकार को स्थिरता प्रदान की।

हालांकि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण का स्वागत कर रहे हैं, हम कुछ पैरे विशेषकर पैरा 14, जहां आपने आधारभूत क्षेत्रों जैसे कोयला, बिजली और सीमेंट सम्बन्धी क्षेत्रों में विकास के बारे में बात

[श्री एम० आर० कावन्मूर जनार्दनन]

की है, पर बोलना चाहते है। आपने इसके मूल्य पर कोयले, सीमेंट और स्टील की कीमतें बढ़ाई है। इस अभिभाषण में जो मुख्य कमी है वह यह है कि इसमे उद्योगो की पुरानी रुग्णता के बारे में वर्णन नहीं है। सरकार इसका मुकाबला किस प्रकार से करने जा रही है।

विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों में से एक बी० आई० एफ० आर० को शक्ति प्रदान करने के बारे में थी। यहां तक कि अक्तूबर, 1991 में "हिन्दुस्तान टाइम्स" में उन्होंने सम्पादकीय में लिखा कि बी० आई० एफ० आर० को शक्ति की जरूरत है। अतः, मैं अपने अनुभवी साथियों को यह बताना चाहूंगा कि बी० आई० एफ० आर० की शर्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ही नहीं रखी थी, बल्कि "हिन्दुस्तान टाइम्स" ने भी इसके बारे मे सम्पादकीय दिया। आप पूर्वोपाय के रूप में कौन-सी शक्तियां बी० आई० एफ० आर० को उद्योगों की रुग्णता को रोकने हेतु प्रदान करने जा रहे हैं, क्योंकि इलाज से परहेज बेहतर है।

कोयले के बारे मे मैं कहना चाहता हूं कि जब यह नई सरकार ने कपास, गेहूं का आयात किया है तो वे कोयले आयात क्यों नहीं कर सकते? तमिलनाडु मे कोयले के भंडार नहीं हैं। एम०जी०आर० के शासनकाल के दौरान राजीव गांधी की सरकार ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र तूतीकोरिन के ताप बिजलीघर के लिए एक लाख टन कोयला आयात करने की अनुमति दी। गुणवत्ता, मात्रा और मितव्ययिता की दृष्टि से यह अच्छा था। अतः सरकार को उन राज्यों को अनुमति देने पर विचार करना चाहिए, जिनके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है और जो उत्तरी भारत से कोयला आयात करने के लिए बहुत दूर स्थित है।

तमिलनाडु से सांसद होने के नाते मैं सत्ता पक्ष के सम्मुख अभिभाषण के पैरा 20 में राज्यों के पानी बंटवारे के विवाद की शब्दावली के बारे मे कहना चाहता हूं। इसमे कहा गया है कि किसी भी अन्तर्राज्यीय नदी के पानी के प्रयोग के सम्बन्ध में सभी विवादों को बातचीत के द्वारा निपटाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध मे, मुझे कहना है कि 18 वर्षों की बातचीत से कोई परिणाम नहीं निकले। समस्या से निपटने के लिए लम्बी बातचीत चली, लेकिन कोई विशेष उपलब्धि न होने के कारण उससे निराशा और तनाव उत्पन्न हो गए। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार वी० पी० सिंह की सरकार ने मामले को न्यायाधिकरण में भेजने की अनुमति दे दी और न्यायाधिकरण ने अवार्ड दिया है। इस कानूनी फैसले के बाद भी मामला लम्बित पड़ा है। लेकिन इन शब्दों से "जल तो बहता रहता है तथा वर्ष-प्रति-वर्ष और हर मौसम में इसकी मात्रा मे बदलाव होता रहता है।" तमिलनाडु के लोगों के दिमाग में संदेह उत्पन्न होता है। मुझे अचरज होता है कि उन्होंने ये शब्द क्यों जोड़े हैं। कावेरी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब जीवनदायनी नदियां है। वे वर्ष भर बहने वाली नदियां हैं। वे साधारण नदियां नही है इसलिए इस प्रकार के स्पष्टीकरण से तमिलनाडु के लोगों के दिमाग में सन्देह उत्पन्न हो गया है। इसलिए मुझे इस पैरा का यहां हवाला देना पड़ा है।

अब मैं वर्तमान सरकार की निर्यात-आयात नीति को लेता हूं। सरकार ने नवम्बर महीने में कपास की पांच लाख गांठो के निर्यात की अनुमति दी। इसके अनुसार पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात में कपास के मूल्य बढ़ गए। लेकिन, उन्होंने फरवरी महीने मे कपास के आयात की घोषणा की है। इस प्रकार वास्तव में इसका कुप्रभाव तमिलनाडु के उत्पादकों पर पड़ा। तीन महीने में नीति मे इस प्रकार की अस्थिरता पहले कभी नहीं हुई है। पहले यह जनता दल सरकार की गलती थी। श्री देवी लाल ने कपास की 12 लाख गांठों के निर्यात की अनुमति दी थी। हमने भारत के इतिहास

में कभी भी कपास की इतनी मात्रा के निर्यात की अनुमति नहीं दी। श्री राजीव गांधी ने कपास की दो लाख गांठों के निर्यात की नीति को अपनाया था। श्री राजीव गांधी की तरह इस सरकार को भी यही नीति अपनानी चाहिए थी। लेकिन आपने नवम्बर में कपास की पांच लाख गांठों के निर्यात की अनुमति दी है। आप पुन: फरवरी में इसके आयात की अनुमति दे रहे हैं। इस प्रकार इससे प्रभावित होने वाले लोग तो कपास के उत्पादक हैं। इससे उद्योग, उत्पादकों अथवा व्यापार, किसी को भी मदद नहीं मिलेगी। इस सरकार की अस्थिर निर्यात-आयात नीति से अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है। इसलिए, सरकार इस पर ध्यान दे और वे इस संसद को इसका जवाब दें।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या कपास की पांच लाख गांठों के निर्यात की घोषणा को कार्यान्वित कर दिया गया है। भारत ने वास्तव में कपास की कितनी लाख गांठों का निर्यात और आयात किया है? आप पाकिस्तान की कपास आयात करने जा रहे हैं; मैं जानता हूं कि श्री पवार महाराष्ट्र से हैं। यह मात्र 10,800 से० मी० । लेकिन इसके समतुल्य भारतीय कपास जे-34 है, जो 12,00 है। आप कौन सी नीति अपना रहे हैं? यह सब कुछ सर्कस की तरह ही लगता है।

अब आगे देखिए आप धागे के निर्यात पर रोक लगाना चाहते हैं लेकिन आप विदेशों से और अधिक धनराशि चाहते हैं। जापानी भारतीय भूमि पर कैसे धागे को चाहते हैं, वे आस्ट्रेलिया अथवा अफ्रीका में कते धागे को नहीं चाहते हैं। इस बारे में उनकी विशेष रुचि है और वे एम० सी०-5 जिस प्रकार के कपास धागे से बनी भारतीय कपास ही चाहते हैं। चाहे हमें गर्व हो या न हो, जापानी हमारी मिट्टी की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। जापानी हमारी उपजाऊ भूमि को जान गए हैं लेकिन हमने यह नहीं जाना है। यह खुशी और नाखुशी दोनों की बात है। (व्यवधान) यह श्री नरसिंह राव की बुद्धिमत्ता है। यात्रा की अनुमति देकर श्री नर सिंह राव की बुद्धिमत्ता सफल हुई है। (व्यवधान) यह श्री नरसिंह राव की राजनैतिक बुद्धिमत्ता है। (व्यवधान)

अब, आपने धागे के निर्यात को रोक दिया है। लेकिन क्या आप धागे के मूल्य में कमी कर सके हैं। आज धागे का मूल्य क्या है? यह दिसम्बर में कितना था? दिसम्बर में यह 15,000/- रुपये था लेकिन आज 17,000/- रुपये है, इससे किन को नुकसान हो रहा है। कपास उत्पादकों को नुकसान हो रहा है। इसलिए कपड़ा उद्योग से संबंधित नीति ठीक नहीं है। कपड़ा उद्योग के लोग बहुत असहाय हैं। ब्रिटिश सरकार ने वस्त्र आयोग बम्बई में रखा; ईस्ट इंडिया काटन कम्पनी बम्बई में है, आपको बम्बई में कपास के बाजार पर नियंत्रण रखना है, जहां तक पटसन का सम्बन्ध है इस पर पश्चिम बंगाल सरकार का नियन्त्रण है। इस प्रकार यह नीति बदली जाए।

मैं अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेता हूं। आपने कहा है कि आप इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। यह हमारे लोगों का आधार है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल और गेहूं के मूल्य बढ़ाना अच्छा नहीं है। हमारा देश गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला रहा है। मैं समझता हूं कि किसी अन्य देश में ऐसी योजनाएं नहीं चल रही। इस प्रकार, जब गरीबी उन्मूलन योजनाएं हमारी योजनाओं में हैं, तब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल और गेहूं के मूल्य बढ़ाना गलत है। अगर आप खुले बाजार में इसके मूल्य बढ़ाते हैं तब तो ठीक हो सकता है। लेकिन हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मूल्य कभी नहीं बढ़ाने चाहिए।

किसानों ने जो कुछ कहा है मैं उसे स्वरूप कराता हूं। उन्होंने कहा है कि वे उर्वरकों पर राज-सहायता नहीं चाहते। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि अन्यों की असक्षमता का दण्ड उन्हें नहीं मिलना चाहिए। अन्य देशों में उर्वरकों की लागत क्या है? भारत में इसका लागत मूल्य क्या है?

[श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन]

सार्वजनिक उद्यमों की असक्षमता और कुप्रबन्ध से उर्वरकों की लागत बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि वे राजसहायता नहीं चाहते। मैंने यह समाचार पत्र में देखा है। इसलिए हमें किसानों की इच्छाओं के अनुरूप उन्हें उर्वरकों का सही मूल्य देने में सक्षम होना चाहिए। निर्माताओं की असक्षमता उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बात यह होनी चाहिए। कपड़ा उद्योग से जुड़ा होने के कारण मैं यह जानता हूं कि कपास और सूत मुझे रोटी दे रहे हैं। वर्ष 1992 में सरकार की आयात व निर्यात नीति के कारण ही कपड़ा उद्योग भारी संकटों में फंसने जा रहा है। विगत वर्षों में कपड़ा उद्योग ने इतनी बुरी परिस्थितियों का सामना नहीं किया है। भाखड़ा-नांगल परियोजना के कारण पंजाब में प्रचुर मात्रा में कपास का उत्पादन होता है। पंजाब के लोगों के लिए यह नेहरू जी का योगदान था। वहां के लोग नेहरू जी को अब तक नहीं भूल पाए हैं। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है।

इस बात पर आते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजीव जी के शासन काल में, आर्थिक नीति के कारण कपास की केवल दो लाख गांठें ही निर्यात की गई थीं। कपास के निर्यात की घोषणा जनवरी अथवा फरवरी माह में ही कर दी जाती थी। उन्होंने कभी भी नवम्बर माह में ऐसी घोषणा नहीं की। अब आप कपास के निर्यात की घोषणा नवम्बर माह में कर रहे हैं। यह गलत नीति है।

आगे, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि हमारे इस लोकतन्त्रात्मक देश में, पूरे देश ने हमारे अनुभवी साथियों द्वारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का बहिष्कार होते हुए देखा है। उन्हें यहां सत्ता-रूढ़ दल के विरुद्ध आवाज उठाने, उनके विरुद्ध तर्क करने व चर्चा करने, बहस में भाग लेने के लिए भेजा गया है, न कि बहिष्कार करने के लिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का बहिष्कार करना एक लोकतन्त्रात्मक राष्ट्र के लिए बुद्धिमानी की बात नहीं है। लोग सोचते हैं कि राजनीतिक तौर पर यह अच्छा नहीं होगा। दुनिया की नजरों में भी यह अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का बहिष्कार नहीं करना चाहिए था। उन्हें यहां सभा में इस लिए भेजा गया है कि यदि सत्तारूढ़ दल कोई गलत कार्य करता है तो उसके कान खींचे जाएं।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि अपने अभिभाषण से पूर्व हमारे राष्ट्रपति जी ने दिसम्बर माह में यह घोषणा की थी कि देश में एक वर्ष हड़तालें व बंद आदि नहीं होने चाहिए मुझे उम्मीद थी कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह भी शामिल होगा। राष्ट्रपति जी ने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर सभी राजनैतिक दलों को इस बारे में बताया था। संगठित क्षेत्र में तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कामगारों का वेतन व उनका रोजगार सुरक्षित है। इसलिए इन लोगों को भी एक वर्ष तक हड़ताल और बंद न करने की दिशा में आगे आना चाहिए। एक वर्ष के बाद आप सत्तारूढ़ दल की कार्यकुशलता पर प्रश्न कर सकते हैं। यह उचित तरीका होगा। अब, इस सभा में, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से आ रहा हूं। यहां तक कि बांध वासी भी हैरान हैं कि सोने के भाव कैसे नीचे आ गये हैं। देश में प्रत्येक ने यह सोचा था कि सोने के भाव नीचे नहीं आएंगे। लेकिन अब यह नीचे आ गए हैं। डा० मन मोहन सिंह जी द्वारा पेश किए बजट पर सभी भारत वासियों को गर्व है। संसद कुछ भी कहे और प्रैस भी जो चाहे, लिखे, लेकिन लोग डा० मन मोहन सिंह जी की प्रशंसा कर रहे हैं।

अन्त में, मेरे-राज्य में तूतीकोरिन हवाई-अड्डा गत वर्ष सितम्बर माह से तैयार है। लेकिन आज तक भी वहां से उड़ान भरी जानी आरम्भ नहीं हुई है। कितना करोड़ रुपया वहां पर खर्च हो चुका है, लेकिन हवाई-अड्डे पर अभी तक काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। पैसा जाम कर दिया गया है।

यह सब व्यर्थ हो रहा है। इस सभा के माध्यम से मेरा यह अनुरोध है कि सम्बन्धित मंत्रालय इस पर ध्यान करे और यह सुनिश्चित करे कि तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर हवाई उड़ान जीघ्र अति शीघ्र प्रारम्भ हो जानी चाहिए।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के प्रति आदर रखते हुए, मुझे यह कहते हुए अत्यन्त खेद है कि मैं उनके अभिभाषण का समर्थन नहीं कर सकता। इतने शब्दों में इस अभिभाषण के जरिए केन्द्रीय सरकार ने इस बात का यथा संभव प्रयास किया है कि देश के राजनीतिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य तथा सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के उजले पक्ष का चित्रण किया जाए। लेकिन वास्तव में, ऐसा कुछ नहीं है स्थिति इतनी अच्छी नहीं है।

3.00 म० प०

हमारे देश के बेरोजगार युवाओं के लिए आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। देश में लगभग चार करोड़ बेरोजगार युवाओं के नाम पंजीकृत है। और लगभग आठ करोड़ अपंजीकृत युवा ऐसे हैं जोकि न केवल खेत में कार्य कर रहे हैं बल्कि कृषि-क्षेत्र में लगे हुए हैं। इन 12 करोड़ लोगों के लिए आशा की कोई किरण नहीं दीख रही है। और वे किस तरह से जीवन-यापन कर रहे हैं? मैं नहीं जानता, कि हमारे माननीय मंत्रीगण इस बात को जानते हैं कि ऐसे भी बहुतेरे युवा हैं जोकि रक्त बैंकों में अपना रक्त बेचने के लिए विवश हैं, ताकि वे अपनी रोटी का जुगाड़ कर सकें। यह हमारे देश की एक दुःखद स्थिति है और इस बजट में भी कोई आशा नहीं दिखाई पड़ी। श्री ठाकुर जी, जोकि यहां विद्यमान है, वे इस तथ्य को जानते हैं कि यह बात शीशे की तरह साफ है कि जो बजट, इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, इसे पहले अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के यहां तैयार किया गया था।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : चूंकि माननीय सदस्य ने मेरे नाम का उल्लेख किया है, मैं यह कहना चाहूंगा कि आदि से अन्त तक हमने ही इस बजट को तैयार किया है और यह आरोप पूर्णतया काल्पनिक और अनुचित है। (व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : आपने पहले इसे डंकल संहिता के दिशानिर्देशों में तैयार किया है और इस बात से आप इन्कार नहीं कर सकते। इसी कारण मैं यह कह सकता हूं कि यह साफ जाहिर है कि निकट भविष्य में इस देश के बेरोजगार युवाओं के लिए कोई अच्छे आसार नहीं है। इससे भी बढ़कर और भी बहुत से युवा लोग बेरोजगार हो जाएंगे जोकि कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था। यह तो हमारे देश की स्थिति है···(व्यवधान)··· मुद्रा स्फीति, कीमतों में वृद्धि और बेरोजगारी यह सभी और अधिक बढ़ जाएंगे। निर्धन लोगों को सर्वाधिक कष्ट झेलने पड़ेंगे। दूसरी तरफ बहुराष्ट्रीय कंपनियां अनिवासी भारतीय कालाबाजारिये और जमाखोर बहुत अधिक प्रसन्न होंगे राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पृष्ठ 14 में कहा है :

> "निस्संदेह, हम न केवल अपनी भोगौलिक स्थिति के बारे में सचेत है, बल्कि यह भी जानते हैं कि हमारी नियति एशिया के साथ जुड़ी हुई है···

हमारे रक्षा मंत्री जी यहां विद्यमान हैं। महोदय, आपके माध्यम से मैं पवार जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वे भारत की सीमाओं को जानते हैं अथवा नहीं। क्या उन्हें यह ज्ञात है कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक फैला हुआ है? क्या आप यह जानते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है···(व्यवधान)। कृपया समझने का प्रयत्न कीजिए।

[श्री अमर राय प्रधान]

महोदय, बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप स्थित है जिसे कि न्यू-मूर द्वीप कहते हैं । आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप इसके बारे में पूछताछ करें तो आप को पता चलेगा कि यह तीन बीघा की तरह कोई छोटा सा द्वीप नहीं है। इस द्वीप का क्षेत्रफल 2000 वर्ग किलोमीटर है, इस पर भारतीयों का नहीं बल्कि बंगलादेश के लोगों का कब्जा है। यह कोई नई बात नहीं है। 1950 में इस द्वीप का उद्भव हुआ। और तत्पश्चात वर्ष 1965 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच इस मामले पर चर्चा हुई थी; 1974 में इसी मामले पर इन्दिरा जी व मुजीब जी के बीच बात हुई थी और फिर 1982 में इसी मसले पर भारत तथा बंगलादेश के बीच पुनः विचार-विमर्श हुआ था।

इस समय निर्णय यह लिया गया था कि इसे 50:50 के आधार पर विभाजित किया जाएगा। दस्तावेज यहां विद्यमान हैं। यह कोई मेरे अपने दस्तावेज नहीं हैं। यह सरकारी समझौतों संबंधी दस्तावेज है। यह इंदिरा-मुजीब और इंदिरा-इर्शाद के बीच हुए समझौतों संबंधी दस्तावेज हैं। मैं कोई अपशब्द प्रयुक्त नहीं करना चाहता लेकिन मैं यह अनुभव करता हूं कि यह सरकार इन द्वीप-समूहों की कोई चिन्ता नहीं करती। यह हमारी अपनी भूमि है और भारत का अभिन्न अंग है। क्या उनके प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है? क्या वे भारतीय नागरिक नहीं हैं? आपने उनके लिए क्या किया है? इसी बीच जनता सरकार भी सत्ता में आयी थी। तब भी जो कुछ हुआ, उससे आप इन्कार नहीं कर सकते। जैसी स्थिति यहां है, भारत के कई अन्य भागों में भी इसी तरह की स्थिति है। बंगलादेश में हमारी भारतीय बस्तियों का क्या हुआ है? बंगलादेश में भारत की 126 बस्तियां है। यह कोई नई बात नहीं है। यह समस्या 1950 से वहां है जिस समय कूच-बिहार राज्य को भारत के साथ मिलाया गया था। अब इन 126 बस्तियों की वर्तमान स्थिति क्या है? 1951 के बाद वहां कोई जनगणना नहीं कराई गई। 1951 की जनगणना के अनुसार 31000 आबादी थी। यदि आप जनगणना संबंधी अभिलेखों को देखें तो आप स्वयं इसे देख सकते हैं। इसके बाद कोई जनगणना नहीं कराई गई। भारत की आबादी के वर्तमान जनगणना आंकड़ों के अनुसार यदि हम अनुपातत: गणना करें, तो इन बस्तियों में एक लाख के लगभग लोग रह रहे होंगे। किन्तु उनकी दशा क्या है? वहां कोई कानून और व्यवस्था तंत्र नहीं है; कोई पुलिस प्रशासन नहीं है। पवार जी, यहां तक कि आपके रक्षा कर्मचारी भी वहां नहीं हैं। कोई चुनाव नहीं होते। एसेम्बली और संसद के चुनावों का प्रश्न तो एक तरफ रहा, वहां पर तो पंचायत तक के चुनाव भी नहीं होते। क्या उन इलाकों में रहने वाले लोग आपके भारतीय नागरिक नहीं है? आपने उनके लिए क्या किया है? सिवाय बातों के और हुआ ही क्या है। 1958 में नेहरू-नून वार्ता हुई जिसमें निर्णय लिया गया था कि तमाम भारतीय बस्तियां वापिस मिल जाएंगी। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। 1974 में और 1982 में पुनः वार्ताएं हुई। प्रश्नकाल में भी यह मामला उठाया गया था। यहां बैठकर तो हम दक्षिणी अफ्रीका में मानवीय अधिकारों की बात करते हैं, तिब्बत में मानवीय अधिकारों और इसी तरह की व इससे भी बढ़ चढ़कर बात करते हैं। आज भी इस सदन में मानव अधिकारों का प्रश्न उठाया गया था। लेकिन आपने, हमारे अपने ही लोगों, बस्तियों में रह रहे उन भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या किया है? उन 126 बस्तियों में रह रहे एक लाख भारतीय नागरिकों के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा गया है। क्या आपने यह मामला संयुक्त राष्ट्र के साथ उठाया है? उस दिन भी जब एक प्रश्न उठाया गया था, माननीय मंत्रीजी श्री फैलीरो ने कहा था कि इन्टरनेशनल लॉ आफ सर्वीट्यूड के अनुसार हमें इस प्रयोजन हेतु बंगला देश की बस्तियों को दाहा ग्राम और अंगारपोटा में रास्ता देना पड़ेगा। तीन बीघा को पश्चिमारे के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। इसलिए, यह 999 वर्षों के शाश्वत पट्टे पर दिया गया। लेकिन हमारी भारतीय बस्तियों का क्या हुआ है। क्या आपने कोई एक भी शब्द कहा है और रास्ता मांगा है? क्या यह तुष्टीकरण की

नीति नहीं है ? हमें अपने पड़ोसी राज्यों के साथ भले ही बंगलादेश हो, नेपाल, भूटान, श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयास करने चाहिएं। यह हम मानते हैं, लेकिन ऐसा हमें अपनी संप्रभुता की कीमत पर कदापित नहीं करना चाहिए। परन्तु कार्यकरण का यह कौन सा तरीका है ?

महोदय, वे सदैव अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों की बात करते हैं। हमने तीन बीघा के बारे में प्रश्न उठाया है। वे कहते हैं कि भले ही यह उचित है या अनुचित, इसके बारे में बात न की जाए क्योंकि इसके बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों की कौन परवाह करता है ? मेरे पास इंदिरा-मुजीब के बीच हुए समझौते सम्बन्धी एक दस्तावेज है। इसकी एक प्रति मैंने ग्रंथालय से प्राप्त की है। इसमें लिखा है :

"बेकारी खाल : बेकारी खाल में सीमा का निर्धारण स्वीकृत आधारों व सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए जोकि पश्चिमी बंगाल के भूमि अभिलेख तथा सर्वेक्षण के निदेशकों तथा 1949 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के अनुसार होना चाहिए। सीमा, सुनिश्चित सीमा होगी।"

"हकल खाल : हकल खाल को इच्छहाटी नदी से दूर एक भौगोलिक अवस्था मानकर, सीमा का निर्धारण सितम्बर 1958 में हुए नेहरू-नून समझौते के अनुसार किया जाना चाहिए। किसी प्रकार से यह सीमा, एक सुनिश्चित सीमा हो जाएगी।"

इनसे यह स्पष्ट है कि कोई भी सरकार, यदि उनके देश के अनुकूल न हो, तो अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए तैयार नहीं होता। वे इसे लागू नहीं करना चाहते। इस प्रकार हम इस तुष्टीकरण की नीति के कारण हानि उठा रहे है और आप यह कह रहे है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। इन नीतियों में परिवर्तन किये जाने चाहिएं। मैं यह कहना चाहता हू कि तीन बीघा पार भी बहुत सी भूमि हमारी है। यह भाग भी भारत का अभिन्न अंग है। इसे कुचली बाड़ी ग्राम पंचायत कहा जाता है। इस भूमि पर 30,00 लोग रह रहे हैं। वे सभी भारतीय नागरिक है। यह 30 वर्ग मील भू-क्षेत्र है। यदि तीन बीघा गलियारा उन्हें दे दिया जाता है तो समूची ग्राम पंचायत पूर्णतया उजड़ जाएगी। आप यह समस्या क्यों पैदा कर रहे है ? जब आप एक लाख लोगों और 126 बस्तियों की समस्या का कोई हल नहीं ढूंढ सकते तो तब आप एक अन्य बस्ती क्यों बना रहे है ? क्या आप इस स्थिति का खुलासा कर सकते है ? कृपया बंगला देश को तीन बीघा पट्टे पर न दीजिए। बंगलादेश के साथ भारतीय बस्तियों का आदान-प्रदान ही इस समस्या का हल है।

इस प्रकार, आप इस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि यह सरकार राष्ट्रीय मोर्चे में और इसके साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय मोर्चे दोनों में असफल रही है।

इसलिए, मैं इसे समर्थन नहीं दे सकता।

श्री मारेश्वर साबे (औरंगाबाद): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा रखे गये धन्यवाद ज्ञापन का विरोध करता हूं।

इससे पूर्व कि मैं अभिभाषण में कहे गए मुद्दों पर चर्चा करूं, मैं विशेष तौर से यह कहना चाहूंगा कि इस देश में व्याप्त दो बातों का पूरे अभिभाषण में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है और वे हैं :—

[श्री मोरेश्वर साबे]

(1) मूल्यवृद्धि की समस्या का समाधान तथा

(2) बेरोजगारी की समस्या का समाधान।

सब से पहले मैं उस संशोधन के बारे में कहना चाहूंगा जिसका कि मैंने प्रस्ताव किया है जोकि संशोधन संख्या 496 से 511 है।

मैं महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के बीच सीमा विवाद के बारे में कुछ संकेत करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि 1956 यानि जबसे इनका पुनर्गठन हुआ है, सीमा विवाद सम्बन्धी जटिल समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। विगत 35 वर्षों में बहुत से उपद्रव और आंदोलन हुए हैं और बहुत से लोग मारे गये हैं परन्तु दुर्भाग्यवश सीमा विवाद के बारे में, विशेष कर बेलगांव तथा भालकी क्षेत्रों के बारे में, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि इन संशोधनों को भी जोड़ा जाना चाहिए।

इसी प्रकार विदर्भ, महाराष्ट्र तथा कोंकण क्षेत्रों के लिए सांविधिक बोर्डों के गठन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है यद्यपि संविधान अनुच्छेद 371(2) के अन्तर्गत ऐसे सांविधिक बोर्डों के गठन के बारे में प्रावधान है। इसके बावजूद तथा विगत इतने वर्षों में सरकार द्वारा किये गये झूठे वायदों के बावजूद भी इन्होंने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाये हैं।

इस समय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा प्रदेशों में नक्सलवाद की समस्या विद्यमान है। मुझे यह बताया गया है कि सरकार को इस आशय की पहले से ही जानकारी करा दी गई है कि नक्सलवादी दंडकारण्य के नाम से एक अलग मध्यवर्ती राज्य की मांग कर रहे हैं--लेकिन इन सभी नक्सलवादी खतरों के बावजूद अभिभाषण में इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों का उल्लेख नहीं है।

इसके बाद मैं यह कहना चाहूंगा कि अभिभाषण में नेत्रहीनों तथा विकलांगों को रोजगार के अवसर प्रदान कराने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि इस संशोधन पर भी विचार किया जाना चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में, उठाये जाने वाले कदमों का भी उल्लेख नहीं किया गयाहै। मेरा यह सौभाग्य है कि माननीय मन्त्री महोदय भी यहां विद्यमान है। इसके बारे में भी बहुत सी चर्चा होती रही है। लेकिन इस सब के बावजूद, इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं। माननीय मन्त्री महोदय से मैं यह विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस बात को देखें कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यथोचित संशोधन होने चाहिएं।

जहां तक सिनेमा तथा होटल उद्योग का सम्बन्ध है, आप जानते हैं कि आज हम पर्यटन के विकास के बारे में बात कर रहे है। किन्तु वास्तव में, हम इस दिशा में जा नहीं रहे हैं। मैं यह सुझाव रखना चाहूंगा कि सिनेमा तथा होटल उद्योगों को एक ही "उद्योग" का करार दिया जाना चाहिए।

जहां तक पैट्रोलियम उत्पादों, तेल व प्राकृतिक गैस का सम्बन्ध है, सरकार उचित ढंग से कार्य नहीं कर रही है। हमारे सख्त परिश्रम से कमाई गई विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए, इनमें सुधार लाने के संबंध में भी अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

इस समय दूरदर्शन के हितों की रक्षा करना भी हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। वर्तमान समय में बी०बी०सी०, स्टार, टी०बी० और सी० एन० एन० के कारण दूरदर्शन में काफी हस्तक्षेप हो रहा है और इसके बावजूद भी इस दिशा में उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

जो गैस बम्बे-हाई में व्यर्थ जला दी जाती है, उसे प्रयोग में लाना भी एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि इस दिशा में भी कुछ उचित कदम उठाए जाने चाहिएं।

जहां तक फलों व सब्जियों के उत्पादन का सम्बन्ध है, वर्तमान समय में हमारा देश दूसरे और तीसरे स्थान पर आता है। लेकिन इस दिशा में भी मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार को फलों व सब्जियों के परिरक्षण तथा प्रसंस्करण के बारे में भी विचार करना चाहिए।

मैं यह अनुरोध करूंगा कि जहां तक पर्यटन का सम्बन्ध है, कोंकण का भी विकास किया जाना चाहिए।

अब मैं पंजाब चुनावों के बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पृष्ठ 2 पर आता हूं। पंजाब में हाल में हुए चुनावों का स्वागत है लेकिन मतदाताओं द्वारा बहुत कम संख्या में मत देने से निर्वाचित अथवा राज्य में स्थापित सरकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। यह कम मतदान राष्ट्रपति के इस आश्वासन से भी मेल नहीं खाता कि राज्य में इस सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद राज्य के सभी वर्गों की भागीदारी होगी।

1987 में कश्मीर के चुनावों में लोगों का बहुत कम भाग लेना ऐसा ही मुद्दा है।

अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा तीन और चार का उल्लेख करूंगा जो कि कश्मीर की समस्या से सम्बन्धित है। यह एक और कठिन समस्या है जो काफी समय से हमारे सम्मुख है। दुर्भाग्य से आज तक हमने इस समस्या के समाधान के लिए कुछ भी ठोस कार्य नहीं किया है बल्कि घिसी पिटी बातों और आहत मन के बारे में प्रिय उपदेशों पर जोर दिया है और विभिन्न सांस्कृतिक पहचान इत्यादि को सांत्वना देने की बात कही है। इस बार भी सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है जो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई दिशा की ओर संकेत करता हो।

अब मैं असम से सम्बन्धित राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा पांच का उल्लेख करता हूं। दोनों ही अवसरों पर अब सेना को बुलाकर उल्फा के खतरे का सामना करने के लिए तैनात किया गया तब उसने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया लेकिन हैरानी इस बात पर है कि अब सेना ने महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त कर लिए हैं तब ऐसे समय में प्रतिरोधी विद्रोह कार्यवाही को अचानक रोक दिया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि अब आगे से इस प्रकार के कार्य में राजनीतिक उद्देश्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

मैं अब अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 10 को लेता हूं। यह सच है कि मौजूदा सरकार को बहुत ही खराब अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है लेकिन इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ऐसा पूर्व शासनों के कुप्रबन्ध का ही परिणाम है जो कि मौजूदा सत्ताधारी पार्टी से ही संबंधित थे। सरकार निरन्तर सभी स्तरों पर कम व्यय करने पर जोर दिया है लेकिन स्वयं इस विषय में बहुत कम किया है। मन्त्रिमण्डल और सचिवालय ऐसे कार्यों से भर हुए हैं और गैर उत्पादक तथा दिखावा व्यय में कटौती केवल नोटिसों और भाषणों के मद बनकर रह गये हैं। वेतनों में नाम

[श्री मोरेश्वर सावे]

मात्र की कटौति जनता मे मजाक का पात्र बन गई है और जनता तो यह निश्चित रूप से चाहती है कि इस दिशा मे कुछ तेजी आए।

अब मैं पैरा 9 और एक्जिट नीति पर आता हूं। सरकार की अत्यधिक प्रचारित 'एक्जिट नीति' से जनता चिन्तित है, यद्यपि इस बारे में काफी कुछ कहा गया है और ऐसे निगमन की औपचारिकताओं को अन्तिम रूप देने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। यह खेद का विषय है कि छटनी किए जाने वाले लोगों के लिए कोई पक्की नीति नहीं बनाई गई है जबकि कल्याणकारी राज्य की तरफ से यह कदम लोगों के हित मे उठाने के लिए हम बंधे हुए है। जनता है कि सरकार उन गम्भीर प्रतिक्रियाओं के प्रति असावधान है जो इस व्यवहार से समाज मे उत्पन्न होगी जब एक लोगों के कल्याण पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना एक्जिट नीति को कार्यान्वित कर दिया जाएगा और लोगों को छंटनी हो जायेगी।

अब मैं अभिभाषण मे मूल्य वृद्धि से सम्बन्धित पैरा 12 को लेता हूं। सरकार ने मूल्यवृद्धि सम्बन्धी सांख्यिकी तथा आंकड़ों के संचालन में अत्यधिक सफलता प्राप्त की है लेकिन अत्यधिक मूल्य वृद्धि के बोझ को वहन करने में आम आदमी के लिए अधिक कार्यवाही नहीं हुई है। आम आदमी पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है और प्रबन्ध के नाम पर उसे त्याग करने के लिए कहने की भी एक सीमा है।

अन्त में मैं रक्षा पर बोलना चाहूंगा, हमारे योजनाकारों की निष्क्रियता इसी से झलकती है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा गया है। संभवत: सरकार निष्क्रिय है। हमारी बहादुर सेनाएं कम से कम यह तो अपेक्षा रखती हैं कि सरकार उनके लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करे जबकि इस सरकार की गलत नीतियों के कारण अन्तत: उन्हें परेशानी हुई और सरकार अपनी आन्तरिक समस्याओं के लिए हमेशा ही इन सेनाओं को बुलाती रहती है।

मैं इन शब्दों के साथ पुन: यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण और उनके धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हू, धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष जी, मझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सुनने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन उनके अभिभाषण को पढ़ने का मौका अवश्य मिला। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसी भी सरकार को तथाकथित उपलब्धियो और आगामी इरादों का आदर्श मसविदा होता है। अगर वही आदर्श मसविदा विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा तैयार किया जाये तो ऐसे मसविदे को सुनने का साहस शायद ही कोई जन-प्रतिनिधि आसानी से कर सकता था। यही कारण था कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का बहिष्कार करने का निर्णय जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चे ने किया। हमने इसी कारण अभिभाषण को नहीं सुना, उसका बहिष्कार किया। आज मैं उस अभिभाषण पर आये धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण किसी भी सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों का प्रतिबिम्ब होता है। देश का हर नागरिक चाहता था कि इस प्रतिबिम्ब म वह ऐसे भारत की छवि देखे जो स्वावलम्बन की ओर, आत्म-निर्भरता की ओर तथा आर्थिक आजादी की ओर जाने वाला हो, जिसमें

उस दिशा में कदम बढ़ रहे हों। लेकिन अभिभाषण को सुनने के बाद, देश का हर नागरिक निराशा के घोर अंधकार में डूब गया क्योंकि उसने देखा और यह समझा कि इस देश की सम्प्रभुता और इस देश की आर्थिक आजादी के ऊपर आई० एम० एफ० और विश्व बैंक एक अमरबेल बनकर छा गयी है। उस अमरबेल के नीचे इस देश की आर्थिक सम्प्रभुता जल्दी ही मुरझाने वाली है और कुछ ही दिनों बाद यह दम तोड़ देगी। यह देश कुछ ही दिनों में पूरी तरह से आर्थिक गुलामी के दरवाजे पर खड़ा हो जायेगा।

1991 का अभिभाषण भी हमने सुना था। उससे हमें उम्मीद बंधी थी, एक क्षीण सी आशा बंधी थी कि हम आर्थिक आजादी की ओर, स्वावलम्बन की ओर धीरे-धीरे जायेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश की तकदीर को कुछ उन लोगों के हाथ में सौंप दिया गया है; अन्तर्राष्ट्रीय साहूकारों के हाथों में सौंप दिया गया है, जो साहूकार धीरे-धीरे करके इस देश को अपना गुलाम बना लेंगे, धीरे-धीरे करके इसका खून चूस लेंगे।

आज पूरे कश्मीर से लेकर आसाम तक अलगाववाद की हवा बह रही है। मन को मोहने वाली कश्मीर घाटी बंदूक और गोलियों की आवाज से गूंज रही है। पहाड़ों की सफेदी पर निर्दोष लोगों के खून से लाली फैलती जा रही है। अपने ही देश में हमारे अपने लोग शरणार्थी बनकर इधर-उधर भटक रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तान पर दोषारोपण करके अभिभाषण में केवल यह कह देना कि कश्मीर के लोग अपने घरों में लौट जाएं और सम्मान के साथ रह लें, कहां तक न्यायसंगत है? कोई भी नागरिक अपना घर, अपना प्रदेश इसलिए छोड़कर अपने परिवार के साथ बाहर नहीं आता है कि इसमें उसको बड़ा सुख मिलता है। अपने परिवार की जान बचाने के लिए, अपने शहर, अपने लोगों को छोड़कर यहां विस्थापितों जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो जाने वाले लोगों के मन में जब तक विश्वास की भावना नहीं जागेगी, जब तक उनके लिए सुरक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं की जाएगी, जब तक उन्हें सम्मान उनके प्रदेश में वापिस नहीं भेजा जाएगा, तब तक उन्हें यह कह देना कि वे अपने घर लौट जाएं, यह भारी अन्याय है। कश्मीर के शरणार्थी जो आज अलग-अलग प्रदेशों में बसे हुए हैं, दिल्ली में भी भारी संख्या में बसे हुए हैं और दिल्ली में जब कल वे अपनी सहायता लेने के लिए तीस हजारी कोर्ट पर गए, तो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो क्या वे अपने देश के नागरिक नहीं हैं? इन विस्थापितों के लिए, इनके पुनर्वास के लिए क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है? क्या इन लोगों को यह महसूस हो जाने दिया जाना चाहिए कि यदि ये लोग कश्मीर के बाहर आएंगे, तो यह देश इनका स्वागत नहीं, इनकी सहायता भी नहीं कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे समय में विस्थापितों के मन में जो अविश्वास पैदा हुआ है, इसके बारे में सरकार को एक बार, एक स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए कि इनको किस समय भेजना है और उनके भेजने के लिए एक सुरक्षित वातावरण और एक विश्वास का वातावरण तैयार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे समय में जब-जब ये विस्थापित अपने परिवार और अपनी जान बचाने के लिए अपने पुनर्वास के लिए भटक रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी एकता यात्रा करती है और झंडा फहराने के नाम पर कश्मीर में राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त करना चाहती थी, तो मैं यह जानना चाहती हूं कि देश की निरीह और प्रताड़ित जनता क्या केवल इसलिए है कि जब वह परेशानी में हो, जब वह सहायता के लिए आपकी तरफ हाथ बढ़ा रही हो, तो ऐसे समय में उसकी ऐसी अवस्था के साथ खिलवाड़ करके राजनीतिक उपलब्धि के लिए कोई कार्य करना चाहिए क्या? आपकी इस एकता यात्रा से किसी को लाभ हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि कश्मीर में जो बिखरे हुए

[श्रीमती सरोज दुबे]

आतंकवादी थे वे एक हो गए। उनमें एकता की स्थापना अवश्य हो गई, लेकिन इस एकता यात्रा की प्रतिक्रियास्वरूप हमारे अल्पसंख्यकों के मन में एक अविश्वास भर गया है कि न जाने कब साम्प्रदायिकता का जनन इनके ऊपर सवार हो जाए और ये हिन्दुत्व का नारा देते हुए ये हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पर साम्प्रदायिकता और देश विरोध की हरकत करने की कलम को थोप दें और उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दें। इस तरह से कश्मीर की समस्या को आज 44 साल हो गए, उसको अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है।

उपाध्यक्ष महोदय : दो मिनट में समाप्त करिये।

श्रीमती सरोज दुबे : तो सरकार को इसके लिए कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए कि लोगों के मन में विश्वास पैदा हो और कश्मीर में निर्दोषों का जो वध हो रहा है उसको रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब में चुनाव कराकर सरकार अपनी पीठ को स्वयं थपथपा रही है। यदि खाना-पूर्ति ही करनी थी, तो पिछले समय पंजाब के चुनाव को स्थगित क्यों करा दिया गया था ? पंजाब में तमाम सुरक्षा बल और सैनिक सुरक्षा बल रखे गये, सेना की स्थापना की गई, लेकिन उसके बावजूद भी 100 से अधिक गांवों में वोट का न पड़ना, इस बात को जाहिर करता है कि चुनाव का माहौल उनके अनुकूल नहीं था।

सेना की बहाली के बाद भी केवल शहरी क्षेत्र के नौ प्रतिशत लोगों ने वोट डाले। उसके बाद लोकतांत्रिक परम्परा की रक्षा करने का दावा खोखला है। ग्यारह साल से सेना की छावनी बनी हुई है, पंजाब की शहरी जनता यदि जाकर वोट डाल भी आई तो इसमें तारीफ करने वाली बात नहीं है बल्कि जरूरत इस बात की है कि उनके बीच में एक विश्वास, सहयोग और सद्भावना की बात की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सोमवार को अपना भाषण जारी रख सकते हैं। आपको पांच मिनट और मिलेंगे।

— —

3.31 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

श्री पी० पी० कासिथापेरुमल (कुड्डालोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 4 मार्च, 1992 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 4 मार्च, 1992 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के

विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.32 अ० प०

जाति-संघर्ष को समाप्त करने के लिए कदम उठाने के बारे में संकल्प (—जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : जाति-संघर्ष को समाप्त करने के लिए कदम उठाने से सम्बन्धित डा० के० बी० आर० चौधरी के संकल्प पर आगे चर्चा शुरू करने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि इस संकल्प पर पहले ही 4 घंटे और एक मिनट लिए जा चुके हैं। इसलिए इस संकल्प पर चर्चा के लिए निर्धारित समय पहले ही समाप्त हो चुका है। गत अवसर पर माननीय कल्याण मंत्री श्री सीता राम केसरी ने संकल्प पर वाद-विवाद में हस्तक्षेप किया था। संकल्प को प्रस्तुत करने वाले डा० चौधरी अब वाद-विवाद का उत्तर देंगे। इस उद्देश्य हेतु हम 30 मिनट और चर्चा हेतु समय बढ़ा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि सभा इससे सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए अवधि 30 मिनट और बढ़ाई जाती है।

डा० के० बी० आर० चौधरी (राजामुन्दरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि अनेक माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है। मंत्री महोदय ने भी हमारे कुछ सुझावों पर अपने भाषण में विचार किया। मैं इस सम्बन्ध में दिए गए सुझावों की प्रशंसा करता हूं। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रत्येक प्रयास किए जाएं। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि दस-पंद्रह वर्षों के बाद जाति के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। इस दौरान दबी हुई और सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी श्रेणियों को अगले दस-पन्द्रह वर्षों तक और अधिकतम मदद दी जाए। हमारे समाज में कोई जाति नहीं होनी चाहिए।

मैं माननीय सभा से अनुरोध करता हूं कि कुछ लाभ प्रदान करके अन्तःजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने हेतु एक कानून बनाया जाए। जातियों के मध्य शत्रुता पूर्णतया समाप्त हो जाए। कुछ जातियों में अगर हम उन्हें उनकी जाति के नाम से बुलाएं तो वे हम पर झूठे आरोप लगाकर अभियोग चलाते हैं कि उन्हें उनकी जाति के कारण अपशब्द कहे गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक लोग इससे प्रभावित होते हैं। मैं माननीय सभा से अनुरोध करता हूं कि उप-पुलिस अधीक्षक अथवा सहायक पुलिस अधिक्षक के पद का अधिकारी यह पता लगाने के लिए ऐसे मामलों की जांच करे कि क्या यह प्रथम दृष्टि में मामला बनता है या नहीं। अगर प्रथम दृष्टि में मामला बनता है तो इसे दर्ज किया जाए और सम्बन्धित व्यक्तियों पर अभियोग चलाया जाए।

पहले, हम सब संगठित थे। कोई जाति प्रथा नहीं होती थी। जातियां व्यवसाय द्वारा निर्धारित होत थीं। जो लोग स्वर्णकार का काम करते थे, 'कामसालिस' कहलाते थे। इसी प्रकार बुनकरों को

[डा० के० वी० आर० चौधरी]

'चेनेतस' कहलाते थे। लुहार को 'काममारिस' कहते थे इत्यादि। लेकिन अब स्थिति यह है कि कुछ को पिछड़ा और कुछ को विकसित कहा जाता है। कुछ सुविधाएं दलितों को दी जा रही हैं। मैं सुझाव देता हूं कि 10-15 वर्षों तक उन्हें विकसित श्रेणी के लोगों के बराबर आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उसके बाद यह व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए।

पिछड़ी श्रेड़ियों में भी केवल कुछ लोगों को लाभ मिल रहा है। केवल अत्यधिक शिक्षित लोग ही अपनी ही जाति के अन्य लोगों के स्थान पर नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं।

45 वर्षों में हरिजनों में से केवल 15% लोग शिक्षित हो पाए हैं। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के बच्चे ही अपनी जाति के अन्य लोगों की कीमत पर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जहां तक सम्भव है इससे बचा जाना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रावधान से लाभ उठा चुके हैं उन्हें अपने परिवारों के लिए कोइ आरक्षण नहीं देना चाहिए।

अत: मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जहां तक सम्भव हो जाति प्रथा को समाप्त किया जाए।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० चौधरी, अन्तर्जातीय विवाह करने को बढ़ावा देने के लिए आपका क्या सुझाव है ? लड़के और लड़की की प्रोत्साहन स्वरूप क्या देना चाहिए ? यदि लड़की किसी लड़के से विवाह करती है तो क्या लड़की को लड़के के साथ चला जाना चाहिए और क्या लड़के को लड़की की जाति में शामिल कर लेना चाहिए ? आपके क्या सुझाव हैं ?

डा० के० वी० आर० चौधरी : मेरा सुझाव है कि 10-15 साल बाद जाति प्रथा नहीं रहनी चाहिए। 10- 5 साल बाद जाति के नाम पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि कुछ प्रोत्साहन देकर अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि एक परिवार के सदस्य को लाभ देने के बाद उसकी जाति के अन्य लोगों की कीमत पर एक ही परिवार के अन्य सदस्यों को लाभ नहीं देना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि जो लाभ हम जाति के आधार पर दे रहे हैं उन्हें अपराधिक प्रक्रिया संहिता से हटा देना चाहिए।

श्री याइमा सिंह गुजनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक मानक प्रक्रिया है। माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है। चूंकि डा० चौधरी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया इसलिए अब वह बोल रहे हैं। हमें प्रक्रिया का पालन करना है। अब निवेदन करने की कोई गुंजायश नहीं है। जब यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उस समय आपको बोलने का अवसर दिया गया था। मुझे नहीं मालूम कि आपने उस अवसर का लाभ उठाया या नहीं। आप डा० चौधरी से व्यक्तिगत तौर पर सुझाव दे सकते हैं।

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, वाद-विवाद होने के बाद और मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिए जाने के बाद सरकार की ओर से मैं माननीय सदस्य को संकल्प वापिस लेने का अनुरोध करता हूं।

डा० के० वी० आर० चौधरी : मैं अपना संकल्प वापस लेने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने की सभा की अनुमति है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

---

3 41 म० प०

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों सम्बन्धी (ट्रिप्स) आदि से सम्बन्धित प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बारे में संकल्प

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा सरकार से अपेक्षा करती है कि वह बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों से सम्बन्धित व्यापार (ट्रिप्स), विनिक्षान उपायों से सम्बन्धित व्यापार (ट्रिम्स) और सेवा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (गैट्स) के बारे में सरकार द्वारा प्राप्त सभी प्रस्तावों, जो पेटेंट विधियों और हमारे देश की आर्थिक प्रभुसत्ता का अतिलंघन करेंगे, को स्पष्ट रूप से अस्वीकृत करें।"

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य एक मिनट के लिए मेरी बात सुनें तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपको स्मरण होगा कि विगत शुक्रवार को—श्री शाहाबुद्दीन और अन्य सदस्य द्वारा सभा में उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में—मैंने एक वक्तव्य दिया था कि सरकार ने उन सभी वर्गों, बुद्धिजीवियों, न्यायविदों, अर्थशास्त्रियों, राजनीतिक दलों जिनसे विचार मांगे थे उनके विचारों को सुन लिया है और सरकार अपने उत्तर के अन्तिम चरण में है लेकिन ऐसा करने से पूर्व सरकार संसद के दोनों सदनों में इस पर पूरी चर्चा कराएगी और हम संसद सदस्यों द्वारा व्यक्त सभी विचारों पर गौर करेंगे। मैंने यह भी वादा किया है कि उरुग्वे वार्ता में शामिल होने के लिए हम लौटकर तब तक जेनेवा नहीं जाएंगे जब तक हमें माननीय सदस्यों के विचारों से अवगत होने का मौका नहीं मिल जाता।

आपको यह भी स्मरण होगा कि जब कई सदस्यों ने पूरक प्रश्न पूछना चाहा था तो अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि राजनीतिक दलों के कई नेता सहमत भी हो गए थे—कि चूंकि हम एक नोट (टिप्पणी) परिचालित करना चाहते हैं या एक वक्तव्य देना चाहते हैं जिसके आधार पर विस्तारपूर्वक चर्चा हो सके इसलिए किसी भी पूरक प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही अध्यक्ष महोदय को लिखा है कि वह कार्य मंत्रणा समिति को कहें कि वह चर्चा के लिए कोई उपयुक्त तिथि निर्धारित करे। मुझे बताया गया है कि इस माह के तीसरे या चौथे सप्ताह में कोई तिथि निर्धारित की जा रही है। उस समय तक हमारा नोट भी तैयार हो जाना चाहिए। हम उसे परिचालित कर देंगे। हम इस पर विस्तार से चर्चा कर सकेंगे। इस स्थिति में सरकार के नोट तैयार करने से पूर्व और उस पर विस्तृत चर्चा करने से पहले मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि इस स्थिति में उस प्रस्ताव पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है जो उनके प्रस्ताव के केवल तीन पहलुओं—टी० आर० आई० पी० एस०, टी० आर० आई० एम० एस० और जी० ए० टी० एस० के बारे में है। यदि माननीय सदस्य

[श्री पी० चिदम्बरम]

सहमत हों— मेरे विचार मे उनके दल के नेता उस दिन सहमत थे—चूंकि इस मुद्दे पर चर्चा की तिथि इस माह के तीसरे या चौथे सप्ताह के दौरान निश्चित की जा रही है तो इस स्थिति में इस प्रस्ताव पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, इस सम्बन्ध में आपका क्या मानना है।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री द्वारा किए गए वादे से मैं पूरी तरह अवगत हूं। लेकिन इस देश के भविष्य के बारे में गम्भीर वक्तव्य और कदम इस सरकार द्वारा उठाए गए हैं। अब विस्तृत चर्चा होगी—यदि ऐसा हुआ तो—और उससे पहले भी मुझे इस सभा से और इसके माध्यम से सरकार को कुछ कहना है। माननीय मंत्री जी ने जो कुछ भी कहा है वह संकल्प में निहित मांगो को पूरा नहीं करती है। इसलिए मैं चर्चा में भाग लेने से पीछे नहीं हट रहा हूं, मैं मात्र अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा हू।

अब मैं उन मुद्दों की चर्चा करने जा रहा हूं जिन्हें माननीय मंत्री ने सामने रखा है। सरकार की अभिव्यक्ति द्वन्द्वात्मक है और इससे स्थिति भ्रमपूर्ण हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कई व्यापारिक मामलो मे हमारी स्थिति संकटपूर्ण हो जाती है। जब वार्ता चल रही थी तो माननीय मंत्री ने एक वक्तव्य में कहा था कि ये अंकल प्रस्ताव पक्षपातपूर्ण है। बाद में माननीय मंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव के दो पहलू है- एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। यह एकमुस्त प्रस्ताव है जो एक-दूसरे से जुड़े हैं। यह एक उलझा हुआ दस्तावेज है जिसे अमरीकी वकीलों ने भारतीय बुद्धिजीवियों को मूर्ख बनाने के लिए बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से तैयार किया है।

अब मैं यह बताता हूं कि किस तरह माननीय मंत्री ने स्थिति को भ्रमपूर्ण बनाया है। दूसरे सदन में 3 मार्च को एक प्रश्न के उत्तर के दौरान माननीय ने कहा है :—

"फिर भी, कपड़ा उद्योग और कृषि के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव है उसमें यह क्षमता है कि वह भारत को अपने उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के योग्य बना सके।"

इससे बढ़कर और कुछ भी अधिक भ्रमात्मक और अहितकर नहीं हो सकता क्योंकि यह माननीय मंत्री के उत्तर में निहित है। हम कैसे दोनों के साथ परस्पर साथ स्थापित कर सकते है। माननीय मंत्री का कहना है कि यह हमारे अपने हितों के विरुद्ध है और वही मंत्री जी कभी यह कहते हैं कि इस प्रस्ताव के दो पहलू हैं, नकारात्मक एवं सकारात्मक।

जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह बहुत ही उलझा हुआ दस्तावेज है और अमरीकी विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये गए इस दस्तावेज को स्पष्ट करने के लिए हमें न्यायविदों, वैज्ञानिकों और आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवा लेनी होगी। अब कपड़ा उद्योग के बारे में जो माननीय मंत्री ने कहा है उस सम्बन्ध में मैं चर्चा करूंगा। इन बातों को समझने की काबिलियत उनमें है। कुछ लोगों द्वारा यह प्रयास किया गया है, उनके मंत्रालय के सचिवालय के लोगों द्वारा भी, कि हमारे अपने हितों की ओर से लोगों का ध्यान हटा दें और यह बात प्रेस के सामने आ गई। मैं उनके नाम का यह उल्लेख करने नहीं जा रहा हूं। आप जानते हैं कि हर भाग में प्रस्तावना खंड और अनुलग्नक है। मैं उन पर बारी-बारी से चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम मैं इसके कपड़ा उद्योग वाले भाग की चर्चा कर रहा हूं। उनमें

इतनी बुद्धि है कि वह इसके कुछ प्रभावों को समझ ही सकते हैं यदि पूरा न भी समझ सकें तो भी। यह इतना ही बहन और पेचीदा है जिसके लिए पूरी चर्चा कराने की आवश्यकता है। इससे पहले विशेषज्ञों की एक राष्ट्रीय आयोग होनी चाहिए जिसमें न्यायविदों, अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों को शामिल किया जाए ताकि वे इसकी गहराई से अध्ययन कर सारी बातों को स्पष्ट कर सकें और वे इस पर अपनी रिपोर्ट दे सकें।

श्री अन्वारासु इरा (मद्रास मध्य) : मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि आप इसे और पेचीदा न बनाएं।

श्री रूपचन्द पाल : मेरी बात सुनने के बाद आप भी आश्वस्त हो जाएंगे और मंत्री जी के विरुद्ध बोलेंगे। इस प्रस्ताव के सकारात्मक पक्ष को ढूंढने का प्रयास कौन कर रहे हैं।

यदि आप इसके खंड संख्या 03, 04 और 05 पर ध्यान दें तो उसमे कहा गया है—पहले वर्ष में 12 प्रतिशत रियायती क्षेत्र के तौर पर दिया जाएगा बाद, 17 प्रतिशत, फिर 18 प्रतिशत दिया जाएगा। लेकिन हर जगह एक बात कही गई है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया गया है। प्रवेश के पहले ही दिन प्रत्येक पक्ष बैंट (जी० ए० टी० टी०) उत्पाद के तहत आ जाएगा। तब महत्वपूर्ण मोड़ आता है। वर्ष 1990 में यह मांग की बजाय कुल आयात के 12 प्रतिशत से कम नहीं होगा। वर्ष 1990 और कुल आयात हर जगह दुहराई जाती है। यदि आप कई खंडों का तुलनात्मक विवेचन करें तो पाते हैं कुछ क्षेत्र वे छोड़ देंगे और अधिक से अधिक प्रतिबन्ध लागू कर देंगे और अधिकतम प्रतिबन्ध लागू करते हो जाएंगे। माननीय मंत्री ने 3 मार्च को अपने उत्तर में कहा कि कपड़ा उद्योग में हमें लाभ मिलेगा लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है।

3.53 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

पहले वर्ष, 4 प्रतिशत की छूट है। क्षेत्र 96 प्रतिशत पर हम देख रहे हैं कि प्रतिबंध बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरे वर्ष, यह केवल 85 प्रतिशत है। तीसरे वर्ष, यह 67 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। चौथे वर्ष मे यह 49 प्रतिशत होगी। बहुत अधिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। वर्ष 1990 में काफी कटौती की गई है। यह भी उसकी मात्रा के सम्बन्ध में की गई है। इसके पश्चात फिर प्रतिबंध बढ़ रहे हैं चूंकि नए क्षेत्र को छूट दी गई है। हमे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।

यहां पूरे प्रस्ताव में अनेक कमियां है। कपड़े के मामले में भी पांचवे वर्ष के बाद अन्ततोगत्वा आपको कोई लाभ नहीं होता। कुछ इस तरह से प्रतिबंध लगाए जायेंगे कि आपके कार्य संचालन का क्षेत्र बहुत ही सीमित होगा।

हम 'गेट' के संस्थापक करने वाले सदस्य है। हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के संस्थापक सदस्य हैं। वे पूछते हैं कि हमे कठोर शर्तों पर ऋण लेने मे क्या कठिनाई है। जैसा कि आप को याद होगा कि एक दिन इन संस्थाओं ने, इनमे से कुछ लोगों ने किस तरह से 'गेट' की व्याख्या की थी। उन्होंने इसको धनी आदमी का क्लब कहा था, जो कि दक्षिण के हित के विरुद्ध था। आज हमारे पास हमारे वित्त मंत्री के रूप मे बहुत ही जाने-माने अर्थशास्त्री है। जैसा कि आप जानते हैं, वे दक्षिण आयोग के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे। मेरे पास एक पुस्तक है न कि आयोग की रिपोर्ट-लेकिन एक पुस्तक, जिसकी प्रास्तावना जूलियस नेरेरे जैसे व्यक्ति ने लिखी है। उस समय महान

[श्री रूपचन्द्र पाल]

अर्थशास्त्री श्री मनमोहन सिंह सेक्रेटरी जनरल थे। उन्होंने कहा था कि :

"इस समय प्रवृत्ति दक्षिण के विरुद्ध है। अब हमें दक्षिण को एक होकर बचाना है।"

हम ऐसा कर सकते है । हम तीसरे विश्व के देशों में अपनी राय कायम करने में नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। 'गेट' में अब तीन नई चीजें सम्मिलित होने जा रही हैं---ट्रिप्स, ट्रिम्स तथा सर्विसिज। वे हमें अमरीका के इरादों के बारे में बताते हैं।

'डंकल' प्रस्ताव और कुछ नहीं बल्कि तीसरे विश्व के देशों में उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अमरीका के इरादों का क्रियान्वयन है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अमरीका द्वारा यह हल्लागुल्ला मचाए जाने के बावजूद कि ठाड़ी युद्ध के बाद विश्व मे वे एकमात्र महाशक्ति बन गया है वे भारी संकट मे हैं। ऐसा नहीं है यदि हम आने वाले चुनावों में अमरिकन लोगों की प्रतिक्रिया देखें। अमरीका में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, मन्दी तथा भिखारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यह सच है। आज उन्हें एक नये व्यापारी विश्व का सामना करना है।

एशिया के देश जापान के नेतृत्व में आगे आ रहे हैं।

यूरोपीय समुदाय एक हो कर विश्व व्यापार में अपना हिस्सा लेने के लिए आगे आ रहा है।

हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम 'गेट' के संस्थापकों में से एक है। लेकिन विश्व व्यापार में हमारा हिस्सा केवल 0.05 है, वह भी कम हो रहा है। विश्व व्यापार मे हमारे देश का हिस्सा केवल एक छोटा अंश है और वह भी अधिकतर हीरे और आभूषणों के रूप मे होता है। लेकिन हम बहुत बड़ी-बड़ी बातें कह रहे है और हम देखते है कि वे 'डंकल' प्रस्तावों मे सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पहलुओं को खोजने की कोशिश कर रहे है।

हमें नेतृत्व प्रदान करना चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से यह हमारी परम्परा रही है। हम तीसरे विश्व के देशों, स्वतंत्रता तथा मुक्ति संग्रामों में अपना नेतृत्व प्रदान करते रहे है तथा हमने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन मे भी अपना योगदान दिया है। क्या हम वह सब कुछ भूल गए है ?

जब यह धमकी दी गई कि "क्यूबा को चावल नहीं दो अन्यथा मैं आपको गेहूं नहीं दूंगा", हमारे प्रतिनिधि ने घुटने टेक दिए और उसकी आवाज बदल गई। यह हमारी परम्परा नहीं है। हम नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं।

ऐसा समझौता क्यों ? हमें अपने हितों तथा तीसरे विश्व के देशों के हितों को ध्यान में रख कर किसी भी चीज का चयन करने का अधिकार है।

यदि आप अब नेतृत्व प्रदान करते हैं तो अन्य लोग अनेक देश भी आगे आकर यह कहने का इन्तजार कर रहे हैं कि यह 'डंकल' प्रस्ताव नई 'विश्व व्यवस्था कायम करने के इरादों तथा अमरीका के लोगों तथा साम्राज्यवादियों के हितों को ध्यान मे रखकर बनाए गए हैं।

एक दिन कोई, शायद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, कह रहे थे कि हमारी प्रैस गुलाम है। कहानियां गढ़ना तथा गुलाम प्रैस को चलाना बहुत आसान है।

बजट के तत्काल बाद, क्या हुआ ? कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम से वित्त मंत्रालय के वक्तव्य

छपे, राष्ट्रीय दैनिकों में कहानियां गढ़ी गई और उन पर जोर डाला गया कि वे उसे बजट के पक्ष में प्रकाशित करें। यही चल रहा है। यह सब कुछ 'डंकल' प्रस्तावों के मामले में किया जा रहा है तथा मंत्रियों सहित प्रतिष्ठित तथा लोकप्रिय व्यक्ति बेतुकी बातें लिख रहे हैं, वास्तव में वे बेतुकी बातें लिख रहे हैं।

श्री अम्बारासु इरा : यह असंसदीय है।

श्री रूपचन्द पाल : मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। मैंने कहा है 'लोकप्रिय आदमी'। अब मैं 'ट्रिप्स' की ओर आता हूं।

4.00 म० प०

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति बेतुकी बातें लिख रहे हैं। मेरा विचार है कि वह कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : 'ट्रिप्स' के मामले में, उदारता के प्रति बहुत सुख-बोध है। यह उदारता, यह सुखबोध, अन्त में समाप्त हो जाएगा। बल्कि इसका समाप्त होना आरम्भ हो गया है। क्या आपने इन कुछ निर्यातकों द्वारा दिए गए वक्तव्यों पर ध्यान दिया है, जो कह रहे थे कि यह बेमिसाल चीज है इस तरह इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, यह एक नई दिशा प्रदान करेगा, एक नया मसीहा आ गया है इत्यादि ? अब वे कह रहे हैं कि उन्हें इससे पहले कुछ मिल रहा था और दूसरे तरीकों से वे उससे अलग किए जा रहे हैं। यह बजट अन्त में छोटे व्यापारियों, व्यवसायियों, निर्यातकों को नुकसान पहुंचायेगा जो कि अपने श्रम से पसीना बहा रहे हैं तथा जो विदेशी मुद्रा अर्जित करने लिए कड़ा परिश्रम कर रहे हैं। मैं 'ट्रिप्स' की तरफ आ रहा हूं। मंत्री जी तथा सरकार को इस मामले में स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। वे विदेशी निवेश उपायों के बारे में क्या कहते हैं ? निवेशक कहते हैं : "हम अपनी इच्छा के अनुसार निवेश करेंगे। हम निर्यात के संबंध में किसी के प्रति वचनबद्ध नहीं होंगे। हम जो चाहेंगे, आयात करेंगे। हम बिना स्वदेशी माल का उपयोग किए तथा बिना स्वदेशी निपुणता का उपयोग किए वस्तुओं का उत्पादन करेंगे।" क्या आप इससे सहमत हैं ? क्या हमारा कोई भी स्वदेशी उद्योग इस हमले को सहन कर सकेगा ?

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह 'ट्रिप्स' एक खतरनाक चीज है, यदि हम उससे सहमत होते हैं। यह एक पैकेज है। 'ट्रिप्स' भाग ट्रिम्स' भाग से संबंधित है; 'ट्रिप्स' भाग 'गेट' भाग से संबंधित है। हम 'गेट्स' भाग से सहमत नहीं है। अब हम इस मुद्दे को अलग छोड़ देंगे। अब इस समय हम इस पर बहस नहीं करेंगे। उस मुद्दे को हमने अलग रख दिया है मैं उस भाग पर बहस करने नहीं जा रहा हूं। लेकिन यह 'ट्रिप्स' भाग वही है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। यहां 'गेट' समझौते के अन्तर्गत एक नई चीज समाविष्ट की जा रही है। वे कह रहे हैं कि वहां कुछ अन्तर्वर्ती प्रबंध है। मेरा विचार है कि मंत्री जी ने भी कहा है कि हम कुछ भी खोने नहीं जा रहे हैं और इसी बीच कुछ परिवर्तन होगा और अन्त में हमें कुछ लाभ होगा। मेरे विचार में यह सब कुछ नहीं होने जा रहा है। मुझे 'डंकल' प्रस्तावों के विषय की ओर आना चाहिए। मेरा विचार है कि मंत्री जी ने करार के खंडों के बीच के सभी सम्बन्धों का अध्ययन कर लिया होगा। मैं केवल करार के खंडों का कुछ उल्लेख कर रहा हूं। आप देखेंगे कि अन्तर्वर्ती अवधि-वैसा इसमें कुछ नहीं है। जैसे ही आप इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे यह 1992 से ही लागू हो जाएगा। मैं उसी मुद्दे पर

[श्री रूपचन्द्र पाल]

आ रहा हूं। यदि आप अन्तर्वर्ती प्रबन्ध के बारे में अनुच्छेद 65 का भाग 6 देखें तो उसमें वे कहते हैं कि आपको पहले एक वर्ष, फिर चार वर्ष और उसके बाद पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि मिलेगी। जो यह कुल 10 वर्ष होते हैं। यदि आप इसे अन्य खंड, पृष्ठ 89 पर अनुच्छेद 70.8 से जोड़ें, तो आप क्या पायेंगे ? मैं इसे पृष्ठ 89 से पढ़ रहा हूं—अनुच्छेद 70.2 जिसमें कहा गया है :

"जहां कोई पार्टी इस करार के प्रवर्तन की तारीख को भेषजों, कृषि और रसायन उत्पादों के लिए अनुच्छेद 27 के अन्तर्गत बाध्यताओं के अनुरूप पेटेन्ट सुरक्षा उपलब्ध नहीं करती वह पार्टी निम्न व्यवस्था करेगी।

(एक) इस करार के प्रवर्तन की तिथि से ऐसे तरीकों की व्यवस्था करेगी जिनके अनुसार ऐसे अन्वेषकों के लिए पेटेन्टों हेतु आवेदन दायर किये जा सकते हों···

आप इसे इस उत्पाद पेटेन्ट आवेदन के साथ तथा अगले खंड के साथ जोड़ रहे हैं अर्थात् अनुच्छेद 33 जो कि आवेदन करने की तिथि से पेटेन्ट अधिकारों के बारे में है। पृष्ठ 73 पर आप यह पायेंगे कि संरक्षण अवधि (व्यवधान) मंत्री महोदय, आप कृपया इसे नोट करें। आपने इसे अवश्य पढ़ा होगा लेकिन हो सकता है आपने यह नहीं पढ़ा हो। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, यह ठीक नहीं है। मैं उनकी बात सुन रहा हूं और जो वे कहेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन फिर, वे यह सब क्यों कह रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री रूपचन्द्र पाल : महोदय, मैं केवल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

सभापति महोदय : अन्य सदस्यों से प्रत्यक्ष बात करने के बजाए माननीय सदस्य केवल पीठ को ही सम्बोधित करें।

श्री रूपचन्द्र पाल : महोदय "अनुच्छेद 33 में कहा गया है :

"आवेदन पत्र भरने की तिथि से लेकर 20 वर्ष की अवधि के समाप्त होने से पूर्व यह संरक्षण अवधि समाप्त नहीं होगी। आवेदन करने की तिथि से यह वैध होगी।"

महोदय मैंने शुरू में ही कहा था कि यह बहुत ही जटिल दस्तावेज है। एक आम आदमी के लिए विभिन्न खण्डों के प्रभाव और उनके सम्बन्ध में पता लगाना आसान नहीं है। इसके लिए तो न्यायविदों वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों की जरूरत है। इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि हम सभा में एक रिपोर्ट लाने से पहले सरकार एक उच्चशक्ति प्राप्त विशेषज्ञों का राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जाए जो इस 'डंकल' प्रारूप के प्रस्तावों के सभी पहलुओं पर गहन विचार करे और रिपोर्ट पेश करे। हम इस रिपोर्ट के आधार पर संसद की दोनों सभाओं की एक संयुक्त चयन समिति गठित कर सकते हैं और रिपोर्ट में दिए गए विस्तृत सुझावों पर विचार कर सकते हैं। केवल उसके बाद ही हम इस पर चर्चा कर सकते हैं और इस सभा द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे दो बातें कह रहे हैं, वे 'डंकल' प्रस्तावों के सकारात्मक पहलुओं को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। कभी मंत्री महोदय कहते हैं कि यह भेदभाव पूर्ण है और कभी इससे भिन्न बोलते हैं और कहते हैं कि इससे कपड़ा उद्योग, कृषि इत्यादि क्षेत्रों

न लाभान्वित होंगे।

महोदय, आप अन्य खण्ड देखिए। मैं खण्ड 70.8 अर्थात बाजार अनुमति उपबन्ध का उल्लेख कर रहा हूं जो कि खतरनाक है। इसके अनुसार, पैरा 8.1 के अनुसार जब एक अवधि में एक उत्पाद एक पेटेंट प्रार्थनापत्र का विषय है और वह प्रार्थनापत्र जमा कराने की तारीख से पैंड होगा और उस अवधि में बाजार अनुमति प्राप्त करने के बाद स्पष्ट बाजार अधिकार पांच वर्ष की अवधि के लिए दिए जाएंगे अथवा इस अवधि में एक उत्पाद पेटेंट की मंजूरी अथवा अस्वीकृति दी जाएगी, इसमें जो अवधि कम होगी उसके लिए ऐसा होगा।

महोदय, यह बाजार का एकाधिकार है और आप लोकतन्त्र की बात कर रहे हैं। हम बाजार अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। महोदय, इन 'डंकल' प्रस्तावों में भारतीय बाजार—विकासशील देशों के बाजार पर बहुराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल कम्पनियों के एकाधिकार का सुझाव दिया गया है। यही बात इसमें निहित है और यदि आप एक ही खण्ड को देखेंगे तो आपको इसका पता नहीं चलेगा। लेकिन आप खण्डों को आपस में जोड़ें तो हमें इसका पता चलेगा। अगर आप प्राथमिकता तिथि पर गौर करें तो यह खण्ड 29 से अत्यधिक सम्बन्धित है। मैं विभिन्न खण्डों में निहित खतरनाक उपबन्धों को बताने के लिए और उनमें संबंध जानने के लिए ही इस संबंध में कुछ भूमिका बता रहा हूं।

मैं नहीं समझता कि सरकार ने अपने पास उपलब्ध विशेषज्ञता से इन उपबन्धों के प्रभावों की जांच की है। यह खतरनाक है। हम अपना भविष्य, अपनी आर्थिक स्वायत्तता अपने स्वदेशी उद्योग, अपना व्यापार, सब कुछ गिरवी रख रहे हैं।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार तुरन्त विशेषज्ञ राय प्राप्त करे। हमारे सम्मुख एक राष्ट्रीय आयोग का उपाय ही है। इस दौरान हम अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर यह मत कायम करने के प्रयास में लगे रहे कि 'डंकल' प्रस्ताव एक बड़े खतरनाक खेल का हिस्सा है, 'अंकल सैम' के खेल का भाग है; अमरीकी साम्राज्यवाद के हितों को बढ़ाने के लिए तीन बहुराष्ट्रीय कम्पनियां एक दूसरे से समन्वय कर रही हैं।

अब मैं अनुच्छेद 29 के पृष्ठ 70 में दिए गए खण्ड को लेता हूं। इसमें पेटेंट के लिए आवेदनों पर शर्तें सुझाई गई हैं।

> "पार्टियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि एक पेटेन्ट के लिए आवेदक इस प्रकार पर्याप्त स्पष्ट और पूर्ण रूप से खोज के बारे में बताएगा कि उस कला में निपुण एक आदमी उसे कर सके और आवेदक आवेदन जमा करने की तारीख अथवा उसमें बताई गई प्राथमिकता की तिथि को खोज कर्ता को ज्ञात खोज करने के श्रेष्ठतम तरीके को बताए।"

इसमें क्या छोड़ा गया है। कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। उत्पादन की हमारी प्रक्रिया के बाजार पर नई चीजों की खोज करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों, हमारे लोगों के पास अब कोई अवसर नहीं बचा है।

सरकार असहाय हो जाएगी क्योंकि द्विपक्षीय समझौते में आप एक समय स्वयं को उससे अलग कर सकते हैं। लेकिन यह तो एक कानूनी दस्तावेज होगा। अमेरिका और कुछ अन्य राष्ट्र अपने हितों के लिए इसे संरक्षा का रूप दे रहे हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के माध्यम से पहले ही

[श्री रूपचन्द्र पाल]

अन्य कदम उठा चुके हैं।

किसी समय एक मंत्री महोदय, संभवत: इन मंत्री महोदय ने नहीं बल्कि कोई अन्य किसी मंत्री ने कहा था कि जब चीन ये सब कार्य किये जा रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। चीन ने क्या किया है? चीन का अमेरिका के साथ 11000 मिलियन डालर का व्यापार आधिक्य है। वे इस व्यापार आधिक्य का क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने द्विपक्षीय समझौता किया है। क्या इससे उनके हित प्रभावित होंगे? नहीं।

लेकिन हमारे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक निजी क्षेत्र का आधिपत्य है और 30 प्रतिशत से कम पर सरकार का आधिपत्य है। जैसाकि आप जानते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय खण्ड यह है कि अगर आप इसका उपयोग सार्वजनिक सेवा के लिए करते हैं तो आपको छूट है। चीन में दवाओं, शिक्षाओं, स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्र का 95 प्रतिशत से भी अधिक सरकार के अधीन हैं। इसलिए उन्हें नुकसान नहीं होगा। वे बातचीत करने में बहुत होशियार हैं। वे जानते हैं कि उनका हित किसमें है; वे मूर्ख नहीं हैं।

प्रो० के० वी० थामस (मुवत्तुपुजा) : इसलिए हमें यहां पर एक 'टियाननमैन स्क्वेयर' की जरूरत है।

श्री रूपचन्द्र पाल : यह अलग मामला है। अगर वे इस पर पूरी चर्चा चाहते हैं तो उनके लाभ के लिए ऐसा भी किया जाएगा। इस द्विपक्षीय समझौते से चीन को लाभ होगा और हमें अपना स्वदेशी उद्योग खोना पड़ेगा। (व्यवधान) चीन की यह स्थिति है कि उसका व्यापार आधिक्य ग्यारह हजार मिलियन डालर से भी अधिक है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। वहां पर स्वास्थ्य का 95 प्रतिशत से अधिक भाग सार्वजनिक उपयोग के लिए है। उन्हें छूट है। लेकिन हमें छूट नहीं है। लेकिन, वे इस बात को नहीं समझते हैं और वे उदारता और लोकतन्त्र की बात करते हैं। लोकतन्त्र क्या है? इस बारे में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां निर्णय लेंगी और उनका अपना बजट होगा। वे निर्णय करेंगी कि कहां पर कर छूट दें, कहां पर और अधिक खर्च करें और कहां पर कम खर्च करें। वे विश्व की नई शासक होंगी। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं कहता हूं कि यह सरकार इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के समक्ष असहाय होगी। वे सरकारों को चलाती हैं। क्या आपको चिली की कहानी पता है? आप नहीं जानते। (व्यवधान) बहुराष्ट्रीय कम्पनियां तो आपके 'बुश' का भाग्य भी तय करती हैं। अगर वे ऐसा निर्णय नहीं लेते हैं तो आपको आगामी चुनाव में अलविदा कहना पड़ेगा क्योंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में भी अनेक मुद्दे उठ रहे हैं। आपको पंजाब की कथित सफलता पर अर्थात 3/4 बहुमत, जोकि मतों का 9 प्रतिशत से कम है उल्लासोन्माद हो रहा है। महाराष्ट्र में आपकी नई मित्रता और शिव सेना के प्रति नए प्यार के कारण आप बम्बई महानगर निगम के चुनाव जीते।

क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पास अपने उत्पाद हैं? नहीं। वे उनके साथ क्या करेंगे? यदि हमारे वैज्ञानिक कुछ नई खोज करते हैं तो इस प्रक्रिया में क्या वे इसकी अनुमति देंगे? वे अनुमति नहीं देते। हमारे वैज्ञानिक असहाय होंगे। हमारी सरकार असहाय होगी। वे कहेंगे, "यह एक कानूनी दस्तावेज है और आप इससे बाहर नहीं जा सकते।" इसलिए हमारा मत यह होना चाहिए कि हम द्विपक्षीय समझौता कर सकें और उन क्षेत्रों का चयन कर सकें जहां हमें लाभ होगा। तृतीय विश्व

के देशों का मत यही होना चाहिए।

सरकार इस मुद्दे पर बुरी तरह विफल रही है। क्या आप इसकी उत्पत्ति के बारे में पुरानी कहानी जानते हैं? मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री का एक गुट तथा कांग्रेसजन भी 'डन्कल' प्रस्तावों से सहमत नहीं हैं। इसलिए जब इसे पारित करने की कार्यवाही हुई तब कुछ आपत्तियां उठीं और अन्ततः श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में मंत्रियों के गुट ने राजनैतिक दलों, लोगों तथा वैज्ञानिकों के विचार जानने का प्रयास किया। क्या मंत्री महोदय इन विचारों तथा अत्यन्त विख्यात न्यायविदों, राजनयिकों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों तथा अन्य द्वारा दिये गये प्रमाणों को सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हैं? मेरी जानकारी के मुताबिक एफ०आई०सी०सी०आई० को छोड़कर अन्य किसी ने भी, जिसमें थोड़ी सी भी देशभक्ति है, 'डन्कल' प्रस्तावों का समर्थन नहीं किया है। मैं आपको इन नामों की सूची दूंगा। केवल एफ०आई०सी०सी०आई० ने इसका समर्थन किया है। अब क्या सरकार इसके लिए तैयार है? अब उन लोगों की क्या स्थिति है जो इन वर्षों के दौरान सरकार तथा हमारे देश के हितों की रक्षा का प्रयास करते हुए भारत सरकार की तरफ से वार्ता कर रहे थे? उन्होंने क्या कहा है? क्या सरकार यह बताने के लिए तैयार है?

इससे पहले भी किसने सरकार अथवा सरकार के एक अंग अथवा सरकार की तरफ से बोल रहे किसी को या किसी अफसर को 'डन्कल' प्रस्तावों के कुछ सकारात्मक पहलुओं का पता लगाने का प्रयास करने के लिए प्राधिकृत किया है? यह एक पूर्ण एकमुश्त प्रस्ताव है। इसे स्वीकार कीजिये या अस्वीकार कीजिए। हमारा मत क्या होना चाहिये? हम विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री कह रहे थे कि हम एक नई औद्योगिक उदारता ला रहे हैं जो कि और अधिक बेरोजगारी तथा अधिक मुद्रास्फीति उत्पन्न कर रही है। लेकिन हम आजादी के संघर्ष के दिनों का नारा भूल गये हैं। हम उस राष्ट्रीय सर्वसम्मति को पूर्णतया भूल गये हैं जिसे हमने अपनी विदेश नीति की दिशा के मामले में प्राप्त किया था। हम वह सब भूल गये हैं जिसके लिये राष्ट्रीय नेता शुरू से प्रयास करते रहे। (व्यवधान) आप अपने ही नेताओं को भूल गये हैं। आप अपनी ही विरासत को भूल गये हैं, उन लोगों को भूल गये हैं जो हमारे देश के लिये बोलते थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या यह पक्षपात का मुद्दा नहीं है।

श्री रूपचन्द पाल : यह पक्षपात का मुद्दा नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इसे पक्षपात का मुद्दा बना रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल : इन्हें उन लोगों के प्रस्तावों पर विचार करना चाहिए जोकि अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर और यहां तक कि 'गैट' में भी हमारी व्यापारिक वार्ताओं में प्रत्यक्षतः शामिल हैं। सरकार से मेरा निवेदन है कि इस मामले में जल्दी न की जाए। विशेषज्ञों की सहायता ले ली जाए।

कोई भी पूर्णतया निपुण नहीं होता। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मैं सभी परिणामों को समझ सकता हूं। परन्तु कुछ परिणामों को मैंने निश्चित तौर पर समझ लिया है कि सूती कपड़े के निर्यात में आपको लाभ नहीं मिल सकेगा। किसी अन्य क्षेत्र में भी आप लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा नहीं समझ सकते तो हम इन डंकेल प्रस्तावों को भी नहीं समझ सकेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह 'डंकेल' कौन है?

श्री रूपचन्द पाल : कोई मुझे बता रहा था कि यह एक जर्मन नाम है। इसे डंकल कहा जाता है। इसका अर्थ होता है 'अन्धेरा'। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कोई कह रहा था कि**

सभापति महोदय : इस शब्द को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

श्री रूपचन्द पाल : मेरे कहने का भाव यह है कि सरकार को उन सभी प्रस्तावों का ब्यौरा रखना चाहिए जोकि मंत्रियों के एक ग्रुप को प्रस्तुत किए गए थे क्योंकि इसी मंत्रिमंडल द्वारा एक नोट भी परिचालित किया गया था। इस नोट में, प्रस्तावों के कुछ पहलुओं पर पर्दा डालने के प्रयास किये गये थे। क्या सरकार स्पष्ट शब्दों में यह बताने को तैयार है कि ऐसा क्यों किया गया था? क्या उन्होंने इस नोट के परिणामों ध्यान में नहीं रखा। जो नोट उन्होंने परिचालित किया था, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं तथा खंडों से उनके संबंधों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

यदि हमें अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, यदि हमें आज भी नेतृत्व मिलता है, तो याद करो कि हम तीसरे विश्व के देश 'नाम' के नेतृत्व में नई आर्थिक विश्व व्यवस्था लाने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहे हैं। और व्यापार में बराबर की साझेदारी और ईमानदारी होती है परन्तु हमें इनसे वंचित रखा गया है। कोई समानता और न्याय का व्यवहार नहीं दर्शाया गया। केवल किसी बात को थोप देने वाली व्यवस्था चलती रही। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की असफलताओं को शनैः शनैः कम करने के लिए 'गैट' की स्थापना की गई। लेकिन उन्होंने पक्षपात को अधिकाधिक बढ़ावा दिया है। वे लोगों से यह कह रहे हैं कि कृषकों को, यहां तक कि उन छोटे किसानों को जो केवल अपनी आजीविका के लिये ही उत्पादन कर रहे हैं उर्वरकों व अन्य वस्तुओं पर दी जाने वाली राजसहायता समाप्त कर दी जाये। लेकिन वे स्वयं क्या कर रहे हैं? वे अनाज के निर्यात के लिए किसानों को अरबों डालर की राजसहायता दे रहे हैं। वे अपने लिये क्या कर सकते हैं। तीसरे विश्व के देश अपने ही हित के लिए और अपने ही पालन पोषण के लिये कर रहे हैं। तब महोदय, यदि 'पेटेन्ट' को पौधों के जीवन और अन्य-जीवन पर भी लागू कर दिया जाता है, तो क्या होगा? एक दिन वे यह भी कहेंगे कि मानव जीवन पर भी हम 'पेटेन्ट' लागू करते हैं और इस विश्व में केवल श्वेत ही रहेंगे और सभी कालों को समाप्त कर देना होगा। इस तरह का उनका दर्शन रहेगा। और महोदय, इससे अधिक और भयावह क्या हो सकता है। इसी कारण से वे यह दावा कर रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विश्व में दबदबा होगा। इन सभी चीजों की खोज किसने की है? अधिक उत्पादन देने वाली किस्में गरीब किसानों, मजदूरों के खून-पसीने का परिणाम है। खेतों में अपनी कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने यह सब कुछ किया है लेकिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का दबदबा होना। हमारी कृषि तथा हमारे देश के गरीब लोगों, जिनके बारे में दिन में दो जून का भोजन जुटाने की बात तो क्या, एक जून का भोजन भी नहीं जुटा पाते, के साथ क्या हो रहा है? आज भी, एक प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक, डा० स्वामीनाथन से स्पष्ट शब्दों में यह बात सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई कि यदि हम कृषि, 'पेटेन्टस' तथा 'इन्टलेक्च्युअल प्रापर्टी राइटस' के बारे में 'डंकल' प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं, तो इससे हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। महोदय, जैसाकि मैंने पहले भी निवेदन किया है, हम एक ऐसे जगत में रह रहे हैं जहां कि उपेक्षित दक्षिण ने अपने-आपको संगठित करना है, जहां तीसरी दुनिया के देशों को एक बार फिर एकजुट होना है और इस विषय में भारत को नेतृत्व प्रदान करना है। अतः हमें यह सुनिश्चित करना है कि 'डंकल'

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

प्रस्तावों को एक मुश्त रूप में स्वीकार न किया जाये।

कुछ लोगों का कहना है कि यदि 'उरुग्वे' चक्र की वार्ता में इसकी घोषणा कर दी जाती है तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या होगा ? फ्रांस ने क्या कहा है ? पिछली टोकियो वार्ता का क्या परिणाम निकला था ? यदि हम पिछली सभी वार्ताओं पर दृष्टिपात करें तो हमें क्या मिलेगा ? विश्व व्यापार में हमारा 0.05 प्रतिशत हिस्सा है और वह भी हीरे, जवाहरात व आभूषणों आदि जैसे केवल कुछ ही क्षेत्रों में। इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिये हमें नेतृत्व छोड़कर दूसरे रास्ते पर आना होगा। हमें विशेषज्ञों का एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करना होगा अथवा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करनी होगी जिसमे विधिवेत्ता, अर्थ-शास्त्री तथा वैज्ञानिक सदस्य होंगे, जिन्हें दो या तीन माह के भीतर समय-बद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा। प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद संसद अपने कौशल का प्रयोग कर एक संयुक्त चयन समिति अथवा इस तरह की समिति स्थापित कर सकती है। तब वह समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। सरकार इस प्रतिवेदन के आधार पर कार्य कर सकती है। अन्यथा हम जैसे जनता के प्रतिनिधियों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मंत्रालय में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। एक छोटे से नौकरशाह में यह कहने और इस आशय का नोट तैयार करने का कैसे साहस कर सकता है कि यदि हम इस पर अभी हस्ताक्षर नहीं करते तो इससे हमें पर्याप्त हानि उठानी पड़ेगी। यह सभी दस्तावेजों में आया है।

महोदय, हमारी आर्थिक संप्रभुता इस समय खतरे में है। आर्थिक संप्रभुता खतरे में पड़ जाने से राजनैतिक संप्रभुता भी खतरे में पड़ जायेगी। जब शरद ऋतु आती है तो बसन्त ऋतु भी दूर नहीं रह जाती। और अब यह स्थिति बदलेगी। यदि हमारी आर्थिक सप्रभुता को खतरा हुआ तो हमे दास बना लिया जायेगा और हमारी स्वतन्त्रता समाप्त हो जाएगी। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए। सरकार को मेरे प्रस्ताव से सहमत होकर शीघ्र अति शीघ्र आयोग की स्थापना करनी चाहिये तथा प्रख्यात विशेषज्ञों की सेवाओं व तर्कसंगत का लाभ उठाना चाहिये ताकि हम अपने हितों की रक्षा के लिये, दक्षिण के हितों की रक्षा के लिये तथा संयुक्त राज्य अमरीका व इसके सहयोगी देशों द्वारा उत्पन्न की गई अभ्याघात की स्थिति से तीसरे विश्व के देशों के हितों की रक्षा के लिये राष्ट्रीय सम्मति तैयार कर सके। उन्होंने इस नव-उपनिवेशवाद से हमें खाई मे ढकेल देना प्रारम्भ कर दिया है। जैसाकि हमने स्वतन्त्रता के लिये लड़ाई लड़ी थी। अब एक ऐसी अवस्था आ गई है जिसमें हमें एक अन्य लम्बा संघर्ष आरम्भ करना पड़ेगा ताकि हम अपनी बहुमूल्य स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकें क्योंकि हमने इस देश के लोगों के बहुमूल्य जीवन की कीमत पर और प्रताड़ना झेलकर प्राप्त की थी। इसके साथ ही, मै प्रस्ताव रखता हू और सरकार से यह आह्वान करता हूं कि मेरा प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

कि "यह सभा सरकार से अपेक्षा करती है कि वह बौद्धिक संपत्ति अधिकारों से संबंधित व्यापार (ट्रिप्स), विनिधान उपायों से संबंधित व्यापार (ट्रिम्स) और सेवा व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट्स) के बारे मे सरकार द्वारा प्राप्त सभी प्रस्तावों, जो पेटेन्ट विधियों और हमारे देश की आर्थिक प्रभुसत्ता का अतिसंचन करेंगे, को स्पष्ट रूप से अस्वीकृत करें।"

श्री भगवान शंकर रावत

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सभापति महोदय, मोटे तौर पर इस प्रस्ताव को, जिसको डंकल प्रस्ताव कहा जाता है, अस्वीकृत करने की बात मैं नहीं कहता।... (व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मुझे इस चर्चा के जारी रहने पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे यह आभास हुआ है कि माननीय सदस्य इसलिए वक्तव्य देना चाहते थे ताकि उनका प्रस्ताव कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जा सके। लेकिन आम समझौता यह हुआ था कि जब कार्य मंत्रणा समिति द्वारा तिथि नियत करनी है, तो उस पर एक पूर्ण-स्तरीय चर्चा होगी। एक बार कार्य मंत्रणा समिति द्वारा तिथि नियत हो जाए तो मैं एक नोट परिचालित करूंगा अथवा वक्तव्य दूंगा जिसके आधार पर हम एक पूर्ण स्तरीय चर्चा कर सकते हैं।

माननीय सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव रखते समय ही मैंने इस बात का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि इन्हें अब वक्तव्य देने का अवसर दिया जाना चाहिए। मैंने यह अन्दाजा लगाया था कि वक्तव्य देने के बाद वे इस चर्चा को बंद कर देंगे और जब नई तिथि नियत की जाएगी, तो उस दिन चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

मैं इस सभा से केवल यह अपील करना चाहता हूं कि मेरे नोट परिचालित करने के बाद ही हम एक पूर्ण-स्तरीय चर्चा कर सकते हैं। आज हम उस स्थिति में चर्चा कर रहे हैं जबकि सरकार की ओर से नोट अभी तक तैयार भी नहीं किया गया है। इसलिए हम जो कुछ कहना चाहते हैं, वह नहीं कह पायेंगे। पहले सरकारी नोट परिचालित होने दीजिये। अध्यक्ष महोदय को मैंने तिथि नियत करने के लिए लिखा है। मुझे बताया गया है कि इस माह के तीसरे अथवा चौथे सप्ताह, अथवा 15 के बाद तिथि निर्धारित की जायेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम केवल यह चाहते हैं कि यह प्रस्ताव खारिज नहीं होना चाहिये। यदि इस प्रस्ताव पर चर्चा अधूरी रह जाती है तो इस पर बाद में चर्चा करने के लिये हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री पी० चिदम्बरम : कोई भी नहीं कह रहा कि यह खारिज हो जायेगा। 15 मार्च के बाद हम पूर्ण चर्चा कर सकते हैं।

श्री रूपचन्द पाल : यदि माननीय सभापति जी तिथि नियत कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इस पर इस समय चर्चा की जा सकती है। इस बीच, हमें इस बात पर सहमत होना चाहिये कि यह प्रस्ताव खारिज नहीं होगा।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, जब एक दृष्टिकोण आया है, तो दूसरा दृष्टिकोण भी आना चाहिये; ताकि मंत्री जी को जवाब देने में सुविधा हो।

अन्न-खुराक परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : आगे डिबेट चलेगी।

प्रो० रासा सिंह रावत : ठीक है। डिबेट चलेगी। जब वे बोले हैं, उनका एक दृष्टिकोण आया है, तो दूसरा दृष्टिकोण भी आना चाहिए··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस चर्चा को अधूरा ही छोड़ दें और जब उपयुक्त तिथि निर्धारित कर दी जाएगी, तब इस पुन: चर्चा की जा सकती है।

सभापति महोदय : जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें बोलने दिया जाए। अब भी पांच ऐसे बचते है जो बोलना चाहते हैं। संकल्प के प्रस्तावक को स्वयन के लिये फिर प्रस्ताव पेश करना होगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मेरा विचार यह है कि चर्चा जारी रखी जाए। इससे मंत्री जी को वास्तव में फिर से टिप्पणी लिखने में सहायता मिलेगी। उन्हें बाद में टिप्पणी प्रस्तुत करने दी जाए। हां, तो चर्चा को जारी रखा जाए।

सभापति महोदय : श्री चौधरी, नियम 29 में यह उल्लेख है :

"गैर-सरकारी सदस्यों का वह कार्य जो उस वर्ष के कार्य के लिये नियत किये गए दिन के लिये रखा गया हो और उस दिन जिसे निपटाया न गया हो, किसी बाद के दिन के लिये तब-तक नहीं रखा जाएगा जब तक उसे उस दिन के संबंध में की गई बलाका में पूर्ववर्तिता प्राप्त न हो गई हो :

परन्तु नियम 27 तथा 28 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी ऐसा कोई कार्य जो उस दिन के अंत में चर्चाधीन हो उस वर्ष कार्य के लिये नियत अग्रिम दिन के लिये रखा जाएगा और उसे उसे उस दिन के लिये रखे गए अन्य सब कार्यों पर पूर्ववर्तिता होगी।"

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : सभापति महोदय, जैसा कि मैंने अपनी बात की शुरुआत में कहा था कि एकदम इन प्रस्तावों को अस्वीकृत करने की स्थिति भी नहीं है और स्वीकृत करने की स्थिति भी नहीं है। इस पर विषद चर्चा चल रही है और विषद चर्चा की आवश्यकता भी है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होनी चाहिए और उसका कारण यह है कि भारत सरकार बजट के अंदर नए प्रावधान लेकर आई है, नई औद्योगिक नीति लेकर आई है, इन पर भी डंकल प्रस्तावों की परछाई नजर आती है। मुझको ऐसा लगता है कि अगर ये डंकल प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए इन टोटो जिस रूप में हैं वैसे ही तो इस से देश की अर्थव्यवस्था, देश की स्वायत्तता, इकनामिक सावरनिटी खतर में आ जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मामला है और इस पर विचार-विमर्श करने के लिए ठंडे दिमाग से सभी क्षेत्रों के लोगों के विचार लेने होंगे।

मोटे तौर पर इसमें जो व्यापारिक क्षेत्र का मामला है, उससे मुझे घोर आपत्ति है। जैसा मैंने कहा कि इससे देश की स्वायत्ता समाप्त हो जाएगी। देशी और विदेशी उद्योगों के साथ देश में समान रूप से व्यवहार करना होगा, कच्चे माल की खरीद, अर्द्ध-निर्मित माल की खरीद देशी बाजार से करना विदेशी उद्योगपतियों के लिए अनिवार्य नहीं होगा और इससे यह भी साफ है कि हमारी ही

[श्री भगवान शंकर रावत]

धरती पर विदेशी व्यापारी, मल्टी-नेशनल्स विदेशी कच्चा माल लाकर, विदेशी नौकरों को लाकर यहां पर उत्पादन शुरू कर देंगे। इसके बाद उनके ऊपर इस माल के निर्यात का भी दायित्व नहीं होगा इस ट्रीटी के अंतरगत उनको निर्यात की अनिवार्यता नहीं होगी। अभी तक हमारे कानूनों में यह अनिवार्यता है कि विदेशी कंपनियां देश के अन्दर जो उद्योग लगाएंगी, उत्पादन का कुछ परसेंटेज निर्यात के लिए उपलब्ध कराएंगी, विदेशों को निर्यात करेंगी, ताकि विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। हालांकि मैं जानता हूं कि नये प्रावधान जो औद्योगिक नीति के आ रहे हैं उसमें हम सारे रास्तों को खोल रहे हैं। लेकिन मुझे निश्चित रूप से यह खतरा नजर आता है कि इससे स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी कल-कारखानें, स्वदेशी गुणवत्ता और स्वदेशी लेबर के लिए खतरा पैदा होगा। एक प्रकार से बाह्य इण्डस्ट्रियली डिवेलेपड नेशन्ज का आक्रमण इस देश पर शुरू हो जाएगा और हमारी आर्थिक स्वाधीनता समाप्त हो जाएगी, सारा ढांचा चरमरा जाएगा।

मैं कहना चाहूंगा कि इसके माध्यम से दवाइयों के मामले में भी यही स्थिति पैदा होने वाली है। 20 साल की अवधि तक जो पेटेन्ट लाज चलेंगे, दुनियां 20 साल की अवधि में कहीं से कहीं दौड़ में जा रही है, इसकी कल्पना आप करें। अगर पेटेन्ट लॉ लागू हो गया तो 20 साल देश पिछड़ जाएगा या पेटेन्ट राइटस के नाम पर उस विषय पर महारथ हासिल कर लेने के नाम पर हमारे देश में प्रगति करने पर रोक लग जाएगी। एक विपुल सम्पदा हमें इस बात के लिए देनी होगी कि पेटेन्ट राइटस को लेकर हम समान को इम्पोर्ट करें या उस सामान को यहां मैन्यूफैक्चर कराने के लिए इनकी खुशामद करें, उनको लम्बी-चौड़ी रायल्टी दें। इसके अन्दर जो सबसे बड़ी खराबी है, वह यह है कि प्रोडक्ट और प्रीसैस ऑफ प्रोडक्शन, इन दोनों पर रोक लगायी गयी है। अगर भारत के अच्छे वैज्ञानिक किसी उत्पाद को बदले हुए प्रोसैस के आधार पर पैदा कर लेते हैं तो उस पर भी रोक और उस प्रोसैस पर भी रोक जिस प्रोसैस को यदि अपने दिमाग से इजाद कर लेते हैं। इसलिए प्रोडक्ट और प्रोसैस पर रोक लगाने के साथ साथ इसका अर्थ यह होगा कि हमारे इंटीलैक्चुअलस के दिमाग को सील कर दिया जाएगा। उनको इस बात का अवसर नहीं होगा कि वे नयी खोज कर सकें, अविष्कार कर सकें, नये परीक्षण कर सकें। दवाइयों के मामले में मैं अनुभव करता हूं, मुझे अर्थशास्त्री बता रहे थे कि 5 से लेकर 10 परसेंट तक लोग ऐसे हैं जो ऐडवांसड मैडिसिन (आधुनिकतम दवाएं) लेते हैं, बाकी के लोगों का सामान्य दवाओं से इलाज होता है। 30 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो मैडिकल अम्बिट के अन्दर आते हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर इस डंकल प्रस्ताव के कारण देश 20 साल पीछे रहता है ऐडवांस टैक्नोलॉजी आफ मैडिसिन के अभाव में तो निश्चित रूप से देश के लाखों गरीब लोगों की जानें जा सकती हैं। केवल इस डंकल प्रस्ताव के आधार पर विश्व के एक हीप में इससे उन्नत मैडिकल टैक्नोलाजी को हम गरीबी के कारण इम्पोर्ट नहीं कर सके, अपने बच्चों को, जो संसार रूप से मेधावी हैं, उनको खोज करने के लिए मना कर दें और उसके बाद जानें चली जाएं तो ऐसे एक डंकल प्रस्ताव का नहीं हजारों डंकल प्रस्तावों को न्यौछावर करना होगा। लाखों गरीबों की जानों को बचाना होगा।

मैं कहना चाहूंगा कि इण्डस्ट्रियल पालिसी के मामले में एक और बड़ी खराबी है। वे कहते हैं मल्टी नेशनल ट्रेड आर्गेनाइजेशन और आई०एमएफ० तथा वर्ल्ड बैंक के कंसलटेशन में सारी सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने के आधार पर जिस देश को हम ईस्ट इण्डिया कम्पनी के खतरों से सावधान करना चाहते हैं, इन तीनों की साजिश से, विभूति की साजिश से देश को हमेशा-

हमेशा के लिए औद्योगिक स्वावलम्बन, तथा औद्योगिक स्वतन्त्रता समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रावधान भी इसके बहुत खराब हैं।

एग्रीकल्चर और फूड के प्रोग्राम के बारे में कहना चाहूंगा। यह देश गरीबों का देश है। इस देश में काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप आसाम तक विभिन्न प्रकार की जलवायु, मिट्टी और परिस्थितियां हैं। पहाड़ी जमीन भी है। और इसमें उपजाऊ जमीन भी है। इस देश में प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है। जब सूखा पड़ेगा, यदि उस समय आवश्यकता पड़ेगी तो गरीब लोगों के लिए हमें बहुत बड़ी सब्सिडी भी देनी पड़ सकती है। लेकिन वे रोकनाचाहते हैं सब्सिडी पर और इस सब्सिडी के नाम पर औद्योगिक उत्पादन को अवरुद्ध करना चाहते हैं। कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन के लिए जिस हरित क्रान्ति की बात हम सोचते हैं, जिससे देश ने तरक्की की है, उस हरित क्रान्ति को रोकने की साजिश है।

मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि एक ओर इतनी सारी सबसिडीज देने के बाद भी 1989-90 के अन्दर फूड प्रोडक्शन गेहूं और बाजरे का गिरा है। संसद में प्रस्तुत किए आंकड़ों के हिसाब से चालू वर्ष में खरीफ की फसल में देश का कृषि उत्पादन गिरा है और रबी की फसल के बारे में कौन जाने कि क्या स्थिति होने वाली है। जो प्रारंभिक अनुमान है तो उसके अनुसार के कारण उसके अन्दर कमी आने की आशंका है। किसान को इस तरह का सहयोग नहीं दिया गया सबसिडी देकर, उनके प्रोडक्ट को वायेबल नहीं बनाया गया और जितनी लागत होती है मंहगाई के कारण और उसकी जो बिक्री का मूल्य है उसके अन्दर कोई नैक्सस पैदा नहीं किया गया तो निश्चित रूप से देश आर्थिक क्षेत्र में गुलाम हो जायेगा। इसकी वजह से इस देश के अन्दर हरित क्रान्ति समाप्त हो जायेगी और लोग भूखों मरने लगेंगे। हिन्दुस्तान से गेहूं विदेशों में सस्ते दामों पर जा रहा है और फिर विदेशी लोग तथा बड़े-बड़े किसान अमेरिका के और अन्य गेहूं उत्पादक देश कृषि उत्पादन गिरने पर महंगा गेहूं बेचकर भारत के बाजार को लूट लेंगे। यहां के गरीबों को भूखो मरना पड़ेगा। उस वक्त हम लोग मजबूर होंगे कि गरीबों का पेट कैसे भरा जाए। इससे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ेगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से हम गरीब लोगों के पेट की आग बुझाने के लिए जिनमें पूरा साम साम्थर्य नहीं है तो पी० डी० एस० में सबसिडाइज करके सस्ते मूल्यों पर उनको चीजें उपलब्ध कराते हैं। मैंने देखा है कि साधनों के अभाव में खरीदने की क्रयशक्ति कम हो जाती है। माल बाजार में रहता है और लोग भूखो मरते हैं। ऐसी आपदा इस देश में न आ जाए। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सबसिडी को जारी रखा जाए। मैं, एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन के मामले में डंकल प्रस्ताव में खतरा देखता हूं। जो बीज होगा तो उनमें भी उनके पैटेन्ट राइट होंगे। उस सीड को लेकर बहां बो सकते हैं और फसल ले सकते हैं। उसको खरीदने के बाद दोबारा उसे बीज के रूप में इस्तेमाल (व्यवहार) नहीं कर सकते, उसके लि परमिशन लेनी होगी। इस प्रकार से हमारी स्वायत्तता पर चोट आती है इसलिए कृषि के मामले में उन्नत बीज के प्रयोग के मामले में बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है। लेकिन एक प्रकार से नया फ्यूडल सिस्टम सामंती व्यवस्था पैदा करने की कोशिश की जा रही है जबकि दुनिया के अन्दर फ्यूडल सिस्टम समाप्त हो रहा है, चाहे साम्यवादी शासन की तानाशाही हो या दूसरी सामन्तशाही हो लेकिन एक प्रकार से वह विश्व के अन्दर टूट रहा है। रशिया भी टूट गया और पार्टी की तानाशाही समाप्त हो गई। यह एक आर्थिक तानाशाही के रूप में, एक आर्थिक सामन्तवाद के रूप में, इस सिस्टम को लेकर, समूचे विश्व के लोगों को और गरीब लोगों को आर्थिक साम्राज्यवाद से ग्रसित किया जा रहा है और उनको

[श्री भगवान शंकर रावत]

दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इन्टरनेशनल ट्रीटी होना आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे बाइलेटरल ट्रीटी होंगी, अगर इस समूचे विश्व का कोई नियमन हो सकता है, ट्रीटी हो सकती है जिससे समूचे विश्व का व्यापार चल सके और इससे समस्या का निराकरण हो तो अच्छी बात है। लेकिन, समूचे विश्व-बंधुत्व की बात, अन्तरर्राष्ट्रीय बिरादरी की बात; समूचे विश्व के कल्याण की बात हो तो हम समझते हैं कि अपने अन्तरर्राष्ट्रीय हितों को अनदेखा नहीं कर सकते। पहले राष्ट्रीय हित देखा जाना चाहिए। यह प्रस्तुत डंकल प्रस्ताव के नाम से जाने, जाते हैं। जो मकड़ी का जाल है और जो चूहे के साथ जाल-बट्टा लगा हुआ है जिससे हमारे समूचे उन बौद्धिक वृष्टि से प्रबुद्ध लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही हैं इसलिए हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वह है इंटलेक्चुअल के मैन पावर के रूप में उपयोग के लिए। जहां तक मेरी जानकारी है डंकल प्रस्ताव में जो टेक्नोक्रेट्स हैं, मेड़ी कोज है, इस तरह के एक्सपर्ट लोग हैं उन्हीं के निर्यात की बात कही गई है। उसी पर बल दिया गया है। भारत जैसे देश में जहां विदेशी मुद्रा की कमी है और उससे हम इस कद्र पीड़ित हैं कि हमारे देश के बजट का 23 फीसदी पैसा ब्याज चुकाने पर ही चला जाता है। इसलिए विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिए और निर्यात बढ़ाने के लिए हम सोचें। इसके साथ ही मेन पावर के निर्यात की बात सोचें। डंकल प्रस्ताव में जो इस प्रकार के बन्धन दिये गये हैं वे उचित नहीं हैं। हमें अगर अपने मेन पावर का निर्यात करके विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है तो यह करना चाहिए। इसके साथ ही उसके अर्जन करने के रास्तों को भी सुनिश्चित करना होगा।

सभापति महोदय, मैंने जो चार मुद्दे आपके माध्यम से सरकार के सामने रखे हैं इस पर सरकार को गहन विचार करना होगा। इसके लिए पब्लिक डिबेट की आवश्यकता है। मैं माननीय मन्त्री जी की भावना से सहमत हूं कि लोग संसद के अन्दर इस मामले को रखें और इस पर इसके साथ ही नेशनल डिबेट भी होनी चाहिए। क्योंकि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से हो सकता है हम बंध जाएं। जब तक डंकल प्रस्ताव आये, गैट जिसकी हमने सदस्यता ग्रहण की है उसको भी समाप्त नहीं कर सकते। अगर डंकल प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो भारत हमेशा के लिए बंध जायेगा। इसलिए इस पर बहुत सोच-विचार करने की आवश्यकता है। देश की आर्थिक स्थिति डावांडोल हो रही है, देश का स्वदेशी उत्पादन गिर रहा है। आज स्थिति यह है कि जितना हम निर्यात करते हैं उस निर्यात में केवल कच्चे माल या अर्द्ध-निर्मित माल का बाहुल्य होता है। जो हमारी औद्योगिक फिनिश गुड्स हैं उनका हमें कुल निर्यात में 10 प्रतिशत ही निर्यात कर पाते हैं। अगर एक बार विदेशी आक्रमण हो गया, विदेशी कम्पनीज और पूंजी यहां आ गई तो इससे देश का बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं सरकार को इस बारे में सचेष्ट करना चाहता हूं कि वह अन्तर्राष्ट्रीय दबाव में न आये जिससे हमारी आर्थिक सम्प्रभुता और आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाये।

जिन मुद्दों को मैंने यहां उठाया है, उसके साथ ही मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय संधि इस प्रकार कीजिए जिससे देश की आर्थिक सम्प्रभुता सही रहे, देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ सके और समूची मानव जाति का कल्याण हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल (इरनडोल) : सभापति महोदय, हम अभी एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो अभी आरम्भिक स्थिति में ही है। मुद्दे के पूरी तरह सामने आने से पहले ही हम उस पर बहस किये जा रहे हैं।

दाहिने ओर तथा मध्य पंक्ति में बैठे हमारे मित्र हमेशा बहुराष्ट्रवाद और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में सोचते रहते हैं। वे 'अन्तर्राष्ट्रीय' शब्द का अर्थ नहीं समझते। दुनिया बहुत छोटी हो गई है। हमें आपस में एक-दूसरे से सम्पर्क बढ़ाना होगा। विभिन्न देशों से व्यापार, संचार और यातायात तथा कई अन्य मुद्दों पर सम्पर्क करना होता है। इसके लिए नियम कायदे बनाने होते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि समुद्र तथा अन्तरिक्ष सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कानून और अन्य कानून अभी भी शुरुआती दौर में ही है तथा अन्तरिक्ष के सम्बन्ध में अभी पूरा कानून बनाया जाना है। यह ठीक ही है कि जब हम अन्य देशों से सम्बन्ध स्थापित करते है तो दो श्रेणी के राष्ट्र होते है, एक विकसित और दूसरे विकासशील। हम विकासशील देशों की श्रेणी में है। इसीलिए दूसरे पक्ष में बैठे हमारे मित्र पेटेन्ट कानून के संबंध मे अपनी आशंका व्यक्त कर रहे है। कुछ हद तक उनकी आशंकाएं ठीक भी हो सकती हैं। लेकिन जब तक हम उनसे वार्ता में शामिल नहीं होते और संशोधित रूप में जो हमारे अनुकूल है उन प्रस्तावों पर सहमत होने की अपनी इच्छा नहीं व्यक्त करते, तब तक हम अपने देश की निर्यात और उद्योग का विकास कैसे कर सकते हैं।

हम इस बात पर सहमत हैं कि विशेषकर विकासशील देश निर्यात के लिए राजसहायता प्रदान करते है। एक शर्त जो हम पर लागू होगा वह यह कि सात-आठ वर्षों के बाद राजसहायता बंदकर दी जा सकती हैं या यदि उत्पाद पूर्णतया विकसित हैं तो तीन वर्षों के बाद ही राजसहायता बन्द की जा सकती है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे अनुकूल नहीं है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उस पूरे समझौते पर विचार ही नहीं किया जाए या यह कि हम कोई ऐसा समझौता करेंगे ही नहीं।

जब यूरोपीय देशों को यह लगा कि वे अलग रहकर अपने व्यापार और उद्योग को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो यूरोपीय श्रमिक समुदाय का उदय हुआ। 1971 में वर्ग सम्मेलन और पेरिस सम्मेलन हुआ। उसी तरह पहले गैट (जी० ए० टी० टी) समझौता भी हुआ था। कई देशों ने उरुग्वे सम्मेलन में भाग लिया। संकल्प में यह भी कहा गया है कि चीन भी इसे स्वीकार कर रहा है। लेकिन यह भय व्यक्त किया जा रहा है कि 95 प्रतिशत व्यापार और उद्योग सरकार के हाथों मे है, जबकि भारत में 75 प्रतिशत उद्योग निजी क्षेत्र के पास है जो पेटेन्ट कानून से प्रभावित होगा। हमारा अन्य देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध है। कुछ नियमों, यथा जैसे सीमा शुल्क सम्बन्धी नियम, क्वारन्टाइन संबंधी नियम या पुरानी पड़ी प्रौद्योगिकी को यहां जमा करने के विरोध में उपाय करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को अपनाने आदि नियमों का पालन करना होता है, जिन्हें निर्धारित किया जाएगा और भारत सहित सभी देशों को इसका पालन करना होगा।

इसलिए मैं समझता हूं कि इस चर्चा का अभी उपयुक्त समय नहीं है और हमें इन प्रस्तावों का शुरू में ही विरोध नहीं करना चाहिए ठीक है, मेरे मित्रों द्वारा भय व्यक्त किया गया है कि जनशक्ति के बाहर जाने पर रोक लग जाएगा, लेकिन इस बात का कोई सुदृढ़ आधार नहीं है। जनशक्ति के मामले में भारत सम्पन्न रहा है। हमारे पास बुद्धिजीवी है, प्रतिभा है और हमने यह पाया है कि पेटेन्ट कानून, जो भी हो उसके बावजूद हमारे जनशक्ति और कार्मिकों की विभिन्न देशों में अत्यधिक

[श्री विजय एन० पाटिल]

सांध बनी रहेगी।

5.00 म० प०

पायलटों का उदाहरण लें एक समय ऐसा था कि भारत में ही रोजगार प्राप्त करने के लिए पायलट आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा था। लेकिन आज हमारे अच्छे पायलटों को अन्य देशों मे रोजगार मिल रहा है और उनकी बहुत मांग है।

यदि पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदकों की संख्या को देखें तो विगत वर्ष के पूर्व ऐसे वर्ष में ऐसे आवेदकों की संख्या 24 लाख थी जबकि विगत वर्ष उनकी संख्या बढ़कर 35लाख हो गई। इसलिए भारतीय प्रतिभा की मांग बढ़ती जाएगी। इसलिए ऐसी आशंका करना निराधार है।

पेटेन्ट कानून मे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारणीय बात यह है कि एक विकसित देश के लोग वहां के उद्योगपति यह कह सकते कि अमुक उत्पाद उनके यहां भारत से दो दिन पूर्व ही खोज लिया गया था। तकनीकी विकास चल रहा है। यह विभिन्न दिशाओं में जारी है। जब कई देशों में एक ही तरह का शोध कार्य और विकास का कार्य चल रहा हो तो पूरी सम्भावना होती है कि विकसित देशों के उद्योगपति या कारखाना मालिक पेटेन्ट कानून से अनुचित लाभ उठा लें। वही उत्पादित वस्तु या उसी तरह की प्रक्रिया को, हो सकता है, भारत ने पहले विकसित कर लिया हो, लेकिन पूर्व में ही विकसित कर लिए जाने के नाम पर या चूंकि उनके पास धन की शक्ति है, संचार माध्यम उनके हाथ में है, इसलिए वे यह बाधा कर सकते हैं कि उक्त उत्पादित वस्तु उनके देश में पहले ही विकसित कर ली गई थी और इस प्रकार वे पेटेन्ट कानून का अनुचित लाभ उठा सकते हैं।

इसलिए प्रस्तावित कानून में कुछ खामियां हैं और हम यह महसूस करते हैं कि जब भी कोई नई बात होती है तो शुरू में ही हम अपने भय को व्यक्त करने लग जाते हैं। इसलिए मैं दूसरे पक्ष के अपने मित्र जिन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया है उन्हें यह सलाह दूंगा कि वह थोड़ा धैर्य रखें।

एक लोकतांत्रिक देश भारत में हम किसी मुद्दे पर पूरा बहस कर सकते हैं। हम विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं और सरकार कोई समझौता करने से पूर्व उस सम्बन्ध में सही निर्णय ले सकती है। दूसरे पक्ष के सदस्यों को मैं इस संबंध में आश्वस्त करना चाहता हूं और मैं इसीलिए इस संकल्प का विरोध करता हूं। अपनी बात कहने के लिए जो मुझे समय दिया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करती हूं। चूंकि शुरू से ही इस पर दो मत व्यक्त किये गए हैं, एक में संकल्प का समर्थन किया गया है और दूसरे में विरोध, इसलिए मैं संकल्प के विरोध में जो दलीलें दी गई है उस सम्बन्ध में कुछ बातें कहूंगी।

सर्वप्रथम, यह कहा गया कि संकल्प प्रस्ताव पर हम सही वक्त आने से पूर्व ही चर्चा कर रहे हैं। मैं यह कहती हूं कि उक्त कथन पूरी तरह गलत है। यह हमारे सामने अन्तिम चरण में आया है। हमें अपने विचार मध्य अप्रैल तक सौंपने है। समय बहुत कम है। यह मुद्दा बहुत आगे बढ़ चुका है। वह अब सामने आने वाला है और हमें भय है कि यह हमारे लिए खतरनाक होगा। इसलिए, हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम इस स्थिति में आकर सरकार को पूरे भारत के वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों,

प्रौद्योगिकीविदों से कठिन विरोध का सामना करना पड़ रहा है जो डंकल प्रस्ताव में निहित बातों का विरोध कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि डंकल प्रस्ताव में निहित मुद्दों को चर्चा का विषय बनाने के अवसर का उपयोग करना चाहिए। हम जानते हैं कि सत्ता पक्ष में ही इस मुद्दे पर मतभेद हैं। श्री चिदम्बरम ने शुरू में कहा था कि डंकल प्रस्ताव भारत के प्रति पक्षपातपूर्ण है। अब भी पर्यावरण मंत्री इसका डटकर विरोध कर रहे हैं। प्रेस को दिए गए एक साक्षात्कार में—मैं समझता हूं कि विगत सप्ताह की बात है—उन्होंने कहा कि किसी भी व्यापारिक समझौते के परिणामस्वरूप भारत अपने जैविक विविधता के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि यदि एक बार भारत द्वारा डंकल प्रस्ताव पर सहमति हो गई तो वे जो इसका डटकर विरोध कर रहे हैं, उन्हें भी झुकना पड़ेगा। इसलिए, जबकि हमारे पास डंकल प्रस्ताव को रद्द करने का समय है तो हमें इस पर गौर कर लेना चाहिए।

दूसरी बात यह कही गई है कि दुनिया सिमटती जा रही है और हम बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में इतने चिंतित हैं कि हम अन्तर्राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीय हितों के बारे में पूरी तरह नहीं सोचते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। वास्तव में दुनिया सिमट रही है। आज विश्व में कतिपय अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्रों का एक प्रकार का एकाधिकार होता जा रहा है। माननीय कालों हिल्स ने कहा है कि इन 'गैट' वार्ताओं का उपयोग विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं का उदारीकरण करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए यह अन्तर्राष्ट्रीय हित में है। यह न केवल विकसित देश, अपितु निहित स्वार्थ, विकसित देशों में पूंजी के शक्तिशाली स्वामियों के हित में है बल्कि विकासशील देश, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय बन्धुता का भाग है, के हित में है तथा वे चाहते हैं कि डंकल प्रस्ताव रद्द कर दिया जाना चाहिए।

हम क्या देखते हैं कि अमेरिका केवल अपने हित के संरक्षण के लिए कुछ व्यापार नियमों को सार्वभौमिक बनाना चाहता है। यह अन्तर्राष्ट्रीयता नहीं है। यह अन्तर्राष्ट्रीयता लाभ के उद्देश्य की ओर अग्रसर है और इन वार्ताओं द्वारा विकासशील देशों से कितना ऐंठा जा सकता है, यह इस ओर तत्पर हैं। इसलिए यह अन्तर्राष्ट्रीय हित में है कि डंकल प्रस्ताव को रद्द कर देना चाहिए।

तीसरी बात यह कि ऐसा कहा गया है कि डंकल प्रस्ताव के कुछ मुद्दे, विशेषकर के भारतीय पेटेन्ट अधिनियम जिसका कि उल्लेख किया गया है, हमारे राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक हो सकते हैं। मुझे खुशी है कि उस तरफ बैठे सदस्य इस बात से सहमत हैं कि भारतीय पेटेन्ट अधिनियम में संशोधन करने का यह एक खतरनाक प्रस्ताव है तथा यह हमारे अपने देश में विभिन्न उद्योगों के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। लेकिन जो बात मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि मामला यह नहीं है कि डंकल प्रस्ताव में कुछ अच्छी बातें हैं तथा उसमें कुछ छोटी-मोटी बातें हैं, जिनसे हमें सहमत नहीं है। एक बात अन्य से सम्बन्धित है। केवल वही नहीं-- अब वास्तव में तीन या चार पृथक अवधारणाएं हैं जिनको एक ही जगह समाविष्ट करने की मांग की जा रही है और इन तीन या चार अवधारणाओं के बीच एक गहरा सम्बन्ध है। अमेरिका तथा अन्य विकसित देश इन सम्बन्धों को विकृत करना चाहते हैं, ताकि वे भारत जैसे विकासशील देशों के विरुद्ध कुछ अन्तर प्रतिक्रियात्मक उपाय कर सकें।

महोदय, ऐसा लगता है डंकल प्रस्ताव पर बहस करने के सम्बन्ध में एक बौद्धिक भय सा व्याप्त है। जब हम इस मुद्दे को उठाते हैं, लोग जो कि शिक्षित हैं और लोग जो कि बहुत बुद्धिमान हैं पूछते हैं कि 'ट्रिप्स' क्या है, 'ट्रिम्स' क्या है, 'गैट' तथा 'गेट्स' क्या है तथा 'गेट' तथा 'गटस' में क्या अन्तर?

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य]

निश्चित रूप से आज वक्ताओं की संख्या बहुत कम होने का कारण भी यही बौद्धिक भय लगता है। मैं कहूंगा कि यह बौद्धिक भय जान-बूझकर इसे रहस्यमय बनाने की प्रक्रिया के रूप में हमारे अन्दर उत्पन्न किया जा रहा है, क्योंकि हम पर कुछ ऐसी वस्तु निगलने के लिए जोर डाला जा रहा है जिसका यह पता नहीं, कि वह क्या वस्तु है। संक्षेप में यह सब डंकल प्रस्ताव के सम्बन्ध में उसको रहस्यमय रखने के कारण है तथा डंकल प्रस्ताव के बारे में किसी को कोई जानकारी न होने के कारण है। जबकि बिना इसे समझे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : उन्होंने क्रूरता दर्शायी है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : वे क्रूर नहीं हैं, उनके प्रस्ताव क्रूर है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है, जैसाकि मैं समझता हूं। इसलिए, हमारे लिए इस बात को समझना आवश्यक है कि डंकल प्रस्ताव किसलिए है तथा संक्षेप मे यह रहस्यमय रूप क्या है, जो कि एक प्रकार का हथियार है जो विकसित देशों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि हम इस डंकल प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। उदाहरण के लिए यह कहा गया है : 'ये बौद्धिक सम्पदा अधिकार क्या है, क्या यह केवल बुद्धिजीवियों से ही संबंध रखते हैं'। नहीं, मैं यह कहूंगा कि बौद्धिक सम्पदा अधिकारों मे आखिरकार हमारे देश के सभी लोग शामिल होते है। वास्तव म इसमे विशेष रूप से ऐसे लोग भी शामिल है। जो कि सुविधाओं से वंचित है जो कि पिछड़े वर्ग के हैं और जो कि गरीब हैं और संक्षेप में इसका कारण यह है कि डंकल प्रस्ताव पर राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत होनी चाहिए। इससे पहले कि कोई समझौता इस स्तर पर पहुंचे लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि ये किस बारे मे है। इसीलिए, हम कह रहे है कि इस स्थिति मे, जिस तरीके से इस डंकल प्रस्ताव को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, उसे रोका जाना चाहिए।

दूसरी बात, जो कि बहुत रोचक है वह है धीरे-धीरे सरकार के रुख में होता हुआ परिवर्तन। वर्ष 1989 में भी यही वर्तमान सत्ताकढ़ दल शासन में था और वे 'गैट' वार्ताओं में भाग लेते थे। उस समय कोई डंकल प्रस्ताव नही था। वार्ताएं चल रही थी और इन वार्ताओं मे कुछ नई बातें भी रखी गई थीं और उस समय सरकार ने कहा था :

> "हमने व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की बातचीत में स्पष्ट परिणामों की अपेक्षा किए बिना भाग लिया है। इन पहलुओं के लिये 'गैट' में कोई स्थान नहीं है। वहां तकनीकी, नैतिक तथा आर्थिक विकास जैसे भिन्न क्षेत्रों की नीतियों के मुद्दों को उठाया जाता है। 'गैट' का संबंध व्यापारिक नीतियों से है और ऐसा ही रहना चाहिए।"

वर्ष 1989 में हमारी सरकार ने बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के मामले को 'गैट' वार्ताओं में उठाने का विरोध किया था। लेकिन अब हम उन पर चुप है। अभी तक उस पर कोई आपत्ति नहीं है। यह बहुत आश्चर्यजनक है।

—वर्ष 1991 में भी, राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया था : "गैट वार्ताओं में विकासशील देशों के हितों का संरक्षण करना आवश्यक है।" निश्चित ही, इसका कोई आधार था।

—वर्ष 1990 के शुरू के छः महीनों मे, 11 लेटिन अमरीकी देशों, कैरीबियाई देशों तथा सात

एशिया के देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल था। गेट्स के सम्बन्ध में वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। इन वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार किया गया था तथा दिसम्बर 1990 के अन्तिम प्रारूप द्वारा इस बात का पता चला था कि सेवाओं के व्यापार के सम्बन्ध में उत्तर तथा दक्षिण के देशों की विचारधारा के बीच भारी अन्तर है।

5.16 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यद्यपि ये वार्ताएं असफल रहीं। तत्पश्चात् श्री डंकल ने अपना प्रस्ताव रखा, जो कि कुछ प्रस्तावों का मिला-जुला रूप लगता है, लेकिन मैं इसका विरोध करूंगी। वास्तव में इसमें इन वैकल्पिक प्रस्तावों पर केवल नाम के लिए विचार किया गया है। डंकल प्रस्ताव के प्रस्तुत होने के पश्चात् जैसा कि मेरे से पहले वाले वक्ता ने कहा है कि वाणिज्य मंत्री ने आरम्भ में प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। लेकिन तत्पश्चात् वाणिज्य मंत्रालय से एक नोट जारी किया गया, जिसमें जारी करते समय मंत्रीजी ने डंकल प्रस्ताव के अनेक सकारात्मक पहलुओं का हवाला दिया था। यह सकारात्मक पहलू क्या थे? एक था; भारत को खाद्य पदार्थों, रसायनों तथा भेषजों के लिए एक जनवरी, 2003 तक उत्पाद पेटेन्ट देने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरी बात यह है कि वाणिज्य मंत्रालय का यह विचार है कि भारत में अपनी कम्पनियों को राष्ट्रीय कानूनों के अनुकूल बनाने की अनुमति देने के लिए अनिवार्य लाइसेंसीकरण के प्रावधान पर्याप्त रूप से व्यापक तथा लोचदार थे। वाणिज्य मंत्रालय ने यह भी महसूस किया कि अन्य देशों में दिए गए वर्तमान पेटेन्टों में शामिल उत्पादों के लिए डंकल प्रस्ताव में कोई विशेष विपणन अधिकार नहीं दिया गया था। यह तीन सकारात्मक पहलू थे जिनका वाणिज्य मंत्रालय द्वारा उल्लेख किया गया था।

मैं उन पर एक-एक करके विचार करूंगा। चूंकि, इसके बाद हमने इस बात पर भी गौर किया कि अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कोई घटना घट रही है। सुपर 301 का खतरा कुछ समय तक हमारे ऊपर मंडराता रहा। अस्थायी रूप से उस खतरे को टाल दिया गया है। इसको स्थगित कर दिया गया है। आप जानते हैं क्यों? यह इसलिये क्योंकि हम डंकल प्रस्ताव के कुछ सकारात्मक पहलुओं को देखने में एक कदम आगे बढ़ गए थे। शायद यह उम्मीद की जा रही थी कि जैसे-जैसे समय बीतेगा और शून्यकाल आएगा, डंकल प्रस्तावों में अधिक से अधिक सकारात्मक पहलू दिखाई देने लगेंगे। इसी उम्मीद में, शायद सुपर 301 के खतरे को अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया था। सरकार के रवैये में यह बदलाव तथा हमारी सरकार की सम्पूर्ण वाणिज्य नीति, सम्पूर्ण औद्योगिक नीति तथा सम्पूर्ण व्यापारिक नीति में ये चिन्ताजनक संकेत हमें यह महसूस कराते हैं कि क्या कारण है कि सरकार ने धीरे-धीरे-धीरे डंकल प्रस्ताव पर अपने रुख को बदल लिया है क्योंकि ऐसा करने के लिये दबाव डाला जा रहा है।

हमारा बहुत दृढ़ता से यह कहना है कि यदि सरकार यह महसूस करती है कि इसके लिए दबाव डाला जा रहा है, तो हम इस दबाव का विरोध करने के लिए सरकार की मदद करने के लिये तैयार हैं। लेकिन यदि सरकार इस दबाव के आगे झुक जाएगी तो मैं समझती हूं अन्ततः इस देश के लोग हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे।

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य]

यही कारण है कि हम चाहते हैं कि इससे पहले की सरकार इस पर कोई निर्णय ले, डंकल प्रस्ताव पर अच्छी तरह से बातचीत होनी चाहिए।

मैंने कुछ चिन्ताजनक संकेतों के बारे में बात की है। सरकार ने अभी डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। लेकिन क्या सरकारी नीति के कुछ पहलुओं पर आप डंकलीकरण की गुप्त प्रक्रिया नहीं देख रहे है? देखिये कि किस तरह से औषधियां, जो कि 1953 से 1991 तक हमारे देश में नियंत्रित दरों पर सप्लाई की जाती रही है, अब धीरे-धीरे कम हो गई है। यह छोटी हो रही है। सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य की औषधियों वाली यह औषधि सूची धीरे-धीरे छोटी हो रही है। वास्तव में अगर यह पहले से ही डंकलीकरण का अप्रत्यक्ष रूप नहीं बना है तो इससे डंकलीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा।

हमारे मौजूदा बजट में फूलों, फलों, खाद्यान्न बीज और पौधे इत्यादि के आयात को उदार बनाया गया है। डंकल प्रस्ताव में कृषि के सम्बन्ध में क्या कहा गया है? विदेशों से कथित तकनीकी रूप से विकसित बीज और पौधों के आयात की उदारता से इसका घनिष्ट है और इस बारे में मेरे पूर्ववर्तियों ने पहले ही अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं।

मैं यही बताना चाहती हूं कि हमें लगता है कि डंकलीकरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और हमें इस प्रकार के गलत संकेत मिल रहे है जिनके कारण हम महसूस करते हैं कि इस पर खुली चर्चा की जरूरत है।

निःसन्देह टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार जिसे व्यापार सेवायें कहते हैं, उस पर चर्चा स्थगित कर दी गई है। लेकिन हम देखते हैं कि वाणिज्य मंत्री ने 10 जनवरी, 1992 को राज्य सभा में एक वक्तव्य में कहा था कि :

> "कम्प्यूटर लगाने, हार्डवेयर व्यवसाय सेवाओं, जांच और सुरक्षा सेवाओं, स्वास्थ्य संबंधी और सामाजिक सेवाओं, पर्यटन, यात्रा और सुविधा सेवाओं, शिक्षा इत्यादि से संबंधित व्यावसायिक सेवाओं में वार्ता में भाग ले रहे सभी देशों से सरकार ने प्रवेश के लिए पहले ही अनुरोध किया है।"

इसलिए सेवाओं में व्यापार के लिए इन सभी क्षेत्रों को खोला जा रहा है। निःसन्देह, मंत्री महोदय ने कहा है कि भारतीय सेवा क्षेत्र को विदेशों के लिए खोलना उरुग्वे चक्र की वार्ताओं में अधिक बहुलता वाली सेवाओं में प्रवेश प्राप्त करने के लिए ही है। अन्य शब्दों में, सेवाओं में इस व्यापार के कारण हमारे श्रमिक और अधिक रोजगार प्राप्त करेंगे।

लेकिन यह तभी हो सकता है जब डंकल प्रस्ताव की विभिन्न शर्तों को मान लिया जाए अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए, वितरकों को विदेशी सेवाओं हेतु राष्ट्रीय व्यवहार का प्रावधान। वे यही शब्द उपयोग करते हैं कि भारत के प्रतिबन्धात्मक व्यापार तथा गलत निवेश उपायों के लिए वे भारत को धमकी देते हैं और वे चाहते हैं कि हम बराबर का राष्ट्रीय व्यवहार दें। यह तो एक पक्ष को खोलना होगा। यदि एक बार हमारी सेवाओं को खोल दिया गया अर्थात् बैंकिंग, सूचना, कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी, चलचित्र तथा वीडियो वितरण, होटल और अन्य बहुत करने वाली सेवायें उनके लिए खोल दी गई तो यह होगा कि उत्पादन स्थानीय श्रमिक, स्थानीय विशेषज्ञता में निम्नतम स्थानीय हिस्से के

लिए आने वाले बहुराष्ट्रीय निगमों पर कोई पाबन्दी नहीं होगी। इनके उपयोग के लिए उन पर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं होगी। उन पर कोई निर्यात का दायित्व भी नहीं होगा। इस प्रकार हमें लगता है कि हमारे सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उदारीकरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। मैं नहीं जानता कि क्या अब इस प्रक्रिया को वापस करने में बहुत देरी हो गई है। लेकिन हम डंकल प्रारूप पर हस्ताक्षर करके अपने उद्योग, यहां उपलब्ध अपनी सेवाओं, अपनी बौद्धिक सम्पदा, हमारे किसानों द्वारा तैयार किए गए बीजों तथा उनके द्वारा विकसित पैतृक संसाधन को समाप्त कर देंगे। यह तो अन्ततः समर्पण ही होगा उसके बाद कुछ नहीं बचेगा।

मैं डंकल प्रस्ताव की सकारात्मक विशेषताओं के सरकार के कथन पर कुछ अब कहना चाहूंगा। प्रथम, भारत को 10 वर्षों की राहत दी गई है। हमें बताया गया है कि भारत को 1 जनवरी; 2003 तक खाद्य पदार्थ, रसायन फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पाद पेटेन्ट नहीं देना होगा। 2003 ई० से उत्पादन पेटेन्ट देना होगा लेकिन तब तक नहीं। हमें 10 वर्ष की राहत मिली है। हम विकसित देशों से पीछे हैं। इसलिए हमें 10 वर्ष में उनके साथ आने के लिये इस प्रकार का सहारा दिया जा रहा है। लेकिन क्या यह राहत वास्तविक है? यह वास्तविक राहत नहीं है। डंकल प्रस्ताव के अनुच्छेद 65 के उप खण्ड 4 और 5 में इस 10 वर्ष की राहत को निर्माणाधीन उत्पादन की प्रणाली के द्वारा गुप्त रूप से कम कर दिया गया है। अर्थात् जो लोग 2003 ई० में पेटेन्ट के अधिकार को अन्ततः प्राप्त करेंगे, वे अगले वर्ष से ऐसे पेटेन्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि जिन विषयों को इस समय हमारे पेटेन्ट कानूनों से अलग रखा गया है उन अपने पेटेन्ट की सुरक्षा हेतु आवेदन अभी दिए जा सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो सोचिये आगे क्या होगा। ऐसी अव्यवस्था व्यवस्था का यह अर्थ होगा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिन चीजों का 2003 ई० तक विदेशों में पेटेन्ट होने की संभावना है। उन पर स्थानीय उद्यम कोई खतरे भरा निवेश नहीं करेंगे। इन क्षेत्रों में अनुसन्धान तथा विकास पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। यदि हम डंकल प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो अभी और अगले वर्ष से ही ये कार्य पूर्णतया रुक जाएंगे। इसलिए यह दस वर्ष की राहत कोई राहत नहीं है।

दूसरी बात यह थी कि अनिवार्य लाइसेंस का प्रावधान पर्याप्त रूप से विस्तृत तथा लचीला है, इससे भारत अनिवार्य लाइसेंस के संबंध में अपने कानून बना सकता है। पुनः डंकल प्रस्ताव में ऐसे अन्य अनुच्छेद हैं, जिन्हें स्वीकार करने के बाद अनिवार्य लाइसेंस देने का यह अधिकार पूर्णतया व्यर्थ हो जाएगा। उदाहरण के लिए डंकल प्रस्ताव में अनुच्छेद दो हैं, जिसमें सुझाया गया है कि पैरिस कन्वेंशन को स्वीकार कर लिया जाए। अब अगर पैरिस कन्वेंशन को डंकल प्रस्ताव के अनुच्छेद दो के मुताबिक स्वीकार कर लें और डंकल प्रारूप के अनुच्छेद 28 में कहे गए कुछ नए अधिकार पेटेन्ट धारकों को दिए जाते हैं तो भारत सरकार जैसी सरकारों के लिए कोई अनिवार्य लाइसेंस देने का बहुत कम क्षेत्र बचा रहेगा। अनिवार्य लाइसेंस नहीं होंगे और विशेषकर पेटेन्ट शुदा औषधियों के लिए ऐसा नहीं होगा जो कि विदेशों में बनती है, अब उन्हें किसी लाइसेंस प्रणाली के बिना सीधा यहां आयात किया जाएगा। यह आसानी से कल्पना की जा सकती है कि इसका औषधियों के मूल्य पर क्या विध्वंसकारी प्रभाव पड़ेगा। यहां पर मेरे पास एक सूची है और यदि मैं इसमें से थोड़ा सा ही उल्लेख करूं तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं।

उदाहरण के लिये कुछ जल से उत्पन्न होने वाली गैस्ट्रोएन्ट्रिक बिमारियों के लिए जो बैक्टीरिया-प्रतिरोधी औषधियां भारत की बजाय अमेरिका में 13.71 गुना अधिक मंहगी हैं। इसलिए यदि हमें उनका आयात करना पड़ा और इन उत्पाद पेटेन्टों, केवल प्रसंस्कृत पेटेन्ट नहीं को मानना

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य]

पड़ा तो नि:सन्देह ये बहुत अधिक मंहगी हो जाएंगी। उनके मूल्य गरीब और आम आदमी की पहुंच से बाहर होंगे। सैंसिकम नामक प्रसिद्ध औषधि अमेरिकी औषधि स्टोरों में 23 गुना अधिक महंगी मिलती हैं। यह हृदय की बिमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए भी अत्यन्त आवश्यक औषधि है। ये औषधियां गरीब और आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। तब कैंसर के लिए कैमोथ्रेपी 5 लाख रुपये में होगी। ये तो केवल कुछ उदाहरण हैं। नि:सन्देह इन विषयों पर कोई अन्तिम निर्णय देने के लिए हम डाक्टर और तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं; लेकिन इस देश के डाक्टर और प्रौद्योगिकी-विद् हमें ये बातें बता रहे हैं। इसके फलस्वरूप हम देखेंगे कि स्वदेशी अनुसंधान खत्म हो जाएगा और भारतीय पेटेन्टस अधिनियम, 1970 के कुछ पहलुओं को बदलने से दवाओं के क्षेत्र में और जिन लोगों को चिकित्सा चाहिए, उनका पूर्णतया विनाश हो जाएगा।

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि जहां तक हमारे जैविक और सब्जियों के संसाधन है, आजकल एक नई कृत्रिम भाषा उपयोग की जा रही है, जिसके तहत जो किसान बीजों का उत्पादन करते हैं उन्हें असभ्य कृषक का नाम दिया गया है और अन्तर्राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्रों में आधुनिक संयंत्र उत्पादकों को उन्नत अथवा विशिष्ट कहा जाता है। ये नाम विभिन्न प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान केन्द्रों और अत्यन्त उच्च तकनीक युक्त प्रयोगशालाओं में विकसित किए जाते हैं और अपने देशों को बेचे जाते हैं। अन्य शब्दों में जो देश बीज का उत्पादन करता है एक बार विदेशी प्रयोगशालाओं में इन कथित विकसित बीजों का पेटेन्ट हो जाने के बाद उस देश के किसानों का इन बीजों पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। इस प्रकार हमारे किसान अपने बीज विकसित करने की बजाय अत्यन्त ऊंचे मूल्य पर व्यथित निगमित बीज खरीदेंगे। पुन: यह कृषि अनुसन्धान के क्षेत्र में सम्पूर्ण विनाश होगा।

अभी भी अनेक ऐसे सटीक मुद्दे हैं, जिन्हें यहां सामने लाया जाना चाहिए था; लेकिन हमें आशा है कि यह तो व्यापार चर्चा के लिए शुरुआत है और इस पर अधिक चर्चा होगी इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने आज मुझे इतना समय दिया और मैं कहती हूं कि हम आज यहां रखे गए इस संकल्प का समर्थन करते हैं और डंकल प्रस्ताव का पूर्णतया विरोध करते हैं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे कामरेड साथी श्री रूपचन्द पाल द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है जिसके बारे में हमारे कम्युनिट मित्रों ने चाहे वे किसी भी रंग के हों, बड़े जोर-शोर से स्वीकार करने का आग्रह किया है। हमें शंख की तरह नहीं बजना चाहिए अपितु अपने स्वविवेक से काम लेना चाहिए कि भारत का राष्ट्र हित किसमें है। डंकल प्रस्ताव के बारे में चर्चा की गई। उनमें अच्छाईयां हैं और बुराईयां भी हो सकती हैं। पहले यह कहा जाता था कि हमारे कम्युनिस्ट मित्र रूस के अन्दर मास्को में वर्षा होती थी और भारत के अन्दर छाता तानते थे। अब चीन में वर्षा हो रही है तो भारत के अन्दर छाता ताना जा रहा है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि गैट के सदस्य दुनिया के करीब-करीब सारे देश बन चुके हैं, लगभग 107 देश इसके सदस्य हैं। 1985 से पहले दुनिया में दो तरह के राष्ट्र थे। विकासशील राष्ट्र और विकसित राष्ट्र। उन सबके बीच में व्यापार के नियमों को विनियमित करने के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए और एक दूसरे के हितों को द्विपक्षीय आधार पर हल करने के लिए गैट नामक संस्था बनी। उसके बाद कुछ वर्षों

के बाद देखा गया कि विकसित राष्ट्र विकासशील देशों के ऊपर अपनी इच्छाएं थोपने लगे हैं। उसमें उनकी कमियां नजर आने लगीं, हेकड़ी नजर आने लगी विकसित राष्ट्रों की विकासशील राष्ट्रों के ऊपर तो वापस इस पर विचार करने के लिए 1986 के अन्दर···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो केवल सभा की सहमति चाहता हूं। इस विषय पर चर्चा के लिए निर्धारित समय केवल दो घंटे है। यह 3.41 म० प० पर शुरू हुई थी, न कि 5.41 म० प० पर। इसके अलावा दो या तीन माननीय सदस्य इस संकल्प पर बोलना चाहते हैं। क्या सभा चाहती है कि इस संकल्प के लिए निर्धारित समय में एक घंटा बढ़ा दिया जाए ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिए निर्धारित समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

श्री अन्दारासु इरा : मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। दो अन्य अति महत्वपूर्ण संकल्प भी सूची में हैं और यदि आज उन्हें नहीं लिया गया तो वे कालातीत हो जाएंगे। हमें पुन: बैलट करना पड़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उन्हें भी आज पुर:स्थापित कर दिया जाए और चर्चा बाद में हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन प्रक्रिया यह है कि जब तक यह पूर्ण न हो अन्य विषय नहीं लिया जा सकता। श्री रावत अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि डंकल प्रस्ताव के बारे में कैसे विचार विमर्श प्रारम्भ हुआ। जो डंकल वर्तमान गैट के अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता के अन्दर 1986 में गैट के सभी सदस्य देशों का सम्मेलन हुआ और भारत ने भी उसमें विकासशील देशों की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। पांच वर्षों के निरन्तर प्रयास के बाद यह डंकल प्रस्ताव बना जो अन्तिम रूप में हमारे सामने आया है, जिसके ऊपर हस्ताक्षर होने हैं।

हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि "उठो, सुनो प्राचीर से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज।" हमारा देश जैसे प्राचीन काल में सरताज था लेकिन जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है वह सबके लिए चिन्ता का विषय है। हम सब चाहते हैं कि चाहे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे लेनदेन का क्षेत्र हो, चाहे आत्मनिर्भरता का क्षेत्र हो, स्वावलम्बन का मामला हो, इन डंकल प्रस्तावों के बारे में जो बौद्धिक सम्पदा अधिकार और इनवेस्टमेंट उपायों संबंधी अधिकार, सेवा संबंधी अधिकार, गैट के और पेटेंट विधानों के बारे में जो बातें हैं उनके ऊपर सरकार को विशेषरूप से ध्यान देना चाहिए और वह डंकल प्रस्तावों के बारे में खुले में दिल से विचार करे। राष्ट्र हितों को सर्वोपरि समझे। कहीं ऐसा न हो कि हमारे राष्ट्र की आर्थिक प्रभुसत्ता को किसी प्रकार का अपमान-जनक स्थिति में जाना पड़े या हमारे राष्ट्र का गुलामी की बेड़ियों में फिर से जकड़ना पड़े। यह बात मैं सावधानी के तौर पर और चेतावनी के तौर पर कह रहा हूं, क्योंकि दूध का जला छाछ को फूंक-फूंक कर पीता है। ईस्ट इंडिया कम्पनी हिन्दुस्तान के अन्दर व्यापारी बनकर आई थी और धीरे-धीरे हमारे यहां की परिस्थितियों का लाभ उठाकर यहां की मालिक बन बैठी और हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़

[प्रो० रासा सिंह रावत]

गये। इसलिए थोड़ा सावधानी से हमें डंकल प्रस्तावों को देखना पड़ेगा। यह भी देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी अच्छाइयां हैं जो हमारे लिए अनुकूल है कौन सी बुराइयां हैं जो हमारे लिए प्रतिकूल हैं। अगर डंकल प्रस्तावों से हमारे देश की आर्थिक प्रभुसत्ता को अपमानजनक स्थिति के अन्दर जाना पड़े।

अगर कृषि और हमारा कपड़ा उद्योग या अन्यान्य क्षेत्रों में सबसिडी है, उसको समाप्त करने का दबाव हमारे ऊपर डाला जाये अथवा हमारे ऊपर जो हमारे औषध निर्माण के बारे में मंहगी दवा उत्पादनों में जिनका पेटेंट प्रॉडक्ट जिन देशों का है, उनसे औषधि खरीदने के लिए विवश होना पड़े तो मैं समझूंगा कि यह राष्ट्रीय हितों के सर्वथा प्रतिकूल है परन्तु अगर हमारी अपनी परिस्थितियों के अनुसार हम अपने लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन दे सक, खेती के मामले में हमने जो आत्म-निर्भरता प्राप्त की है और किसानों को सबसिडी देकर उत्पादों में हमने वृद्धि की है, अगर उस खेती के उत्पादन को बरकरार रखा जाये और वे सहूलियतें मिलें या जो हम सबसिडी समर्थन देते रहे हैं और समर्थन मूल्य अगर सबसिडी के अन्दर किसी प्रकार दबाव नहीं पड़े, हमारा कपड़ा विदेशों के अन्दर जिस ढंग से बेचना चाहें और उसपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगता है तो मैं समझता हूं कि डंकल प्रस्तावों के अन्दर जो अच्छी बातें हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए और जो हमारे देश के हितों के प्रतिकूल बातें हैं, उनको नहीं माना जाये। अभी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किये हैं और अभी भारत विचार कर रहा है कि डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये जायें या नहीं किये जायें। तो विचार करके भली प्रकार देख लें कि यह हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुकूल हैं, हमारी आत्मनिर्भरता का आघात पहुंचाने वाली तो नहीं हैं। डंकल प्रस्ताव से कहीं विदेशी माल हिन्दुस्तान के बाजारों में इतना अधिक न आ जाये कि हमारे भारत के कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों में बना हुआ माल पिछड़ जाए और उसको कोई खरीदे नहीं और हम विदेशी सामान के प्रेमी बन जायें। परिणामस्वरूप हमारे राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था चौपट हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, ढाका की मलमल सारी दुनिया के अन्दर प्रसिद्ध थी जो अंगूठी में से निकाल दी जाती थी। जब अंग्रेज यहां आये, उसने एक चाल चली। यहां के खेतों में पैदा होने वाली सस्ती रुई को इंग्लैंड के अन्दर भेजा और बर्मिंघम, लिवरपूल और मानचेस्टर की मिलों का बना हुआ कपड़ा यहां मंहगे भाव पर बेचा जाता और यहां की पूंजी वहां भेजकर भारत की अर्थ-व्यवस्था को कमजोर करती रही। इसलिए इसके बारे में सरकार से प्रार्थना करूंगा कि डंकल के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से पहले राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि माना जाए, दूसरा—हमारी आत्मनिर्भरता को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचे, तीसरे—पराधीन सपने सुख नाहीं—इस देश की जनता से कुछ न छुपाया जाए कि हमने कौन सी शर्तों को माना है। अभी बहुत से देश डंकल प्रस्तावों के बारे में बारगेनिंग कर रहे हैं कि उनके हितों के अनुकूल है या नहीं ? तो हम भी तो दबाव डालें और उनसे कहें कि इसके जो सदस्य राष्ट्र बन गए हैं, बहुराष्ट्रीय आधार पर व्यापार को विनियमित करने के लिए और व्यापार में व्याप्त अराजकता और अस्त-व्यस्तता की स्थिति को ठीक करने के लिए जो भी विचार-विमर्श चल रहा है, हम भी दृढ़ता के साथ अपनी बात कहें।

माननीय, मैं आपके माध्यम से सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि स्वराज्य के प्रथम नायक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने स्वदेशी वस्त्रों के ऊपर स्वराज्य पर जोर दिया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वदेशी

आन्दोलन चलाया था, विदेशी वस्त्रों की होली जलायी थी इसीलिए मेरा आग्रह है कि स्वदेशी आंदोलन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। स्वदेशी की भावना, जिसको न निज भाषा में निज देश का अभिमान नहीं है, वह नर नहीं पशु निरा मृतक समान है। अतः यदि हमें राष्ट्र का स्व बचाना है तो हमें इसके लिए स्वदेशी की भावना को उजागर करना पड़ेगा। राष्ट्र को स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता की ओर उजागर करना होगा। इस स्वदेशी की भावना को बरकरार रखने के लिए हमारे भारत के कुटीर उद्योगों को भारत की जमीन में पनपने वाले उद्योगों को, भारत की पूंजी से विकसित होने वाले उद्योगों को भारत की भूमि में यहां के उत्पादों को पनपाने के लिए प्रोत्साहन देना होगा और मल्टी नेशनल कम्पनियां—चाहे वह पेप्सी के नाम की कम्पनी हो, या किसी नाम से हो—टमाटरों और दूसरी चीजों को मंहगे भाव पर बनाकर बेचें। कोका कोला जैसा वर्चस्व स्थापित करें, यह हमें तनिक भी स्वीकार नहीं है। यह कह देना कि यह सारा प्रस्ताव रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए, मैं नहीं कहता। इसमें अच्छाइयां भी है और भारत को फायदे भी है, इसमें रियायत भी मिलने वाली है।

माननीय, एक पेटेंट कानून है। दुनिया के 107 राष्ट्रों में से 106 ने हस्ताक्षर कर दिये हैं। चीन एक ऐसा देश है जिसने "गैट्स" के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किये थे और उसी चीन के इशारे पर हमारे साम्यवादी मित्र डंकल के प्रस्ताव का डटकर खुले रूप में विरोध कर रहे है और उसी को अस्वीकृति की बात कह रहे हैं।

लेकिन चीन को आज कितने बड़े दबाव का सामना करना पड़ रहा है। चीन ने अमेरिका के के साथ एक द्विपक्षीय समझौता किया है। यदि उसने पेटेंट लॉ और गैट के जितने डंकल प्रस्ताव हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया तो अमेरिका के साथ उसने जो समझौता किया है, जिसके अंतर्गत उसे 10 वर्ष तक कुछ क्षेत्रों में रियायतें मिलने वाली थीं, डंकल प्रस्तावों को नहीं मानने के कारण उसे मिलने वाली सभी रियायतें बंद हो जाती है। हमें इसका ख्याल रखते हुए कदम उठाना है।

हमारे कुछ साथी कहते हैं कि दो राष्ट्रों के बीच में समझौता वार्ता होनी चाहिए, व्यापारिक लेन तय होने चाहिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब दो राष्ट्रों के बीच में कोई समझौता होता है, तो विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों को और सम्पन्न देश गरीब देशों को दबा देते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है। इसलिए माननीय, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमें डंकल प्रस्तावों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार जांचना चाहिये। हम दुनिया से अलग नहीं है और न अलग होकर रह सकते हैं। आज सारी दुनिया एक समुदाय, एक परिवार बन गयी है। दुनिया के किसी एक देश में होने वाली घटना का असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है परन्तु हमें तीन-चार सावधानियां बरतनी होंगी। सबसे पहले तो हमें अपने यहां उपलब्ध श्रम को बाहर भेजने की व्यवस्था करना होगी। अमेरिका के जितने बड़े एक्सपर्टस या प्रतिभावान लोग है, वे हमारे यहां न आयें क्योंकि हमारी मानवीय शक्ति सबसे अधिक है। हमें अपने मानव की शक्ति, ऊर्जा और उद्यमशीलता के ऊपर विश्वास करते हुए, उन देशों पर दबाव डालना पड़ेगा, गैट के माध्यम से, दूसरे जो विधि विधान है, उनके माध्यम से, कि हमारे देश के लोगों को वहां पर खपाया जाये। दूसरे देशों के जो इलाइट बड़े-बड़े निगमों के अधिकारी हैं, कोई उनमें से हिन्दुस्तान में न आये बल्कि अपने यहां के जो एक्सपर्ट है, मानवशक्ति है, यहां प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं है, हिन्दुस्तान के लोगों को यदि वहां खपाया जा सके, तब तो डंकल प्रस्ताव हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। यदि विदेशी लोग यहां आये, हमारे यहां बेरोजगारी की समस्या को बढ़ावा दिया गया तो तो वह स्थिति हमारे लिए अत्यन्त आत्मघाती हो सकता है।

इन डंकल प्रस्तावों का कुछ ऐसे देश विरोध कर रहे है क्योंकि इसमें ऐसे कुछ प्रावधान हैं,

[श्री० राजा सिंह रावत]

जिनमें अमेरिका, जर्मनी और जापान शामिल हैं, जो उनके अनुकूल नहीं है। हमारे सामने एक ओर अमेरिका, यूरोपीय समुदाय, जापान और जर्मनी जैसे देशों के उदाहरण हैं, हमें अच्छी तरह विचार करके कोई समझौता करना होगा। हमें इन डंकल प्रस्तावों पर हस्ताक्षर तो करने होंगे क्योंकि अमेरिका का जो प्रमुख व्यापारिक समाचार पत्र—स्टेट जार्नल है, उसने यह दावा किया है कि डंकल प्रस्तावों का सबसे अधिक लाभ भारत और फ्रांस केवल इन दो देशों को मिलने वाला है। अब उसके कथन में कितनी सत्यता है या कितने असत्य उसके विचार है, यह तो आगे आने वाला समय बतायेगा, लेकिन इन डंकल प्रस्तावों के संबंध में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने उन्नत देश, अमेरिका, जर्मनी या जापान, केवल एक ही कारण से इन प्रस्तावों का विरोध कर रहे है कि उनकी कृषि संबंधी जो आर्थिक सहायता या सबसिडी है, उन देशों को उसे घटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। लेकिन उस ड्राफ्ट में ऐसी व्यवस्था है कि कपड़ा और वस्त्र आदि के बदले में, उनका आयात कोटा हमें थोड़ा घटाना पड़ेगा, और इसी कारण शायद विकसित राष्ट्र, अमेरिका, जर्मनी और जापान आदि, इसका विरोध कर रहे हैं कि उन्हें अब कृषि और सबसिडी को घटाना पड़ेगा, लेकिन जब उन्हें सबसिडी घटानी पड़ेगी तो उसका लाभ हमें मिलेगा, भारत के लघु उद्योगों और कृषि व्यापार को उससे लाभ होगा। इसका लाभ उठाने से पहले, पिछले छोटे को हमें पूरा करना है, उसकी अवधि को पूरा करना चाहिए और तभी उस स्थिति में हम पहुंचें।

मान्यवर, मै केवल दो चार मिनट और लूंगा क्योंकि यह विषय बहुत तकनीकी है और इस विषय में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए प्राचीन काल मे जैसे भारत को सोने की चिड़िया समझा जाता था, हमे अपने महापुरुषों की भावना का आदर करते हुए, उनकी जो स्वदेशी की भावना थी, उसे किसी तरह का आघात न पहुंचे, कष्ट न पहुंचे ऐसी व्यवस्था करनी होगी। जैसे कहा गया है—"यावत जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत"—यदि सरकार ऐसा सोच ले कि हम तो सुख से जी ले आगे आने वाले लोग कष्टों का सामना करते रहेंगे तो वैसी स्थिति देश मे पैदा नही होनी चाहिए। महाराणा प्रताप का उदाहरण हमारे सामने है जिन्होंने घास की सूखी रोटियां खाना स्वीकार किया था मगर किसी कीमत पर पराधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने कहा था—आजादी से घास की रोटियां खाना श्रेष्ठ है बनिस्बत गुलामी की चिकनी चुपड़ी रोटियां खाने के।

यह बात मैं बार बार आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि डंकल प्रस्तावों में जो बुराइयां हैं, उसमें जो कमियां हैं' उन्हें दूर करके, हमारे अनुकूल जो स्थिति हो, उसे अगर मान लिया जाये, उसमें जितनी बुराइयां हैं, उन्हें बदलवाने की कोशिश की जाये, राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानकर, तब कहीं जाकर, डंकल प्रस्ताव हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि इन बातों का हमने ख्याल नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है आगे आने वाले समय मे हमें कष्टों का सामना करना पड़े।

बहुत से लोग कहते हैं कि अगर सारी दुनिया के देश हस्ताक्षर कर लेंगे, और अगर भारत हस्ताक्षर नहीं करता है, तो हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? इसलिए मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि वास्तव में इससे हानि हम लोगों को होगी, क्योंकि अगर दो देशों के बीच, जैसा कि मैंने कहा—शक्तिशाली देश कमजोर देश को दबा देते हैं, इसलिए डंकल प्रस्तावों के अन्दर जो करार वगैरह किए गए हैं, उसके अन्दर 10 वर्ष की अवधि ऐसी रखी गई है, जिसके अन्दर विकासशील राष्ट्रों को काफी समय दिया गया है और ऐसा प्रावधान उसके अन्दर रखा गया है कि उसके अन्तर्गत अपना विशेष कोटा

था जो विशेष स्थान है, उसको बनाए रखें और जब तक भुगतान शेष की समस्या रहती है, भुगतान शेष की समस्या रहने तक उनको कुछ प्रावधान और कुछ रियायत भी इसके अन्दर प्रदान की गई हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमने डंकल प्रस्तावों को एक मत से रद्द कर दिया, तो उचित नहीं रहेगा और।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अन्त में यही कहना चाहता हूं कि—

"न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है
बुरा वही है जिसकी नीयत बुरी है।"

आइए, आप और हम सब राष्ट्र-हित में और राष्ट्र-हित को सर्वोपरि मानकर डंकल प्रस्ताव में जो अच्छाइयां हैं, उनको मानें—

"सार-सार को गहि रहे थोथा देय उड़ाय"

और

"उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पर होय
परौ अपावन ठौर पर कंचन तजै न कोय"

तो डंकल प्रस्ताव में कई अच्छी बातें हैं, जो विश्व के अन्दर हमको सम्मानपूर्ण स्थिति दिलाने के लिए, हमारे व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए, हमें उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए और हमारे जो भारत के कानून हैं, उनके अनुसार अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इस प्रस्ताव की उन अच्छाइयों को स्वीकार करें और बुराइयों को निश्चित रूप से तिलांजलि दे दें और स्वदेशीकरण की भावना को और राष्ट्र-हित को सर्वोपरि मानें। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : माननीय, उपाध्यक्ष जी, वास्तव में अभी पिछले सप्ताह ही जब लोक सभा के अन्दर प्रश्नोत्तरकाल में चर्चा हो रही थी, तो उस समय माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इस विषय के ऊपर विस्तृत चर्चा होगी और सभी वर्गों को इसकी जानकारी दी जाएगी, तो ऐसा मैं समझता हूं कि पिछले एक महीने से यह बात बहुत अधिक चर्चा में आई है और मेरा ऐसा मानना है कि अर्थशास्त्रियों या और दूसरे लोगों को छोड़ दें, तो भी हिन्दुस्तान की जनता इस सम्बन्ध में इससे पहले बहुत कुछ नहीं जानती थी और अब पिछले समय में जब इसकी चर्चा हुई और उसके बाद यह समझ में आया है कि केवल डेढ़ महीने का ही समय शेष है, अप्रैल के महीने तक हमें फैसला करना है कि हमको इस बारे में क्या करना है और साथ में यह तर्क दिया जाए कि 108 सदस्य देशों में से 107 देश मोटे तौर पर सहमत हैं कि इन प्रस्तावों को मान लिया जाए। इस सम्बन्ध में हमारे बहुत से योग्य साथियों ने बहुत सी बातें रखी हैं। मैं इस सम्बन्ध में आज बहुत कुछ विस्तार से नहीं कहूंगा क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में इस सदन में और सदन के बाहर भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक विस्तृत चर्चा होगी और इसमें बहुत सी बातें जो निहित हो गई हैं कि हम जो फैसला कर रहे हैं, वह क्या इस सदन से ऊपर उठकर कर रहे हैं और इस सदन को उस फैसले को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, इस सब पर चर्चा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहां पर हमारी सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

आधारित है और जब यह समझ में आ रहा है कि वहां पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो मैं समय बिलकुल असहमति और सहमति होने की बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि मेरा कहना यह है कि जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, इस सम्बन्ध में एक विस्तृत चर्चा और विवेचना की आवश्यकता और आवश्यकता इस बात की है कि हम हर लाइन, हर क्लॉज और हर पैरों को पढ़कर इस हिसाब उसके ऊपर विवेचना करें कि जो वास्तव में आने वाले समय में हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के हित में क्या है, उसके ऊपर हम लोग विचार कर सकें। इस विषय पर अगले 15 दिन के अंदर ही इस ऊपर समय निर्धारित होगा और विस्तार से चर्चा होगी, तब मैं इस पर अपने विचार व्यक्त करूंगा

उपाध्यक्ष महोदय : समाप्त करिए।

[अनुवाद]

श्री गंगवार और श्री चार्ल्स, केवल दो वक्ता ही बचे हैं।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : कुछ अन्य वक्ता भी बोलना चाहेंगे। अतः वह अवधि व अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। सभा 9 मार्च, 1992 को 11 बजे म० पू० पर समवेत होगी। स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 9 मार्च, 1992/19 फाल्गुन, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिन्स, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-110053